दशम माला, खंड 6, अंक 9

मंगलवार, 3 दिसम्बर, 1991
12 अग्रहायण, 1913 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र

(दसवीं लोक सभा)

(खंड 6 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

मंगलवार, 3 दिसम्बर, 1991 / 12 अग्रहायण, 1913 (शक)

का

शुद्धि - पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
35	15	"मृतंजय" के स्थान पर "मृत्युन्जय" पढ़िये ।
167	1	"जौलना" के स्थान पर "खोलना" पढ़िये ।

विषय सूची
पृष्ठ (ii) पंक्ति नीचे से 7 "श्री राजा गोपाल नायडू" के स्थान पर "राजा गोपाल नायडू रामास्वामी" पढ़िये ।

विषय सूची

दशम माला, खण्ड-6 दूसरा सत्र, 1991/1913 (शक)

अंक 9, मंगलवार, 3 दिसम्बर, 1991/12 अग्रहायण, 1913 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	1—24
*तारांकित प्रश्न संख्या : 168 से 167 और 169	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या : 162, 163, 168 और 170 से 181	25—265
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1818 से 1929, 1931 से 1950 1953 से 2044 और 2046 से 2048	
सभा पटल पर रखे गए पत्र	265—266
समितियों के लिए निर्वाचन	266—268
(एक) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का कोर्ट	266
(दो) भारतीय खान स्कूल, धनबाद की महापरिषद	266—267
(तीन) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार	267
(चार) पशु कल्याण बोर्ड	287—268
नियम 377 के अधीन मामले	268—271
...और कारेड़ी और तम्बाकू निर्माताओं को तम्बाकू बोर्ड के क्षेत्राधिकार ...ने के प्रस्ताव को निरस्त करने की आवश्यकता	
श्री मोहनलाल झिकराम	268—269
(दो) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान, संस्थान, चंडीगढ़ के तकनीकीविदों, जोकि इस समय हड़ताल पर हैं, के साथ बातचीत करने के लिए एक विशेष समिति का गठन करने की आवश्यकता	
श्री पवन कुमार बंसल	269

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

(तीन) राजस्थान में टोडाराय सिंह से नाथद्वारा तक की प्रस्तावित रेलवे सम्पर्क लाइन को शीघ्र मंजूरी देने की आवश्यकता

श्री शिव चरण माथुर 269

(चार) डाक विभाग के अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने की आवश्यक

प्रो० प्रेम धूमल 269—270

(पांच) उत्तर प्रदेश तथा बिहार की सीमा पर पिपराघाट में गंडक नदी द्वारा किए जाने वाले भूमि-कटाव को रोकने के लिए बिहार सरकार को केन्द्रीय सहायता देने की आवश्यकता

श्री राम नगीना मिश्र 270

(छः) बिहार के कोडरमा क्षेत्र में एक आयुध कारखाना स्थापित करने की आवश्यकता

श्री मुमताज अन्सारी 270

(सात) पश्चिम बंगाल में कोटशिला से पुरुलिया तक की छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने की आवश्यकता

श्री वीर सिंह महतो 270 271

(आठ) केरल को उत्तम किस्म का सेला चावल और पाम आयल की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति करने की आवश्यकता

प्रो० के० वी० थामस 271

रुग्ण औद्योगिकी कंपनी (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक--जारी 271—322

विचार करने के लिए प्रस्ताव

डा० देवी प्रसाद पाल 271—274

श्री मोहन सिंह 274—277

प्रो० सुशांत चक्रवर्ती 277—281

श्री इन्द्रजीत गुप्त 281—287

श्री राम नगीना मिश्र

श्री शरद दिघे

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव

श्री राजा गोपाल नायडू 29[illegible]

श्री मुरली देवरा 300—307

श्रीमती सुमित्रा महाजन 307—309

श्री चित्त बसु 309—314

श्री के० पी० सिंह देव 314—318

श्रीमती गिरिजा देवी 318—319

श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण 319—322

लोक-सभा

मंगलवार, 3 दिसम्बर, 1991/12 अग्रहायण, 1913 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

विचाराधीन पड़ी विकास परियोजनाएं

[अनुवाद]

+

*164. श्री मोरेश्वर सावे :

श्री हरिसिंह चावड़ा : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत सरकार के पास मंजूरी के लिए राज्यवार कितनी-कितनी और कौन-कौनसी विकास परियोजनाएं विचाराधीन पड़ी हैं;

(ख) ये परियोजनाएं कब से लम्बित पड़ी हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

(ग) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत प्रस्तावों पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने के लिए केन्द्र सरकार ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

विवरण

क्र० सं०	राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के नाम	परियोजनाओं की श्रेणी	परियोजनाओं की संख्या और कब से लम्बित हैं					परियोजनाओं की कुल संख्या
			0—1 माह	1—2 माह	2—3 माह	3—6 माह	6 माह से ऊपर	
1	2	3	4					5
1.	आंध्र प्रदेश	(1) ट्रांसमिशन लाइन				1		1
		(2) खनन	1	1		1		3
		(3) सिंचाई						1
2.	महाराष्ट्र	(1) सिंचाई	7			1	1	9
3.	उड़ीसा	(1) खनन	3		1			4
		(2) ट्रांसमिशन लाइन				1		1
		(3) सिंचाई	2					2
4.	राजस्थान	(1) सड़क	2			1		3
		(2) सैनिक छावनी	1					1
		(3) सिंचाई				1		1
		(4) वेधशाला की स्थापना		1				1

			0—1 माह	1—2 माह	2—3 माह	3—6 माह	6 माह	
1	2	3			4			5
	5. गुजरात	(1) सड़क	2					2
		(2) सिंचाई	12			2		14
		(3) पुल	1					1
		(4) खनन		1		1		2
		(5) ट्रांसमिशन लाइन		1				1
		(6) पाइप लाइन	2					2
	6. अरुणाचल प्रदेश	(1) पन-विद्युत	1			1		2
		(2) अवैध कब्जों को नियमित करना	1					1
	7. असम	(1) रेलवे लाइन	1					1
		(2) ट्रांसमिशन लाइन		1				1
		(3) पन-विद्युत परियोजना		1				1
	8. उत्तर प्रदेश	(1) सिंचाई	1	1	1			3
		(2) पन-विद्युत परियोजना			1			1
		(3) सड़क		1	2	3		6
		(4) ट्रांसमिशन लाइन	2					2
		(5) स्वास्थ्य केन्द्र	1					1

1	2	3	4					5
		(6) भूमि आदान-प्रदान				1		1
		(7) पेट्रो-केमिकल्स काम्पलेक्स				1		1
		(8) पेयजल आपूर्ति योजना		1				1
9.	पश्चिम बंगाल	(1) रेल सम्पर्क	1					1
		(2) सड़क	1					1
10.	बिहार	(1) खनन		8		1		9
		(2) पुल	1					1
11.	हरियाणा	(1) ट्रांसमिशन लाइन	1					1
		(2) सड़क		1		1		2
		(3) खनन				1		1
12.	पंजाब	(1) ट्रांसमिशन लाइन	3	1				4
13.	दिल्ली	(1) ट्रांसमिशन लाइन		1				1
14.	मध्य प्रदेश	(1) सिचाई	53	10	2	7		72
		(2) रेलवे लाइन	1			1		2
		(3) ककून ब्रीडिंग केन्द्र	1					1
		(4) खनन	2	1		5	2	10
		(5) ट्रांसमिशन लाइन	1			1		2
		(6) सड़क	1					1
		(7) कनवेयर बेल्ट				1		1
15.	कर्नाटक	(1) सिचाई	2			1		3
		(2) खनन		2		2		4
		(3) ट्रांसमिशन लाइन		1		1		2
		(4) पन-विद्युत परियोजना				1		1

			0—1 माह	1—2 माह	2—3 माह	3—6 माह	6 माह से अधिक	
1	2	3		4				5
16.	हिमाचल प्रदेश	(1) सड़क	1					1
		(2) ट्रांजिट कैम्प		1				1
		(3) पन-विद्युत परियोजना			1			1
		(4) ट्रांसमिशन लाइन			2			2
		(5) विद्यालय भवन			1			1
17.	केरल	(1) खनन	2					2
		(2) सिंचाई		1				1
18.	तमिलनाडु	(1) पुल	1					1
		(2) ट्रांसमिशन लाइन		1				1
		(3) सिंचाई				3		3
		(4) खनन				1		1
		कुल	112	38	11	42	3	206

श्री मोरेश्वर सावे : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या महाराष्ट्र के मुख्यमन्त्री ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 सम्बन्धी आदेशों में छूट देने का निवेदन किया है ताकि अनेक सिंचाई, ऊर्जा और विकास कार्यों में अड़चनें पैदा न हों।

दूसरे, क्या मुम्बई पर्यावरण कार्य दल ने मांग की है कि उस भूमि को जिसे 'जुदपी जंगल' का क्षेत्र माना गया है वन क्षेत्र माना जाए ? मैं आपके माध्यम से इस सम्बन्ध में महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के बारे में सरकार का दृष्टिकोण जानना चाहता हूं ।

श्री कमल नाथ : महोदय, समय-समय पर महाराष्ट्र सरकार और अन्य राज्य सरकारों ने भी इसे जल्द-से-जल्द निपटाने का आग्रह किया है । मैंने हाल ही में मुम्बई का दौरा किया था और वन मंत्री तथा वन विभाग के अधिकारियों से विस्तारपूर्वक बातचीत की थी । विगत तीन महीनों में महाराष्ट्र के कई प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है । मैं समझता हूं कि यह दो सप्ताह पहले ही किया गया है। महाराष्ट्र के केवल नौ प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम के तहत लम्बित पड़े हैं ।

महाराष्ट्र सरकार के साथ जो बातचीत हुई उसमें जुदपी जंगल भी एक मुद्दा था ।

मैंने नागपुर के विदर्भ क्षेत्र का भी दौरा किया जहां यह समस्या बहुत ही संगत है। जुदपी जंगल के सम्बन्ध में समस्या का कुछ निदान सामने है । महाराष्ट्र के जुदपी जंगल की समस्या के सम्बन्ध में मैं एक विस्तृत प्रस्ताव की प्रतीक्षा कर रहा हूं । ज्योंही हमें महाराष्ट्र सरकार से विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त होगा हम उस पर विचार करेंगे ।

श्री मोरेश्वर सावे : मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि क्या राष्ट्रीय भूमि उपयोग नीति को अन्तिम रूप दे दिया गया है । यदि नहीं तो इसे कब तक अन्तिम रूप दे दिया जाएगा ?

श्री कमल नाथ : भूमि उपयोग का मामला नियमों के अनुसार कृषि मन्त्रालय के अन्तर्गत आता है।

[हिन्दी]

श्री हरिसिंह चावड़ा : अध्यक्ष जी, माननीय मन्त्री जी ने इस प्रश्न के उत्तर में जो स्टेटमैंट दिया है, उसमें फीगर्स इस ढंग से दी गई हैं जिससे लगता है कि इनका डिपार्टमैंट बहुत एफीशियेंट है। एक महीने तक की अवधि की केवल 112 योजनाएं शेष हैं और टोटल मिलाकर जो तसवीर है, वह बहुत कम है लेकिन मेरे पास एक कागज है, जो गुजरात गवर्नमैंट की ओर से यहां 10 जुलाई, 1991 को लिखा गया है परन्तु अभी तक उसकी मंजूरी नहीं मिल पाई है। स्टेटमैंट से ऐसा लगता है कि उसकी मंजूरी मिल गई है । हमारे यहां बनासकांठा जिले में इसको लेकर बहुत परेशानी है ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न पूरे देश से जुड़ा है । कृपया आप अपने प्रश्न की ही बात करें ।

[हिन्दी]

श्री हरिसिंह चावड़ा : अध्यक्ष जी, मैं प्रश्न ही तो पूछ रहा हूं ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उसकी अनुमति नहीं दी गई है।

[हिन्दी]

श्री हरिसिंह चावड़ा : मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि वहां से जो कागज आया, वह कागज इस समय मेरे पास है, उसमें लिखा हुआ है कि 16 हैक्टेयर जमीन में सिर्फ 103 पेड़ हैं परन्तु उसकी मंजूरी अब तक नहीं दी गई है, जिसके कारण हमारे रोल नहीं बन पा रहे हैं, इर्रीगेशन प्रोजेक्ट्स नहीं बन पा रहे हैं और विकास के काम रुक गये हैं।

अध्यक्ष महोदय आप प्रश्न पर आइए, नहीं तो मैं डिस-एलाव कर रहा हूं।

श्री हरिसिंह चावड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि बनासकांठा जिले के बारे में मंजूरी कब दी गई और हमारे यहां जो पीने के पानी की पाइप लाइन, राधनपुर और सांतलपुर जा रही है और रोड साइड प्लांटेशन जो रोड की जमीन में है, उसको कब मंजूरी दी गई और यदि नहीं दी गई है, तो कब तक मंजूरी दी जाएगी ?

श्री हरिसिंह चावड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : दूसरा प्रश्न नहीं होता।

[अनुवाद]

यदि आपके पास जानकारी है तो दें। अन्यथा, आप उन्हें लिखकर भेज दें।

श्री कमल नाथ : लम्बित परियोजनाओं सम्बन्धी ब्यौरा मैंने सभा पटल पर रख दी है। यदि सदस्य और भी कोई अन्य विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं उसे अवश्य दूंगा।

श्री के० पी० सिंह देव : माननीय मन्त्री के उत्तर से जाहिर है कि करीब 206 ऐसी परियोजनाएं हैं जो मंजूरी दिए जाने हेतु लम्बित पड़ी हैं। जाहिर है कि अधिकतर परियोजनाएं खुदाई, सम्प्रेषण लाइन, विद्युत परियोजनाएं और सिंचाई सम्बन्धी हैं। वह निकाय किस स्तर का है जो उन्हें निपटाती हैं ? इसकी संरचना क्या है और ऐसी परियोजनाओं को निपटाने में उसे सामान्य तौर पर कितना समय लगता है ?

श्री कमल नाथ : वन संरक्षण अधिनियम के तहत एक प्रक्रिया बनाई गई है। जैसाकि मैंने बताया है, छह महीनों के दौरान केवल तीन मामले लम्बित हैं, तीन से छह माह के दौरान लम्बित मामले 42 हैं, दो से तीन माह के अन्दर 11 मामले हैं, एक से दो माह के अन्दर 38 मामले हैं और एक माह से कम अवधि के दौरान 112 मामले लम्बित हैं। प्रक्रिया के अनुसार एक सलाहकार समिति है अब इसे दुरुस्त कर दिया गया है। वन सम्बन्धी ऐसे सभी मामले जिनमें 10 एकड़ से कम वन भूमि का विवाद हो, जो मुख्य रूप से विद्यालयों के भवनों और जो छोटे-छोटे मामले हों उन्हें मुख्यालयों में स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों में ही निपटाया जाता है।

श्री के० पी० सिंह देव : महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार : अध्यक्ष महोदय, जैसाकि मंत्री महोदय ने बताया, जहां तक फारेस्ट प्रिजर्वेशन एक्ट का सवाल है, उसके अन्तर्गत अगर इर्रीगेशन की योजना स्वीकृत नहीं होती हैं, तो अलग

बात है, लेकिन जहां तक झुडुपी जंगल का सवाल है, हमारे विदर्भ में ये बहुत हैं और हमारे मन्त्री महोदय ने बताया है कि उसका वे निराकरण कर रहे हैं, लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं कि सिर्फ झुडुपी जंगल का जहां तक सवाल है, वह विदर्भ में ही है और हिन्दुस्तान में किसी भी राज्य में नहीं है तथा झुडुपी जंगल की वजह से किसी भी राज्य में योजना लम्बित नहीं पड़ी है। मेरा आपसे अनुरोध है कि यह जो अन्याय है यह विदर्भ के साथ ही क्यों हो रहा है ?

श्री दिग्विजय सिंह : मध्य प्रदेश में भी हैं।

श्री विलास मुत्तेमवार : मध्य प्रदेश में झुडुपी जंगल नहीं हैं। वहां की योजनाएं तो मन्त्री महोदय ने क्लियर कर ली हैं। मध्य प्रदेश की योजनाएं इसकी वजह से बन्द नहीं पड़ी हैं। तो यह अन्याय सिर्फ विदर्भ के साथ ही क्यों है ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह विशेष प्रश्न है। यदि आप उत्तर देना चाहें तो दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री कमल नाथ : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि विदर्भ के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है, जो मीटिंग की गई थी उसमें वे मौजूद थे।

श्री सूर्य नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि 1989-90 और 1990-91 में बिहार सरकार ने अनेक योजनाएं भारत सरकार को भेजी हैं उनमें से अभी तक कितनी योजनाएं लम्बित पड़ी हैं, तथा उन लम्बित योजनाओं को क्या भारत सरकार प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति देगी ?

श्री कमल नाथ : अध्यक्ष महोदय, इस पर विचार किया जाएगा। मैंने इन्फर्मेशन दे दी है जो केसेज बिहार के पेंडिंग हैं और अगर कोई खास योजना का जिक्र माननीय सदस्य कर रहे है, तो उस पर पूरा विचार जल्दी ही करेंगे।

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो पेंडेंसी बताई गई है माननीय मंत्री जी के उत्तर में, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि एक आम धारणा यह बनती जा रही है कि सारे प्रकरण यहां लम्बित रहते हैं, जबकि राज्यों से वे प्रकरण यहां पर प्रेषित नहीं किए जाते हैं, तो मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि सड़क निर्माण, नहरों के निर्माण में तथा विद्युत के प्रसार में, 11 के० वी० ए० लाइन तक में बहुत ज्यादा जंगल कटाई के प्रकरण सामने नहीं आते हैं, इसलिए क्या मन्त्री महोदय इस बारे में विचार करेंगे कि सड़क निर्माण, नहरों के निर्माण के लिए और 11 के० वी० ए० के जो विद्युत प्रसार हैं उसके लिए रीजनल आफिसेस में डीसैन्ट्रलाईज करने के लिए आदेश देंगे ?

[अनुवाद]

श्री कमल नाथ : जैसा कि मैंने अभी ही कहा है कि हमने यह निर्णय लिया है और इस पर अमल भी हो रहा है कि वे 10 एकड़ से कम के सभी मामलों को क्षेत्रीय कार्यालय के स्तर पर ही निपटा दिया जाएगा, जबकि दस एकड़ से कम जमीन के मामलों को सलाहकार समिति को नहीं सौंपा जाता है। मेरे द्वारा की गई पुनरीक्षा के आधार पर कोई विलम्ब नहीं हुआ है। विलम्ब का कारण यह है कि मामलों को दिल्ली नहीं भेजा गया और यह बहुत ही अच्छा बहाना बन गया है, और यह कहने की आदत सी ही गई है कि वन विभाग की मंजूरी नहीं मिली है। जबकि आपके माध्यम से मैं सभा को यह

सच्चाई बताना चाहता हूं कि मामले यहां तक पहुंचते तो जरूर हैं परन्तु उनका ब्यौरा अधूरा होता है और गलत ढंग से निरूपित किया हुआ रहता है ।

श्री अमल दत्ता : महोदय, भारत में वन क्षेत्र जितना सामान्य रूप से होना चाहिए उससे घटकर 23 प्रतिशत रह गया है। यह उपग्रह द्वारा प्राप्त चित्रों ने हमें बताया है। क्या माननीय मन्त्री यह स्पष्ट करेंगे कि इस अधिनियम के परियोजनाओं की जांच करते समय क्या उन्होंने वास्तव में यह पता किया है कि वहां वनों में प्रचुरता है या वह नाममात्र का वन भूमि है क्योंकि उससे उनका काम बहुत आसान हो जाएगा और वे वृक्षों की कटाई के अपराधी नहीं माने जायेंगे चूंकि वहां कोई वृक्ष थे ही नहीं ?

श्री कमल नाथ : रिकार्ड के अनुसार देश में कुल वन क्षेत्र 75.18 मिलियन हैक्टेयर है जो कुल क्षेत्र का 22.8 प्रतिशत है, वन अच्छादित क्षेत्र 64.01 मिलियन हैक्टेयर है जो 19 प्रतिशत है। 40 प्रतिशत घना वनाच्छादित क्षेत्र है और उससे भी अधिक घना वन 37.8 मिलियन हैक्टेयर है जो करीब 11 प्रतिशत है।

वनों की कटाई की दर 1975-82 में 113 लाख हैक्टेयर से घटकर 47,000 हैक्टेयर हो गया है। अच्छी घने जंगल का घनत्व 40 प्रतिशत से अधिक हो गया है और 36.1 मिलियन हैक्टेयर से 37.8 मिलियन हैक्टेयर हो गया है।

उपग्रह द्वारा प्राप्त चित्र जो 1981-83 और 1985-87 में प्राप्त किए गए थे उसकी तुलना से यह पता चलता है कि वनाच्छादित क्षेत्रों में वृद्धि हुई है। यह वृद्धि मुख्य रूप से केवल घने क्षेत्रों में ही नहीं हुई है। इसलिए जो स्थिति है वह उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए परन्तु यह उतनी बुरी भी नहीं है जैसाकि जिक्र किया गया है।

प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र

[हिन्दी]

*165. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की दशा सुधारने हेतु कोई समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि उक्त समिति द्वारा कोई सिफारिश की गई है तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन सिफारिशों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) केन्द्रीय सरकार ने ऐसी कोई समिति गठित नहीं की है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि यह प्रश्न

कितना गम्भीर है कि राज्य के ग्रामीण अंचल से जुड़ा हुआ है जहां 80 प्रतिशत जनता निवास करती है। संविधान की धारा 45 के अन्तर्गत मैं कहना चाहूंगा कि जो भी जानकारी अभी तक उपलब्ध हो रही है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप जिस कमेटी के बारे में पूछ रहे हैं वह कमेटी बनी ही नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : मैं उसी विषय में जानकारी मांग रहा हूं·· (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह सब कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जा रहा है। कृपया इस पर ध्यान दें।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इससे पूर्व मन्त्री श्री राजमंगल पांडेय द्वारा पिछले वर्ष दिसम्बर में निराशा प्रकट की गई कि प्रौढ़ शिक्षा से सम्बन्धित जितनी भी जानकारी केन्द्र सरकार को मिल रही है वह निराधार है। वहां पर केन्द्रों में अच्छी प्रकार से कार्य नहीं हो रहे हैं। रुपये की फिजूलखर्ची के माध्यम से कुछ लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर पूर्व मन्त्री जी ने जो जानकारी प्रेस को दी, उसके माध्यम से इस समिति का गठन करना कितना अनिवार्य है, इसके संदर्भ में क्या मन्त्री जी सदन को जानकारी देंगे और बतायेंगे कि कब इसका गठन होगा ?

अध्यक्ष महोदय : क्या आप कमेटी गठन करने जा रहे हैं ?

श्री अर्जुन सिंह : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो वस्तु स्थिति थी, उसके बारे में मैंने सदन को सूचित किया है। समिति का न बनना, पूर्वालोकन न होना दोनों बातें सही नहीं हैं। पिछले वर्ष जो मंत्री महोदय ने उत्तर दिया, उसका आधार यह है कि प्रत्येक वर्ष देश के किसी न किसी प्रदेश में जहां यह चालू है, उसका इवेल्यूशन होता रहा है। इसके लिए कमेटी अलग से बनी है, लेकिन इवेल्यूशन होता रहा है। उस इवेल्यूशन के आधार पर जो आवश्यक कदम सुधार के हुए और जो उठाए जा रहे हैं, वही इवेल्यूशन इसका आधार है पूर्व मन्त्री द्वारा इस सदन को सूचित करने का।

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इस समिति की उपयोगिता यह होगी कि उत्तर प्रदेश के अन्दर पिछले आठ वर्षों के अन्दर···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप जिस प्रकार से प्रश्न पूछ रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। आपको मूल प्रश्न के बारे में पूछना होगा।

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के अन्दर पिछले आठ वर्षों के अन्दर आठ डायरेक्टर्स बदले गए हैं जिसकी वजह से इस प्रौढ़ शिक्षा का महत्व खत्म हो रहा है। जिन अफसरों के रिटायर होने में एक या डेढ़ वर्ष बचते हैं, उन्हीं की इसमें नियुक्ति होती है। इसके महत्व को समझने का प्रयत्न नहीं हो रहा है। इस आधार पर प्रदेशों के अन्दर जो स्थिति है, उसके बारे में आप अच्छी तरह से वाकिफ ही होंगे। सरकारी आंकड़ों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अन्दर स्थिति 46 परसेंट बतायी जा रही है जबकि सच्चाई यह है कि 26 परसेंट साक्षरता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए किसी महत्वपूर्ण समिति का गठन किया जायेगा जिससे इसको सही दिशा मिल सके।

श्री अर्जुन सिंह : जैसाकि मैंने इस सदन को सूचित किया है कि इस कार्यक्रम का सतर्क मूल्यांकन हो रहा है और प्रति वर्ष देश के प्रमुख इंस्टीट्यूशन्स के माध्यम से यह हो रहा है। यह बात अपनी जगह सही है कि कई प्रदेशों में जैसी इस सम्बन्ध में प्रगति होनी चाहिए वैसी प्रगति नहीं हुई है। इसमें कोई दो मत भी नहीं हैं। इसी महीने की 16 से 20 तारीख तक तक इस सम्बन्ध में मैंने प्रदेशों के आदरणीय मुख्यमंत्रियों और उनके प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया है कि वे नेशनल लिट्रेसी मिशन के बारे में जो खामियां हैं, उनको वे उनकी व हमारी तरफ से देखें और उन खामियों को दूर करने का प्रयत्न करें। इसका महत्व आप इसी से समझ सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री आनन्द गजपति राजू : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहता हूं कि आपरेशन ब्लैक बोर्ड पर बहुत बल दिया गया और शिक्षा पर अत्यधिक धनराशि व्यय की गई फिर भी प्रौढ़ शिक्षा को उपयुक्त महत्व नहीं दिया जा रहा है ?

श्री अर्जुन सिंह : आपरेशन ब्लैक बोर्ड एक अलग योजना है।

अध्यक्ष महोदय : यह मामला इस प्रश्न से नहीं जुड़ा है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव : अध्यक्ष जी, मन्त्री जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि निरक्षरता का प्रश्न एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रश्न है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बावजूद सारे प्रयासों के केन्द्र बनाये गये और प्रौढ़ शिक्षा के लिए प्रयास किये गये लेकिन यह वास्तविकता है कि 45 वर्षों की आजादी के बाद भी हमारे देश में दो तिहाई लोग निरक्षर हैं और विशेषरूप से महिलाओं में निरक्षरता बहुत बड़े पैमाने पर है और ग्रामीण महिलाओं में केवल 17 फीसदी लोग ही साक्षर हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सब प्रयास हो रहे हैं, वार्षिक मूल्यांकन भी कर रहे हैं, तब भी वस्तु स्थिति बहुत ही दयनीय है। स्थिति और बिगड़ने न पाये क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार कोई विशेष योजना बनाने पर विचार करेगी या इस काम के बारे में कोई नई समिति बनाकर फिर से कोई कदम उठायेगी ?

श्री अर्जुन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय सदस्य के इस मत से सहमत हूं कि इसमें और भी प्रयास करने की आवश्यकता है और जहां भी खामियां हों उनको दूर करने की आवश्यकता है लेकिन ये कहना उचित नहीं होगा कि इन सब प्रयासों के बाद कुछ नहीं हो पा रहा है। आप देखते होंगे कि अलग-अलग प्रदेशों में पूरे के पूरे जिले साक्षर घोषित किए जा रहे हैं और इसमें काफी प्रगति हुई है। यह अपनी जगह सही है कि समस्या को देखते हुए जितनी तेजी से प्रगति होनी चाहिए, उतनी तेजी से प्रगति नहीं हुई है और इसमें दो मत नहीं हैं। सवाल यह है कि हम कौन से तरीके अपनायें, जिससे कि हम इस प्रगति को तेजी से बढ़ा सकें। जो खामियां और गलतियां रह गई हैं, उनको तुरन्त दुरुस्त कर सकें। मैं समझता हूं कि अभी तक जो प्रयास हुए हैं उस दिशा में, उनका मूल्यांकन हम आदरणीय मुख्य मन्त्रियों के साथ बैठकर करेंगे। अगर आवश्यक हुआ, उन लोगों की राय हुई और इसकी आवश्यकता पड़ी, क्योंकि मूल रूप से ये योजनायें तो प्रदेशों में ही चलाई जा रही हैं, तो जो सुझाव माननीय सदस्य द्वारा दिया जा रहा है, हम समिति भी बनायेंगे।

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से जानना चाहती हूं, क्या मन्त्री महोदय एडल्ट एजूकेशन सैन्टर्स का लेखा-जोखा करके, जोनवाइज कितने एडल्ट एजूकेश

सेन्टर्स चल रहे हैं, जिनके लिए स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुदान दिया गया है, कोई जांच करवायेंगे ?

श्री अर्जुन सिंह : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से जो प्रयास हुए, वे पर्याप्त और अच्छे नहीं पाए गए । इसलिए अब केन्द्रित करने के बजाए मास-इवेल्यूएशन प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें कि स्वयंसेवी संस्थाओं का बहुत बड़ा योगदान है । अभी पन्द्रह दिन पहले देश की समस्त समाजसेवी संस्थाओं का सम्मेलन हुआ, उनकी क्या कठिनाइयां हैं, उसके बारे में भी विचार-विमर्श हुआ । मैं माननीय सदस्या को बताना चाहता हूं कि जहां पर भी इस प्रकार की स्थिति पाई जाएगी कि कोई संस्था फर्जी रूप से काम कर रही है, तो जरूर उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी ।

[अनुवाद]

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : मई, 1988 में जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन शुरू की गई थी उसके दृष्टि में अब परिवर्तन आ गया है, और जहां पहले यह केन्द्र आधारित दृष्टिकोण से शुरू हुआ था अब हमें यह बताया गया है कि इसने अपने विचार बदल दिए हैं और अब इसने क्षेत्र आधारित पूर्ण साक्षरता और समयबद्ध साक्षरता अभियान शुरू कर दिया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि इस नये दृष्टिकोण के अनुसार जो प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र अभी है उनका उपयोग किस तरह किया जाएगा ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि कितने समय के अन्दर यह पूर्ण साक्षरता अभियान को पूरा कर लिया जाएगा और इस पूर्ण साक्षरता अभियान की निगरानी के लिए कौनसा सरकारी तंत्र होगा ?

श्री अर्जुन सिंह : जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा है यह सच है कि 5 मई, 1988 से जब यह मिशन शुरू किया गया था तब से इसके दृष्टिकोण में परिवर्तन आ गया है और इसीलिए मेरा यह कहना है कि जो मूल्यांकन प्रतिवर्ष कराया जा रहा है उसका उद्देश्य केवल यह है कि दृष्टिकोण में कोई विसंगति या कुछ भी परिवर्तन आता है उसे देखा जाए । मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहूंगा कि चूंकि यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिससे पूरे देश के लोग जुड़े हैं और यह प्रोत्साहित करने वाला पहलु है कि कई सांसद और विधायक भी इसके प्रचार-प्रसार से सीधे तौर पर जुड़े हैं । और मेरा यह मानना है कि इस जन आधारित दृष्टिकोण का परिणाम निकलेगा और मैं यह आशा करता हूं कि इस शताब्दी के अन्त तक हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेंगे ।

डा० बी० जी० जवाली : जनता से कई शिकायत प्राप्त हुए हैं कि प्रौढ़ शिक्षा की उक्त योजना फरेब ज्यादा और उसकी उपयोगिता कम है । क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है और यदि ऐसा है तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री अर्जुन सिंह : मैं नहीं मानता कि हम इसे पूरी तरह फरेब ही करार दें । यदि इसमें कोई खामी है तो उनका पता लगाया जाएगा और उससे निपटा जाएगा ।

[हिन्दी]

श्री छेदी पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से, जो इस सदन के नेता भी हैं, जानना चाहता हूं, जिस तरह से देश में अशिक्षित लोगों को शिक्षित करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसी तरह से देश की दशा सुधारने हेतु इस देश के आई० ए० एस० व आई०पी०एस० आफिसरों को, जो अपने आपको भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता समझते हैं, व्यावहारिक ज्ञान और चरित्र में निर्माण हेतु कोई नया कार्यक्रम चलाने जा रहे हैं ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न की अनुमति नहीं दी गई है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली का कार्यकरण

[अनुवाद]

*166. **डा० असीम बाला** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के कार्यकरण में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है;

(ख) इसके फैकल्टी सदस्यों के लिए नई मूल्यांकन पदोन्नति योजनाओं (असेसमेंट प्रोमोशन स्कीम्स) को कार्यान्वित करने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन्हें संभवतः कब तक कार्यान्वित कर दिया जायेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने हाल ही में अनेक कदम उठाए हैं जैसे आधुनिक उपकरणों की खरीद करना, नये भवनों का निर्माण करना, बेहतर रोगी परिचर्या प्रदान करने, आयुर्विज्ञान अनुसंधान और अनुसंधान की गुणवत्ता का संवर्धन करने के लिए इसके कार्यचालन में सुधार करने हेतु विभिन्न विभागों और केन्द्रों को सुदृढ़ करना। स्क्रीनिंग बहिरंग रोगी विभाग का निर्माण करके इसकी रेफरल विशिष्टता को बहाल करने का विचार है, जिससे वरिष्ठ संकाय सदस्यों को केवल जटिल मामलों पर अधिक ध्यान देने में मदद ही नहीं मिलेगी अपितु अध्यापन और अनुसंधान पर भी अधिक समय देने में मदद मिलेगी। यह भी प्रस्ताव है कि आठवीं योजना में इसकी स्थान की अपर्याप्तता की मौजूदा समस्या को दूर करके, उपकरणों और स्टाफ में सुधार करके और मैगनेटिक रेसोनेंस इमजिंग (एम० आर० आई०) जैसे अत्याधुनिक किस्म के कलात्मक नैदानिक उपस्कर प्रदान करके इसकी सुविधाओं में सुधार किया जाए।

(ख) और (ग) जहां तक मूल्यांकन पदोन्नति योजना का सम्बन्ध है, इस मामले पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है और शीघ्र ही अन्तिम निर्णय लिए जाने की संभावना है।

डा० असीम बाला : क्या यह ठीक है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के फैकल्टी सदस्यों की पदोन्नति की सम्भावनाओं की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों को सभा के समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : मैंने प्रश्न नहीं सुना है। कृपया इसे दोहरा दीजिए।

डा० असीम बाला : मैं जानना चाहता था कि पिछली जुलाई अथवा अगस्त में अखिल भारतीय

आयुर्विज्ञान संस्थान के फैकल्टी सदस्यों की पदोन्नति की सम्भावनाओं की जांच करने के लिए क्या किसी समिति का गठन किया गया था। उन्होंने नयी निर्धारण पदोन्नति योजना के क्रियान्वयन के लिए आन्दोलन आरम्भ किया है और माननीय मन्त्री जी के घर के सामने धरना दिया है तथा एक ज्ञापन भी उन्हें दिया है। उनके उत्तर में मन्त्री जी ने फैकल्टी सदस्यों को आश्वासन दिया था कि वह इस मामले की छानबीन के लिए एक समिति गठित करेंगे तथा समिति तीन सप्ताह के अन्दर अपनी रिपोर्ट दे देगी। मैंने मन्त्री जी से पूछा था कि क्या ऐसी कोई समिति गठित की गई है और यदि हां, तो समिति ने क्या-क्या सिफारिशें की हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या कोई समिति गठित की गई थी और उसकी क्या सिफारिशें हैं।

श्री एम० एल० फोतेदार : यह ठीक है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के फैकल्टी सदस्यों की पदोन्नति इत्यादि के लिए एक समिति गठित की गई थी और शासी निकाय ने कुछेक सिफारिशें की थीं। मन्त्रिमण्डल ने इन सिफारिशों पर विचार किया है और ये अभी भी विचाराधीन हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह कहिए कि उन पर 'सक्रियता से विचार' किया जा रहा है।

श्री एम० एल० फोतेदार : मैं कह सकता हूं कि उन पर सक्रियता से विचार हो रहा है और मैं आशा करता हूं कि हम बहुत जल्दी ही कोई निर्णय ले लेंगे।

डा० असीम बाला : क्या इन सिफारिशों में कोई दिनांक विशेष का उल्लेख किया गया है कि उस तारीख से फैकल्टी सदस्यों की वरिष्ठता बनाये रखने के लिए इस नई योजना को लागू किया जायेगा ?

श्री एम० एल० फोतेदार : जहां तक समिति की सिफारिशों के क्रियान्वयन का सवाल है, वह भी सरकार के विचाराधीन है और इस स्थिति में मैं इसका उल्लेख नहीं करना चाहूंगा।

राव राम सिंह : अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कुछ बीमारियों का उपचार काफी खर्चीला होता है।

अध्यक्ष महोदय : यह फैकल्टी सदस्यों की पदोन्नति के बारे में है।

राव राम सिंह : वहां शल्य चिकित्सा भी काफी खर्चीली होती है। कुछ रोगियों को 40,000 से 50,000 रुपये तक जमा कराने के लिए कहा जाता है। क्या निर्धन व्यक्तियों को वित्तीय सहायता देने के लिए कोई प्रावधान है ताकि आपरेशन से पूर्व उन्हें 50,000 रुपये जमा करने के लिए नहीं कहा जाए जोकि शायद उनके लिए सम्भव नहीं है। **(व्यवधान)**

इस सम्बन्ध में, मुझे बधाई देनी है कि मन्त्री महोदय काफी विस्तृत उत्तर दे रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से प्रश्न को देखते हुए ही उत्तर दिये गये हैं।

श्री एम० एल० फोतेदार : मेरे विचार से यह प्रश्न पदोन्नति से सम्बन्धित है। माननीय मंत्री जी अर्थात सदस्य महोदय ने एक प्रश्न पूछा है क्योंकि मैं उन्हें मन्त्री के रूप में भी जानता था। माननीय सदस्य ने एक प्रश्न पूछा है कि क्या आपरेशन करने के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कोई धनराशि जमा की जाती है। मैं कहूंगा कि 'हां'। दिल्ली में आपरेशन कराने के लिए एक और अस्पताल

भी है अर्थात् जी० बी० पन्त अस्पताल। जहां पर निर्धनों को कुछ भी देना नहीं पड़ता और बिना कुछ भी दिये वे इस अस्पताल में जाकर आपरेशन करा सकते हैं।

जहां तक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का सवाल है, हम नि:शुल्क चिकित्सा सहायता प्रदान करते हैं। जहां तक अन्य आयातित औषधियों और अन्य चीजों का सवाल है, रोगियों को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है और इसके लिए भी प्रावधान है कि मन्त्री जी विवेकाधीन अनुदान में से कुछ राशि दे सकते हैं। मैं समझता हूं कि मैं अपने कर्त्तव्य पालन में असफल नहीं रहा हूं और जब कभी भी कोई रोगी मेरे पास आया है और यदि वह गरीब है तब मैंने बड़ी उदारता से उसे मेरे पास उपलब्ध अनुदान में से अधिकतम राशि प्रदान की है।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो कमेटी सेवा शर्तों में सुधार के लिए बैठी थी, इसके लिए यह निश्चित था कि एक निश्चित समय में यह अपनी रिपोर्ट दे देगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से कमेटी की रिपोर्ट आने में काफी समय लग जाए और वहां के कर्मचारियों में फिर से आन्दोलन और नाराजगी की स्थिति पैदा हो, फिर से ऐसे हालात पैदा तो नहीं हो जाएंगे? आपने जो वादा किया था कि एक निश्चित समय के अन्दर कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार करके कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित की जाएगी, क्या आप अपने उस वायदे पर कायम रहेंगे और कमेटी की रिपोर्ट जल्दी लागू करने की कोशिश करेंगे?

श्री एम० एल० फोतेदार : यह कमेटी का डिसीजन है।

[अनुवाद]

मेरे विचार से मन्त्रालय में मेरे पहुंचने की ही प्रतीक्षा की जा रही थी। मैं आपको और इस सम्माननीय सभा को आश्वासन दे सकता हूं कि प्रधानमन्त्री जी चाहते हैं कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के फैकल्टी सदस्यों और दूसरे वर्गों के लिए कुछ अवश्य किया जाए। मैं भी चाहता हूं कि कुछ किया जाये। जो कार्य मैं नहीं कर सकता, उसके लिए मैं कुछ नहीं कहता हूं।

जहां तक समयबद्धता का सम्बन्ध है। स्वयं आपने भी एक ऐसी सरकार को समय न देकर दो वर्ष का समय व्यर्थ व्यतीत कर दिया था जो आपके समर्थन पर सत्तारूढ़ थी···(व्यवधान) अन्यथा काफी समय पूर्व इस योजना को क्रियान्वित कर दिया गया होता···(व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स : एक प्रतिष्ठित संस्थान होने के कारण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में विभिन्न सुविधाएं हैं और देशभर में अत्यन्त विशिष्ट व्यक्तियों के अतिरिक्त निर्धन व्यक्तियों को ये सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। इस संस्थान की मुख्य समस्या बहि:रोगी विभाग में अत्यन्त भीड़भाड़ का होना है। मुझे खुशी है कि उत्तर में यह बताया गया है कि इस पर विचार किया जा रहा है···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया उत्तर नहीं पढ़िये। मैं आपको उत्तर दोहराने की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री ए० चार्ल्स : मैं आठवीं लोक सभा की प्राक्कलन समिति की सिफारिशों के मुताबिक और यहां पर दिए उत्तर के अनुसार माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या बहि:रोगी विभाग में

अत्यधिक भीड़भाड़ को कम करने के लिए कुछ किया जायेगा ताकि गरीब व्यक्तियों को वास्तव में लाभ मिल सके ?

श्री एम० एल० फोतेदार : माननीय सदस्य और इस सम्माननीय सभा को यह जानना चाहिए कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एक श्रेष्ठ और परामर्शदात्री अस्पताल है। हमने इसकी श्रेष्ठता तथा परामर्शदात्री स्वरूप बहाल करने का निर्णय लिया है। उसी दृष्टिकोण से ही मैंने स्वयं बहि:रोगी विभाग के सूचनापट्ट की आधारशिला रखी थी और अगले ढाई वर्ष में इस बहि:रोगी विभाग के सूचना पट्ट का निर्माण किया जायेगा। जब ये सारे कार्य हो जायेंगे तब सभी जरूरतमन्दों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, मैंने सुना था और अब मुझे विश्वास भी हो गया कि मन्त्री जी पूर्व शासन के दो वर्ष पहले के बारे में जिक्र कर रहे थे। मेरे विचार से उनका अंकगणित काफी कमजोर है। ग्यारह माह को दो वर्ष आप नहीं कह सकते। आपने दूसरी सरकार का समर्थन किया था।

मैं जानना चाहूंगा कि इस अस्पताल के परामर्शदात्री स्वरूप को बहाल करने के लिए क्या इसमें साधारण आदमी के पहुंचने पर रोक लगा दी जायेगी ?

दूसरे स्थानों पर बेहतर और अच्छी चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में क्या इस निर्णय से देश की आम जनता को अच्छा इलाज कराने में कठिनाइयां नहीं होंगी ?

श्री एम० एल० फोतेदार : मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि एक बार रेलगाड़ी के पटरी से उतर जाने पर इसे दुबारा पटरी पर लाने में कुछ समय लगता है। देश ने इन ग्यारह महीनों के शासन की काफी कीमत चुकायी है। मैं अधिक विस्तारपूर्वक नहीं कहना चाहता···(**व्यवधान**)

कुछ माननीय सदस्य : उन चालीस वर्षों के बारे में आप क्या कहेंगे ?···(**व्यवधान**)

श्री एम० एल० फोतेदार : कृपया धैर्य रखिए। हमें रोगियों, जरूरतमन्दों और मानव कष्टों के प्रश्न पर विचार करना चाहिए। मैं माननीय सदस्य को बता सकता हूं कि देश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रोगियों के लिए अन्तिम आश्रय है। प्रश्न यह नहीं है कि आम जनता को वहां जाना चाहिए अथवा केवल विशिष्ट व्यक्तियों को ही वहां जाना चाहिए। वहां पर वे ही व्यक्ति जाते हैं जो जरूरतमन्द हैं और चाहे वे आम अथवा खास हों, वे सभी आम व्यक्ति होते हैं और यह संस्थान उनके लिए सर्वदा खुला हुआ है जो निर्धन हैं और जिन्हें चिकित्सीय सहायता की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय : अब अगले प्रश्न पर विचार करेंगे। श्री मोहन सिंह बोलेंगे।

(**व्यवधान**)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में इसे सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

रेल किराया और माल-भाड़ा प्रभारों की पुनरीक्षा

[**हिन्दी**]

+

*167. **श्री मोहन सिंह** :

श्री फूल चन्द वर्मा : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

(क) क्या रेल किराया तथा माल-भाडा ढांचे की पुनरीक्षा के लिये किसी आयोग की नियुक्ति की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी पुनरीक्षा के क्या कारण हैं तथा उक्त आयोग के निदेश पद क्या हैं ?

[अनुवाद]

रेलवे मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) किराया और माल भाड़ा संरचना की विस्तार से समीक्षा करने के लिये रेलवे किराया और माल-भाड़ा समिति का गठन किया गया है। समिति में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और एक सदस्य शामिल हैं। समिति का कार्यकाल दो वर्ष का है।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(ग) रेलों के दर-निर्धारक सिद्धांतों और नीतियों की रेल दर जांच समिति द्वारा व्यापक समीक्षा पिछली बार 1977 में की गई थी। पिछले दशक के दौरान हुए परिचालनिक और प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों एवं साधन-सामग्री की कीमतों में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, दर-निर्धारण सम्बन्धी नीतियों की उच्च-स्तरीय विशेषज्ञ समिति द्वारा पुनः समीक्षा किया जाना अब आवश्यक समझा जाता है।

समिति के विचारार्थ विषय संक्षेप में नीचे दिए गए हैं :

विचारार्थ विषय

परिचालन की लागत में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, मौजूदा किराया और भाड़ा संरचना, और अन्य आनुषंगिक मामलों, रेलों द्वारा ढोये जाने वाले सम्भावित यातायात के पैटर्न तथा मात्रा, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, राष्ट्रीय परिवहन नीति और देश के समग्र आर्थिक विकास की जांच करना।

निम्नलिखित के बारे में विशेष रूप से अध्ययन, समीक्षा और जांच करना :

1. यात्री किराया;

2. माल दरें;

3. साइडिंग प्रभार;

4. पार्सल-दरें;

5. सैनिक यातायात और डाक यातायात के लिए दरें और विविध प्रभार;

6. एकीकृत अन्तःमाडल सेवाएं;

7. यातायात लागत;

8. रेल दर अधिकरण; और

रेल मन्त्रालय द्वारा यथापेक्षित उपर्युक्त किसी एक या इससे अधिक विषयों के सम्बन्ध में अंतरिम सिफारिशें देना।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : अध्यक्ष जी, उत्तर में यह दिया गया है कि 1977 में रेल दर जांच समिति बनी थी और उसके बाद परिस्थितियां बदल गई और अब रेल समिति बनाना जरूरी है। पिछले 13-14 वर्षों में जो रेल दर जांच समिति के निर्धारित मानक थे उनके विपरीत जाकर राजनीतिक बाध्यताओं और अनिवार्यताओं के चलते रेल भाड़े में लगातार वृद्धि होती रही है। मैं, माननीय मन्त्री जी से यह स्पष्ट आश्वासन चाहूंगा कि क्या रेल दर जांच समिति की रिपोर्ट आने के बाद कभी भी रेल भाड़े में और माल भाड़े में वृद्धि की बात आयेगी तो क्या निर्धारित मानकों को सीमा के तहत किया जायेगा। क्या ऐसा स्पष्ट आश्वासन देंगे ?

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन : हमें दो वर्ष तक इन्तजार करना है। समिति की रिपोर्ट मिलने के पश्चात् ही सरकार इसकी जांच करेगी। खैर, माननीय सदस्य का यह कहना है कि रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर हम प्रायः भाड़ा शुल्क बढ़ाने का विचार कर रहे हैं। यह सब तत्कीन परिस्थितियों पर ही निर्भर करता है। अब मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : अभी तक भारतीय रेल का प्रारूप नहीं आया है और रेल विस्तार की बहुत सारी योजनाएं सरकार के विचाराधीन हैं, कुछ कार्यान्वित हो रही हैं। लेकिन धन के अभाव में उनका कार्यान्वयन रुक रहा है जैसे छितौनी-बगहा रेल पुल और कोंकण रेलवे है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो समीक्षा समिति गठित की है तथा इसके जिम्मे इस बात की समीक्षा करनी होगी कि नए पुलों के निर्माण और कोंकण रेल के विस्तार की जो योजनाएं हैं, इन्हें पूरा करने के लिये फंड कलैक्शन की क्या तरकीब होगी और धन व्यय करने की क्या-क्या नीतियां होंगी।

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन : जहां तक नैटवर्क के विस्तार का सवाल है, यह एक बिल्कुल अलग पक्ष है। यह समिति किराया और माल भाड़ा शुल्क के बारे में रिपोर्ट देगी और यह किस प्रकार से देगी क्योंकि निवेश लागत में वृद्धि हो रही है और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी परिवर्तन भी हो रहे हैं। उसके अलावा बजट में रेलवे के लिये आबंटन राशि कम की जा रही है। पहले यह 70 प्रतिशत थी और अब यह 32 प्रतिशत पर आ गई है। हमें अपने आन्तरिक संसाधनों का उपयोग करना चाहिये। उसी उद्देश्य के लिए इस समिति का गठन इस प्रकार से किया गया है ताकि रेलवे के नैटवर्क के विस्तार अथवा परिचालन मामलों में रुकावट न पड़े।

[हिन्दी]

कुमारी विमला वर्मा : माननीय मन्त्री जी ने जो जवाब दिया है, उन्होंने कहा है कि अपने रिसोर्सेज भी बढ़ाने होंगे। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि जो लेना और देना रहता है, जो रकम राइट आफ कर दी जाती है, करीब 254 करोड़ रुपए राइट आफ कर दिए गए, यह रकम यदि राइट आफ नहीं की जाती और उसका उपयोग किया जाता तो क्या इसका किराया घटाने और बढ़ाने में उपयोग किया जा सकता था, क्या मन्त्री जी ने एक्जामिन किया है ?

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन : महोदय, सरकार वास्तविकता से पूरी तरह अवगत है और रेलवे को सख्त निर्देश दिए गए हैं। हमारे पास पूरे संसाधन होंगे और उनका उचित उपयोग किया जाएगा।

श्री राम कापसे : उपनगरीय रेलवे यात्रियों को सीमा-शुल्क समिति का बड़ा कटु अनुभव रहा है जिसका गठन वर्ष 1977 में किया गया था। इसने सिफारिश की थी कि बम्बई में यात्रा किराये को दुगुना कर देना चाहिए। मैं मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस मामले को देखें और सीमा-शुल्क समिति की रिपोर्ट पर अपनी स्वीकृति देने से पूर्व बम्बई के सामाजिक स्वरूप पर भी विचार किया जाये।

श्री मल्लिकार्जुन : महोदय, समिति निश्चित रूप से सामाजिक और आर्थिक स्वरूप पर विचार करने के पश्चात ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचती है।

नई पर्यावरण नीति

+

*169. **श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक** :

श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई पर्यावरण नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इसे सम्भवतः कब तक कार्यान्वित कर दिया जायेगा ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरण

पर्यावरण की सुरक्षा हमेशा मुख्य चिन्ता का विषय रहा है तथा इसे अब तक शुरू किए गए सभी कार्यक्रमों, परियोजनाओं और नीतियों में शामिल किया गया है। इसे अभी भी जारी रखा जाएगा। इस प्रक्रिया के भाग के रूप में हमें विकास की योजना बनाने के लिए पर्यावरणीय और आर्थिक पहलुओं को समेकित करना होगा; प्रदूषण उपशमन में निवारक पहलुओं पर जोर देना होगा; औद्योगिक प्रदूषकों को कम करने के लिए प्रौद्योगिकीय निवेशों को बढ़ाया तथा एक स्वच्छ पर्यावरण प्राप्त करने के लिए जन जन सहयोग पर निर्भर करना होगा। इन बातों को ध्यान में रखते हुए, प्रदूषण उपशमन तथा राष्ट्रीय संरक्षण योजना के लिए प्रारूप नीति विवरण तथा पर्यावरण और विकास से सम्बन्धित नीति विवरण तैयार किए जा रहे हैं जिनके तहत निम्नलिखित कार्य शामिल होंगे—

— प्रदूषण के निवारण पर जोर देते हुए प्रतूषण नियन्त्रण को बढ़ावा देना;

— स्थाई विकास को बढ़ावा देना;

— राष्ट्रीय संसाधनों का स्थाई और समान उपयोग;

— नाजुक और संवेदनशील पारि-प्रणालियों की सुरक्षा; तथा

— जैविक विगधता का संरक्षण;

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : महोदय, माननीय मन्त्री द्वारा दिये गये जवाब में यह कहा गया है कि नई नीति प्रदूषण में कमी करने के सुरक्षात्मक पहलुओं पर अधिक जोर देगी। क्या मैं माननीय मन्त्री से यह जान सकता हूं कि क्या नई नीति औद्योगिक इकाइयों को प्रदूषण मुक्त संयंत्र स्थापित करने के लिये राजसहायता प्रदान करेगी ? दूसरे क्या माननीय मन्त्री नई नीति सभा में रखेंगे ?

श्री कमल नाथ : महोदय, नई नीति का उद्देश्य आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करना है। विश्व बैंक के साथ ऋण के लिये समझौता हुआ है जिसे वित्तीय संस्थानों द्वारा संचालित किया जाना है। हम छोटे पैमाने के उद्योगों को उन्हें अवशिष्ट पदार्थ हटाने और प्रदूषण नियन्त्रण उपकरण लगाने में सक्षम बनाने के लिए 50 प्रतिशत अनुदान देंगे। बड़े उद्योगों के लिये यह अनुदान कुछ लचीली शर्तों पर उपलब्ध होगा। जब कभी इस नीति को अन्तिम रूप दिया जाएगा मेरा प्रयास उसे सभा पटल पर रखने का होगा।

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : महोदय, मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न है; क्या मैं माननीय मन्त्री से यह जान सकता हूं कि इस वर्ष के आरम्भ में पर्यावरण सम्बन्धी मूल्यांकन और निगरानी हेतु मद्रास में एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था और यह निवेदन किया गया था कि पर्यावरण के गिरते हुए स्तर के कारण जीवन की गुणता को हुई हानि की गणना करने के लिये सरकार को सकल पारिस्थितिकीय उत्पाद की धारणा को अपनाना चाहिए और यदि हां तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री कमल नाथ : महोदय, मुझे विशेषतः सेमिनार का स्मरण नहीं है लेकिन मैं अलग से यह जानकारी सदस्य महोदय को दूंगा।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : महोदय, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगी कि इस पर्यावरण नीति को लागू करने वाली एजेंसियां संघ के राज्य ही होंगे, अतः कार्यान्वयन में समन्वय स्थापित करने और इस नीति पर मतैक्य बनाने के लिए क्या किया जा रहा है ?

श्री कमल नाथ : महोदय, राज्य-प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डों को और शक्तियां देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते ही इस सभा ने जल प्रदूषण उपकर (संशोधन) अधिनियम पारित किया है, जो वास्तव में राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डों को और अधिक शक्तियां देने के लिए है ताकि उन्हें एक बेहतर और विस्तृत आधार संरचना प्राप्त हो सके। नई नीति हमने सभी मन्त्रालयों को भेज दी हैं। इस पर सुप्रसिद्ध विशेषज्ञों की टिप्पणियां हमें प्राप्त हुई हैं। अभी भी बैठकों में हम बहुत से लोगों से परामर्श कर रहे हैं। राज्य-प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डों से निरन्तर सम्पर्क स्थापित किया जा रहा है। अभी पिछले सप्ताह ही राज्य-पर्यावरण सचिवों और राज्य-प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डों के सभापतियों के साथ मैंने राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया था। यह विशेषज्ञों, जिसमें राज्य विशेषज्ञ भी शामिल हैं, के प्रयासों का ही परिणाम है कि हम यह नीति तैयार कर रहे हैं।

श्री मनोरंजन भक्त : महोदय, मैं मन्त्री महोदय की जानकारी में यह लाना चाहूंगा कि कुछ द्वीप क्षेत्रों में विशेष पारिस्थितिकीय स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि पर्यावरण नीति को तैयार करते समय क्या वह ऐसे द्वीप क्षेत्रों को अपना मौलिक अस्तित्व बनाये रखने की धारण क्षमता का ध्यान रखेंगे।

श्री कमल नाथ : महोदय, द्वीप विकास प्राधिकरण द्वीपों में विकास की सामूहिक धारणा को

लेकर स्थापित किया गया था । एक बात जिस पर मेरा मन्त्रालय जोर दे रहा है, वह धारण क्षमता का पहलू है । केवल धारण क्षमता के आधार पर ही परियोजनाओं तथा अन्य पहलुओं पर विचार होगा ।

अध्यक्ष महोदय : आपका उत्तर सकारात्मक है ।

[हिंदी]

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, सवाल यह एनवायर्नमेंटल मिनिस्ट्री का है लेकिन मैं माफी चाहता हूं कि कल से बड़ी तलाश में था और इस हाऊस के एनवायर्नमेंट का भी सवाल मैं पूछना चाहता हूं । जो यह पूरा हाऊस प्रोवोकेटिव हो गया है, मैं आपसे सवाल पूछनुा चाहता हूं, आपके तहत सवाल नहीं पूछना चाहता हूं···

अध्यक्ष महोदय : ऐसा आप नहीं कर सकते हैं और मैं अलाऊ नहीं करूंगा ।

श्री शरद यादव : मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आपको मुझसे सवाल नहीं पूछना है, आपको मिनिस्ट्री से सवाल पूछना है ।

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से आप यदि अनुमति दें, यदि आपकी दया हो जाये···

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं दया नहीं, आपका हक है, वह आप पूछिएगा ।

श्री शरद यादव : इस हाऊस को स्टूडियो बना दिया है । मेरा कहना है कि देश में जितनी तरह के छोटे-मोटे जो हाउस हैं, उनमें बहस बहुत घट गयी है । और इस हाऊस में जो टी० वी० लगा दिया गया है······

अध्यक्ष महोदय : : देखिये आप जो पूछ रहे हैं, वह सारा देश देख रहा है कि सवाल क्या है और पूछ रहे हैं आप क्या ?

श्री शरद यादव : शायद आपको काट दीजियेगा ।

मैं इसके विरोध में खड़ा हुआ हूं । मेरा निवेदन है······

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न के बारे में बोलिये । प्रश्न देश के पर्यावरण पर है ।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, इस पर सवाल नहीं है । मैं आपसे माफी चाहता हूं । मैं बैठ जाऊंगा । यह जो प्रयोग है······यदि आप अनुमति देंगे······

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं है ।

श्री शरद यादव : यह नियम के तहत है । इस बात पर······

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पर आइये ।

[हिन्दी]

श्री कालका दास : अध्यक्ष जी, पर्यावरण और प्रदूषण की दृष्टि से दुनिया में दिल्ली का स्थान तीसरा है। इस प्रदूषण में जो आबादी में लगी हुई फैक्ट्रियां हैं, पुराने चलने वाले……

अध्यक्ष महोदय : देश की एनवार्यनमेंट पॉलिसी पर प्रश्न है, उस पर आप पूछिए।

श्री कालका दास : वही मैं निवेदन कर रहा हूं कि दिल्ली देश की राजधानी होते हुये भी दुनिया के प्रदूषित जो सिटीज हैं, उनमें दिल्ली का स्थान चौथा है। इसका कारण कई जगह पर, गली मोहल्ले में, रेजिडेंशयल इलाकों में लगी फैक्ट्रियां और चलने वाले पुराने ट्रांसपोर्ट और वन का कम होना। मेरा यह निवेदन है कि दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या योजना बनाई है, क्या पग उठा रही है और दिल्ली से प्रदूषण कब तक कम हो जायेगा?

[अनुवाद]

श्री कमल नाथ : महोदय, कुछ अनुमानों के अनुसार दिल्ली विश्व का चौथा प्रदूषित नगर है। दिल्ली में कुल प्रदूषण का लगभग 55 प्रतिशत भाग वाहन सम्बन्धी प्रदूषण है। शेष प्रदूषण अन्य प्रदूषक माध्यमों जैसे औद्योगिक इकाइयों के द्वारा फैलता है। वाहन सम्बन्धी प्रदूषण के सम्बन्ध में अनेक कदम उठाये गये हैं। मैंने बैठकें आयोजित की हैं। एक समिति बनाई गई है। प्रशिक्षण कैम्प लगाये जा रहे हैं। यह प्रौद्योगिकी सम्बन्धी प्रश्न है। इसमें केवल प्रदूषण दूर करने अथवा निरीक्षकों को प्रदूषण नापने का मीटर देने से ही काम नहीं चलेगा। यह प्रौद्योगिकी का प्रश्न है। हमें सीसा रहित पैट्रोल की आवश्यकता है। हमें उत्प्रेरक परिवर्तकों तथा बेहतर तकनीक वाले इंजिनों की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में कार्य जारी है। कुछ मानक रखे गए हैं जिन्हें 31 मार्च, 1992 तक पूरा करना है। इस मामले पर ध्यान दिया जा रहा है।

श्री ई० अहमद : सरकार प्रदूषण पर नियन्त्रण हेतु अनेक उपाय करेगी। लेकिन विद्युत बनाने के लिये देश के विभिन्न भागों में नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। ऐसे प्रस्तावों का विरोध भी किया जा रहा है। क्या मैं माननीय मन्त्री से कुछेक राज्यों द्वारा प्रभावित नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थापित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने के सम्बन्ध में सरकार की नीति के बारे में जान सकता हूं।

श्री कमल नाथ : नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थापित करने का मामला उच्च तकनीकी सम्बन्धी मामला है। यह कार्य आणविक ऊर्जा विभाग के सहयोग से होता है जिसके साथ सभी वैज्ञानिक आदान उपलब्ध हैं। इस पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है। उचित जांच पड़ताल और ध्यान दिए बिना कुछ नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री ने अभी स्वीकार किया है कि 55 प्रतिशत पर्यावरण का प्रदूषण परिवहन के द्वारा है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या माननीय मन्त्री यह मानते हैं कि देहाती इलाकों के लोगों का जो तेजी से पलायन हो रहा है जिसके चलते प्रदूषण हो रहा है ट्रैफिक आदि सभी चीजों में। मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मन्त्री इस पर कोई रिपोर्ट या मूल्यांकन या विशेषज्ञों से कोई राय लेंगे और 55 प्रतिशत तो परिवहन से प्रदूषण हो रहा है, देहाती इलाकों को रोजगारोन्मुख बनाएंगे ताकि जो देहाती लोगों का तेजी से शहरों में पलायन हो रहा है, यह पलायन रुक जाए?

अध्यक्ष महोदय : यह नेशनल पॉलिसी पर सवाल है ।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद यादव : शहरों की आबादी बढ़ जायेगी । आबादी दुगुनी हो जाएगी । आज कलकत्ता की आबादी, दिल्ली की आबादी बढ़ गई है··· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न प्रासंगिक नहीं है ।

[अनुवाद]

डा० देवी प्रसाद पाल : सरकार पर्यावरण सम्बन्धी प्रदूषण समाप्त करने की इच्छुक है । यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ भी सैनिक संघर्ष में हथियारों के इस्तेमाल से उत्पन्न होने वाले पर्यावरण-प्रदूषण को समाप्त करने पर विचार कर रहा है । क्या मैं माननीय मन्त्री महोदय से जान सकता हूं कि अगर पर्यावरण विशेषकर दिल्ली में राजनीतिक प्रदूषण से प्रदूषित होता है, तो सरकार का क्या करने का विचार है ?

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है । इससे सभा के समय का दुरुपयोग है ।

[हिन्दी]

श्री सूरज मंडल : अध्यक्ष जी, हमारे देश में पर्यावरण का मुख्य कारण है वनों की कटाई । वनों की कटाई के कारण इस देश में पर्यावरण की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है । मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि वनों की कटाई पर रोक लगाने और जंगलों के किनारे जो लोग रहते हैं, वे लोग भुखमरी के कारण ही जंगलों को काट देते हैं, इसलिये जंगलों के किनारे रहने वाले लोगों को मजदूरी देने, जंगलों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने के साथ-साथ यूक्लिप्टस और अकोसिया को छोड़कर, 25-30 सालों तक स्थाई रूप से पेड़ बने रहें, सरकार के पास, प्रदूषण रोकने के लिये, क्या कोई इस तरह की योजना है, यही मैं जानना चाहता हूं ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप पर्यावरण नीति बनाते समय इन जनजातियों के हितों की भी सुरक्षा करेंगे ?

श्री कमल नाथ : महोदय, माननीय सदस्य का यह एक बड़ा ही संगत प्रश्न है । नई नीति इस प्रकार बनाई गई है जो जन-समुदाय की भागीदारी पर भी ध्यान देती है । आज यह अत्यन्त संगत बात है और गांवों की भागीदारी अथवा जो भी हो, वृक्षारोपण में जन समुदाय को शामिल करने पर विचार किया जा रहा है । इस सम्बन्ध में राज्यों से अनेक प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं और हम इस नीति पर विचार कर रहे हैं । इस समय इसी नीति का अनुसरण किया जा रहा है ।

श्री जसवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री ने सूचित किया है कि नई पर्यावरण नीति अभी बनाई जानी है । अतः मैं दो साधारण स्पष्टीकरण चाहूंगा । तो यह कि स्पष्ट पर्यावरण नीति की अनुपस्थिति में, सरकार किस आधार पर कार्य कर रही है । क्या यह अस्थायी गैर-नीति के आधार पर कार्य कर रही है ? और अगर यह अस्थायी गैर नीति पर कार्य कर रही है, तो किस प्रकार पर्यावरण-मन्त्रालय एक महत्वपूर्ण मन्त्रालय के रूप में काम कर रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : यह एक नई नीति है ।

श्री जसवन्त सिंह : हां महोदय, मैं जानता हूं ।

अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि यह मन्त्रालय किस आधार पर काम कर रहा है, क्योंकि कोई पुरानी नीति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : वह नई नीति के बारे में बता रहे हैं।

श्री जसवन्त सिंह : मैं जानता हूं, महोदय। लेकिन कोई स्पष्ट नीति नहीं है। (व्यवधान) दूसरी बात यह है कि मेरे एक सहयोगी सदस्य ने इस महत्वपूर्ण पहलू के बारे में पहले ही पूछताछ की है। किसी भी नीति के क्रियान्वयन के लिये और विशेषकर पर्यावरण नीति के लिये, राज्यों का सहयोग परमावश्यक है। पर्यावरण सम्बन्धी कोई भी नीति तब तक सम्भवतः लागू नहीं की जा सकती, जब तक कि नीति के निर्माण से राज्य-सरकारें एक महत्वपूर्ण पक्ष न हों।

श्री कमल नाथ : महोदय, मैं माननीय सदस्य से पूर्ण सहमत हूं। इसमें कोई शक नहीं कि पर्यावरण-नीति के क्रियान्वयन में राज्यों का सहयोग ही नहीं अपितु सक्रिय सहयोग भी महत्वपूर्ण है। नई नीति जो बनाई जा रही है, उसमें राज्यों का सहयोग लिया जा रहा है और यह प्रक्रिया जारी है। मैंने यह नहीं कहा कि मैं इसे अन्तिम रूप दे रहा हूं अथवा यह पूर्ण हो गई है। हमने बहुत से लोगों का भी सहयोग लिया है। केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों से परामर्श जारी है। हम राज्य-सरकारों से भी सम्पर्क साधे हुये हैं। यह प्रक्रिया अभी भी जारी है, अभी समाप्त नहीं हुई है। इसे अन्तिम रूप देने से पहले भी हम राज्य सरकारों से अवश्य परामर्श करेंगे।

श्री अमल दत्त : संसद से भी परामर्श कीजिये।

श्रीमती विभू कुमारी देवी : महोदय, क्या माननीय मन्त्री जानते हैं कि 1980 के वन संरक्षण अधिनियम के द्वारा बहुत सी जनजातियों को उनकी भूमि से वंचित कर दिया गया थीं। त्रिपुरा में पी० एफ० अधिनियम के साथ-साथ वन संरक्षण अधिनियम भी लागू है। पी० एफ० क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों को वहां से हटा दिया गया है। इस भूमि पर वर्षों से कोई वृक्ष नहीं है और आदिवासियों द्वारा उस पर खेती की जाती है। इसलिये राज्य का भू-राजस्व विभाग और वन विभाग बहुत कठिनाई में कार्य कर रहे हैं और हर समय एक दूसरे के विरोधी रहते हैं। क्या मन्त्री महोदय इस तथ्य से अवगत हैं कि आदिवासियों को उनकी भूमि से वंचित किया गया है।

श्री कमल नाथ : महोदय, यह केवल त्रिपुरा का ही प्रश्न नहीं है। ऐसी रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं कि वन संरक्षण अधिनियम के लागू होने से पूर्व भी आदिवासियों का वन भूमि पर अनियमित और अवैध कब्जा था तथा इनमें से कुछेक को अवैध कब्जाधारी भी बताया गया है, उन्हें वहां से हटा दिया गया है। हम इस मामले पर विचार कर रहे हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, क्या सरकार की यह धारणा है कि अर्धविकसित देशों की पर्यावरण सम्बन्धी दृष्टिकोण विकसित देशों से भिन्न है? क्या पर्यावरण को बेहतर बनाये रखने की जिम्मेदारी विश्व के विकसित देशों द्वारा केवल अर्धविकसित देशों पर थोपी गई है?

श्री कमल नाथ : मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं कि कोई भी विकसित देश अपनी किसी भी प्रकार की प्रक्रिया अथवा तरीके हम पर लागू करने में समर्थ नहीं हो सकेंगे, हमारी अपनी पर्यावरण नीति है। इसे अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों और राष्ट्रीय नीतियों के अनुरूप ही बनाया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

इण्डियन एयरलाइन्स के इन्जीनियरों और विमान चालकों द्वारा हड़ताल

[अनुवाद]

*162 श्री वी०एस० विजयराघन :

श्री यशवन्तराव पाटिल : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स के लाइन इन्जीनियरों और विमानचालकों ने हाल ही में हड़ताल की थी;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण थे;

(ग) इस हड़ताल के कारण विशेषतः मुम्बई के सांताक्रुज हवाई अड्डे से कितनी उड़ानें लेट हुई/रद्द की गई/अस्त-व्यस्त हुई;

(घ) इसके फलस्वरूप यदि कोई नुकसान हुआ है तो वह कितना है; और

(ङ) ऐसी हड़तालों को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक उपाए किये गये हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) इण्डियन एयरलाइन्स के विमान अनुरक्षण इन्जीनियरों के साथ वेतन की समानता के मामले में अक्तूबर, 1991 के प्रथम सप्ताह में "धीरे काम करना" शुरू किया था। इसके अलावा कुछ पायलेटों ने 3 और 4 नवम्बर, 1991 को बीमार होने की सूचना भेजी।

(ग) कुल 398 उड़ानों में विलम्ब हुआ। बम्बई से दो उड़ानें रद्द की गई। 13 अन्य उड़ानों को मिलाकर 6 उड़ानें बना दी गयीं और एक उड़ान रोक दी गई।

(घ) विशेष तौर से विलम्बित उड़ानों के कारण हुई हानि का ठीक-ठीक अनुमान लगाना कठिन है।

(ङ) वेतनमानों में समानता का मामला राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के पास भेजा गया है। प्रबन्धक वर्ग भी अनुशासन बनाए रखने तथा कामगारों के साथ निकट परस्पर सम्पर्क के माध्यम से अच्छे औद्योगिक सम्बन्ध बनाए रखने के लिये प्रतिबद्ध है।

गार्ड ब्रेक वैनों के बिना गाड़ियों का चलना

*163. श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनेक गाड़ियां गार्ड ब्रेक वैनों के बिना ही चलती हैं;

(ख) क्या इससे यात्रियों की सुरक्षा खतरे में पड़ती है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

रेल मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग) कोई भी यात्री गाड़ी बिना ब्रेक-यान के नहीं चलाई जाती बहरहाल, परिचालनिक अत्यावश्यकताओं के कारण, विशिष्ट परिस्थितियों में माल गाड़ियों को कभी-कभी ब्रेक-यान के बिना चलाया जाता है, जब कभी माल गाड़ियों को ब्रेक-यान के बिना

चलाया जाता है तब संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, वर्तमान नियमों के अनुसार निर्धारित संरक्षा संबंधी एहतियातों का पालन किया जाता है, सभी माल गाड़ियों को ब्रेक-यानों के साथ चलाने के लिए, पर्याप्त संख्या में माल ब्रेक-यान उपलब्ध कराने के वास्ते उनका नियमित रूप से उत्पादन किया जा रहा है।

होम्योपैथिक दवाएं

*168. **डा० सी० सिलवेरा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घटिया औषधों के निर्माण के कारण देश में होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली की प्रगति अवरुद्ध हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है और इस बारे में क्या कार्रवाई करने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री एम०एल० फोतेदार) : (क) और (ख) जी, नहीं। जहां चिकित्सा की होम्योपैथी पद्धति ने पर्याप्त प्रगति की है, वहां औषधियों की जांच करने सम्बन्धी सुविधाएं केवल हाल ही में विकसित की गई और देशीय तथा आयातित दोनों प्रकार की औषधियों जो निर्धारित मानदंडों के अनुरूप नहीं हैं, के कुछ उदाहरण नोटिस में आए हैं।

देश में विनिर्मित की जा रही होम्योपैथिक औषधियों की गुणवत्ता सुधारने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की गई है—

(i) होम्योपैथी की दवाइयों के विनिर्माण और बिक्री को 1969 में औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अधीन कर दिया गया है।

(ii) होम्योपैथी की दवाइयों का स्तर निर्धारित करने तथा उनकी जांच करने के लिए होम्योपैथी भेषजसंहिता प्रयोगशाला स्थापित की गई है। आधुनिकतम उपस्करों की व्यवस्था करके प्रयोगशाला को और मजबूत बनाने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

(iii) सरकार द्वारा गठित होम्योपैथी भेषजसंहिता समिति ने 606 औषधों के लिए मानक निर्धारित किए हैं और इन्हें भारतीय होम्योपैथी भेषजसंहिता के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है। अन्य 104 औषधों के मानकों को प्रकाशित किया जा रहा है।

(iv) घटिया स्तर की औषधों का पता लगने पर भारत के औषध नियन्त्रक द्वारा औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के उपबन्धों के तहत समुचित कार्रवाई करने के लिए राज्य औषध नियन्त्रक को अनुदेश जारी किए जाते हैं।

राष्ट्र-गान और राष्ट्रीय गीत का गाया जाना

*170. **श्री के०एच० मुनियप्पा** :

श्री मुमताज अन्सारी : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की कुछ शिक्षण संस्थाओं में राष्ट्र-गान और राष्ट्रीय गीत का गाया जाना बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार सभी स्कूलों में राष्ट्र गान और राष्ट्रीय गीत गाये जाने को अनिवार्य बनाने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) कुछ रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं जिनके अनुसार स्कूलों में प्रतिदिवस सामूहिक राष्ट्रगान की परम्परा बन्द कर दी गई है या फिर अन्य कुछ स्कूलों में इसे कुछ एक अवसरों पर गाए जाने तक के लिए ही सीमित कर दिया गया है। सम्भवतः इसका मुख्य कारण उदासीनता है।

(ग) और (घ) राष्ट्रगान के सम्बन्ध में सरकारी नीति यह रही है कि सभी स्कूलों में प्रतिदिन राष्ट्र गान का सामूहिक गायन किया जाए। देश भर में स्थित सभी स्कूलों में राष्ट्रगान के सामूहिक गायन से सम्बन्धित आदेश भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए हैं। हाल ही में अक्तूबर, 1991 में मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (शिक्षा विभाग) ने स्कूलों में राष्ट्रगान के लिये आवश्यक निर्देश जारी करने हेतु सभी मुख्यमन्त्रियों और उप राज्यपालों को लिखा है। तथापि राष्ट्रीय गीत के गायन के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं।

अरबी तथा फारसी साहित्य का संरक्षण

[हिन्दी]

*171. **श्री राम नारायण बैरवा** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अरबी तथा फारसी के प्राचीन साहित्य और अभिलेखों का संरक्षण करने के लिए स्थापित की गयी संस्थाओं के राज्य वार नाम क्या हैं;

(ख) क्या सरकार इन संस्थाओं को पर्याप्त वित्तीय सहायता देती है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ विदेशों से वित्तीय सहायता का कोई प्रस्ताव सरकार को मिला है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) उत्तर प्रदेश में रामपुर रजा लाइब्रेरी और पटना, बिहार में खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी ऐसी दो संस्थाएं हैं, जो अरबी और फारसी साहित्य तथा अभिलेखों का संरक्षण कर रही हैं तथा ये भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित हैं। अन्य संस्थाएं भी हैं, जो या तो राज्य सरकारों के नियन्त्रणाधीन हैं अथवा प्राइवेट संगठनों द्वारा प्रबन्धित हैं, जोकि अरबी एवं फारसी साहित्य और अभिलेखों का संरक्षण कर रही हैं।

(ख) रामपुर रजा लाइब्रेरी तथा खुदाबख्श लाइब्रेरी पूर्णतः भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित हैं। अन्य संस्थाओं से प्राप्त आवेदनों के सम्बन्ध में पर्याप्त वित्तीय सहायता भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा वर्तमान योजना के अधीन दी जाती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

जनसंख्या वृद्धि विषय पर बैठक बुलाना

[अनुवाद]

*172. श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनसंख्या वृद्धि पर नियन्त्रण की आवश्यकता विषय पर विचार करने के लिए विभिन्न धर्मों के अनुयायियों की एक बैठक बुलाने और उक्त लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उनका सहयोग लेने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक कब तक बुलाए जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) से (ग) राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम हमारे समाज के विभिन्न समुदायों की स्वैच्छिक सहभागिकता से क्रियान्वित किया जा रहा है। हमारी यह कोशिश है कि गहन सूचना, शिक्षा और संचार सम्बन्धी उपायों द्वारा इस पर अधिक बल दिया जाए और इसे अधिक गतिशील बनाया जाए। इस उद्देश्य से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करके कार्य योजना का एक प्रारूप बनाया गया है जिसमें इस कार्यक्रम के समर्थन में एक राष्ट्रीय सहमति बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। चूंकि परिवार कल्याण कार्यक्रम को एक जन अभियान बनाया जाना है, अतः इस कार्ययोजना के कार्यान्वयन के लिए धार्मिक मार्गदर्शकों, राजनैतिक दलों के नेताओं, सामाजिक संगठनों के प्रमुखों आदि के साथ समाज के सभी समुदायों का सहयोग मांगा जाएगा।

सेवा-निवृत्त रेल कर्मचारियों को अनुग्रह पेंशन देना

*173. श्री लाल कृष्ण आडवाणी :

प्रो० राम कापसे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथे वेतन आयोग ने 31 मार्च, 1985 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए रेल कर्मचारियों को अनुग्रह पेंशन देने की सिफारिश की थी; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इससे कितने रेल कर्मचारी लाभान्वित हुए हैं; और

(घ) कितने कर्मचारियों को ऐसे लाभ अभी मिलने हैं और इस मामले में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) केन्द्रीय वेतन आयोग ने मात्र सेवा निवृत्त रेल कर्मचारियों को अनुग्रह पेंशन के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट सिफारिश नहीं की थी। बहरहाल। चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग ने एक आम सिफारिश की थी कि अंशदायी भविष्य निधि के हिताधिकारियों को, जो 31-3-1985 से पहले सेवा-निवृत्त हो गए थे और जिनका मूल वेतन 500 रुपए प्रतिमाह तक था, अंशदायी भविष्य निधि योजना के तहत। उनके द्वारा पहले प्राप्त किए गए लाभ के अलावा, 300 रुपए की राशि प्रति माह अनुग्रह के रूप में दी जाए उन्होंने यह भी सिफारिश की थी कि उन मृत कर्मचारियों की विधवाओं और आश्रित बच्चों को, जो प्रति माह 500 रुपए तक वेतन पा रहे थे, ऊपर सुझाई गई राशि का 50%अनुग्रह से रूप में दिया जाए। अंशदायी निधि के अधार पर सेवा-निवृत्त हुए

जीवित कर्मचारियों को अनुग्रह के रूप में भुगतान सम्बन्धी सिफारिश को सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था, क्योंकि केवल 500 रुपए प्रति माह तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को इस तरह का भुगतान किया जाना भेदभाव-पूर्ण था और इसकी व्यापक प्रतिक्रिया भी होती। लेकिन, सरकार ने यह आशोधन करके सिफारिश स्वीकार कर ली थी कि अंशदायी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत मृत कर्मचारियों की विधवाओं और आश्रितों को 150 रुपए की राशि प्रति माह अनुग्रह के रूप में अदा की जाए। प्राप्त किए गए वेतन का कोई उल्लेख किए बिना, यह सिफारिश उन सभी कर्मचारियों के मामले में लागू होगी जिनकी 31-12-85 से पहले सेवा में रहते हुए मृत्यु हो गयी थी या जो सेवा-निवृत्त हो गए थे। अंशदायी भविष्य निधि योजना के तहत आने वाले कर्मचारियों से सम्बन्धित इस सामान्य निर्णय में राज्य रेलवे भविष्य निधि (अंशदायी) नियमों द्वारा शासित रेल कर्मचारी भी आते थे।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि अंशदायी भविष्य निधि योजना के तहत सेवानिवृत्त हुए जीवित कर्मचारियों को अनुग्रहपूर्वक भुगतान से सम्बन्धित सिफारिश सरकार द्वारा स्वीकार नहीं की गई है।

शल्य चिकित्सा केन्द्रों की स्थापना

[हिन्दी]

*174. श्री बलराज पासी :

श्री राजवीर सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में शल्य चिकित्सा को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष शल्य-चिकित्सा केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो ये केन्द्र किन-किन स्थानों पर स्थापित किए जायेंगे और इन केन्द्रों के विशेषतः उत्तर प्रदेश में कब तक स्थापित किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चूंकि "स्वास्थ्य" राज्य का विषय है, इसलिए ऐसे केन्द्रों को राज्य सरकारों द्वारा खोला जाना है।

रवीन्द्र नाथ टैगोर की कृतियों का प्रतिलिप्याधिकार

[अनुवाद]

*175. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रवीन्द्र नाथ टैगोर की कृतियों के मामले में कापीराइट्स एक्ट (प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम) को और आगे 20 वर्ष के लिए लागू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ऐसा किए जाने के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) (क) और (ख) कापीराइट अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत कापीराइट के कार्यकाल में वृद्धि करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

"एड्स" रोग पर नियन्त्रण और उसके बचाव

*176. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :**

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में एड्स रोग पर नियन्त्रण करने तथा इससे बचाव के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ग) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन और यू० एस० ए०आई०डी० ने भी भारत में 'एड्स' रोग पर नियन्त्रण हेतु वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) और (ख) जी, नहीं। भारत में एड्स की रोकथाम और नियन्त्रण के लिए भारत सरकार ने सितम्बर, 1991 में एक व्यापक परियोजना प्रस्ताव तैयार किया था। यह प्रस्ताव विश्व बैंक के विचाराधीन है। इस परियोजना के निम्नलिखित घटकों पर 217.5 करोड़ रुपए के परिव्यय का अनुमान है।

1. निगरानी और नैदानिक उपचार क्षमता तैयार करना;
2. जन जागरूकता और सामुदायिक शिक्षा को बढ़ावा देना;
3. रक्त सुरक्षा में सुधार तथा रक्त के युक्तिसंगत उपयोग को बढ़ावा देना;
4. यौन संचारित रोगों के निदान और उपचार की सुविधाओं में सुधार; और
5. कार्यक्रम प्रबन्ध क्षमता को सुदृढ़ करना।

आशा है कि विश्व बैंक सहायता 1992 की प्रथम तिमाही तक मंजूर हो जाएगी।

(ग) और (घ) विश्व स्वास्थ्य संगठन विदेशी अध्ययनों, नए कार्यक्रमों और प्रशिक्षण के लिए 3-5 मिलियन अमरीकी डालर की आर्थिक तथा तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। अमरीकी अन्तर-राष्ट्रीय विकास एजेंसी (यू०एस० एड) ने भी अनौपचारिक रूप से एड्स की रोकथाम और नियन्त्रण कार्यक्रम के लिए सहायता प्रदान करने की इच्छा प्रकट की है।

शैक्षणिक संस्थाओं में शिक्षा हेतु छात्रों का नामांकन

*177. **श्री पवन कुमार बंसल :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार देश की कतिपय शिक्षा संस्थाओं में छात्रों को शिक्षा हेतु नामांकित करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में क्या मापदण्ड अपनाये जाते हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में राज्यों को एक समान दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (घ जिन राज्यों व संघशासित क्षेत्रों में पर्याप्त तकनीकी शिक्षा सुविधाओं का अभाव है, ऐसे राज्यों व संघ शासित क्षेत्रों के छात्रों को सहायता करने के उद्देश्य से मानव संसाधन विकास मन्त्रालय अन्य राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में स्थापित इन सुविधाओं वाली संस्थाओं में कुछ सीटें निर्धारित करता है। इस प्रकार की सीटों पर नामांकन सीधे उन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा किया जाएगा, जिनके लिए ये सीटें निर्धारित की गई हैं। इसके लिए जारी की गयी व्यापक मार्गदर्शी रूपरेखाओं में मन्त्रालय ने चयन के मानदंड और प्रक्रियाओं तथा अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों द्वारा आवेदन के तरीके का व्यापक प्रचार करने के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सुझाव दिया है तथा सांविधिक आरक्षण को भी ध्यान में रखने को कहा है। विकासशील देशों के छात्रों को आवंटित किए जाने के लिए विदेश मन्त्रालय को भी कुछ सीटें दे दी गई हैं।

पहलेजा-भवनाथपुर लाइन (बिहार) को बड़ी लाइन में बदलना

[हिन्दी]

*178. **श्री छेदी पासवान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल इंडिया टेकनिकल एण्ड इकोनामिक सर्विसिस लिमिटेड (राइट्स) द्वारा बिहार में पिपराडीह और यदुनाथपुर से होते हुए पहलेजा-भवनाथपुर के बीच की रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदले जाने के बारे में किए गए सर्वेक्षण की रिपोर्ट, जो मई, 1991 में प्रस्तुत की गई थी, की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं; और

(ख) उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) डेहरी-ऑन-सोन से भवनाथपुर तक (101.8 कि०मी० बड़े आमान की लाइन के लिए व्यावहारिकता अध्ययन करने के लिए बिहार सरकार द्वारा मैसर्स रेल इंडिया टेक्निकल एण्ड इकानामिक सर्विसेज लिमिटेड को नियुक्त किया गया था। सन् 1990 में प्राप्त हुई अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार इस परियोजना की अनुमानित लागत 196 करोड़ रुपये है। प्रतिफल की दर केवल 3.04 प्रतिशत है, इसलिए यह परियोजना लाभप्रद नहीं पाई गई है। इलाके के विकास के लिए राइट्स द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि इस परियोजना के मात्र कुछ भाग, यथा डेहरी-ऑन-सोन से पीपराडीह तक (69 कि०मी०), पर दो चरणों में नई बड़ी लाइन के बारे में विचार किया जाए।

(ख) रिपोर्ट पर आगे कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा, जिसने अध्ययन का आदेश दिया था, ही की जानी है।

ठोस अपशिष्ट पदार्थों का निपटान

[अनुवाद]

*179. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु अपशिष्ट पदार्थों सहित ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निपटान के बारे में कोई कानून नहीं बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में कोई विधेयक पेश करने का है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों तथा सम्बद्ध संगठनों से परामर्श किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) सरकार ने पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबन्ध और उठाई-धराई) नियमावली, 1989 तथा परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के तहत परमाणु ऊर्जा (रेडियोधर्मी अपशिष्टों का सुरक्षित निपटान) नियमावली, 1987 अधिसूचित की है।

(ग) परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबन्ध और उठाई-धराई) नियमावली, 1989 बनाते समय राज्य सरकारों और सम्बन्धित एजेंसियों से परामर्श किया गया था। परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के तहत स्वीकृत किसी भी प्रस्ताव को राज्य सरकारों को नहीं भेजा जाता है।

(घ) परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबन्ध और उठाई-धराई) नियमावली की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं :

(1) ये नियम नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची में अभिनिर्धारित अपशिष्टों की 18 कोटियों पर लागू होते हैं।

(2) रिपोर्टिंग, प्राधिकरण के लिए आवेदन करने, सही तरीके से डिब्बा बन्द करने, लेबलिंग तथा परिवहन के सम्बन्ध में परिसंकटमय अपशिष्टों के उत्पादन के बारे में दायित्व निर्धारित किया गया है।

(3) परिसंकटमय अपशिष्टों के निपटान स्थलों के निर्धारण तथा उठाई-धराई के लिए प्राधिकारण और आयात के लिए राज्य सरकारों तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों जैसी कार्यान्वयन एजेंसियों के दायित्व निर्धारित किए गए हैं।

परमाणु ऊर्जा (रेडियोधर्मी अपशिष्टों का सुरक्षित निपटान) नियमावली, 1987 की प्रमुख विशेषताएं नीचे दी गई हैं :

(1) सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किए बिना किसी व्यक्ति द्वारा रेडियोधर्मी अपशिष्ट के निपटान की अनुमति नहीं है।

(2) रेडियोधर्मी अपशिष्ट का निपटान प्राधिकरण पत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुसार किया जाता है।

(3) किसी भी रेडियोधर्मी अपशिष्ट का प्राधिकरण पत्र में विनिर्दिष्ट स्थल से किसी अलग स्थल पर निपटान करने की अनुमति नहीं है।

(4) किसी भी रेडियोधर्मी अपशिष्ट का प्राधिकरण पत्र में उल्लिखित मात्रा से अधिक मात्रा में निपटान करने की अनुमति नहीं है।

(5) प्राधिकृत किए जाने के लिए आवेदन करते समय दी जाने वाली सूचना निर्धारित कर दी गई है।

(6) रेडियोधर्मी अपशिष्टों का निपटान करने के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों के कार्य निर्धारित किए गए हैं।

(7) प्राधिकरण पत्र जारी और रद्द करने तथा प्राधिकृत व्यक्ति के परिसर का निरीक्षण करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के कार्य निर्धारित किए गए हैं।

दिल्ली में सरकारी अस्पतालों/औषधालयों का कार्यकरण

*180. **श्री जीवन शर्मा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 सितम्बर, 1991 के 'टाइम्स आफ इंडिया' में "दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एडाप्टस ड्यूअल स्टैंडर्ड्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है अथवा करने का विचार है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय दिल्ली प्रशासन, दिल्ली नगर निगम/नई दिल्ली नगर पालिका के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अस्पतालों/औषधालयों के कितने आकस्मिक/सामान्य दौरे किए गए तथा वहां पाई गई कमियों के बारे में क्या कार्यवाही की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा दोहरे मानदण्ड नहीं अपनाए गए हैं। लापरवाही से मृत्यु चाहे प्राइवेट क्लिनिक/नर्सिंग होम अथवा सरकारी अस्पताल, कहीं भी हुई हो, यदि जांच की आवश्यकता समझी जाती है तो तत्काल समुचित कार्रवाई की जाती है।

(ग) दिल्ली प्रशासन के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय द्वारा अपने अधीनस्थ औषधालयों/अस्पतालों के 613 अचानक/सामान्य दौरे किए गए।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधिकारियों ने सी० जी० एच० एस० औषधालयों के ऐसे 502 दौरे किये। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक/अपर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक अस्पतालों के सप्ताह में कम से कम 6 दौरे करते हैं। दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगर पालिका के अधिकारियों द्वारा ऐसी जांचें की जाती हैं। इन दौरों के दौरान पाई गई कमियों को दूर करने के लिए नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में रोगियों का उपचार

*181. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री 26 अगस्त, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4341 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को उपचारार्थ भेजे गए रोगियों की कुल संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस अवधि के दौरान उक्त संस्थान में उपचार के दौरान कितने रोगियों की मृत्यु हुई; और

(ग) इस संस्थान के कार्यकरण में सुधार के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अस्पताल में भर्ती किए गए रोगियों की कुल संख्या की राज्यवार उपलब्ध सूचना और मर गए रोगियों की कुल संख्या नीचे दी गई है :—

राज्यवार दाखिले	1988-89	1989-90	1990-91
दिल्ली	27965	27144	25426
उत्तर प्रदेश	7263	7218	4991
हरियाणा	3653	3643	2083
पंजाब	362	286	276
राजस्थान	689	675	463
अन्य राज्य	3759	4180	9822
अन्य देश	275	286	243
योग	43966	43432	43304
मौतों की संख्या	1850	1907	1786

(ग) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अस्पताल में अद्यतन चिकित्सा उपकरणों और नवीनतम चिकित्सा प्रौद्योगिकी को उपलब्ध कराकर बेहतर परिचर्या प्रदान करने हेतु अधिक और नई चिकित्सा सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करने का सतत प्रयास किया जाता है।

दिल्ली के दिलशाद गार्डन और नन्द नगरी में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय

1818. श्री पीयूष तीरकी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री 9 सितम्बर, 1991 के अतरांकित प्रश्न संख्या 6260 के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नन्द नगरी और दिलशाद गार्डन क्षेत्रों के अधिकृत चिकित्सकों के नाम और पते क्या हैं;

(ख) क्या ऐसे मामलों में अदा किया जाने वाला परामर्श शुल्क आदि निर्धारित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकारी कर्मचारियों द्वारा अदा किए गए शुल्क की प्रति पूर्ति के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अब तक इस मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए नन्दनगरी तथा दिलशाद गार्डन में किसी प्राधिकृत परिचर की नियुक्ति नहीं की है।

(ख) जी, हां।

(ग) जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में, सरकार ने अपने चिकित्सा अधिकारियों के लिए शुल्क निर्धारित किया है, वहां यह उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार दिया जाता है।

जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सरकार ने अपने चिकित्सा अधिकारियों के लिए कोई शुल्क निर्धारित नहीं किया है, वहां परामर्श शुल्क इस प्रकार है :—

(I) अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए, जिनका वेतन प्रतिमाह 1200 रुपये है, प्रत्येक दौरे के लिए 2 रुपये।

(II) अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए, जिनका वेतन प्रतिमाह 1200 रुपये से अधिक है लेकिन 2500 रुपये प्रतिमाह से कम है प्रत्येक दौरे के लिए 4 रुपये बशर्ते चिकित्सा स्नातक से परामर्श किया गया हो, और यदि लाइसेंसशुदा चिकित्सक से परामर्श किया गया हो तो प्रत्येक दौरे के लिए 2 रुपये।

(घ) उपर्युक्त (ग) में बताई गई शुल्क की दरों की प्रतिपूर्ति नियमों के अन्तर्गत किए गए उपबन्धों के अनुसार की जाती है बशर्ते उनके लिए निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा किया जाता हो।

आई० डी० पी० एल० द्वारा क्लोरोक्विन गोलियों की आपूर्ति

[हिन्दी]

1819. **श्री मृत्युंजय नायक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री 26 अगस्त, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4355 के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1989 के दौरान क्लोरोक्वीन गोलियों की खरीद के लिए राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम निदेशालय द्वारा इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्युटिकल्स लिमिटेड को सीधे कोई आदेश नहीं दिया गया था। 9-10-90 को 20 करोड़ क्लोरोक्वीन गोलियों की आपूर्ति के लिए राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम निदेशालय द्वारा मैसर्स इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्युटिकल्स लिमिटेड को आदेश दिया गया था।

रसायन और पैट्रो रसायन विभाग ने बताया है कि इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्युटिकल्स लिमिटेड और मैसर्स नील माधवन कन्सलटेन्ट्स प्रा० लि० के बीच हुए करार की शर्तों के अनुसार मै० नील माधवन कन्सलटेन्ट्स प्रा० लि० को 9.02 लाख रुपये की रकम का भुगतान किया गया था। उस विभाग ने आगे सूचित किया था कि अगली कार्रवाई पर उन्हें सलाह देने के लिए लोक उद्यम विभाग को उक्त मामले की जांच करने के लिए कहा गया था। लोक उद्यम विभाग ने अभी तक अध्ययन पूरा नहीं किया है और इसलिए उन्होंने अभी तक कोई परामर्श नहीं दिया है।

खाद्य निरीक्षकों द्वारा छापे

[अनुवाद]

1820. **श्री ताराचन्द खंडेलवाल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित खाद्य अपमिश्रण निवारण विभाग के खाद्य निरीक्षकों द्वारा गत डेढ़ वर्ष के दौरान अनेक छापे मारकर नमूने लिए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में कौन से उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार खाद्य अपमिश्रण निवारण विभाग ने पिछले डेढ़ वर्षों (अप्रैल 1990 से अक्तूबर, 1991 तक) के दौरान 268 निरीक्षण किए और 784 नमूने उठाए, जिनमें से 118 नमूने अपमिश्रित/गल्त ब्रांड वाले घोषित किए गए थे।

खाद्य अपमिश्रण विभाग, दिल्ली विक्रेताओं के लिए शैक्षिक अभियान चला रहा है।

वनस्पति को खतरा

[हिन्दी]

1821. **श्री गोविन्दराव निकाम** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक सर्वेक्षण के अनुसार लगभग प्राय/नष्टप्राय हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन वनस्पतियों के संरक्षण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित पौधों की लगभग 1500 प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है।

(ख) इसके कारण निम्नलिखित हैं—

1. बढ़ते हुए जैविक हस्तक्षेप।
2. पर्यावरण पर विकासात्मक परियोजनाओं के प्रभाव।

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में निम्नलिखित कदम उठाए हैं—

1. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत बनेतर प्रयोजनों के लिये वन भूमि के प्रयोग पर प्रतिबन्ध।
2. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन किया गया है ताकि सुरक्षा के लिए वन्यजीव जन्तुओं सहित जंगली वनस्पति को शामिल किया जा सके।
3. कच्छ वनस्पति और नम भूमि के संरक्षण के विशेष कार्यक्रम चलाये गये हैं।

अस्पतालों में मौतें

[अनुवाद]

1822. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** :

श्री मदन लाल खुराना : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में वर्ष 1989 से 1991 के दौरान आज तक वर्ष-वार और अस्पताल-वार कितनी मौतें हुई हैं; और

(ख) इन मौतों के क्या कारण है और इनमें से कितनी की जांच की गई और इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी०के० ताराबेवी सिद्धार्थ) : (क) वर्ष 1989 से 1991 के दौरान दिल्ली के प्रमुख अस्पतालों में हुई मौतों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

(ख) हर रोगी की मृत्यु का कारण अलग-अलग है । चिकित्सा विधिक मामलों के सिवाए अस्पतालों में प्रत्येक मृत्यु का कारण जानने के लिये कोई पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है ।

विवरण

अस्पताल का नाम	निम्नलिखित वर्षों के दौरान हुई मौतों की संख्या			
	1989	1990	1991	
सफदरजंग अस्पताल	5006	5703	4774	(अक्तू० 91 तक)
डा० राम मनोहर लोहिया अस्ताल	3043	3074	2973	(26 नवम्बर, 91 तक)
श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल	377	250	309	(अक्तू० 91 तक)
कलावती सरन बाल चिकित्सालय	2544	3208	2637	(26 नवम्बर, 91 तक)
गुरु तेगबहादुर अस्पताल	1776	1652	892	(अक्तू० 91 तक)
गोबिन्द बल्लभ पंत अस्पताल	389	450	411	तदेव
दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल	645	975	898	तदेव
लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल	4395	4999	2161	(जून, 91 तक)
मानसिक रोग अस्पताल	9	11	35	(अक्तू० 91 मक)
संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल	9	9	8	तदेव
चरक पालिका अस्पताल	78	104	63	तदेव
क्षय रोग अस्पताल	1256	1357	1209	तदेव
हिन्दू राव अस्पताल	1917	2179	1735	तदेव
स्वामी दयानन्द अस्पताल	288	353	278	तदेव
कस्तूरबा अस्पताल	769	850	711	तदेव
गिरधारी लाल प्रसूति केन्द्र	12	6	4	तदेव
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान	1907	1768	1233	तदेव

ठाणे स्टेशन पर टिकटों की हेराफेरी

[हिन्दी]

1823. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1990 में बम्बई उप-नगरीय रेलवे में प्रथम श्रेणी की सीजन टिकटों की बिक्री में ठाणे स्टेशन पर बुकिंग कर्मचारियों द्वारा की गई हेराफेरी के मामले की किसी जांच का काम पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त जांच रिपोर्ट सम्भवतः कब तक मिल जाएगी ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) 20-12-1990 को की गई निवारक जांच के दौरान, एक बाहरी व्यक्ति को थाणे बुकिंग कार्यालय के भीतर पकड़ा गया था, जिसके पास 148 जाली तिमाही/मासिक सीजन टिकट थे। उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के लिए उसे थाणे में राजकीय रेलवे पुलिस को सौंप दिया गया था। एक प्रारम्भिक जांच की गई थी और राजकीय रेलवे पुलिस, थाणे द्वारा उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467 तथा 468 के तहत आपराधिक मामला सं० एस०सी०आर०/584/90 दर्ज किया गया था।

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम

[अनुवाद]

1824. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री तारांकित प्रश्न संख्या 560 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मानसिक रूप से अस्वस्थ अनुमानित कितने व्यक्तियों को अस्पतालों में भर्ती करने अथवा संस्थागत परिरोध की आवश्यकता है;

(ख) 1 अप्रैल, 1991 की स्थिति के अनुसार मानसिक अस्पतालों में राज्यवार कुल कितने बिस्तर उपलब्ध हैं अथवा सामान्य अस्पतालों में कोई विशेष वार्ड बनाये गये हैं;

(ग) राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल कितनी अतिरिक्त क्षमता बनायी जाएगी; और

(घ) अतिरिक्त क्षमता के सृजन के लिये केन्द्रीय सरकार और अन्य एजेंसियों द्वारा कितना वित्त पोषण किया जायेगा अथवा राजसहायता दी जायेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी०के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) अनुमान है कि हर समय प्रति हजार जनसंख्या पर लगभग 10 से 20 व्यक्ति विभिन्न मानसिक विकृतियों से ग्रस्त रहते हैं। दाखिल किये जाने वाले रोगियों की संख्या अनेक पहलुओं जैसे रोग का गंभीर होना, परिवार का सहयोग न मिलना, शीघ्र मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या का उपलब्ध होना और नैदानिक तथा चिकित्सीय प्रयोजनों पर निर्भर करती है। ऐसे दाखिलों की संख्या कभी भी स्थिर नहीं होती अपितु वह घटती-बढ़ती रहती है।

(ख) देश में मानसिक/मनश्चिकित्सा अस्पतालों में नामों की सूची 10-1-78 की स्थिति के अनुसार उनकी पलंग संख्या सहित विवरण-I के रूप में संलग्न है।

भारत में मनश्चिकित्सा पर और अध्ययन करने के लिये मानसिक अस्पतालों के नामों की सूची विवरण-2 के रूप में संलग्न है।

भारत में मेडिकल कॉलिजों के मनश्चिकित्सा विभागों की सूची विवरण-3 पर दी गई है। मनश्चिकित्सा यूनिटों की पलंग संख्या 10 से लेकर 30 पलंग तक है। उपर्युक्त आंकड़ों में प्राइवेट और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं के मनश्चिकित्सा पलंग शामिल नहीं हैं।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य बल देश में मौजूदा मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में कार्मिक शक्ति को प्रशिक्षित करने पर दिया जाता है।

विवरण

भारत के मानसिक/मनश्चिकित्सा अस्पतालों की सूची (10-1-1987 के अनुसार)

क्र०सं	अस्पताल का नाम	ग्रामीण शहरी	नियन्त्रण प्राधिकारी	पलगों की संख्या	राज्य में विस्तरों की कुल संख्या	राज्य में अस्पतालों की कुल संख्या
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश						
1.	गवर्नमेंट हॉस्पिटल फान मेंटल केयर, हैदराबा	शहरी	सरकार	600	—	—
2.	गवर्नमेंट हॉस्पीटल फान मेंटल केयर, विशाखापटनम	शहरी	सरकार	300	900	2
असम						
3.	तेजपुर में बल अस्पताल	शहरी	सरकार	1000	1000	2
बिहार						
4.	केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची	शहरी	सरकार	643	—	—
5.	रांची मानसिक आरोग्यशाला, रांची	शहरी	सरकार	1500	—	—
6.	डेविस इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइकेट्री, रांची	शहरी	निजी	300	2483	3

1	2	3	4	5	6	7
गोवा						
7.	इंस्टीट्यूट आफ साइकेट्री एंड ह्यूमन बिहेवियर, पणजी	शहरी	सरकार	272	272	1
गुजरात						
8.	मेंडल अस्पताल, देहली दरवाजा, अहमदाबाद	शहरी	सरकार	317	—	—
9.	मेंटल हास्पिटल जाम नगर	शहरी	सरकार	50	—	—
10.	गवर्नमेंट हास्पिटल, भुज	शहरी	सरकार	16	—	—
11.	डा० आचार्य हास्पिटल मनसा	शहरी	निजि	20	—	—
12.	मेंटल हास्पिटल, बड़ोदरा	शहरी	सरकार	155	—	—
13.	कस्तूरबा सेवाश्रम हास्पीटल, मरोली	ग्रामीण	स्वैच्छिक संगठन	100	658	6
जम्मू और कश्मीर						
14.	साकेट्रिक डिसीजिज हास्पिटल, काठी दरवाजा, श्रीनगर	शहरी	सरकार	100	100	1
(ब)	मेंटल हास्पिटल ईस्ट जम्मू	—	सरकार	—	—	—
कर्नाटक						
15.	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर	शहरी	स्वायत्त	885	—	—
16.	मेंटल हास्पिटल, धारवाड़	शहरी	सरकार	375	1260	—
केरल						
17.	सेट रीठा अस्पताल, बांकी	ग्रामीण	स्वैच्छिक संगठन	50	—	—
18.	नायर्स हास्पीटल, कोचीन	ग्रामीण	निजी	25	=	—

1	2	3	4	5	6	7
19.	सेन्ट्रल हास्पिटल, काडक्तरा	शहरी	निजी	12	—	—
20.	आनन्द नर्सिग होम, पेरंबदूर	शहरी	निजी	20	—	—
21.	लिटल फ्लावर हास्पिटल, कोश्रा कुराविलंगाद	ग्रामीण	निजी	10	—	—
22.	सिटी हास्पिटल, कोट्टायम	शहरी	निजी	16	—	—
23·	विजय हास्पिटल, कालीकट	शहरी	निजी	8	—	—
24.	विवेक हास्पिटल, कालीकट	शहरी	निजी	28	—	—
25.	सुमेना नर्सिग होम, नाइक्कवु	शहरी	निजी	14	—	—
26	अगर्नमेंट मेंटल हास्पिटल कालीकट	शहरी	सरकारी	474	—	—
27.	डा० मी०आर०पर्मेश्वरन मेमोरियल हास्पिटल कानालमोंथा	ग्रामीण	निजी	अनुपलब्ध	—	—
28.	एन०एस०एस० मिशन हास्पिटल, बलियकुलंग्रा	ग्रामीण	स्वैच्छिक संगठन	40	—	—
29.	जय भारतम नर्सिग होम, पुनालुरा	शहरी	निजी	75	—	—
30.	सेंट मेरी हास्पिटल, कोटाप्पूराम	शहरी	निजी	16	—	—
31.	प्रशांसी हास्पिटल, पुनकुन्नम	शहरी	निजी	30	—	—
32.	मारयोमा हास्पिटल आजीकोड	ग्रामीण	स्वैच्छिक	30	—	—
33.	मेंटल हास्पिटल त्रिचूर	शहरी	सरकार	331	—	—

1	2	3	4	5	6	7
34.	सी०पी०गोपाल पानिकर मेमोरियल हास्पिटल मुत्ताडा	ग्रामीण	निजी	10	—	—
35.	पीस माउंट हास्पिटल पारूरकदा	ग्रामीण	निजी	10	—	—
36.	मेंटल हास्पीटल त्रिवेंद्रम	शहरी	सरकार	507	1706	20
मध्य प्रदेश						
37.	मेंटल हास्पीटल, ग्वालियर	शहरी	सरकार	182	—	—
38.	मेंटल हास्पिटल, इंदौर	शहरी	सरकार	125	307	2
महाराष्ट्र						
39.	क्षीरसागर हास्पिटल, अहमदनगर	शहरी	निजी	12	—	—
40.	मेंटल हास्पिटल, नागपुर	शहरी	सरकार	910	—	—
41.	मेंटल हास्पिटल यरवाड़ा, पुणे	शहरी	सरकार	2600	—	—
42.	गवर्नमेंट हास्पिटल, रतनागिरीं	शहरी	सरकार	365	—	—
43.	डा० के० के० घटगे हास्पिटल, मिराज	शहरी	निजी	18	—	—
44.	गवर्नमेंट मेंटल हास्पिटल, थाणे	शहरी	निजी	1850	5755	6
45.	कृपामयी इंस्टीट्यूट आफ मेंटल हैल्थ, मिराज	शहरी	निजी	150	—	—
नागालैंड						
46.	मेंटल हास्पिटल कोहिमा	शहरी	सरकार	25	25	1
उड़ीसा						
47.	मेंटल हैल्थ इन्स्टीट्यूट कटक	शहरी	सरकार	60	60	1
पंजाब						
48.	मेंटल हास्पिटल, अमृतसर	शहरी	सरकार	811	811	1

1	2	3	4	5	6	7
राजस्थान						
49.	साइकेट्रिक हास्पिटल जयपुर	शहरी	सरकार	280		
50.	मेंटल हास्पिटल, जोधपुर	शहरी	सरकार	35	365	2
तमिलनाडु						
51.	इन्स्टीट्यूट आफ मेंटल हैल्थ, किलपाक, मद्रास	शहरी	सरकार	1800	1800	1
उत्तर प्रदेश						
52.	मेंटल हास्पिटल, आगरा	शहरी	सरकार	818	—	—
53.	मेंटल हास्पिटल, बरेली	शहरी	सरकार	401	—	—
54.	मेंटल हास्पिटल, वाराणसी	शहरी	सरकार	331	1557	3
पश्चिमी बंगाल						
55.	लुम्बिनी पार्क हास्पिटल, कलकत्ता	शहरी	सरकार	200	—	—
56.	हास्पिटल फार मेंटल डिसीजिज, 18-ग्रोबा रोड, कलकत्ता	शहरी	सरकार	250	—	—
57.	मेंटल हास्पिटल, ममकुंडु	शहरी	निजी	180	—	—
58.	मेंटल हास्पिटल, बहरामपुर	शहरी	सरकार	350	—	—
59.	[illegible] स्पेशल जेल मेंटल हास्पिटल, मुर्शिदाबाद	शहरी	जेल	300	—	—
60.	सरकारपोल मेंटल हास्पिटल, महेशता	शहरी	निजी	165	—	—
61.	नंगिया उन्माद आश्रम 24-परगना	शहरी	निजी	110	1555	7
दिल्ली						
62.	मानसिक रोग अस्पताल शाहदरा	शहरी	सरकार	578	1	—
	पूरे देश में अस्पतालों की कुल संख्या			=61		
	पूरे देश में बिस्तरों की कुल संख्या			=21189		

स्रोत : डायरेक्टरी आफ हास्पिटल्स इन इंडिया (1988), केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण ब्यूरो, भारत सरकार, नई दिल्ली।

विवरण-2

भारत में मनश्चिकित्सा पर और अध्ययन करने के लिए
मानसिक अस्पतालों के नामों की सूची

मानसिक अस्पताल		शिक्षण-सुविधाएं
असम		
1.	मेंटल हास्पिटल, तेजपुर	(स्नातकपूर्व)
आंध्र प्रदेश		
2.	मेंटल हास्टिल, हैदराबाद	स्नातकपूर्व + स्नातोत्तर
3.	मेंटल हास्पिटल, विशाखापट्टनम, वाल्टेयर	तदैव
बिहार		
4.	सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ साइकेट्री, कांके, रांची	तदैव
5.	रांची मानसिक आरोग्यशाला, रांची	तदैव
गोवा		
6.	इंस्टीट्यूट आफ सारकेट्रिक (अब्बा फारिहा हास्पिटल, पणजी)	स्नातकपूर्व + स्नाकोत्तर
दिल्ली		
7.	मेंटल हास्पिटल, शाहदरा	स्नातकपूर्व
गुजरात		
8.	मेंटल हास्पिटल, अहमदाबाद	स्नातकपूर्व + स्नातकोत्तर
9.	मेंटल हास्पिटल, बड़ौदा	(अनुपलब्ध)
10.	मेंटल हास्पिटल, जामनगर	स्नातकपूर्व
11.	मेंटल हास्पिटल, कुच-भुज	(अनुपलब्ध)
जम्मू और कश्मीर		
12.	मेंटल हास्पिटल, श्रीनगर	स्नातकपूर्व + स्नातकोत्तर
13.	मेंटल हास्पिटल, जम्मू	स्नातकपूर्व
14.	मेंटल हास्पिटल, त्रिवेन्द्रम	स्नातकपूर्व + स्नातकोत्तर
15.	मेंटल हास्पिटल, (कालीकट), कोजिकोड	तदैव
16.	मेंटल हास्पिटल, त्रिचूर	स्नातकपूर्व
मध्य प्रदेश		
17.	मेंटल हास्पिटल, ग्वालियर	स्नातकपूर्व

	1	2
18.	मेंटल हास्पिटल, इन्दौर	स्नातकपूर्व
महाराष्ट्र		
19.	सेंट्रल मेंटल हास्पिटल, पुणे	स्नातकपूर्व + स्नाकोत्तर
20.	मेंटल हास्पिटल, नागपुर	स्नातकपूर्व
21.	मेंटल हास्पिटल, रत्नागिरी	—
22.	एन०एम० मेंटल हास्पिटल, थाणे	—
कर्नाटक		
23.	मेंटल हास्पिटल, धारवाड़	स्नातकपूर्व + स्नातकोत्तर
24.	नेशनल इंस्टीट्यूट आफ मेंटल हैल्थ एण्ड न्यूरो साइंसेज एण्ड मेंटल, हास्पिटल, बेंगलूर	स्नातकोत्तर
पंजाब		
25.	मेंटल हास्पिटल, अमृतसर	स्नातकपूर्व
राजस्थान		
26.	मेंटल हास्पिटल, जयपुर	स्नातकपूर्व + स्नातकोत्तर
27.	मेंटल हास्पिटल, जोधपुर	स्नातकपूर्व
तमिलनाडु		
28.	मेंटल हास्पिटल, मद्रास	स्नातकपूर्व + स्नातकोत्तर
उत्तर प्रदेश		
29.	मेंटल हास्पिटल, आगरा	स्नातकपूर्व + स्नातकोत्तर
30.	मेंटल हास्पिटल, वाराणसी	स्नातकपूर्व
31.	मेंटल हास्पिटल, बरेली	—
पश्चिमी बंगाल		
32.	मेंटल हास्पिटल, आब्जर्वेशन वार्ड, कलकत्ता	स्नातकपूर्व
33.	हास्पिटल फार मेंटल डिसीजिज, गोबरा	स्नातकपूर्व

विवरण-3

भारत में मेडिकल कालेजों की मनश्चिकित्सीय यूनिटों की सूची

साइकेट्रिक यूनिटें		शिक्षण सुविधाएं
1		2
असम		
1.	साइकेट्रिक विभाग, मेडिकल कालेज और अस्पताल, गुवाहटी, असम	स्नातकपूर्व
2.	साइकेट्रिक विभाग, असम मेडिकल कालेज और अस्पताल डिब्रूगढ़, असम	स्नातकपूर्व
3.	साइकेट्रिक यूनिट, मेडिकल कालेज, सिलचर	स्नातकपूर्व
आंध्र प्रदेश		
4.	उस्मानिया मेडिकल कालेज और अस्पताल, हैदराबाद	स्नातकपूर्व + स्नातकोत्तर
5.	साइकेट्रिक यूनिट, आंध्र मेडिकल कालेज, किंग जोर्ज अस्पताल वाल्टेयर	स्नातकपूर्व + स्नातकोत्तर
6.	साइकेट्रिक यूनिट, काकंशिया मेडिकल कालेज और एम० जी० एम० अस्पताल, वारंगल	स्नातकपूर्व
7.	साइकेट्रिक यूनिल, एस० वी० मेडिकल कालेज और अस्पताल, आंध्र प्रदेश	स्नातकपूर्व + स्नातकोत्तर
8.	साइकेट्रिक यूनिट, मेडिकल कालेज और अस्पताल, काकीनाडा, आंध्र प्रदेश	स्नातकपूर्व
9	साइकेट्रिक यूनिट, गुन्टूर मेडिकल कालेज, और गवर्नमेंट जनरल हास्पिटल, गुन्टूर, आंध्र प्रदेश	स्नातकपूर्व
10.	साइकेट्रिक यूनिट, कुरनूल मेडिकल कालेज, और गवर्नमेंट जनरल हास्पिटल, कुरनूल	स्नातकपूर्व + स्नातकोत्तर
बिहार		
11.	साइकेट्रिक यूनिटक, पटना मेडिकल कालेज और अस्पताल पटना	स्नातकपूर्व + स्नातकोत्तर
चंडीगढ़		
12.	साइकेट्री विभाग, स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान और जवाहरलाल नेहरू अस्पताल, चंडीगढ़	स्नानकोत्तर

1	2	3
दिल्ली		
13.	साइकेट्री विभाग, मौलाना आजाद मेडिकल कालेज और जी० बी० पन्त अस्पताल, दिल्ली	स्नातकपूर्व + स्नातकोत्तर
14.	साइकेट्री विभाग, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और सम्बद्ध अस्पताल, नई दिल्ली	स्नातकपूर्व + स्नातकोत्तर
15.	साइकेट्री यूनिट, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल फार वुमन, नई दिल्ली	स्नातकपूर्व + स्नातकोत्तर
16.	साइकेट्री यूनिट, सफदरजंग हास्पिटल, नई दिल्ली	स्नातकपूर्व
17.	साइकेट्री यूनिट, विलिंगडन हास्पिटल, नई दिल्ली	स्नातकपूर्व
गोवा		
18.	साइकेट्री विभाग, गोवा मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल पणजी, गोवा	स्नातकपूर्व + स्नातकोत्तर
गुजरात		
19.	साइकेट्री विभाग, बी० जे० मेडिकल कालेज एण्ड सिविल हास्पिटल्स, अहमदाबाद	स्नातकपूर्व + स्नातकोत्तर
20.	साइकेट्री विभाग, सेठ के० एम० ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिसिन एंड रिसर्च, सेठ वी० एस० जनरल हास्पिटल	स्नातकपूर्व + स्नातकोत्तर
21.	साइकेट्री विभाग, मेडिकल कालेज एण्ड एस० एस० जी० हास्पिटल, बड़ोदा	स्नातकपूर्व + स्नातकोत्तर
22.	इरबिन ग्रुप आफ हास्पिटल्स, जामनगर	स्नातकपूर्व
हरियाणा		
23.	साइकेट्री विभाग, मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल्स रोहतक	स्नातकपूर्व
हिमाचल प्रदेश		
24.	मेडिकल कालेज एण्ड स्नो-डाउन हास्पिटल, शिमला	स्नातकपूर्व
जम्मू और कश्मीर		
25.	साइकेट्री विभाग, गवर्नमेंट मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, श्रीनगर	स्नातकपूर्व
कर्नाटक		
26.	मेडिकल कालेज, बेंगलोर	स्नातकपूर्व

1	2	3
27.	साइकेट्री विभाग, के० आर० हास्पिटल, मैसूर	स्नातकपूर्व
28.	साइकेट्री यूनिट, जे० एन० मेडिकल कालेज, बेलगांव	स्नातकपूर्व
29.	साइकेट्री विभाग, के० मेडिकल कालेज, मनिपाल	स्नातकपूर्व
30.	मेडिकल कालेज, हुबली	स्नातकपूर्व
31.	मेडिकल कालेज, गुलबर्ग, दावणगेर	स्नातकपूर्व
केरल		
32.	साइकेट्री विभाग, मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल त्रिन्वेद्रम	स्नातकपूर्व + स्नातकोत्तर
33.	साइकेट्री विभाग, मेडिकल कालेज एंड हास्पिटल, कालीकट	स्नातकपूर्व
34.	साइकेट्री विभाग, मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, कोट्टायम	स्नातकपूर्व
35.	साइकेट्री यूनिट, जिला अस्पताल, क्विलोन	
36.	जिला अस्पताल, एर्नाकुलम	
37.	मेडिकल कालेज, हास्पिटल, एलेप्पी	स्नातकपूर्व
मध्य प्रदेश		
38.	साइकेट्री यूनिट, गजराज मेडिकल कालेज एण्ड जे० ए० ग्रुप आफ हास्पिटल्स, ग्वालियर	स्नातकपूर्व
39.	साइकेट्री यूनिट, एम० जी० एम० मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, इन्दौर	स्नातकपूर्व
40.	मेडिकल कालेज, भोपाल	स्नातकपूर्व
महाराष्ट्र		
41.	साइकेट्री विभाग, सेठ जी० एस० मेडिकल कालेज एण्ड के० ई० एम० हास्पिटल, परेल, बम्बई	स्नातकपूर्व + स्नातकोत्तर
42.	साइकेट्री विभाग, ग्रांट मेडिकल कालेज एण्ड जे० जे० ग्रुप आफ हास्पिटल्स, बम्बई	स्नातकपूर्व + स्नातकोत्तर
43.	साइकेट्री विभाग, एल० टी० एम० मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, बम्बई	स्नातकपूर्व + स्नातकोत्तर
44.	साइकेट्री विभाग, टी एन मेडिकल कालेज, एंड बी० वाई० एल० नायर हास्पिटल्स, बम्बई	स्नातकपूर्व + स्नातकोत्तर

1	2	3
45.	साइकेट्री यूनिट, गवर्नमेंट जी० टी० हास्पिटल, बम्बई	स्नातकपूर्व + स्नातकोत्तर
46.	साइकेट्री विभाग, बी० जे० मेडिकल कालेज एण्ड सैसून जनरल हास्पिटल्स, पुणे	स्नातकपूर्व + स्नातकोत्तर
47.	साइकेट्रिक विंग, मिलिट्री कमांड, हास्पिटल, पुणे	स्नातकपूर्व + स्नातकोत्तर
48.	मेडिकल कालेज एंड मायो हास्पिटल, नागपुर	स्नातकपूर्व
40	म्युनिसिपल मेडिकल कालेज, नागपुर	स्नातकपूर्व
50.	साइकेट्री यूनिट, मिराज मेडिकल कालेज, मिराज	स्नातकपूर्व
मणिपुर		
51.	साइकेट्रिक यूनिट, जनरल हास्पिटल, इम्फाल, मणिपुर	स्नातकपूर्व
उड़ीसा		
52.	मेंटल हैल्थ इन्स्टीट्यूट, एस० सी० बी० मेडिकल कालेज, हास्पिटल, कटक	स्नातकपूर्व + स्नातकोत्तर
53.	साइकेट्री यूनिट, इस्पात जनरल हास्पिटल, राउरकेला	
54.	मेडिकल कालेज, बर्टमपुर,	स्नातकपूर्व
55.	मेडिकल कालेज, सम्बलपुर	स्नातकपूर्व
पंजाब		
56.	साइकेट्री विभाग, अमृतसर मेडिकल कालेज, वी० जे० हास्पिटल, अमृतसर	स्नातकपूर्व
57.	साइकेट्री विभाग, मेडिकल कालेज राजेन्द्र हास्पिटल, पटियाला	स्नातकपूर्व + स्नातकोत्तर
58.	साइकेट्री यूनिट, क्रिश्चियन मेडिकल, लुधियाना	स्नातकपूर्व
59.	दयानन्द मेडिकल कालेज, लुधियाना	स्नातकपूर्व
राजस्थान		
60.	साइकेट्री विभाग, एस० एस० एम० मेडिकल कालेज एंड हास्पिटल, जयपुर	स्नातकपूर्व + स्नातकोत्तर
61.	साइकेट्री विभाग, एस० एन० मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल जोधपुर	स्नातकपूर्व
62.	साइकेट्री विभाग, एस० पी० मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, बीकानेर	स्नातकपूर्व + स्नातकोत्तर

1	2	3
63.	साइकेट्री विभाग, एस० पी० मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, अजमेर	स्नातकपूर्व
44.	साइकेट्री यूनिट, आर० एन० टी० मेडिकल कालेज एंड हास्पिटल, उदयपुर	स्नातकपूर्व
त्रिपुरा		
65.	साइकेट्री क्लिनिक, जी बी हास्पिटल, अगरतला	
तमिलनाडु		
66.	साइकेट्री विभाग, मद्रास मेडिकल कालेज एंड गवर्नमेंट जनरल हास्पिटल, मद्रास	स्नातकपूर्व + स्नातकोत्तर
67.	साइकेट्री विभाग, स्टेनली मेडिकल कालेज, हास्पिटल्स	स्नातकपूर्व + स्नातकोत्तर
68.	साइकेट्री विभाग, किलपक मेडिकल कालेज एंड हास्पिटल	स्नातकपूर्व + स्नातकोत्तर
69.	साइकेट्री विभाग, मदुरै मेडिकल कालेज एंड रस्किन जनरल हास्पिटल, मदुरै	स्नातकपूर्व + स्नातकोत्तर
70.	साइकेट्रिक यूनिट, तंजावुर मेडिकल कालेज एण्ड आर० एम० हास्पिटल, तंजावुर	स्नातकपूर्व
71.	डिपार्टमेंट आफ साइकेट्री एंड मेंटल हैल्थ सेंटर, क्रिश्चियन मेडिकल कालेज एंड हास्पिटल, वेल्लोर	स्नातकपूर्व + स्नातकोत्तर
72.	तिरुनेलवेल्ली मेडिकल कालेज एंड हास्टिपल्स, तिरुनेलवेल्लि	स्नातकपूर्व
73.	कोयम्बटूर मेडिकल कालेज एण्ड हैडक्वार्टर्स हास्पिटल्स, कोयम्बटूर	स्नातकपूर्व + स्नातकोत्तर
उत्तर प्रदेश		
74.	साइकेट्री विभाग, एस० एन० मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, आगरा	स्नातकपूर्व + स्नातकोत्तर
85.	साइकेट्री विभाग, किंग जोर्ज मेडिकल कालेज हास्पिटल, लखनऊ	स्नातकपूर्व + स्नातकोत्तर
76.	साइकेट्री सेंटर, आर्मी कमांड होस्पिटल, लखनऊ	
77.	साइकेट्री यूनिट कालेज आफ मेडिकल साइन्सिज, एण्ड सर सुन्दर लैंड हास्पिटल्स, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी	स्नातकपूर्व + स्नातकोत्तर

1	2	3
78.	साइकेट्री यूनिट, मेडिकल कालेज इलाहाबाद	स्नातकपूर्व
79.	साइकेट्री यूनिट, जी एस वी एम मेडिकल कालेज, कानपुर	स्नातकपूर्व
80.	साइकेट्री यूनिट, मेडिकल कालेज, गोरखपुर	स्नातकपूर्व
81.	मेडिकल कालेज, मेरठ	स्नातकपूर्व
82.	मेडिकल कालेज, झांसी	स्नातकपूर्व
पश्चिम बंगाल		
83.	साइकेट्री विभाग, आर० जी० कार, मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, कलकत्ता	स्नातकपूर्व + स्तानकोत्तर
84.	डिपार्टमेंट आफ् न्यूरोलाजी, एण्ड साइकेट्री, मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल्स, कलकत्ता	स्नातकपूर्व + स्नातकोत्तर
85.	साइकेट्री यूनिट, नेशनल कालेज एण्ड हास्पिटल	स्नातकपूर्व + स्नातकोत्तर
86.	एन० आर० एस० मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल्स, कलकत्ता	स्नातकपूर्व + स्नातकोत्तर

उपर्युक्त सूची में रक्षा-बलों, रेलवे, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और उनके गृहों के नियन्त्रणाधीन कार्यरत विभिन्न मनश्चिकित्सीय एकक, जो पिछले कुछ वर्षों में खोले गए हैं, शामिल नहीं हैं। ये भी सम्भव है कि उपर्युक्त सूची में कुछ मनश्चिकित्सीय विभाग छूट गये हों जो मुख्य तौर पर सूची को अद्यतन और वास्तविक बनाने के लिए किसी विभाग से ताजा सूचना न मिलने के कारण हुआ।

इंडियन एयरलाइन्स की जेट इंजिन कार्यशाला

[हिन्दी]

1825. श्री संतोष कुमार गंगवार :

श्री सनत कुमार मंडल : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइंस की जेट इंजिन कार्यशाला में किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है और उस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई है;

(ख) क्या कार्यशाला का पूर्ण उपयोग हो रहा है; और

(ग) क्या कार्यशाला भविष्य में भी कार्य करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) इंडियन एयरलाइन्स की जेट इंजिन शॉप इस समय बोइंग-737 विमान में फिट किए गये जेटी 8 डी—17ए इंजिनों का हाट सैक्शन निरीक्षण और सुधार कार्य करती हैं। इस कार्य का विदेशी मुद्रा घाटक 4.5 मिलियन अमेरिकी डालर है।

(ख) यह शाप रख-रखाव और ओवरहाल कार्य चरणों में करेगी और आज तक शाप द्वारा जेटी 8 डी प्रकार के 15 इंजिनों का सुधार किया जा चुका है।

(ग) जी, हां। शाप जेटी 8 डी इंजिनों से सम्बन्धित सभी कार्य क्रमिक रूप से संभाल लेगी और ए-320 विमान में फिट किए वी-2500 इंजिनों के सुधारात्मक कार्य तथा माड्यूल बदलाव कार्य करेगी।

एयर इंडिया के लिए चेयरमैन और प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति

1826. श्री शिवचरण वर्मा : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एयर इंडिया के लिए एक नियमित चेयरमैन और प्रबन्ध निदेशक (एम डी) की नियुक्ति की गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पद को कब तक भरा जायेगा ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) से (ग) श्री वाई० सी देवेश्वर को 13-11-1991 से 9000-250-10000 रुपए के वेतन में पांच वर्ष की अवधि के लिए एयर इंडिया के अध्यक्ष-व-प्रबन्ध निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है।

गुरपा और गझंडी स्टेशनों पर पुल

1827. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रांड कोर्ड रेल लाइन पर स्थित गुरपा और गझंडी स्टेशनों पर रेलगाड़ियों और पैदल यात्रियों का यातायात अवरुद्ध हो जाने के कारण वहां ऊपरि पुल का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस सुविधा के लिए राज्य सरकार ने नियमानुसार लागत वहन करने की विधिवत सहमति देते हुए रेलवे को अभी तक कोई प्रस्ताव प्रायोजित नहीं किया है।

डीजल लोकोमोटिव्स वर्क्स, वाराणसी में कर्मचारियों की पदोन्नति के अवसर

[अनुवाद]

1828. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को डीजल लोकोमोटिव्स वर्क्स वाराणसी के स्टोर विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसर दिए जाने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) पदोन्नति के अवसर के संबंध में कोई विशिष्ट अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है, बहरहाल, सितम्बर, 1991 में डीजल रेल इंजन कारखाने में आयोजित कर्मचारी परिषद की बैठक में 2375-3500 रुपये के वेतनमान में प्रमुख डिपो स्टोर कीपर की नई कोटि के सृजन की मांग उठाई गई थी इस मांग में वार्ड कीपर के 85 प्रतिशत पदों को डिपो स्टोर कीपर ग्रेड-I और II के रूप में पदोन्नति शामिल थी ।

(ग) इस मांग पर विचार किया गया था और इसे स्वीकार करना व्यावहारिक नहीं पाया गया

सोनीपत और पानीपत में शताब्दी एक्सप्रेस का रोकना

[हिन्दी]

1829. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सोनीपत और पानीपत के औद्योगिक महत्व को देखते हुए कालका से नई दिल्ली के बीच चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस को इन दोनों स्टेशनों पर रोकने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उपनगरीय और प्रमुख लाइन सेक्शनों का प्रशासन

[अनुवाद]

1830. **श्री राम नाईक** : क्या रेल मन्त्री मध्य और पश्चिम रेलवे की आय और व्यय के बारे में 20 अगस्त, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3434 के उत्तर के सम्बन्ध में मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपनगरीय और प्रमुख लाइन सेक्शनों पर सामूहिक व्यय और आय को अलग करने हेतु कार्य निष्पादन मानदण्डों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : उपनगरीय और मुख्य लाइन के खण्डों के बीच सम्मिलित राजस्व संचालन व्यय को सकल टन किलोमीटर, गाड़ी किलोमीटर के हिसाब से आकलित यातायात यूनिट और इस संदर्भ में इस्तेमाल होने वाली जन-शक्ति तथा टर्मिनल, रेलपथ, सिगनल और दूर-संचार और ऊपरी उपस्कर आदि परिसम्पत्तियों के मूल्यह्रास और ब्याज के आधार पर अलग-अलग किया जाता है । उपनगरीय सेवाओं से होने वाली आमदनी के आंकड़े अलग से रखे जाते हैं ।

भारत और अमेरिका के बीच हवाई उड़ानें

1831. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका डेल्टा एयरलाइन्स को भारत से अपनी उड़ानें भरने की अनुमति दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी उड़ानों की अनुमति दी गई है, उनकी बारम्बारता कितनी है और उसकी शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या ये सभी उड़ानें मुम्बई से अमेरिका अथवा यूरोप के लिए शुरू की जायेगी;

(घ) क्या उड़ानों की अनुमनि देने से पहले एयर इंडिया के अन्तर्राष्ट्रीय/यातायात/भाड़े पर पड़ने वाले इसके प्रभाव का कोई मूल्यांकन किया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ङ) संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार ने पैनएम के स्थान पर डेल्टा एयरलाइन्स को अपनी वाहक कम्पनी नामित किया है। उसने प्रति सप्ताह न्यूयार्क-फ्रैंकफर्ट-बम्बई मार्ग तथा वापसी मार्ग पर तीन उड़ानें और न्यूयार्क-फ्रैंकफर्ट-दिल्ली तथा वापसी मार्ग पर तीन उड़ाने परिचालित करना प्रारम्भ कर दिया है।

दिल्ली में मलेरिया तथा डेंगू ज्वर के रोगी

1832. **श्री विजय नवल पाटील** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में गत तीन वर्षों के दौरान मलेरिया और डेंगू के कितने मामले दर्ज किए गए और इसके क्या कारण हैं; और

(ख) इन रोगों का उन्मूलन करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र द्वारा सूचित किए गए मलेरिया और डेंगू ज्वर के रोगियों की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	मलेरिया के रोगियों की संख्या	डेंगू ज्वर के रोगियों की संख्या
1988	14,423	22,697
1989	10,761	7,202
1990	12,044	702
1991 (अक्तूबर, तक)	10,240	406

मलेरिया और डेंगू ज्वर के फैलने का कारण निर्माण स्थलों पर पानी का इकट्ठा होना, निकास का सन्तोषजनक न होना, तथा नालियों का सही ढंग से रख-रखाव न किया जाना आदि हो सकता है।

(ख) इन बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए निम्नलिखित विशिष्ट कदम उठाए जा रहे हैं :—

—पर्यावरणिक ताल-मेल के जरिए मच्छरों की उत्पत्ति पर नियंत्रण करना।

—स्रोतों में कमी करना, सफाई, जल का निकास तथा लार्वा-भक्षी मच्छलियों का प्रयोग करना।

—मच्छरों के उत्पन्न होने वाले सभी स्थानों पर साप्ताहिक अन्तरालों में रासायनिक उपचार।

—उन क्षेत्रों में तथा उन क्षेत्रों के आसपास जहां रोगियों का पता लगाया गया है, रासायनों का चुनिंदा जगहों पर छिड़काव।

आंध्र प्रदेश में ताड़ के वृक्षों को क्षति

1933. **श्री धर्मभिक्षम :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से ताड़ के वृक्षों को क्षति पहुंचाने वाली नई बीमारियों की रोकथाम करने हेतु सहायता देने का अनुरोध किया है; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अनुरोध पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जी नहीं। केन्द्र सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

रोगियों को प्राइवेट नर्सिंग होम भेजना

1834. **श्री गुरुदास कामत :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आधुनिकतम प्रणाली की जांच के लिए प्रतीक्षा-सूची में शामिल रोगियों को प्राइवेट नर्सिंग होम भेजने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मेडिकल कालेज में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण

1835. **श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेडिकल कालेजों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए कितने प्रतिशत कोटा आरक्षित है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान मेडिकल कालेजवार इस कोटा के अन्तर्गत प्रवेश किए गए उम्मीदवारों का ब्यौरा क्या है;

(ग) मेडिकल कालेजों में प्रवेश हेतु अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए कोचिंग की व्यवस्था करने हेतु की गई/की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों में इस पर खर्च की गई राशि का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी०के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ख) केन्द्रीय सरकार ने अपने नियंत्रणाधीन विभिन्न चिकित्सा कालेजों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की क्रमशः 15 और 7.5 प्रतिशत (कुल 22.5 प्रतिशत) की आरक्षण प्रतिशतता निर्धारित की है जहां तक राज्य सरकारों का सम्बन्ध है, आरक्षण की प्रतिशतताओं में अन्तर है जो उनकी कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अनुपात पर निर्भर है। जहां तक केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन संस्थाओं का सम्बन्ध है, पिछले तीन वर्षों के दौरान सीटों की कुल संख्या और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित उम्मीदवारों से भरी गई सीटों की वास्तविक संख्या के बारे में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। कल्याण मंत्रालय अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में भारत सरकार का नोडल मंत्रालय है। इस मंत्रालय ने चिकित्सा और अभियांत्रिकी पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए निम्न आय वाले परिवारों से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को तैयार करने के लिए विशेष कोचिंग सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/विश्वविद्यालयों को 1989 में एक केन्द्रीय प्रायोजित "कोचिंग एण्ड एलाइड स्कीम" परिचालित की है। इस मंत्रालय ने इस योजना के अन्तर्गत 1989-90 के दौरान 2.78 लाख रुपये और 1990-91 के दौरान 3.46 लाख रुपये का व्यय किया है।

विवरण

केन्द्र सरकार के नियंत्रणाधीन चिकित्सा कालेजों में एम०बी०बी०एस० में पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति द्वारा भरी गई सीटों की संख्या

क्र० सं०	मेडिकल कालेज का नाम	वर्ष	कुल सीटें	अनु० जाति एवं जनजाति के उम्मीदवारों से भरी गई सीटों की वास्तविक संख्या	प्रतिशतता
1.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान	1989	50	11	22
	संस्थान, नई दिल्ली	1990	50	11	22
2.	मौलाना आजाद मेडिकल	1991	50	11	22
	कालेज, दिल्ली	1989	180	40	22.2
		1990	175	39	22.3
		1991	180	41	22.8

1	2	3	4	5	6
	3. यूनिवर्सिटी कालेज आफ	1989	100	22	22
	मेडिकल साईंसिज, दिल्ली	1990	100	16	16
		1991	100	22	22
	4. लेडी हार्डिग मेडिकल कालेज,	1989	130	29	22.3
	नई दिल्ली	1990	106	22	20.7
		1991	106	22	20.7
	5. जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा	1989	65	15	23
	शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान	1990	65	15	23
	पांडिचेरी	1991	65	15	23

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बकाया रिक्त पद

1836. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों का चालू वर्ष के शुरू में पिछला बकाया कितना था;

(ख) इन आरक्षित पदों को भरने हेतु गत तीन माह में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) शेष आरक्षित पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) अनुसूचित जाति—1 तथा अनुसूचित जनजाति—8

(ख) अनुसूचित जनजाति का एक पद अप्रैल, 1991 में भरा गया है।

(ग) रिक्तियों की सूचना कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को भेज दी गई है जोकि सेवाओं का नियंत्रण करता है ताकि वे उपयुक्त उम्मीदवार नामांकित कर सकें।

केरल में कामकाजी महिला होस्टल

1837. **श्री टी० जे० अंजलोज :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टलों के निर्माण हेतु सरकार ने कितनी धनराशि स्वीकृत की है; और

(ख) केरल में 1991-92 के दौरान बनाए जाने वाले कामकाजी महिला होस्टलों की संख्या क्या है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेलकूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) कामकाजी महिलाओं के लिए बाल

दिवस देखभाल केन्द्र सहित होस्टल भवन के निर्माण हेतु सहायता योजना के 1972-73 में प्रारम्भ होने से अब तक केरल में 8725 कामकाजी महिलाओं को आवास प्रदान करने के लिए 102 होस्टल भवनों के निर्माणार्थ विभिन्न स्वयंसेवी और अन्य पात्र संगठनों को 10.93 करोड़ रुपये की राशि संस्वीकृत की गई है। इन होस्टलों में से 54 होस्टलों में 1535 बच्चों के लिए दिवस देखभाल केन्द्र सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं का राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशवार आबंटन नहीं किया जाता। सम्बन्धित राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन के माध्यम से प्राप्त स्वयसेवी संगठनों के पूर्ण आवेदन-पत्रों के आधार पर परियोजनाएं संस्वीकृत की जाती हैं।

देश में नेत्रहीन बच्चों की संख्या

1838. **श्री के० प्रधानी :**

श्री परसराम भारद्वाज : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 5 वर्ष से कम उम्र के अन्धे बच्चों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में चिकित्सा विशेषज्ञों की राय भी ली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और तत्सम्बन्धी सिफारिशें/सुझाव क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० ताराबेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए देश के 7 विभिन्न क्षेत्रों के 7 विभिन्न केन्द्रों में 1971-74 में दृष्टिहीनता पर एक सहयोजी अध्ययन आयोजित किया था। उनके निष्कर्ष इस प्रकार हैं :—

शामिल किए गए व्यक्ति		81,100
दृष्टिहीन व्यक्ति		61
प्रति हजार जनसंख्या	:	
पर व्याप्तता दर	:	0.75

(ग) और (घ) विशेषज्ञ सलाह के अनुसार चूंकि विटामिन "ए" की अत्यधिक कमी छोटे बच्चों में दृष्टिहीनता का एक महत्वपूर्ण कारण है, इसलिए बच्चों में होने वाली दृष्टिहीनता से बचाव का एक कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक 1 से 5 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को छह महीने के अन्तराल पर विटामिन "ए" की तेज खुराकें (2 लाख अन्तर्राष्ट्रीय यूनिटें) दी जाती हैं। तथापि, विशेषज्ञ सलाह के अनुसार इस समय-सारणी में संशोधन करके इसे 9 महीने की आयु पर विटामिन "ए" की एक खुराक (1 लाख अन्तर्राष्ट्रीय यूनिटें) और उसके बाद 3 वर्ष की आयु तक हर छह महीने में 2 लाख अन्तर्राष्ट्रीय यूनिटें किया जा रहा है।

कुष्ठ रोगियों का पुनर्वास

1839. श्री वी० वेंकराजन :

श्री के० प्रधानी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में कुष्ठ पुनर्वास और उन्नयन एककों की कुल संख्या कितनी- कितनी है;

(ख) क्या कुछ स्वैच्छिक संगठन भी कुष्ठ रोगियों के चिकित्सीय-सामाजिक और व्यावसायिक पुनर्वास में कार्यरत हैं; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे संगठनों की राज्यवार संख्या कितनी-कितनी है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० ताराहेवी सिद्धार्थ) : (क) 25 कुष्ठ पुनर्वास और उन्नयन एकक हैं । राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वैच्छिक संगठन सेक्टर में 16 कुष्ठ पुनर्वास उन्नयन एकक हैं जो कुष्ठ से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास कार्य में लगे हुए हैं । राज्यवार विवरण संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम

कुष्ठ पुनर्वास उन्नयन एकको की संख्या

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुष्ठ पुनर्वास उन्नयन एककों की कुल संख्या	स्वैच्छिक संगठन सेक्टर के कुष्ठ पुनर्वास उन्नयन एकक
1.	आंध्र प्रदेश	1	1
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0
3.	असम	(:	0
4.	बिहार	2	2
5.	गोवा	0	0
6.	गुजरात	0	0
7.	हरियाणा	2	2
8.	हिमाचल प्रदेश	1	0

1	2	3	4
9.	जम्मू और कश्मीर	0	0
10.	कर्नाटक	6	3
11.	केरल	1	0
12.	मध्य प्रदेश	1	0
13.	महाराष्ट्र	2	2
14.	मणिपुर	1	1
15.	मेघालय	0	0
16.	मिजोरम	1	1
17.	नागालैंड	0	0
18.	उड़ीसा	2	1
19.	पंजाब	0	0
20.	राजस्थान	0	0
21.	सिक्किम	0	0
22.	तमिलनाडु	1	0
23.	त्रिपुरा	0	0
24.	उत्तर प्रदेश	1	1
25.	पश्चिम बंगाल	1	1
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0
27.	चण्डीगढ़	0	0
28.	दादरा और नागर हवेली	0	0
29.	दमण और दीव	0	0
30.	दिल्ली	0	0
31.	लक्षद्वीप	0	0
32.	पांडिचेरी	2	1
	योग	25	16

जलाने की लकड़ी का उत्पादन

1840. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जलाने की लकड़ी की कमी होने के कारण 2000 ई० तक जलाने की लकड़ी का संकट उत्पन्न होने की सम्भावना है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) जनसंख्या वृद्धि की वर्तमान दर पर 2000 ई० तक जलावन की लकड़ी के उत्पादन एवं मांग के बीच एक भारी अन्तर होने की सम्भावना है।

(ख) भारत सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं—

(1) 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यापक वनरोपण कार्यक्रम चलाया जा रहा है और केवल सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में 8.0 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में वनरोपण किया गया है।

(2) ईंधन सक्षम चूल्हें, वनज्योति और सुधरे शवदाह-गृह जैसे जलाने की लकड़ी की बचत करने वाले उपकरणों को आर्थिक सहायता/लाभ देकर प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(3) बायो-गैस, सौर कुकर, विद्युत शवदाह-गृह और अन्यों के उपयोग को बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहनों/आर्थिक सहायता भी दी जा रही है।

राज्य बिजली बोर्डों से रेल विभाग की बकाया राशि की वसूली

1841. डा० वसन्त निवरटी पवार : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ताप बिजली घरों और राज्य बिजली बोर्डों से प्रतिवर्ष भाड़ा वसूली का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन एककों से अभी कितनी बकाया राशि वसूल की जानी है तथा इस बकाया राशि की शीघ्र वसूली के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा की लम्बित विद्युत परियोजनाएं

1842. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए उड़ीसा की कितनी विद्युत परियोजनाएं लम्बित पड़ी हैं;

(ख) क्या उक्त प्रस्तावों को स्वीकृति दिए जाने में असाधारण विलम्ब हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इन परियोजनाओं को स्वीकृति दिए जाने में बिलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और बन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) राष्ट्रीय एल्यूमीनियम कम्पनी के कैप्टिव बिजली संयंत्र से सम्बन्धित एक परियोजना पर्यावरणीय मंजूरी के लिए लम्बित है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

माईलम में पुलों का पुर्ननिर्माण

1843. **श्री कोडीकुन्नील सुरेश** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार क्विलोन मद्रास मीटर लाइन पर माईलम और नेडुमपाईकुलम में पुराने ऊपरि पुलों का पुर्ननिर्माण कराने का है;

(ख) यदि हां, तो यह निर्माण कार्य कब तक शुरू किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) राज्य सरकार ने पहुंच मार्गों के संरेखण में सुधार लाने के उद्देश्य से ऊपरी पुल के पुर्ननिर्माण की इच्छा व्यक्त की है। बहरहाल राज्य सरकार द्वारा आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर दिए जाने तथा कार्य की अनुमानित लागत जमा करा दिए जाने के बाद, रेलवे द्वारा निक्षेप शर्तों के आधार पर कार्य शुरू किया जा सकता है।

केरल में कोट्टायम स्टेशन का विकास

1844. **श्री पाला के० एम० मैथ्यू** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कोट्टायम स्टेशन पर शेडयुक्त प्लेटफार्मों के साथ-साथ आवश्यक यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन सुविधाओं का निर्माण कार्य कब पूरा हो जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं की व्यवस्था संभाले जा रहे यातायात की मात्रा के आधार पर निर्धारित मानदंडों के अनुसार की जाती है जो धन की उपलब्धता और विभिन्न स्टेशनों की सापेक्ष आवश्यकतायों पर निर्भर करता है। प्लेटफार्मों को ऊंचा करने तथा प्लेटफार्म संख्या 2 और 3 पर प्लेटफार्म सायबान के विस्तार से सम्बन्धित निर्माण कार्य पहले ही शुरू कर दिया गया है और इस 1992-93 के दौरान पूरा होने की सम्भावना है।

यमुना की सफाई

1845. **कुमारी दीपिका चिखलिया** : क्या पर्यावरण और बन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यमुना की सफाई के विशेष सन्दर्भ में केन्द्रीय सरकार द्वारा अब तक स्वीकृत प्रदूषण नियन्त्रण की विभिन्न योजनाओं के प्रारम्भिक परियोजना सम्बन्धी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सफाई का कार्य शुरू कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी लागत आएगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (घ) यमुना नदी के प्रदूषण दूर करने की योजना का प्रतिपादन किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में विस्तृत ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

नकली और घटिया औषधियों को जब्त किया जाना

[हिन्दी]

1846. **श्री दाऊ दयाल जोशी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1989 से अक्तूबर, 1989 तक प्रत्येक राज्य में जब्त की गई नकली और घटिया औषधियों का ब्यौरा क्या है तथा काली सूची में दर्ज कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या उक्त नकली और घटिया औषधियों के कारण मृत्यु होने की शिकायत प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को इसके सम्बन्ध में कोई कानून बनाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 1988-89 तथा 1989-90 के दौरान सूचित की गई नकली तथा घटिया औषधों के ब्यौरे को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। राज्य नकली घटिया औषधों का विनिर्माण करने वाली कम्पनियों के विरुद्ध कार्रवाई राज्य सरकारों द्वारा औषध प्रसाधन सामग्री अधिनियम के उपबन्धों तथा उनके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार की जाती है।

(ख) वर्ष 1989 के दौरान नकली अथवा घटिया औषधों के कारण हुई मौतों के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है।

(ग) और (घ) दांडिक उपायों को सुदृढ़ करने के लिए औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम में वर्ष 1982 में संशोधन किया गया था जिसमें ऐसी औषध का विनिर्माण, बिक्री अथवा वितरण करने हेतु, जिससे मौत अथवा गम्भीर हानि हो सकती है, कम से कम 5 वर्ष का कारावास शामिल है जिसे बढ़ाकर आजीवन कारावास और कम से कम 10,000 रु० का जुर्माना किया जा सकता है।

विवरण

वर्ष 1988-89 तथा 1989-90 के दौरान जांचे गए कानूनों, घटिया पाए गए कानूनों तथा नकली पाए गए कानूनों की संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जांचे गए नमूनों की संख्या	घटिया पाए गए नमूनों की संख्या	नकली पाए गए नमूनों की संख्या	घटिया पाए गए नमूनों की संख्या	घटिया पाए गए नमूनों की संख्या	नकली पाए गए नमूनों की संख्या
			1988-89		1989-90	
1	2	3	4	5	6	7
1. आन्ध्र प्रदेश	1557	302	शून्य	अनुपलब्ध	58	अनुपलब्ध
2. असम	169	52	5	209	58	शून्य
3. अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4. बिहार	225	25	2	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
5. गोवा	200	34	शून्य	296	34	शून्य
6. गुजरात	4878	702	2	5241	504	शून्य
7. हरियाणा	1506	457	13	2076	530	शून्य
8. हिमाचल प्रदेश	357	114	शून्य	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
9. जम्मू और कश्मीर	349	93	शून्य	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
10. कर्नाटक	3263	331	2	2255	182	शून्य
11. केरल	672	34	शून्य	494	28	11
12. मध्य प्रदेश	1533	195	शून्य	1747	232	3

1	2	2	4	5	6	7
13. महाराष्ट्र	3763	460	13	3914	446	7
14. मणि र	14	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
15. मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
16. मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
17. नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
18. उडीसा	918	52	2	1100	121	1
19. पंजाब	1866	627	5	2152	706	4
20. राजस्थान	743	123	1	683	119	शून्य
21. सिक्किम	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
22 तमिलनाडु	3980	98	5	3641	128	3
23. त्रिपुरा	84	23	शून्य	178	62	शून्य
24. उत्तर-प्रदेश	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
25. पश्चिमी बंगाल	567	145	2	1533	347	4
26. पांडिचेरी	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	172	शून्य	शून्य
27. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	शून्य	शून्य	शून्य	2	शून्य	शून्य
28. चडीगढ़	51	31	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
29. दादरा और नगर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य	33	3	शून्य
30. दिल्ली	701	88	4	75[illegible]	39	2
31. लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	27396	3987	[illegible]6	26[illegible]87	3539	35

आंध्र प्रदेश में वन क्षेत्र

[अनुवाद]

1847. श्री गंगाधरा सानीपल्ली : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामान्य रूप से आन्ध्र प्रदेश में तथा विशेषकर चित्तूर और अनन्तपुर जिलों में वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है;

(ख) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान राज्य में वन क्षेत्र में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) स्टेट आफ फारेस्ट रिपोर्ट, 1989 के अनुसार आंध्र प्रदेश में वन क्षेत्र राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 23.0 प्रतिशत है।

चित्तूर और अनन्तपुर जिलों में वन क्षेत्र का प्रतिशत इन जिलों के भौगोलिक क्षेत्रों का क्रमशः 29.85 और 10.26 है।

(ख) 1987 और 1989 की स्टेट आफ फारेस्ट रिपोर्ट में उपलब्ध सूचना के अनुसार राज्य के वन क्षेत्र (अर्थात 63771 वर्ग कि०मी०) में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश में द्रविड़ विश्वविद्यालय

1848. श्री एम०जी० रेड्डी : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चित्तूर जिले में द्रविड़ विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश में द्रविड़ अध्ययन के लिए एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए अप्रैल, 1990 में आंध्र प्रदेश सरकार ने एक प्रस्ताव रखा था। आंध्र प्रदेश सरकार को सूचित किया गया था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सामान्यतः केवल भाषा के आधार पर अलग-अलग विश्वविद्यालय स्थापित करने के पक्ष में नहीं है। आयोग का मत यह है कि विश्वविद्यालय विभिन्न विषयों में उच्च अध्ययन तथा अनुसंधान उपलब्ध कराए बजाए इसके कि उन विषयों में जो अस्थायी आधार की सीमा में प्रदान किए जा रहे हैं। यह अधिक उचित होगा कि मौजूदा विश्वविद्यालयों में द्रविड़ भाषाओं के विभाग स्थापित करके द्रविड़ अध्ययन को सुदृढ़ बनाया जाए।

एयर इण्डिया में ठेका आधार पर कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को समयोपरि भत्ते का भुगतान

1849. श्रीमती सुशीला गोपालन : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इण्डिया में ठेके के आधार पर कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को दी जाने वाली परि-लब्धियों की कुल राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) परिलब्धियों में अन्तिम बार संशोधन कब किया गया था;

(ग) क्या इन ठेके के सुरक्षा कर्मियों को एयर इण्डिया समयोपरि भत्त का भुगतान करता है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) 167 कार्मिकों की सेवाओं की व्यवस्था के लिए एयर इण्डिया ने सुरक्षा गार्ड बोर्ड, ग्रेटर बम्बई को माह अक्तूबर, 1991 में 1,97,392 रुपये की राशि का भुगतान किया था।

(ख) परिलब्धियां पिछले 1 अगस्त, 1990 से संशोधित की गई थी।

(ग) अक्तूबर के महीने में, एअर इण्डिया ने सुरक्षा कार्मिकों को समयोपरि भत्ते के रूप में 17,768 रुपये की राशि का भुगतान किया था।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सुरा की बिक्री

1850. श्री नवल किशोर राय :

श्री गोपी नाथ गजपति : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुर्वेदिक दवा "सुरा" व्हिस्की से दुगुनी प्रभावकारी है और कीमत में इसकी आधी है;

(ख) यदि हां, तो क्या पूरी दिल्ली में इसकी बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है;

(ग) बिना किसी प्रतिबन्ध के सुरा बेचने वाले लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है; और

(घ) हाल ही में दिल्ली में नकली "सुरा" के शिकार लोगों को क्या राहत-पुनर्वास और उपचार उपलब्ध कराया गया ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) कुछेक आयुर्वेदिक औषधों में स्वतः उत्पन्न होने वाला एल्कोहल होता है। तथापि, व्हिस्की की तुलना में उनकी कीमतों का अध्ययन नहीं किया गया है।

(ख) आयुर्वेदिक औषध के लेबल के अन्तर्गत नकली लिकर बेची गई थी।

(ग) दिल्ली पुलिस द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 284/304 के अन्तर्गत आयुर्वेदिक औषध के नाम से नकली लिकर के विनिर्माताओं एवं विक्रेताओं के विरुद्ध एक मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली में मारे गए व्यापक छापों में 93 व्यक्ति हिरासत में लिए गए हैं। 337 आपराधिक मामले भी दर्ज किए गए हैं।

(घ) दिल्ली प्रशासन द्वारा इस जाली लिकर के उपयोग से मरने वाले प्रत्येक मृतक के रिश्तेदार को 10,000 रुपये तथा इससे अन्धे हुए प्रत्येक व्यक्ति को 5,000 रुपये की अनुग्रह सहायता मंजूर की गई है।

दिल्ली और कानपुर के बीच वायुदूत सेवा

[हिन्दी]

1851. श्री केशरी लाल : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और कानपुर के बीच वायुदूत सेवायें स्थगित कर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) कानपुर से दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास और देश के अन्य महत्वपूर्ण शहरों के लिए वायुदूत सेवाएं प्रारम्भ करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) विमान क्षमता की कमी के कारण दिल्ली और कानपुर के बीच वायुदूत की सेवाओं को रोक दिया गया है।

(ग) क्षमता की तंगी के कारण, इस समय कानपुर से वायुदूत सेवाओं को पुनः बहाल कराने की कोई संभावना नहीं है। कानपुर पहले ही इण्डियन एयरलाइन्स की उड़ानों से जुड़ा हुआ है।

बंगलौर-मैसूर मार्ग पर रेलगाड़ियां रद्द होना

[अनुवाद]

1852. श्रीमती चन्द्रप्रभा अर्स : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में बंगलौर और मैसूर के बीच कुछ रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इन गाड़ियों के नाम क्या हैं तथा इन्हें रद्द करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) आमान परिवर्तन से सम्बन्धित निर्माण कार्य के कारण 6205 टीपू एक्सप्रेस और 6212 नन्दी एक्सप्रेस को पूर्णतया रद्द कर दिया गया है और 231/232, 229/234 और 233/230 पैसेंजर गाड़ियों का चालन कम कर दिया गया है।

आंध्र प्रदेश में समन्वित बाल विकास सेवा परियोजना में कार्यरत आंगनवाड़ी कर्मचारी

1853. श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में समन्वित बाल विकास सेवा कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य कर रहे कुल "आंगनवाड़ी" कर्मचारियों की संख्या क्या है;

(ख) उनकी सेवा शर्तों तथा उन्हें दिए जा रहे वेतन एवं अन्य सुविधाओं का ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या उक्त राज्य में आंगनबाड़ी सेवा का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेलकूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) आंध्र प्रदेश में समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम के अन्तर्गत संस्वीकृत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की कुल संख्या 21879 हैं। इसके अलावा सहायिकाओं की स्वीकृत संख्या भी 21879 है। इनमें से 850 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और इतनी ही संख्या में सहायिकाएं राज्य क्षेत्र की समेकित बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत आती हैं तथा शेष केन्द्रीय क्षेत्र की समेकित बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत आती है।

(ख) आंगनबाड़ी कार्यकर्ता स्वयंसेवी अंशकालिक कार्यकर्ता होती हैं जिन्हें उनके अनुभव और शैक्षणिक स्तर के आधार पर 225 रुपये से 325 रुपये तक का मासिक मानदेय दिया जाता है। सहायिकाएं भी अवैतनिक कार्यकर्ता होती हैं और उन्हें 110 रु० प्रति माह का मानदेय दिया जाता है।

इस आशय के अनुदेश भी जारी किए गए हैं कि राज्य सरकार ऐसे उपयुक्त भर्ती नियमों पर विचार करे जिनके अन्तर्गत अर्हता प्राप्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सुपरवाइजर के पद पर नियुक्त किए जाने पर विचार किया जा सके।

अवकाश : आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाएं 20 दिन का वार्षिक अवकाश ले सकती हैं। जिसमें से वह अपने निजी कार्य के लिए और बीमारी के दौरान एक साथ 10 दिन का अवकाश ले सकती हैं। इसके अलावा एक वर्ष की सेवावधि पूरी कर लेने के बाद प्रसव अथवा गर्भपात/गर्भस्राव होने की दशा में उन्हें वेतन सहित अवकाश अनुमेय है।

यात्रा भत्ता : मासिक बैठकों अथवा अल्पकालीन-रिओरियेन्टेशन/प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को निर्धारित मानदण्डों के अनुसार समेकित बाल विकास सेवा योजना के बजट से यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता दिया जा सकता है।

(ग) आंध्र प्रदेश में, विश्व बैंक से सहायता प्राप्त आई० सी० डी० एस० कार्यक्रम कार्यान्वयनाधीन है जिसके अन्तर्गत 110 ब्लॉक कवर किए जाने हैं। इनमें से 87 ब्लॉक पहले ही संस्वीकृत किए जा चुके हैं। इस कार्यक्रम में किशोर लड़कियों के लिए योजना, महिला समेकित जीवन शिक्षा (डब्ल्यू०आई० एल०एल०) महिलाओं के लिए जन चेतना और आयोत्पादक कार्यक्रम, पोषाहार पुनर्वास केन्द्र और बेहतर संचार जैसे अतिरिक्त घटक शामिल हैं।

इण्डियन एयरलाइन्स की प्रतीक्षा सूची वाली टिकटों की स्थिति में सुधार

1854. **श्री सोमजी भाई डामोर** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक ही क्षेत्र में एक ही टिकट पर अनेक उड़ानों के लिए बुक की गई टिकटों के सम्बन्ध में इंडियन एयरलाइन्स की प्रतीक्षा सूची वाली टिकटों को उस स्थिति में स्वतः प्राथमिकता मिल जाती है जब किसी यात्री ने किसी पहली उड़ान का लाभ उठा लिया हो;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विशेषकर कलकत्ता हवाई अड्डे पर प्रतीक्षा-सूची में दर्ज टिकटों की स्थिति से निपटने की प्रक्रिया में सुधार करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार का प्रतीक्षा सूची में दर्ज यात्रियों को हवाई अड्डे पर प्रस्थान समय से आधा घंटा पहले तक सम्पूर्ण बुकिंग स्थिति/जांच हेतु प्रतीक्षा कराने, जिससे विलम्ब तथा अन्य अनावश्यक समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, की तुलना में प्रतीक्षा सूची में दर्ज टिकट धारकों को टिकट की स्वतः पुष्टि किए जाने पर विचार करने का प्रस्ताव है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) यदि किसी यात्री ने उसी सैक्टर पर अनेक उड़ानों के लिए प्रतीक्षा सूची टिकट ले रखी है और उसी टिकट पर उड़ानों में से एक पर वह पुष्टिकृत टिकट प्राप्त कर लेता है और व उसी विशेष उड़ान पर यात्रा के लिए अपनी टिकट, पृष्ठांकन/पुष्टिकरण के लिए प्रस्तुत करता है तो यात्री के उसी सैक्टर पर अन्य उड़ानों के लिए प्रतीक्षा सूची का अनुरोध रद्द किया जा सकता है।

(ग) कलकत्ता में प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों को स्वीकार करने की प्रणाली वही है जो कम्प्यूटरीकृत चैक-इन सुविधा वाले अन्य हवाई अड्डों पर उपलब्ध है। जहां तक सम्भव हो सके, सुधार और संशोधन किए जाने को ध्यान में रखते हुए सभी प्रणालियों और पद्धतियों की लगातार निगरानी और संवीक्षा की जाती है।

(घ) चूंकि पुष्टिकृत आरक्षण वाले यात्रियों को उड़ान के प्रस्थान से आधा घण्टे पूर्व तक चैक-इन की अनुमति दी जाती है, अतः उड़ान के प्रस्थान से केवल आधा घंटा पूर्व ही प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों को स्थान उपलब्ध कराने के लिए सीटों की वास्तविक संख्या का पता चलता है, अतः प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों को उस समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है जब तक कि उन्हें स्वीकार किया जाए। तथापि, ऐसे यात्रियों को, उस समय स्थल पर उपलब्ध इंडियन एयरलाइन्स के पदाधिकारियों के विवेक पर समय से पहले भी विमान में लिया जा सकता है, यदि रद्द किए जाने के कारण उड़ान में सीट क्षमता उपलब्ध हो।

भागलपुर में सामाजिक संगठन

[हिन्दी]

1855. **श्री साईमन मराण्डी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भागलपुर में सरस्वती पुस्तकालय की दयनीय स्थिति, भागलपुर कोतवाली के तहखाने में लहरी टोला में राधाकृष्ण मन्दिर की मूर्ति का पड़ा होना और कई अन्य संगठनों की दयनीय स्थिति तथा कुप्रबन्ध के बारे में 16 सितम्बर, 1991 के "जनसत्ता" समाचार पत्र में "सामाजिक संस्थाओं पर काबिज लोग" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का इनकी स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) सरस्वती पुस्तकालय, भागलपुर और राधाकृष्ण मन्दिर, लहरी टोला तथा भागलपुर कोतवाली न तो केन्द्रीय सरकार के प्रबन्ध और नियंत्रण

में हैं और न ही ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय से कोई अनुदान प्राप्त कर रहे हैं। जहां तक अन्य संगठनों के कुप्रबन्ध का सम्बन्ध है, कोई विशिष्ट ब्यौरे नहीं दिए गए हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

आगरा में सेन्ट्रल गुड्स शेड

[अनुवाद]

1856. श्री भगवान शंकर रावत : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगरा में विभिन्न गुड्स शेडों के स्थान पर एक सेंट्रल गुड्स शेड स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) आगरा क्षेत्र में माल यातायात को संभालने के लिए बेलनगंज, ईदगाह और यमुना ब्रिज माल गोदामों की मौजूदा सुविधाएं पर्याप्त समझी जाती हैं।

राजस्थान परमाणु विद्युत केन्द्र का स्वास्थ्य पर प्रभाव

1857. श्री मदन लाल खुराना : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 अक्तूबर, 1991 के टेलीग्राफ में राजस्थान परमाणु विद्युत केन्द्र के निकट रहने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य को खतरे के बारे में "द फाल आउट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) सरकार को, राजस्थान परमाणु विद्युत केन्द्र के पास के गांवों में जनसामान्य की कुछ स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में संचार माध्यमों की रिपोर्टों की जानकारी है।

(ख) परमाणु विद्युत केन्द्र और राजस्थान सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त किए गए चिकित्सा अधिकारियों के विशेषज्ञ दलों ने विवरणों की जांच स्वतन्त्र रूप से की है। राजस्थान परमाणु विद्युत केन्द्र से हवा और पानी के रास्ते पर्यावरण में निकलने वाली रेडियो-धर्मिता बहुत कम है, और परमाणु ऊर्जा रेगुलेटरी बोर्ड द्वारा अनुबंधित की गई सीमाओं से भी कम है। ये सीमाएं इन्टरनेशनल कमीशन आन रेडियोलाजिकल प्रोटेक्शन (आई० सी० आर० पी०) द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार हैं। राजस्थान परमाणु विद्युत केन्द्र के आसपास पर्यावरणिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए विकिरण सर्वेक्षण और पानी, मिट्टी, भोजन, वायु और कतिपय दूसरे पदार्थों के नमूनों का संग्रह और विश्लेषण आवधिक

तरीके से किया गया है। राजस्थान परमाणु विद्युत केन्द्र के आसपास के कुछ गांवों में सूचित की गई स्वास्थ्य समस्याएं विद्युत केन्द्र के संयंत्र कामगारों में या उससे लगे नगर क्षेत्र में रहने वाले उन कामगारों के परिवारों में नहीं पाई गई है। राजस्थान सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त किए गए चिकित्सा अधिकारियों के विशेषज्ञ दलों द्वारा किए गए सर्वेक्षणों से यह पता चलता है कि पाए गए स्वास्थ्य विकार विकिरण-जनित रोग न होकर कुपोषण, असन्तोषजनक स्वच्छता आदि के कारण थे।

विटामिन सी का उत्पादन करने वाले एककों द्वारा प्रदूषण

[हिन्दी]

1858. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विटामिन सी का उत्पादन करने वाले एकक बड़े पैमाने पर देश में प्रदूषण फैला रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो एकक-वार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन एककों द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) देश में विटामिन सी का उत्पादन मूलतः दो इकाइयां कर रही हैं, अर्थात्, मैसर्स जयन्त विटामिन्स लिमिटेड, रतलाम और मैसर्स अम्बालाल साराभाई एन्टरप्राइजेज लिमिटेड, बडोदरा।

मैसर्स जयन्त विटामिन्स लिमिटेड से निकलने वाले बहिस्राव निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करते और इस इकाई के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। मैसर्स अम्बालाल साराभाई एन्टरप्राइजेज लिमिटेड ने प्रदूषण के नियंत्रण के लिए उपयुक्त सुविधाएं स्थापित की हैं।

महिला विकास निगम

[अनुवाद]

1859. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र** :

श्री अनादि चरण दास :

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महिलाओं के लिए बेहतर रोजगार उपलब्ध कराने और समाज के कमजोर वर्ग की महिला समूहों के लिए निरन्तर आय हेतु चलाए गए कार्यकलापों का ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या कार्य योजना बनाई गई है;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं, जहां अभी तक महिला विकास निगम स्थापित किए गए हैं और उन्हें क्या-क्या प्रमुख कार्य सौंपे हैं/उनके द्वारा चलाए गए हैं;

(ग) जिन शेष राज्यों में अभी ऐसे निगम स्थापित नहीं किए गए हैं, उसके क्या कारण हैं और इन्हें कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(घ) कल्याण कार्यों सामाजिक क्रिया-कलापों में लगे अन्य महिला संगठनों को भी इसमें सम्मिलित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (युवा कार्य और खेलकूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) से (ग) महिला विकास निगम के मुख्य कार्यों में महिला उद्यमियों का पता लगाना, आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ परियोजनाएं तैयार करना और तकनीकी परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराना बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं के जरिए ऋण की उपलब्धता सुविधा-जनक बनाना, विपणन को बढ़ावा देना तथा महिला सहकारी समितियों और अन्य संगठनों को सुदृढ़ करना शामिल है।

इन निगमों की स्थापना राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों द्वारा की जाती है। शेयर पूंजी में केन्द्र सरकार का अंशदान 49% होता है। अब तक केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, जम्मू एवं कश्मीर की राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेश, चण्डीगढ़ ने ही महिला विकास निगम स्थापित किए हैं। शेष राज्य सरकारों से ऐसे निगम स्थापित करने के लिए अनुरोध किया गया है।

(घ) महिला एवं बाल विकास विभाग, महिलाओं से सम्बन्धित समाज कल्याण कार्यकलापों में संलग्न स्वयंसेवी संगठनों से सन्निकट सम्पर्क बनाए रखता है ताकि विभाग के कार्यक्रमों में इनकी अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

वन नीति का कार्यान्वयन

[हिन्दी]

1860. **श्री राम शरण यादव** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की वन नीति को सम्पूर्णतया कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ख) क्या किसी राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में जारी किए गए दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया है; और

(ग) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं तथा इसके सम्पूर्ण कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) राष्ट्रीय वन नीति 1988 के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वन प्रबन्ध और नीति के उद्देश्य और अनिवार्यताएं निर्धारित की गई हैं। बृहत रूप से नीति मौजूदा राज्य कानूनों के पैरामीटरों के तहत राज्यों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं। जब कभी फर्क पाया जाता है तो उस मामले पर सुधारी कार्रवाई करने के लिए उसे सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ उठाया जाता है।

दिल्ली में नकली औषधों की बिक्री

[अनुवाद]

1861. **श्री कड़िया मुण्डा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान दिल्ली में नकली औषध निर्माण के मामले प्रकाश में आए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्हें इसके कारण काली सूची में डाल दिया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले दो वर्षों अर्थात् 1-1-90 से 27-11-91 तक संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में नकली औषधों के छह मामलों का पता लगाया गया।

जिन कम्पनियों से नकली औषधियों का पता उनके नाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं। इन मामलों की जांच की जा रही है।

विवरण

1-1-90 से 27-11-91 तक पता लगाए गए नकली औषधों का विवरण
तथा उन पर की गई कार्रवाई

क्र०सं०	औषध का नाम	बैज सं०	जहां से पता लगा	की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5
1.	बोरोलीन एंटीसेप्टिक परफ्यूम्ड मेसर्स जी०डी० फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, गाजियाबाद द्वारा निर्माण करने का दावा	0027	श्री अशोक कुमार, ई-8, प्रथम मंजिल महेन्द्र पार्क, दिल्ली	अभियोजन आरम्भ करने के लिए जांच की जा रही है।
2.	(i) बोरोप्लस क्रीम—मेसर्स हिमानी लिमिटेड कलकत्ता द्वारा निर्माण करने का दावा (आयुर्वेदिक औषध)	शून्य	—तदैव—	—तदैव—
	(ii) बीको-टरमेटिक-मेसर्स बीको लेबोरेटरीज, बम्बई द्वारा निर्माण करने का दावा (आयुर्वेदिक औषध)	शून्य	श्री विशन स्वरूप 4370 गली दाता राम सदर बाजार, दिल्ली	—तदैव—

1	2	3	4	5
	(iii) बोरोप्लस क्री—ममेसर्स हिमानी लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा निर्माण करने का दावा (आयुर्वेदिक औषध)	शून्य	—तदेव—	—तदैव—
3.	बोरोलीन एंटीसेप्टिक क्रीम—मेसर्स जी०डी० फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, गाजियाबाद द्वारा निर्माण करने का दावा	शून्य	श्री जमालुद्दीन न्यू मार्केट, गली पेटीवाली सदर बाजार दिल्ली	—तदैव—
4.	क्लोरीफेनिकॉल केपसूल आई पी—मेसर्स इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, वीर भद्र द्वारा निर्माण करने का दावा	2226	श्री किशन स्वरूप गुप्ता प्रोप्राइटर; मेसर्स ला फार्नेस, 59; मेहर चन्द्र बिल्डिंग, मदनगीनर, नई दिल्ली	—तदैव—
5.	हरे और सफेद केपसूल-क्लोरोफेनिकाल केपसूल, 250, मेसर्स आई०डी०पी०एल० द्वारा निर्मित किए जाने का दावा	शून्य	मेसर्स पीक फार्मा सी-7/108, सेक्टर-7, रोहिणी, दिल्ली	—तदैव—
6.	क्लोरोफेनिकाल केपसूल-मेससं आई०डी०पी०एल०, ऋषिकेश द्वारा निर्मित किए जाने का दावा	2178	मेसर्स संदीप मेडिसेल्स, भगीरथ प्लेस, दिल्ली	—तदैव—

गंगा के पानी की सफाई

1862. **श्री श्रवण कुमार पटेल :** क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगा के पानी को स्वच्छ बनाने तथा इसे प्रदूषण मुक्त रखने के लिए शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इससे पर्यावरण संरक्षण तथा वनरोपण और कृषि में सुधार लाने में कितनी मदद मिली है?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) गंगा कार्य योजना के वर्तमान चरण के अन्तर्गत हाथ में ली गई 261 स्कीमों में से 31 अक्तूबर, 1991 तक 173 स्कीमें पूरी की जा चुकी थीं। पूरी की गई स्कीमों में अवरोधन एवं दिशा-परिवर्तन की 53 स्कीमें, सीवेज उपचार की 7 स्कीमें, अल्प-लागत स्वच्छता की 39 स्कीमें, विद्युत शवदाह-गृह की 19 स्कीमें, नदी तटाग्र एवं घाट विकास की 30 स्कीमें तथा विविध प्रकार 25 स्कीमें शामिल हैं। इन स्कीमों से लक्ष्य किए गए 873 मिलियन लीटर प्रतिदिन अपशेष जल की जगह 405 मिलियन लीटर प्रतिदिन अपशेष जल का दिशा-परिवर्तन किया गया है। जिन स्थानों पर दिशा-परिवर्तन एवं प्रदूषण दूर करने के कार्य पूरे कर लिए गए हैं वहां पर नदी के जल की गुणवत्ता में सुधार के संकेत पाए गए हैं। अनुपचारित सीवेज का प्रयोग करके वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जा रहा है। उपचारित सीवेज को कृषि में सिंचाई के उपयोग तथा स्लज को खाद के रूप में प्रयोग करने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है।

समेकित बाल विकास कार्यक्रम

[हिन्दी]

1863. **श्री काशीराम राणा :**

श्री हरिकेवल प्रसाद : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के सूरत और बड़ौदा तथा उत्तर प्रदेश के देवरिया और बलिया जिलों में गत तीन वर्षों के दौरान समेकित बाल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में निर्धारित लक्ष्यों और लक्ष्य की प्राप्ति का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (युवा कार्य और खेलकूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जहां तक गुजरात के सूरत और बड़ौदा जिलों तथा उत्तर प्रदेश के देवरिया और बलिया जिलों में प्रचालित की जाने वाली समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाओं की संख्या का सम्बन्ध है,

वर्ष-वार लक्ष्य और उपलब्धियां दर्शाने वाला ब्यौरा नीचे दिया गया है :

जिले का नाम		वर्ष		
		1988-89	1989-90	1990-91
राज्य : गुजरात				
बड़ौदा				
	लक्ष्य	1	0	0
	उपलब्धियां	1	0	0
सूरत				
	लक्ष्य	1	0	0
	उपलब्धियां	1	0	0
राज्य : उत्तर प्रदेश				
बलिया				
	लक्ष्य	0	0	0
	उपलब्धियां	0	0	0
देवरिया				
	लक्ष्य	1	0	0
	उपलब्धियां	1	0	0

बिहार में बाल विकास परियोजनाएं

1864. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रति 700 की जनसंख्या पर एक बाल विकास परियोजना केन्द्र स्थापित किया जाता है;

(ख) क्या वर्ष 1991 में हुई नवीनतम जनगणना को ध्यान में रखते हुए सरकार का बिहार के पलामू जिले में ऐसे केन्द्रों की संख्या बढ़ाने का विचार है;

(ग) जनसंख्या में वृद्धि के आधार पर ऐसे केन्द्रों की संख्या में कब तक वृद्धि की जाएगी;

(घ) "केयर फूड" की कम एवं अनियमित सप्लाई के कारण उक्त जिले में कितने केन्द्र बन्द कर दिए गए हैं, और

(ङ) इन केन्द्रों के कार्यकरण को सुचारू बनाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (युवा कार्य और खेलकूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) जी, हां। जनजातीय क्षेत्रों में सामान्यत: 700 की आबादी वाले गांवों के लिये एक आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत किया जाता है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। धन की कमी को ध्यान में रखते हुए चालू आई० सी० डी० एस० परियोजनाओं के अन्तर्गत आंगनवाडी केन्द्रों की संख्या में फिलहाल वृद्धि नहीं की जा रही है।

(घ) पालमू जिले में कोई केन्द्र बन्द नहीं किया गया। परन्तु सप्लाई तथा यातायात की कठिनाइयों के कारण सितम्बर, 1991 के महीने में तीन आई०सी०डी०एस० परियोजनाओं में तथा अक्तूबर, 1991 में 4 आई०सी०डी०एस० परियोजनाओं में पोषाहार के वितरण में व्यवधान आया था।

(ङ) खाद्य सामग्री की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने और इन आंगनवाड़ी केन्द्रों के कार्यकरण को सुचारू बनाने के लिए राज्य सरकार ने केयर तथा स्टेट फूड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की।

स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है।

तमिलनाडु में तिरुप्पुर में उपरिपुल

[अनुवाद]

1865. **श्री के० सी कुप्पुस्वामी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल उपरिपुल के निर्माण के लिए स्वीकृत कितनी परियोजनायें सरकार के पास लम्बित हैं;

(ख) चालू वर्ष के दौरान कितनी परियोजनायें पूरी कर ली जायेंगी;

(ग) क्या कोयम्बटूर जिले में तिरुप्पुर में रेल उपरिपुल के निर्माण की योजना भी काफी समय से लम्बित है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) व्यस्त समपारों के बदले ऊपरी/निचले सड़क पुलों की 156 अनुमोनित परियोजनायें हैं। वे, योजना और निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान ऐसे 18 ऊपरी/निचले सड़क पुलों का निर्माण पूरा किए जाने की सम्भावना है।

(ग) और (घ) तिरुप्पुर में एक ऊपरी पुल के निर्माण के लिए नक्शों तथा अनुमान को अन्तिम रूप दिया गया गया है। इस कार्य को राज्य सरकार के लिये निक्षेप शर्तों पर किया जाना है, उन्होंने आंशिक निक्षेप कर दिया है। दक्षिण रेलवे कार्य शुरू करने का प्रबन्ध कर रही है।

बुम्बई में कल्याण स्टेशन पर बम विस्फोट

1866. **श्री शरद दिघे** :

श्री गोविन्द राव निकाम :

प्रो० राम कापसे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई के कल्याण स्टेशन पर हुये बम विस्फोट से कितने व्यक्ति मरे;

(ख) इस बम विस्फोट में मरे लोगों के निकटतम सम्बन्धियों को कितना मुआवजा दिया गया;

(ग) क्या इस घटना की जांच शुरू कर दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यात्रियों की सुरक्षा के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) कल्याण स्टेशन पर बम विस्फोट में 12 व्यक्ति मारे गए।

(ख) 11 मृत व्यक्तियों के प्रत्येक निकट सम्बन्धी को 5,000/-रु० की राशि का पहले ही भुगतान कर दिया गया है। एक मामले में मृतक के निटक सम्बन्धी ने अभी तक क्षतिपूर्ति स्वीकार नहीं की है।

(ग) और (घ) राजकीय रेलवे पुलिस, कल्याण ने एक मामला दर्ज किया है जिसकी जांच की जा रही है।

रेलों पर कानून व्यवस्था को बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। बहरहाल, प्रभावित क्षेत्रों में जन उद्घोषणा प्रणाली, टी० वी०, पोस्टरों तथा समाचारपत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से यात्री जनता को किसी संदेहास्पद वस्तु को छूने अथवा उठाने की चेतावनी दी जा रही है और वे इसके बारे में पुलिस/रेल कर्मचारियों को सूचित करें, प्लेटफार्मों पर यात्री गाड़ियों के सवारी डिब्बों को खड़ा करने से पहले उनकी पूरी जांच की जाती है। लावारिस पड़ी वस्तुओं की पहचान करने तथा उनका पता लगाने के लिए पुलिस पार्टियों द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में यात्रियों के सामान की अचानक जांच की जा रही है।

हरिद्वार और इलाहाबाद के बीच सीधी रेल

[हिन्दी]

1867. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तर रेलवे के अन्तर्गत हरिद्वार और इलाहाबाद के बीच सीधी रेल चलाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) हरिद्वार और इलाहाबाद के बीच 4163/4164 संगम एक्सप्रेस के साथ 4113/4114 लिंक एक्सप्रेस गाड़ी की सीधी सेवा उपलब्ध है। हरिद्वार और इलाहाबाद के बीच नई गाड़ी चलाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना फार्मेसिस्ट एसोसिएशन के अभ्यावेदन

[अनुवाद]

1868. **श्री चन्द्रेश पटेल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना फार्मेसिस्ट एसोसिएशन से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है या करने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० ताराादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां ।

(ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की फार्मेसिस्ट एसोशियशन को मान्यता देने का कार्य कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग को भेजा गया था जिन्होंने सूचित किया है कि वे एसोसिएशन को मान्यता देने सम्बन्धी दिशा-निर्देशों में संशोधन कर रहे हैं। कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिशा-निर्देशों में संशोधन करने के पश्चात् इस मामले पर विचार किया जाएगा ।

जहां तक संघ द्वारा प्रोन्नति के अवसर बढ़ाने की मांग उठाने का सम्बन्ध है, मन्त्रालय द्वारा उसकी जांच की जा रही है । मात्र फार्मेसिस्टों को चयन ग्रेड पहले ही दे दिया गया है ।

श्रमिक विद्यापीठ

1869. **श्री अर्जुन सिंह यादव :**

श्री जीवन शर्मा : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रमिक विद्यापीठों द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों और उनसे लाभान्वित हुए व्यक्तियों से सम्बन्धित ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का मध्यम वर्ग के व्यक्तियों को इसमें लाने के लिए इसके व्याप्ति क्षेत्र को व्यापक बनाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सभी श्रमिक विद्यापीठों को आवश्यक और बुनियादी सुविधायें प्रदान कर दी गई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (च) श्रमिक विद्यापीठ योजना का उद्देश्य संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों के कार्मिकों को दक्षता प्रदान करना है । शिक्षा के क्षेत्र में यह योजना बहुसंयोजक उपगम है । व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कार्मिकों और उनके परिवारजनों की व्यावसायिक दक्षता और तकनीकी ज्ञान में सुधार लाने के साथ-साथ यह योजना कार्मिकों के व्यक्तिगत जीवन को, उनके व्यवसायों में बहुविधी गतिशीलता लाकर समृद्ध बनाती है उनके ज्ञान और जीवन की सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक वास्तविकताओं को समझने के लिए उनके ज्ञान और सूझबूझ के दायरे को बढ़ाती है । विभिन्न श्रमिक विद्यापीठों द्वारा 197 दीर्घ और अल्पावधिक पाठ्यक्रम आयोजित किए गए । इन पाठ्यक्रमों में मुख्य पाठ्यक्रम आलेखन एवं चित्रकला, कढ़ाई, पोशाक बनाना सिलाई, सवारी गाड़ी की मरम्मत और रख-रखाव, इलैक्ट्रिकल और इलैक्ट्रोनिक्स, फोटोग्राफी और संगणक (कम्प्यूटर) शामिल हैं ।

2. इस योजना से लाभान्वित कार्मिकों के वर्ग में, संगठित और असंगठित क्षेत्रों के पुरुष और महिलाएं तथा उन पर आश्रित लोग जो निरक्षर या अर्धसाक्षर हों, अकुशल या अर्धकुशल हों तथा प्रायः

वे ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों से शहरी, अर्धशहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में घूमते रहते हों, शामिल होते हैं । महिलाओं/अनुसूचित जातियों/जनजाति के व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है ।

3. इस योजना में आय के आधार पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है । तथा लगभग 90% लाभान्वित कार्मिक कमजोर वर्ग के हैं । श्रमिक विद्यापीठ की अपने स्टाफ को वेतन तथा भत्ते देने, फर्नीचर, कार्यालय के लिए उपस्कर और सवारी-गाड़ी खरीदने के लिए केन्द्र द्वारा अनुदान दिया जाता है । श्रमिक विद्यापीठों को, संरचना में सुधार लाने तथा सुविधाएं पैदा करने के लिए संसाधन जुटाने की आवश्यकता है ।

मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के पर्वतीय क्षेत्रों में रेलवे आरक्षण की सुविधाएं

[हिन्दी]

1870. **श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के कुछ शहरों में रेलगाडी तथा रेल व बसों में यात्रा हेतु आरक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को सम्भवत: कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

प्राथमिक विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु धनराशि

1871. **डा० परशुराम गंगवार** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान प्राथमिक विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु राज्यों को धनराशि आबंटित करने का है;

(ख) यदि हां, तो राज्यों को यह धनराशि कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जवाहर रोजगार योजना (ज०रो०यो०) के अन्तर्गत आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में शामिल किए गए प्राइमरी स्कूलों की कक्षाओं के निर्माण का अड़तालीस प्रतिशत भाग केन्द्रीय सरकार वहन करती है ।

(ख) जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत, राज्य सरकार द्वारा जिलावार आबंटन और निर्माण लागत में राज्य के अपने हिस्से की राशि जारी कर देने के पश्चात् ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा निधियां जारी कर दी गई हैं।

(ग) सवाल पैदा ही नहीं होता ।

ग्लूकोस मामला

[अनुवाद]

1872. श्री राम प्रसाद सिंह :

श्री राम विलास पासवान :

श्री मदन लाल खुराना : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 मई, 1991 के "टाइम्स आफ इंडिया" और 28 अक्तूबर, 1991 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में क्रमश: "सी० बी० आई० चार्जिज सी० आई० पी० एल० इन ग्लुकोस केस" और "नो एक्शन आन किलर ग्लूकोस" शीर्षक से प्रकाशित समाचारों की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या इस बारे में किसी जांच के आदेश दिए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच की गई थी और उसने अपनी रिपोर्ट 25-7-1991 को प्रस्तुत की। रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है।

जयप्रभा अस्पताल, बिहार को सहायता

1873 श्री हरि किशोर सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार से पटना में जयप्रभा अस्पताल खोलने तथा उसका विकास करने के लिए सहायता देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में दी जाने वाली सहायता का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ): (क) और (ख) जी, हां। बिहार सरकार को दिसम्बर, 1990 में इस बारे में विस्तृत प्रस्ताव भेजने की सलाह दी गई थी जो कि अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

स्वीकृत पदों की तुलना में अधिक शिक्षकों की नियुक्ति

1874. श्री मुहीराम सैकिया :

श्री सन्तोष कुमार गंगवार :

डा० सुधीर राय : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय अनेक केन्द्रीय विद्यालयों में (दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों सहित) चालू शिक्षा सत्र के आरम्भ में स्वीकृत कम पदों की तुलना में अधिक संख्या में शिक्षक नियुक्त किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

सीतापुर-बुढ़वल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

[हिन्दी]

1875. श्री जनार्दन मिश्र : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सीतापुर-बुढ़वल रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के कार्य को प्राथमिकता देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यह कार्य कब तक प्रारम्भ किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आठवीं योजना के लिए परियोजनाओं को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

अहमदनगर जिले में शिव मन्दिर की स्थिति

1876. श्री यशवन्तराव पाटिल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदनगर में हरीशचन्द्र गढ़ के निकट स्थित प्राचीन शिव मन्दिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकार में है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह मन्दिर जीर्ण अवस्था में है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस मन्दिर के अस्तित्व को रखने के लिए इसकी मरम्मत का कार्य शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) कुछ पत्थरों के अपने स्थान से अलग होने के अलावा, मन्दिर जीर्ण अवस्था में नहीं है।

(ग) और (घ) जी, हां। इस प्रस्ताव में अलग हुए पत्थरों को लगाना और रासायनिक उपचार शामिल है।

राजगढ़ में केन्द्रीय विद्यालय के लिए भवन

[अनुवाद]

1877. श्री दिग्विजय सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश के राजगढ़ में केन्द्रीय विद्यालय के लिए अपना स्वयं का भवन बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका निर्माण कब तक होने की सम्भावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) राजगढ़ स्थित केन्द्रीय विद्यालय के स्थायी स्कूल भवन का निर्माण कार्य पहले से ही केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को सौंप दिया गया है। निर्माण कार्य के दो वर्ष के समय से कम में पूरा होने की सम्भावना नहीं है।

उत्तर प्रदेश के बहराइच में वनों की कटाई

[हिन्दी]

1878. **श्री हरिकेवल प्रसाद** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में लोगों को बसाने हेतु कुछ वन क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की गई है;

(ख) यदि हां, तो वनों की अवैध रूप से कटाई करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई जिम्मेदारी निर्धारित की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त क्षेत्र में वनरोपण हेतु क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ङ) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली कैन्ट/नांगलराय, दिल्ली में स्थित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों का कार्यकरण

[अनुवाद]

1879. **श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली कैण्ट/नांगलराय स्थित औषधालयों में आयुर्वेदिक डाक्टरों/फार्मासिस्टों/स्टोर-कीपरों/अन्य कर्मचारियों की संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) क्या आयुर्वेदिक डाक्टरों की कमी होने के कारण नांगलराय औषधालय बन्द हो गया है;

(ग) दिल्ली कैन्ट और नांगलराय औषधालयों में पृथक-पृथक रूप से प्रतिदिन कितने रोगी आते हैं;

(घ) क्या सरकार का नांगलराय औषधालय में डाक्टरों, विशेषज्ञों और फार्मासिस्टों की संख्या में वृद्धि करने का विचार है;

(ङ) नांगलराय औषधालय 1991 में आयुर्वेदिक डाक्टर उपलब्ध न होने के कारण प्रतिमाह कितनी-कितनी अवधि के लिए बन्द रहा; और

(च) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ): (क) दिल्ली कैंट और नांगलराय स्थित आयुर्वेदिक एककों की स्वीकृत कार्मिक क्षमता इस प्रकार है :—

आयुर्वेदिक फिजिशियन	—	प्रत्येक में एक
फार्मेसिस्ट-सह-लिपिक	—	प्रत्येक में एक
समूह "घ" कर्मचारी	—	प्रत्येक में एक

(ख) उपर्युक्त औषधालयों के लिए केवल एक-एक डाक्टर स्वीकृत किया गया है। जब कभी वह छुट्टी पर चला जाता है तो औषधालय बन्द रहता है।

(ग) इन औषधालयों में प्रतिदिन आने वाले रोगियों की औसत संख्या इस प्रकार है :—

दिल्ली कैंट	लगभग 3
नांगलराय	लगभग 6

(घ) ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(ङ) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(च) जी, हां। स्टाफ क्षमता में वृद्धि करने के लिए स्थानीय कल्याण एसोसिएशन से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। इस मामले की जांच की जा रही है।

विवरण

जनवरी, 1991	नांगलराय औषधालय में तैनात डाक्टर 14 से 25 जनवरी, 1991 तक अर्जित छुट्टी पर था। इस औषधालय में 24 से 23 जनवरी, 1991 तक एक प्रतिस्थानी तैनात किया गया था। केवल दो दिनों के लिए अर्थात 24 और 25 जनवरी, 1991 को कोई डाक्टर नहीं था और रोगियों को दिल्ली कैंट औषधालय को रेफर किया गया था।
मई, 1991	10 से 25 तारीख तक (डाक्टर द्वारा 16 दिन की चिकित्सा छुट्टी ली गई थी)। रोगियों को दिल्ली कैंट औषधालय को रेफर किया गया।
जून और जुलाई, 1991	डाक्टर ने अर्जित छुट्टी 24 से 27 जुलाई, 1991 तक बढ़ायी थी। रोगियों को दिल्ली कैंट औषधालय को रेफर किया गया।
अगस्त, 1991	डाक्टर 5 और 31 अगस्त, 1991 को आकस्मिक छुट्टी पर था। रोगियों को दिल्ली कैंट औषधालय को रेफर किया गया।

सितम्बर, 1991	11 और 12 को आकस्मिक छुट्टी पर तथा 20 और 23 को आकस्मिक छुट्टी पर। रोगियों को दिल्ली कैंट औषधालय को रेफर किया गया।
अक्तूबर, 1991	डाक्टर 21 अक्तूबर, 1991 को आकस्मिक छुट्टी पर था। रोगियों को दिल्ली कैंट औषधालय को रेफर किया गया।
नवम्बर, 1991	डाक्टर 8 से 13 नवम्बर, 1991 को आकस्मिक छुट्टी पर था। रोगियों को दिल्ली कैंट औषधालय को रेफर किया गया।

एयर इण्डिया की छवि और सेवा में सुधार

1880. **श्री चेतन पी० एस० चौहान :**

श्री रमेश चन्द तोमर : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया से कहा गया है कि वह विदेशी यात्रियों को आकर्षित करने के लिए अपनी छवि और सेवा में सुधार करने के लिए और प्रभावशाली कदम उठाये;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) एयर इंडिया को विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला संगठन बनाने के लिए कौन से विशेष कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) एयर इंडिया पहले ही से विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला संगठन है और अपनी विदेशी मुद्रा सम्बन्धी सभी देयताओं को अपनी आय से ही पूरा करता है। उससे कहा गया है कि वह अपनी भिन्नदेशीय वाहक कम्पनी वाली छवि का त्याग करे और एक वास्तविक अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइन बने, अपने "आन-टाइम" निष्पादनों, उड़ानगत सेवा और मनोरंजन में सुधार लाये। अन्तर्राष्ट्रीय यात्रियों को आकृष्ट करने के लिए एयर इंडिया से कहा गया है कि वह अपेक्षतया नवीन और अधिक आधुनिक विमान बेड़े की योजना बनाए।

शिक्षा नीति की पुनरीक्षा

1881. **श्री रामकृष्ण कोंताला :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1986 में लागू की गयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पुनरीक्षा/संशोधन करने का है ताकि इसे स्वरोजगारोन्मुखी बनाया जा सके;

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समिति द्वारा वर्ष 1990 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 की समीक्षा की गई थी। आचार्य राममूर्ति की जांच सिफारिशों की जांच पड़ताल करने के लिए केन्द्रीय सलाहकर शिक्षा बोर्ड के अधीन एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति के निष्कर्षों पर विचार-विमर्श चल रहा है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं और बच्चों का प्रतिरक्षण

1882. डा० विश्वनाथम कैनिथी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं और बच्चों के प्रतिरक्षण के लिए निर्धारित किया गया लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया था;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और वास्तव में इसमें कितनी कमी है; और

(ग) बच्चों और गर्भवती महिलाओं की बीमारियों की रोकथाम करने में स्वयंसेवी संगठनों का कितना योगदान रहा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) वर्ष 1990-91 के दौरान देश में व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्ष्यों की सूचित की गई उपलब्धियां इस प्रकार हैं :

—	डिप्थीरिया; कुकर खांसी टेटनस (डी० पी० टी०)	—98 प्रतिशत
—	ओरल पोलियो वैक्सीन (ओ० पी० वी०)	—99 प्रतिशत
—	क्षय रोग की रोकथाम के लिए वैक्सीन (बी० सी० जी०)	—97 प्रतिशत
—	खसरा	—89 प्रतिशत
—	गर्भवती महिलाओं के लिए टेटनस टॉक्साइड टी० टी० (पी० डब्ल्यू०)	—78 प्रतिशत

(ख) जैसाकि (क) में दर्शाया गया है, टी० टी० (पी० डब्ल्यू०) से गर्भवती महिलाओं के रोग प्रतिरक्षण के मामले में 22 प्रतिशत की गिरावट और खसरे के विरुद्ध रोग प्रतिरक्षण के लिए 11 प्रतिशत की गिरावट के अतिरिक्त अन्य मामलों में गिरावट मामूली (1-3 प्रतिशत) है। इनके कम कवरेज के मुख्य कारण गर्भावस्था के दौरान और अन्य अन्धविश्वासों की वजह से महिलाओं द्वारा औषधें/इन्जेक्शन लेने के प्रति अनिच्छा तथा कुछ क्षेत्रों में कमजोर आधारभूत ढांचे का होना है ।

(ग) रोटेरी क्लब आफ इंडिया तथा भारतीय चिकित्सा संघ के सहयोग से 2 अक्तूबर, 4 नवम्बर और 2 दिसम्बर, 1990 को विशेष रोग प्रतिरक्षण अभियान शुरू किए गए जिनमें 17,111 गर्भवती महिलाओं तथा 556635 बच्चों को रोग-प्रतिरक्षित किया गया ।

इंडिया आफिस लाइब्रेरी, लन्दन

1883. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंडिया आफिस लाइब्रेरी, लन्दन में पड़ी पुस्तकें तथा अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज वापस लाने के लिए कोई कार्यवाही शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी पुस्तकें कब तक वापस लायी जायेंगी ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा इंडिया आफिस लाइब्रेरी, लन्दन से महत्वपूर्ण दस्तावेजों की माइक्रो फिल्मों के अब तक 3473 रोल प्राप्त किए गए हैं। और अधिक अधिग्रहण के लिये बातचीत जारी है। हमारे सभी प्रयासों के बावजूद इंडिया आफिस लाइब्रेरी, लन्दन ने मूल पुस्तकें और दस्तावेज देने में अपनी असमर्थता व्यक्त की हैं।

(ग) इंडिया आफिस लाइब्रेरी में उपलब्ध सामग्री की मात्रा को ध्यान में रखते हुए अधिग्रहण की प्रक्रिया एक निरन्तर चलने वाला कार्यक्रम है।

उत्तर बंगाल में रेल परिवहन

1884. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर-बंगाल में रेल परिवहन का विकास करने के लिए उक्त क्षेत्र के लोगों से अनुरोध पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) एकलाखी-बालूरघाट नयी लाइन को शीघ्र पूरा करने की मांग की गयी है।

(ग) संसाधनों की अत्यधिक तंगी के कारण इस परियोजना के लिए 1987-88 से कोई धनराशि आबंटित नहीं की जा सकी। इस परियोजना की प्रगति आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

झांसी को हवाई मार्ग से जोड़ना

[हिन्दी]

1885. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का झांसी को हवाई मार्ग से जोड़ने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वाणिज्यिक और परिचालनात्मक कारणों से वर्तमान स्थिति में झांसी को हवाई सेवा से जोड़ना संभव नहीं है।

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का कार्य-निष्पादन

[अनुवाद]

1886. **श्री पी० एम० सईद** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कावरत्ती में स्थापित इन्दिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय केन्द्र का कार्यनिष्पादन बहुत अच्छा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कावरत्ती में इस केन्द्र को पूर्णकालिकता के आधार पर स्थाई रूप से स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) (क) से (ग) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय देश के शैक्षिक ढांचे में खुले विश्वविद्यालय और सुदूर शिक्षा प्रणालियों को शुरू करने और प्रोन्नत करने तथा इन प्रणालियों में समन्वय तथा मानक निर्धारित करने के लिए, सितम्बर 1985 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। विश्वविद्यालय ने देश के विभिन्न भागों में स्थित अपने क्षेत्रीय तथा अध्ययन केन्द्रों के जरिए एक विस्तृत वितरण प्रणाली स्थापित की है। इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्रों को मौजूदा शैक्षिक संस्थाओं द्वारा आवास प्रदान किया गया है। ये सामान्यत: शाम को और छुट्टी वाले दिन कार्य करती हैं।

लक्षद्वीप में कावरत्ती का अध्ययन केन्द्र अक्तूबर, 1989 में स्थापित किया गया था और जवाहर लाल नेहरू कालेज में स्थित है। यह लगभग 100 छात्रों की आवश्यकता पूरी करता है जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय के स्नातक डिग्री कार्यक्रम और भोजन तथा पोषण प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम में नामांकित किए गए हैं। इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय के अनुसार कावरत्ती में स्थित अध्ययन केन्द्र संतोषजनक रूप से कार्य कर रहा है।

असम में वनों की कटाई

1887. **श्री द्वारका नाथ दास** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि असम के करीमगंज और हैलाकांडी जिलों में वनों की बेरोक-टोक-कटाई जारी है; और

(ख) वनों की इस कटाई को रोकने और उक्त क्षेत्र में तेजी से वनरोपण की व्यवस्था करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) राज्य सरकार ने बताया है कि असम के करीमगंज और हैलाकांडी जिलों के आरक्षित वनों में अवैध कब्जों की छुट-पुट घटनाओं को छोड़कर वन कटाई नहीं हुई है।

(ख) आरक्षित वन क्षेत्र में अवैध कब्जों और वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए उपयुक्त कार्रवाई की गई है। इसके अलावा, 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत अवक्रमित वनों में व्यापक वनरोपण किया गया है।

हवाई अड्डों पर सामान की निकासी

1888. श्री एम० डेनिस : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हवाई अड्डों पर से सामान की निकासी की प्रक्रिया में संशोधन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या हवाई अड्डों पर यात्रियों के सामान की निकासी के लिए श्रम शक्ति की आपूर्ति हेतु निजी ठेकेदार नियुक्त किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) जी, हां। राजस्व विभाग के अधीन सीमा-शुल्क विभाग ने कुछ कार्य विधिक परिवर्तन किए हैं जिससे बेहतर यात्री सुविधाओं को सुनिश्चित करने की दृष्टि से सामान की निकासी शीघ्र की जा सके।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

गदग-हरीहर (कर्नाटक) के बीच रेल सम्पर्क

1889. श्रीमती बासव राजेश्वरी : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास कर्नाटक में मुंदरगी, हुब्बीनहाद गल्ली से होती हुई गदग-हरीहर से नयी रेलवे लाइन बिछाने का प्रस्ताव भेजा गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर अनुमानतः कितना खर्च आएगा; और

(ग) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्डन-पार के क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा का औषधालय

1890. श्री रमेश चन्द तोमर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाजपत नगर, राजेन्द्र नगर और साहिबाबाद आदि हिंडन-पार के क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा का एक नया औषधालय खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक खोले जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राजेन्द्र नगर सेक्टर-II, साहिबाबाद तथा हिंडन एयर फोर्स स्टेशन में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय खोलने सम्बन्धी अनुरोध प्राप्त हुए हैं। जांच करने पर राजेन्द्र नगर सेक्टर-II में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय खोलने सम्बन्धी प्रस्ताव को औचित्यपूर्ण पाया गया है तथा उस पर निधियों की उपलब्धता के अनुसार विचार किया जाएगा।

दूर-दराज के क्षेत्रों के लिए रेलवे-बुकिंग की सुविधाएं

1891. **श्री सुधीर सावंत** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रेल टिकट प्राप्त करने तथा माल भेजने हेतु बुकिंग के लिए काफी दूर जाना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो रेल सम्पर्क रहित क्षेत्रों के लोगों के लिए रेलवे बुकिंग की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) क्या सरकार देश में प्रत्येक जिले के जिला मुख्यालय में कम्प्यूटर से जुड़े हुए बुकिंग केन्द्र खोलने पर विचार कर रही है?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) मांग पर निर्भर करता है, आउट एजेंसियां उन क्षेत्रों में खोली जाती हैं जो रेल शीर्षों से नहीं जुड़े हैं। आउट एजेंसियों में टिकट खरीदने तथा पार्सल और माल यातायात के लिए बुकिंग सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है।

(ग) जी, नहीं।

एशियाई ट्रैक और फील्ड प्रतियोगिता कुआलालामपुर के लिए भारतीय दल

1892. **श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुआलालामपुर में होने वाली नौवीं एशियाई ट्रैक और फील्ड प्रतियोगिता के लिए भारतीय दल में कुल कितने धावक भेजे गए हैं;

(ख) इस दल के साथ कुल कितने अधिकारी गए हैं;

(ग) क्या भारत ने मेजबान देश के बाद सबसे बड़ा दल भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (युवा कार्य और खेलकूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) और (ख) भारतीय अमेच्योर एथलैटिक संघ ने अट्ठाइस एथलीटों और पांच अधिकारियों को कुआलालामपुर में आयोजित नौवीं एशियाई ट्रैक और फील्ड प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भेजा था।

(ग) भारतीय अमेच्योर एथलेटिक संघ ने सरकार को सूचित किया है कि ऐसा नहीं किया गया था।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

हमीरपुर में केन्द्रीय विद्यालय हेतु भवन

1893. **प्रो० प्रेम धूमल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में केन्द्रीय विद्यालय हेतु भवन निर्माण का है;

(ख) यदि हां, तो भवन निर्माण कार्यक्रम कब तक शुरू हो जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) हमीरपुर स्थित स्थायी स्कूल भवन का निर्माण कार्य पहले से ही केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को सौंप दिया गया है।

केरल में खेलों का विकास

1894. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल को खेलों के विकास के लिए कितनी धनराशि की सहायता दी गई है;

(ख) क्या केरल सरकार से केन्द्रीय सहायता के लिए कोई नये प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (युवा कार्य और खेलकूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) खेलों के विकास के लिए केरल सरकार को 2,68,87,631 रुपये की राशि मंजूर कर जारी की गई।

(ख) और (ग) राज्य खेल परिषदों आदि को अनुदान की योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता हेतु 30 नये प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। एक मामले को मंजूर किया जा चुका है। 10 मामलों में राज्य सरकार को कमियां दूर करने के लिए लिखा गया है और अन्य प्रक्रियाधीन हैं। अन्य 55 प्रस्ताव ग्रामीण स्कूलों को अनुदान की योजना के अन्तर्गत प्राप्त हुए हैं, 6 अस्वीकृत किए गए हैं। शेष 49 मामलों में कमियों को दूर करने के लिए राज्य सरकार को लिखा गया है।

अलीगढ़ जिले में पुल

[हिंदी]

1895. **श्री राजवीर सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलीगढ़ जिले में कुछ स्थान/रेलवे स्टेशन उपरिपुलों के निर्माण हेतु चुने गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों/रेलवे स्टेशनों के नाम क्या हैं जहां पर इन उपरिपुलों का निर्माण किया जाना है और इनका निर्माण कार्य कब पूरा होने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय खाद्य निगम को वैगनों का आवंटन

[अनुवाद]

1896. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम को वैगन उपलब्ध न होने के कारण पश्चिम बंगाल को खाद्यान्नों की सप्लाई में कठिनाई हो रही है;

(ख) यदि हां, तो रेलवे द्वारा पश्चिम बंगाल को खाद्यान्न और अन्य सामग्री सप्लाई किए जाने हेतु भारतीय खाद्य निगम को गत छः महीनों के दौरान दिए गए वैगनों का महीनेवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

मध्य प्रदेश में नई रेल लाइनें

1897. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान नई रेल लाइनें बिछाने के लिए किन-किन स्थानों का, विशेषरूप से मध्य प्रदेश में सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) इन नई रेल लाइन परियोजनाओं की अनुमानित लागत कितनी है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान, मध्य प्रदेश राज्य में नई लाइनों के लिए सात सर्वेक्षण किए गए हैं/किए जा रहे हैं ।

(ख) इन लाइनों के निर्माण के बारे में निर्णय, सर्वेक्षण के परिणामों तथा धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

गैर-व्यवसाय भत्ता

1898. **श्री आनन्द रत्न मौर्य** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के चिकित्सा अधिकारियों, तकनीकी अधिकारियों और अधीनस्थ अधिकारियों को गैर-व्यवसाय भत्ता देने के आधार और तर्क क्या हैं;

(ख) क्या श्रेणी-दो अधिकारियों को गैर-व्यवसाय भत्ता स्वीकृत करने की व्यावहारिकता में कोई भिन्नता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) मंत्रालय के चिकित्सा अधिकारियों, तकनीकी अधिकारियों तथा अधीनस्थ अधिकारियों को प्रैक्टिस-बन्दी भत्ता देने का आधार पर एवं यौक्तिकता इन डाक्टरों द्वारा की जाने वाली प्राइवेट प्रैक्टिस को रोकना है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

बिहार में मां तथा बच्चा स्वास्थ्य कार्यक्रम

[हिन्दी]

1899. श्री राम लखन सिंह यादव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के रोहतास, भोजपुर, पटना पूर्व तथा पश्चिम चम्पारण जिलों में मां तथा बच्चा स्वास्थ्य सेवाएं कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल कितना खर्च किया गया; और

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत रखा गया लक्ष्य क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान इस लक्ष्य को कहां तक प्राप्त किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० ताराबेवी सिद्धार्थ) : (क) पिछले तीन वर्षों में पटना, पूर्व और पश्चिम चम्पारण और रोहतास जिलों के मामले में किए गए खर्च का ब्यौरा जैसा कि बिहार सरकार ने सूचित किया है, इस प्रकार है :—

(रु० में)

वर्ष	पटना	पूर्वी चम्पारण	पश्चिम चम्पारण	रोहतास
1988-89	142357			
1989-90	152055	180021		
1990-91	231548	284060	146150	116270

वर्ष 1988-89 के लिए भोजपुर जिले; पूर्वी चम्पारण जिले वर्ष 1988-89 और 1989-90 के लिए पश्चिम चम्पारण और रोहतास जिलों के बारे में सूचना बिहार सरकार से अभी प्राप्त की जानी है ।

(ख) उपर्युक्त पांच जिलों के सिलसिले में बिहार सरकार द्वारा सूचित किया गया कार्यनिष्पादन संलग्न विवरण में देखा जा सकता है ।

विवरण

जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के तहत सूचित किया गया कार्यनिष्पादन

(प्रतिशत में)

	भोजपुर	पूर्वी चम्पारण	पश्चिम चम्पारण	रोहतास	पटना
1988-99					
डी०पी०टी०	107.22	103.89	132.74	135.62	112.39
ओ०पी०वी०	107.34	106.04	107.09	132.12	128.02
बी०सी०जी०	102.04	111.07	101.02	119.88	101.09

1	2	3	4	5	6
खसरा	104.82	108.39	104.59	146.89	95.01
टेटनस (गर्भवती महिलाएं)	103.9	113.64	104.98	112.0	80.38
1889-90					
डी०पी०टी०	109.02	57.75	106.34	117.92	95 76
ओ०पी०वी०	107.54	58.34	100.47	117.36	104.20
बी०सी०जी०	100.34	135.47	89.27	104.93	133.87
खसरा	97.09	101.40	69.28	140.25	84.98
टेटनस (गर्भवती महिलाएं)	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	68.04
1990-91					
डी०पी०टी०	129.47	91.31	123.33	102.28	135.21
ओ०पी०वी०	131.65	101.69	112.31	10.69	134.88
बी०सी०जी०	105.99	83.71	81.96	95.17	136.18
खसरा	123.01	68.24	76.88	92.54	131.13
टेटनस (गर्भवती महिलाएं)	50.28	32.17	82.01	58.71	91.43

देश में केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या

1900. **श्री श्रीकान्त जेना :**
श्री सैयद शहाबुद्दीन :
श्री रमेश-चैन्निथला :
श्री भीम सिंह पटेल :
श्री महेन्द्र बैठा :
श्री दाऊदयाल जोशी :
श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शैक्षिक वर्ष 1988-89, 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान देश में केन्द्रीय विद्यालयों/नवोदय विद्यालयों की राज्यवार कुल संख्या कितनी रही है;

(ख) क्या और केन्द्रीय विद्यालयों/नवोदय विद्यालयों की स्थापना के लिए मांग की गई है;

(ग) यदि हां, तो और केन्द्रीय विद्यालय/नवोदय विद्यालय खोलने सम्बन्धी योजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) 1991-92 के दौरान खोले जाने वाले केन्द्रीय/नवोदय विद्यालयों की राज्यवार संख्या क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) वर्ष 1988-89, 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान देश में केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों की राज्यवार कुल संख्या संलग्न विवरण-1 में दी गई है।

(ख) से (घ) जी, हां। केन्द्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय खोले जाने की मांगें की जाती रही हैं।

वर्ष 1991-92 के दौरान देश में असैनिक और रक्षा क्षेत्रों में 20 केन्द्रीय विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है। तथापि, राज्यवार/जिलावार विभाजन को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। नये केन्द्रीय विद्यालयों का खोला जाना उपभोक्ता एजेंसियों से उपयुक्त प्रस्तावों के प्राप्त होने और खासकर केन्द्रीय सरकार और केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों की सघन आबादी तथा वास्तविक सुविधाओं और वित्तीय संसाधनों के उपलब्ध होने पर निर्भर करता है।

नवोदय विद्यालय की योजना में देश में प्रत्येक जिले में औसतन एक नवोदय विद्यालय खोलने की परिकल्पना की गई है। सबसे पहले राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन के आमंत्रण पर स्थान का चयन किया जाता है। राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र के प्रशासन द्वारा तीस एकड़ भूमि निःशुल्क दी जाती है, साथ ही शुरू में 2-3 वर्षों की अवधि के लिए विद्यालयों के अस्थायी उपयोग के लिए पर्याप्त भवन और अन्य आधारभूत सुविधाएं मुहैय्या कराई जाती हैं। वर्ष 1991-92 के दौरान चौदह नवोदय विद्यालयों को मंजूरी दी गई है जिनका राज्यवार/जिलावार विभाजन संलग्न विवरण-2 में दिया गया है।

विवरण-1

केन्द्रीय विद्यालयों का राज्यवार विभाजन

क्र० सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या 1988-89	1989-90	1990-91	1991-92
1.	आंध्र प्रदेश	38	39	39	39
2.	आसाम	42	43	43	43
3.	बिहार	52	52	52	52
4.	गुजरात	34	34	34	34
5.	हरियाणा	20	20	20	20
6.	हिमाचल प्रदेश	13	13	13	13
7.	जम्मू और कश्मीर	25	25	25	25

1	2	3	4	5	6
8.	कर्नाटक	24	24	24	24
9.	केरल	21	21	21	21
10.	मध्य प्रदेश	66	70	70	71
11.	महाराष्ट्र	47	49	49	49
12.	मणिपुर	5	5	5	5
13.	मेघालय	7	7	7	7
14.	नागालैंड	4	4	4	4
15.	उड़ीसा	21	22	22	22
16.	पंजाब	35	36	36	36
17.	राजस्थान	41	42	42	42
18.	सिक्किम	1	1	1	1
19.	तमिलनाडु	26	27	27	26
20.	त्रिपुरा	4	4	4	4
21.	उत्तर प्रदेश	101	106	106	106
22.	पश्चिम बंगाल	45	45	45	45
23.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह पोर्टब्लेयर	2	2	2	2
24.	अरुणाचल प्रदेश	6	6	6	6
25.	चण्डीगढ़	6	6	6	6
26.	दिल्ली	30	30	30	30
27.	गोआ	5	5	5	5
28.	पांडिचेरी	2	2	2	2
29.	मिजोरम	1	1	1	1
	कुल	724	741	741	741

नवोदय विद्यालयों का राज्यवार विभाजन

क्र० सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	नवोदय विद्यालयों की संख्या 1988-89	1989-90	1990-91	1991-92
1.	आंध्र प्रदेश	19	20	20	20
2.	अरुणाचल प्रदेश	05	05	05	05
3.	बिहार	23	24	24	25
4.	गोवा	02	02	02	02
5.	गुजरात	06	08	07	09
6.	हरियाणा	09	09	09	09
7.	हिमाचल प्रदेश	08	08	08	08
8.	जम्मू और कश्मीर	14	14	14	14
9.	केरल	10	10	10	10
10.	कर्नाटक	18	18	18	18
11.	मध्य प्रदेश	28	28	28	29
12.	महाराष्ट्र	19	19	19	20
13.	मणिपुर	07	07	07	07
14.	मेघालय	03	03	03	04
15.	मिजोरम	02	02	02	02
16.	उड़ीसा	12	12	12	12
17.	पंजाब	07	07	07	07
18.	राजस्थान	20	21	21	21
19.	सिक्किम	01	01	01	01
20.	नागालैंड	01	01	01	02
21.	त्रिपुरा	01	01	01	02
22.	उत्तर प्रदेश	29	30	30	35
23.	अंडमान और निकोबार	02	02	02	02
24.	चण्डीगढ़	01	01	01	01
25.	दादरा और नागर हवेली	01	01	01	01
26.	दमन और दीव	02	02	02	02
27.	दिल्ली	01	01	01	02
28.	लक्षद्वीप	01	01	01	01
29.	पांडिचेरी	04	04	04	04
	कुल	256	261	261	275

विवरण-2

वर्ष 1991-92 के दौरान मंजूर किए गए चौदह नवोदय विद्यालयों के विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	जिला
1.	बिहार	सिवान
2.	दिल्ली	जफ्फरपुर कलॉन (पूर्वी जिला)
3.	गुजरात	1. सुरिन्द्र नगर 2. राजकोट
4.	मध्य प्रदेश	रतलाम
5.	महाराष्ट्र	संगली
6.	मेघालय	जयंतिया पहाड़ी
7.	नागालैंड	थेनसंग
8.	त्रिपुरा	दक्षिण त्रिपुरा जिला
9.	उत्तर प्रदेश	1. गाजीपुर 2. देवरिया 3. हरदोई 4. भदोही 5. एटा

रांची-लोहारदगा रेल लाइन को दोहरी लाइन में बदलना

1901. **श्री राम टहल चौधरी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में रांची और लोहारदगा रेल लाइन के बीच इकहरी रेल लाइन को दोहरी लाइन में बदलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) लाइनों का दोहरीकरण परिचालनिक और यातायात सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। इसका सहारा तभी लिया जाता है जब इकहरी लाइन की खंडीय क्षमता विभिन्न परिचालनिक सुधारों की वजह से संतृप्त हो जाती है। अभी रांची-लोहारदगा खंड इस कोटि में नहीं आया है।

भारत-रोमानिया विमान सेवाओं के लिए समझौता

1902. डा० महादीपक सिंह शाक्य : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और रोमानिया के बीच नियमित विमान सेवाओं के बारे में दोनों देशों के बीच में कोई समझौता किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो समझौते की मुख्य बातें क्या हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) भारत और रोमानिया ने 6-12-1990 को एक द्विपक्षीय हवाई सेवा करार के पाठ पर आद्याक्षर किये। करार में, दोनों देशों को नामित विमान कम्पनियों द्वारा निर्दिष्ट स्थानों के बीच प्रति सप्ताह 2 सेवाओं के परिचालन की व्यवस्था है।

परिवार कल्याण कार्यक्रम

1903. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1988, 1989 और 1990 के दौरान नसबन्दी, नलबन्दी और लूप के कितने आपरेशन किये गये;

(ख) क्या नसबन्दी और नलबन्दी के आपरेशनों की संख्या में प्रति माह कमी आ रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन परिवार कल्याण कार्यक्रमों में तेजी लाने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) राज्यों से उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार देश में वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान की गई महिला नसबन्दियों, पुरुष नसबन्दियों और आई० यू० डी० निवेशनों की संख्या का ब्यौरा इस प्रकार हैं :—

(आंकड़े हजार में)

वर्ष	महिला नसबंदी	पुरुष नसबंदी	आई०यू०डी० निवेशन
1988-89	4061	617	4851
1998-90 (अनन्तिम)	3840	341	4937
1990-91 (अनन्तिम)	3873	249	5222

(ख) देश में वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान किए गए माह-वार महिला नसबन्दी और पुरुष नसबन्दी आपरेशनों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) देश में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए कई नये प्रयास शुरू किए गए हैं ताकि परिवार कल्याण कार्यक्रम को नये रूप से बढ़ावा और गतिशीलता मिल सके। इस संदर्भ में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से कार्य योजना का एक प्रारूप तैयार किया गया है। इस कार्य-योजना के प्रारूप को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने और उन्हें दूर-दूर तक पहुंचाने, मातृ-शिशु स्वास्थ्य परिचर्या के कार्यक्रम का विस्तार करने, बेहतर अन्तर क्षेत्रीय समन्वय, अर्थपूर्ण सूचना, शिक्षा और संचार सम्बन्धी प्रयासों, परिवार कल्याण कार्यक्रमों में लोगों की और अधिक सहभागिता और जनसंख्या नियंत्रण सम्बन्धी प्रयासों को एक नई गति प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय सहमति तैयार करने की ओर मोड़ा गया है। कार्य योजना के प्रारूप को अन्तिम रूप देने और इसका कार्यान्वयन करने से पहले सम्भव सुधारों के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों और सरकार में अन्य सम्बन्धित विभागों द्वारा आगे जांच की जा रही है।

विवरण

वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान की गई

महिला नसबन्दी और पुरुष नसबन्दी

(आंकड़े हजारों में)

माह	महिला नसबन्दी			पुरुष नसबन्दी		
	1988-89	1989-90*	1990-91*	1988-89	1989-90*	1990-91*
अप्रैल	151	143	155	11	8	5
मई	191	185	177	15	9	6
जून	200	210	216	14	13	8
जुलाई	199	212	210	18	14	9
अगस्त	226	231	217	22	22	11
सितम्बर	280	300	251	36	29	16
अक्तूबर	263	263	268	39	30	15
नवम्बर	330	337	381	45	30	19
दिसम्बर	518	463	478	78	34	38
जनवरी	568	509	506	108	41	38
फरवरी	536	427	444	95	41	38
मार्च	599	560	570	136	70	57

* आंकड़े अनन्तिम।

महिलाओं और बालिकाओं पर चिकित्सा सम्बन्धी खर्च

[अनुवाद]

1904. कुमारी विमला वर्मा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वयस्क महिलाओं और बालिकाओं में व्याप्त विभिन्न रोगों की किस्म का निर्धारण करने हेतु कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पुरुषों और महिलाओं के बीच चिकित्सा सम्बन्धी उपचारों पर खर्च में कोई भिन्नता है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में महिलाओं और बालिकाओं पर किए गए खर्च सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी०के० तारादेवी सिद्धार्थ): (क) प्रौढ़ महिला तथा कन्या शिशु में प्रचलित विभिन्न प्रकार के रोगों का निर्धारण करने के लिए कोई देश व्यापी सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने महाराष्ट्र के दो गांवों में ग्रामीण महिलाओं में स्त्री रोग सम्बन्धी तथा लिंग सम्बन्धी रोगों की जनसंख्या आधारित वर्ग गत अध्ययन किया है;

(ख) 650 महिलाओं में, जिनका अध्ययन किया गया, 55 प्रतिशत महिलाओं को स्त्री रोग सम्बन्धी शिकायतें थीं और 45 प्रतिशत महिलाएं स्त्री रोग लक्षणों से मुक्त थीं;

(ग) और (घ) चिकित्सा उपचार करते समय पुरुषों तथा महिलाओं के बीच कोई अन्तर नहीं किया जाता और केन्द्र सरकार की भांति राज्य सरकारों ने भी ग्रामीण/शहरी स्वास्थ्य परिचर्या आधार भूत ढांचे के माध्यम से सम्पूर्ण जनसंख्या के चिकित्सा उपचार के लिए ऐसे ही उपयुक्त प्रबन्ध किए हैं जैसे केन्द्र सरकार द्वारा चलाए जाने वाले अस्पतालों में हैं जिसमें उपकेन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/जिला अस्पताल तथा राज्य स्तर के अस्पताल हैं। तथापि, परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत सुरक्षित मातृत्व तथा शिशु उत्तरजीविता कार्यक्रम को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत उच्च प्राथमिकता दी गई है। वर्ष 1989-90 तथा 1990-91 के लिए रोग निरोधन योजना तथा मुख सेव्य पुनर्जलपूरण चिकित्सा योजना के सम्बन्ध में राज्यवार व्यय क्रमश: विवरण-1 और विवरण-2 में दिया गया है। वर्ष 1989-90 तथा 1990-91 के लिए व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के सम्बन्ध में अखिल भारतीय व्यय आंकड़े विवरण-3 में दिए गए हैं।

विवरण-1

वर्ष 1989-90 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दी गई मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य औषधों का विवरण—आई० एफ० ए० (बड़ा)/आई० एफ० ए० (छोटा)/रतल/विटामिन "ए" घोल (फरवरी-मार्च, 1989 से जनवरी 1990)

लागत प्रति खुराक रुपये में	
आयरन एण्ड फॉलिक एसिड बड़ा	
आयरन एण्ड फॉलिक एसिड (छोटा)	0.06032
तरल	0.06032
विटामिन "ए" घोल	0.492

	आई०एफ०ए० (बड़ा)		आई०एफ०ए० (छोटा)		तरल लौह		विटामिन "ए" घोल		
राज्य का नाम	लाख खुराक	लाख रुपये	लाख खुराक	लाख रुपये	लाख खुराक	लाख रुपये	लाख खुराक	लाख रुपये	कुल लागत लाख रु०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. गुजरात	1055.00	12.13	1800.00	8.87	150.00	9.05	56.443	27.77	57.82
2. राजस्थान	1200.00	13.00	1170.00	5.77	146.25	8.82	29.067	14.30	41.89
3. मध्य प्रदेश	1051.00	12.09	1980.00	9.76	247.50	14.93	47.00	23.12	59.90
4. महाराष्ट्र	3700.00	42.55	2915.00	14.37	380.1635	22.93	84.3105	41.48	121.33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5. दादरा व नागर हवेली	10.00	0.12	9.90	0.05	1.10	0.07	0.22	0.11	0.53
6. गोवा	27.70	0.34	42.00	0.21	7.20	0.43	0.94	0.46	1.44
6ए. दमन एण्ड द्वीप	1.30	0.02	3.00	0.02	0.20	0.01	0.06	0.03	0.08
7. असम	375.00	4.31	378.00	1.86	26.25	1.66	10.50	5.17	13.00
8. बिहार	1150.00	13.23	876.96	4.32	169.50	10.22	18.00	8.86	36.63
9. मणिपुर	26.00	0.30	54.00	0.27	9.00	0.54	2.20	1.08	2.19
10. मेघालय	43.50	0.50	23.04	0.11	—	—	0.45	0.22	0.82
11. नागालैंड	26.00	0.30	90.00	0.44	15.00	0.90	3.00	1.48	13.40
12. उड़ीसा	852.00	9.80	1818.00	8.96	229.75	13.86	39.25	19.31	71.53
13. सिक्किम	15.00	0.17	18.00	0.09	3.00	0.18	0.80	0.39	8.73
14. त्रिपुरा	50.00	0.58	90.00	0.44	15.00	0.90	2.00	0.98	2.90
15. पश्चिम बंगाल	1787.00	20.55	1622.08	8.00	176.35	10.64	37.425	18.41	57.60
16. अरुणाचल प्रदेश	21.00	0.24	57.60	0.28	9.60	0.58	1.375	0.68	1.78
17. मिजोरम	31.00	0.36	59.04	0.29	9.75	0.59	1.50	0.74	1.98
18. हरियाणा	461.50	5.31	489.60	2.41	92.75	5.61	11.237	5.53	18.86
19. हिमाचल प्रदेश	127.00	1.46	270.00	1.33	51.725	3.12	4.00	1.97	7.88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20. जम्मू व कश्मीर	272.00	3.13	225.36	1.11	49.50	2.99	5-20	2.56	9.79
21. पंजाब	510.00	5.87	450.00	2.22	84.20	5.08	7.50	3.69	16.86
22. उत्तर प्रदेश	1749.50	20.12	2168.74	10.69	424.082	25.58	40.4285	19.89	76.28
23. चंडीगढ़	10.00	0.12	7.20	0.04	1.50	0.09	0.20	1.10	0.35
24. दिल्ली	130.00	1.50	46.08	0.23	5.625	0.34	2.50	1.23	3.30
25. आंध्र प्रदेश	1713.50	19.71	2735.768	13.49	293.175	17.68	23.795	11.71	62.5
26. कर्नाटक	1215.50	13.97	3329.12	16.41	405.5155	34.46	30.05	14.78	79.6
27. केरल	680.15	7.82	1800.00	8.87	240.00	14.48	31.999	15.74	46.91
28. तमिलनाडु	1194.98	13.74	3388.106	16.70	421.812	25.44	46.577	22.92	76.80
29. अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	10.00	0.12	4.50	0.02	0.75	0.05	0.05	0.10	0.21
30. लक्षद्वीप	8.00	0.09	4.50	0.02	0.75	0.05	0.10	0.05	0.21
31. पांडिचेरी	21.00	0.21	9.00	0.04	1.50	0.04	0.22	0.10	0.21
32. रक्षा मंत्रालय	72.00	0.83	65.28	0.32	2.00	0.12	1.30	0.61	1.00
33. रेल मंत्रालय	202.00	2.32	289.04	1.42	0.25	0.02	5.30	2.61	0.31
कुल योग	19800.63	226.94	28288.914	139.43	3670.948	231.51	545.037	268.17	865.90

वर्ष 1990-91 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दी गई मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य औषधों का विवरण—आई०एफ०ए० (बड़ा) आई०एफ०ए० (छोटा)/तरल/विटामिन ए घोल (फरवरी, 1990 से जनवरी, 1991)

प्रति खुराक
लागत रुपयों में

आई०एफ०ए० (बड़ा)	0.012
आई०एफ०ए० (छोटा)	0.005
तरल लौह	0.0622
विटामिन ए घोल	0.4792
कोट्रियोक्साजोल	0.09

राज्य का नाम	आई०एफ०ए० (बड़ा)		आई०एफ०ए० (छोटा)		तरल लौह
	लाख खुराक	लाख रुपये	लाख खुराक	लाख रुपये	लाख खुराक
1	2	3	4	5	6
1. गुजरात	881.28	10.58	1403.25	7.02	104.00
2. राजस्थान	1321.28	15.86	1849.80	9.25	252.20
3. मध्य प्रदेश	2129.20	25.55	1844.95	9.22	204.95
4. महाराष्ट्र	1729.20	20.75	2880.00	14.4	240.00

	1	2	3	4	5	6
5.	दादर व नागर हवेली	3.60	0.04	4.90	0.02	1.10
6.	गोआ	16.30	0.20	33.70	0.17	4.80
7.	दमन व दीव	1.40	0.01	2.80	0.01	0.20
8.	असम	543.00	6.52	846.72	4.23	92.50
9.	बिहार	975.00	11.70	1696.32	8.48	122.50
10.	मणिपुर	36.00	0.43	59.04	0.30	8.00
11.	मेघालय	35.50	0.42	65.52	0.33	8.85
12.	नागालैंड	20.50	0.25	34.62	0.17	4.80
13.	उड़ीसा	650.00	7.80	1152.00	5.76	131.50
14.	सिक्किम	11.00	0.13	15.84	0.08	2.00
15.	त्रिपुरा	51.00	0.61	82.80	0.41	11.30
16.	प० बंगाल	1256.50	15.08	1383.28	6.92	158.125
17.	अरूणाचल प्रदेश	20.50	0.25	10.80	0.05	1.20
18.	मिजोरम	19.00	0.23	25.92	0.13	3.50
19.	हरियाणा	367.50	4.41	612.72	3.06	84.64
20.	हिमाचल प्रदेश	137.00	1.64	220.32	1.10	23.275
21.	जम्मू व कश्मीर	90.00	1.08	329.20	1.65	30.725
22.	पंजाब	347.50	4.17	576.00	2.88	79.60
23.	उत्तर प्रदेश	1915.14	22.99	2561.41	12.81	337.625

	1	2	3	4	5	6
24.	चण्डीगढ़	21.00	0.25	18.72	0.09	3.20
25.	दिल्ली	144.00	1.73	69.84	0.35	9.00
26.	आंध्र प्रदेश	1782.50	21.39	2074.72	10.37	239.173
27.	कर्नाटक	723.90	8.69	1795.90	8.98	238.8115
28.	केरल	265.019	3.18	1080.00	5.40	120.00
29.	तमिलनाडु	934.424	11.21	1842.693	9.21	243.7315
30.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	6.00	0.07	9.40	0.05	1.30
31.	लक्षद्वीप	1.20	6.01	1.80	0.01	0.20
32.	पांडिचेरी	12.10	0.15	22.552	0.11	3.00
33.	रक्षा मंत्रालय	90.75	1.09	64.56	0.82	—
34.	रेल मंत्रालय	166.00	1.99	320.00	1.60	8.00
	कुल योग	16704.293	200.46	24992.095	124.94	2773.806

		विटामिन ए घोल कोट्रिमोक्साजोल			कुल लाख रुपये
लाख खुराक	लाख खुराक	लाख खुराक	लाख खुराक	लाख खुराक	
7	8	9	10	11	12
6.47	18.1585	8.70	16.80	1.514	34.284
15.69	81.8915	29.66	16.80	1.514	71.974
12.75	74.023	35.47	16.80	1.514	84.504
14.93	25.00	11.98	16.80	1.514	63.574
0.07	0.104	0.05	—	—	0.18
0.30	0.526	0.25	—	—	0.92
0.01	0.042	0.02	—	—	0.05
5.75	15.725	7.54	16.80	1.514	25.554
7.62	18.00	8.62	—	—	36.42
0.50	1.075	0.51	—	—	1.74
0.55	1.425	0.68	—	—	1.98
0.30	0.60	0.29	—	—	1.01
8.18	27.50	13.18	16.80	1.514	36.434
0 12	0.30	0.14	—	—	0.47
0.70	1.50	0.71	—	—	2.43
9.84	32.925	15.78	16.80	1.514	49.134
0 07	0.25	0.12	—	—	0.49
0.22	0.525	0.25	—	—	0.83
5.26	10.95	5.25	16.80	1.514	19.494

7	8	9	10	11	12
1.45	1.65	0.79	16.80	1.514	6.494
1.91	2.675	1.20	—	—	5.92
4.95	11.25	5.39	16.80	1.514	18.904
21.00	43.275	20.74	16.80	1.514	79.054
0.20	0.20	0.10	—	—	0 64
0.56	2 00	0 96	—	—	3.60
14.88	21.375	10.24	16.80	1.514	58.394
14.85	62.445	29.92	16.80	1.514	63.954
7.46	30.00	14.38	16.80	1.514	31.934
15.16	36.00	17 25	16.80	1.514	54.344
0.08	0.174	0.08	—	—	0.28
0.01	0.036	0.02		—	0.05
0.19	0.368	0.18	—	—	0.63
—	1.30	0.62	—	—	2 03
0.50	6.20	2.97	—	—	7.06
172.53	509.4675	244.12	252.00	22.71	764.76

विवरण-2

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ओरल रिहाईड्रेशन थिरेपी कार्यक्रम के लिए आबंटनों का विवरण और सूचित व्यय

(1989-90) (लाख रुपये)

क्र० सं०	राज्य*	आबंटन	रिलीज की गई धनराशि	सूचित व्यय	रिलीज की गई धनराशि में से व्यय का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	38.34	38.34	30.36	79.19
2.	असम	15.34	7.67	10.24	133.61
3.	बिहार	50.60	25.30	शून्य	शून्य
4.	गुजरात	24.77	24.76	11.33	45.76
5.	हरियाणा	10.65	5.33	6.38	119.70
6.	हिमाचल प्रदेश	4.36	4.36	1.30	29.82
7.	जम्मू व कश्मीर	5.70	2.85	4.20	117.39
8.	कर्नाटक	27.13	13.56	6.19	45.65
9.	केरल	18.66	9.33	16.48	176.64
10.	मध्य प्रदेश	38.68	19.34	2.76	14.27
11.	महाराष्ट्र	44.64	54.40	34.75	63.88
12.	मणिपुर	2.44	1.22	0.44	36.07
13.	मेघालय	2.34	1.17	1.98	169.23
14.	नागालैंड	1.70	0.85	0.94	110.54
15.	उड़ीसा	19.33	9.66	15.46	160.05
16.	पंजाब	12.61	12.60	4.16	32.99
17.	राजस्थान	29.58	26.58	13.91	52.33
18.	सिक्किम	1.21	0.60	1.16	193.33
19.	तमिलनाडु	33.77	33.76	28.73	85.10
20.	त्रिपुरा	2.43	2.42	1.07	44.21

1	2	3	4	5	6
21.	उत्तर प्रदेश	79.30	39.68	77.37	194.98
22.	पश्चिम बंगाल	38.80	38.80	10.88	28.04
23.	अंडमान व निकोबार	1.12	*	1.12	
24.	अरुणाचल प्रदेश	1.60	1.60	1.49	93.12
25.	चंडीगढ़	1.37	*	1.31	
26.	दादर व नगर हवेली		*	1.04	1.04
27.	दिल्ली	6.18	*	0.06	
28.	गोवा	1.66	0.83	0.22	26.51
29.	लक्षद्वीप	0.99	*	0.04	
30.	मिजोरम	1.39	0.70	0.03	4.29
31.	पांडिचेरी	1.44	*	0.24	
32.	दमण व दीव	0.94	*	0.13	
	योग	517.18	375.71	285.77	76.06

* संघ राज्य क्षेत्रों को ओरल रिहाइड्रेशन थिरेपी कार्यक्रम पर उनके द्वारा खर्च की गई राशि की प्रतिपूर्ति के रूप में अनुदान दिया जाता है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ओरल रिहाइड्रेशन थिरेपी कार्यक्रम के लिए आवंटित राशि तथा सूचित व्यय का विवरण

(लाख रुपये)

क्र० सं०	राज्य	आवंटन तथा रिलीज की गई राशि	सूचित व्यय	सूचित व्यय प्रतिशत
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	57.63	35.93 (28-3-91 तक)	62.35
2.	असम	22.76	14.74 (मार्च, 91 तक)	64.76
3.	बिहार	76.64	—	शून्य
4.	गुजरात	37.18	14.00 (मार्च, 91 तक)	37.65
5.	हरियाणा	15.63	9.10 (मार्च, 91 तक)	58.22

1	2	3	4	5
6.	हिमाचल प्रदेश	5.77	1.89 (मार्च, 91 तक)	32.76
7.	जम्मू व कश्मीर	7.85	—	शून्य
8.	कर्नाटक	40.92	19.70 (मार्च, 91 तक)	48.36
9.	केरल	27.80	19.21 (मार्च, 91 तक)	69.10
10.	मध्य प्रदेश	57.20	—	शून्य
11.	महाराष्ट्र	67.58	62.28 (मार्च, 91 तक)	92.16
12.	मणिपुर	2.79	1.77 (मार्च, 91 तक)	63.44
13.	मेघालय	2.70	1.77 (मार्च, 91 तक)	65.56
14.	नागालैंड	2 03	—	शून्य
15.	उड़ीसा	28.66	—	शून्य
16.	पंजाब	18.60	—	शून्य
17.	राजस्थान	39.90	20.93 (मार्च, 91 तक)	52.46
18.	सिक्किम	1.34	1.53 (मार्च, 91 तक)	114.18
19.	तमिलनाडु	51.04	21.95 (मार्च, 91 तक)	58.68
20.	त्रिपुरा	3.20	95 (मार्च, 91 तक)	29.69
21.	उत्तर प्रदेश	120.64	119.09 (मार्च, 91 तक)	98.71
22.	पश्चिम बंगाल	58.79	—	शून्य
23.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	0.69	94 (मार्च, 91 तक)	136.23
24.	अरुणाचल प्रदेश	1.97	1.01 (मार्च, 91 तक)	51.27
25.	चंडीगढ़	0.79	.59 (मार्च, 91 तक)	74.68
26.	दादरा व नगर हवेली	0.65	—	शून्य
27.	दिल्ली	3.09	4.88 (मार्च, 91 तक)	157.93
28.	दमण व दीव	0.63	.04 (मार्च, 91 तक)	6.35
29.	लक्षद्वीप	0.63	—	शून्य
30.	मिजोरम	1.60	2.35 (मार्च, 91 तक)	147.88
31.	पांडिचेरी	0.92	.22 (मार्च, 91 तक)	23 91
32.	गोवा	1.04	.55 (मार्च, 91 तक)	26.96
	भारत	759.68	363.50	47.85

विवरण-3

व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम
(समेकित आंकड़े)

	(लाख रुपये)
1989-90	5196.68
1990-91	5813.80

नदियों की सफाई

[हिन्दी]

1905. श्री सूर्य नारायण यादव : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान सरकार द्वारा किन-किन नदियों की सफाई का कार्य शुरू किया गया; और

(ख) इस दिशा में अब तक किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) वर्ष 1991-92 के दौरान गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत केवल गंगा नदी के प्रदूषण दूर करने के कार्य किए जा रहे हैं।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत कुल 261 में से अब तक 173 स्कीमें पूरी की जा चुकी हैं। पूरी की गई स्कीमों में अवरोधन एवं दिशा-परिवर्तन की 53 स्कीमें, सीवेज उपचार की 7 स्कीमें, अल्प-लागत स्वच्छता की 39 स्कीमें, विद्युत शवदाहन्गृह की 19 स्कीमें, नदी तटाग्र और घाट विकास की 30 स्कीमें और विविध प्रकार की 25 स्कीमें शामिल हैं। इन स्कीमों से लक्ष्य किए गए 873 मिलियन लीटर प्रतिदिन अपशेष जल की जगह 405 मिलियन लीटर प्रतिदिन अपशेष जल का दिशा-परिवर्तन किया गया है।

ग्रामोन्मुखी शिक्षा नीति

[अनुवाद]

1906. श्री नारायण सिंह चौधरी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई ग्रामोन्मुखी शिक्षा नीति तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 (एन० पी० ई०) और इसके अनुसरण में बनाए गए कार्यक्रमों में शैक्षिक स्तरों को समान बनाने, प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण और प्रौढ़ साक्षरता पर विशेष बल दिया गया है।

(ख) आपरेशन ब्लैकबोर्ड, अनौपचारिक शिक्षा, ग्रामीण कार्यसाधक साक्षरता कार्यक्रम और विशेष साक्षरता अभियान जैसे कार्यक्रमों पर बल दिया गया जो मुख्यत: ग्रामीण है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

गुजरात में दीसा से वायु सेवा

[हिन्दी]

1907. श्री हरिसिंह चावड़ा : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के बनासकण्ठा जिले में दीसा कस्बे में हवाई अड्डा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार वहां से नियमित वायु सेवा कब तक शुरू करेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वाणिज्यिक और परिचालनात्मक कारणों से वर्तमान स्थिति में दीसा को हवाई सेवा से जोड़ना संभव नहीं है।

अंक तालिकाओं का वितरण

[अनुवाद]

1908. प्रो० (श्रीमती) सावित्री लक्ष्मणन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गुरुवायुर केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ केरल के आचार्य (स्नातकोत्तर-प्रथम वर्ष) वेदान्त की अंक तालिकाएं वितरित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं/उठाये जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): आचार्य (स्नातकोत्तर-प्रथम वर्ष) वेदान्त परीक्षा, 1991 सहित सभी अंक-तालिकाओं को वितरित करने के लिए दिनांक 30-9-91 को गुरुवायूर केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, केरल को भेज दिया गया है।

दिल्ली में तंबुओं में विद्यालय चलाना

[हिन्दी]

1909. श्री तेज नारायण सिंह :

श्री डी० एल० शर्मा "प्रेम" : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अनेक केन्द्रीय विद्यालय और दिल्ली प्रशासन तथा दिल्ली नगर निगम के विद्यालय तम्बुओं में चलाये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं तथा इन विद्यालयों के लिए भवनों का निर्माण सम्भवत: कब तक कर दिया जाएगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, दिल्ली प्रशासन और दिल्ली नगर निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार पूर्वी दिल्ली में टैन्टों में चल रहे स्कूलों की स्थिति इस प्रकार है—

केन्द्रीय विद्यालय संगठन :

न्यू फ्रैन्ड्स सेन्टर स्थित केवल एक ही केन्द्रीय विद्यालय नितान्त रूप से टैन्ट में चल रहा है। स्थायी स्कूल भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका क्योंकि दिल्ली विकास प्राधिकरण से स्थायी स्थान के अन्तिम आबंटन की प्रतीक्षा है।

दिल्ली प्रशासन :

पूर्णरूप से 21 स्कूल और आंशिक रूप से 13 स्कूल टैन्टों में चल रहे हैं। 24 स्कूलों के लिए अर्ध पक्के भवन के निर्माण कार्य के लिए संस्वीकृति जारी कर दी गई है और 4 पक्के भवन निर्माणाधीन हैं।

दिल्ली नगर निगम :

इस समय 14 स्कूल टैन्टों में चल रहे हैं। नए स्कूल भवनों का निर्माण कार्य विभिन्न स्थलों पर विभिन्नों चरणों में है। निम्नलिखित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए स्कूलों को फिलहाल टैन्टों में चलाना पड़ रहा है :

(i) जहां नए स्कूल खोले गए हैं और भूमि दिल्ली नगर निगम को औपचारिक रूप से नहीं सौंपी गई है।

(ii) जहां स्थल का स्वामित्व विवादास्पद है।

(iii) जहां पुराने भवनों को खतरे वाला घोषित कर दिया है और नए निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। उनकी योजना तैयार की जा रही है।

(iv) जहां दाखिलों में वृद्धि हुई है और विद्यमान भवन अतिरिक्त बच्चों को खपाए जाने के लिए अपर्याप्त हैं।

गंगानगर एक्सप्रेस की बारम्बारता

1910. **श्री मनफूल सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगानगर और जयपुर के बीच एक दिन में केवल एक गाड़ी गंगानगर एक्सप्रेस ही चलती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इन दोनों स्टेशनों के बीच वर्तमान गाड़ी की बारम्बारता बढ़ाने अथवा कोई नई गाड़ी भी चलाने का विचार है;

(ग) क्या गंगानगर एक्सप्रेस में वाष्प इंजन के स्थान पर डीजल इंजन लगाने का भी प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इन प्रस्तावों को संभवत: कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पांडवपुर (कर्नाटक) में उपरि पुल

[अनुवाद]

1911. **श्री जी० माडे गौड़ा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक के मांड्या जिले में पांडवपुर सुगर फैक्टरी के निकट विद्यमान रेल फाटक के स्थान पर एक उपरिपुल का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए कोई सर्वेक्षण कार्य आरंभ कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि नियमानुसार लागत में हिस्सेदारी की विधिवत सहमति देते हुए इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा कोई ठोस प्रस्ताव अभी तक प्रायोजित नहीं किया गया है।

मंगलूर और बंगलौर के बीच दिन के समय रेलगाड़ी चलाना

1912. **श्री वी० धनंजय कुमार** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंगलौर और बंगलौर के बीच आने जाने के लिए दिन के समय रेलगाड़ी चलाने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इन पर क्या कार्यवाही की है; और

(ग) गाड़ी को कब तक चलाये जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) जांच की गई थी लेकिन व्यावहारिक नहीं पाया गया।

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का कार्यकरण

1913. **श्री विजय कृष्ण हांडिक** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने सुदूर शिक्षा के सम्बन्ध में राष्ट्रीय स्तर पर नियन्त्रण निकाय के रूप में कार्य किए जाने के संदर्भ में क्या प्रगति की है;

(ख) क्या विभिन्न विश्वविद्यालयों में सुदूर शिक्षा अभी भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियन्त्रित की जा रही है;

(ग) क्या सरकार का सुदूर शिक्षा का उत्तरदायित्व इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को सौंपने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ङ) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जो 1985 में संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था, को देश की शैक्षिक पद्धति में मुक्त विश्वविद्यालय व दूरस्थ शिक्षा पद्धतियों के समन्वय व प्रोन्नति तथा इस प्रकार की पद्धतियों में स्तर समन्वय व निर्धारण की जिम्मेवारी सौंपी गई है। इन कार्यों के निष्पादन हेतु विश्वविद्यालय को अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों को अनुदान आबंटित व वितरित करने के अधिकार भी प्रदत्त किये गये हैं। इन जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय के वैधानिक प्राधिकरण के रूप में एक दूरस्थ शिक्षा परिषद् स्थापित करने का निर्णय लिया है।

विश्वविद्यालयों के स्तरों के समन्वय व निर्धारण की जिम्मेवारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की है। आयोग को मुक्त विश्वविद्यालय को केन्द्रीय सहायता हेतु उचित घोषित करने तथा इस प्रकार के विश्वविद्यालयों व अन्य विश्वविद्यालयों में पत्राचार अध्ययन के संस्थानों की वित्तीय सहायता प्रदान करने का अधिकार है।

आशा है कि दूरस्थ शिक्षा परिषद् की स्थापना से इं० गां० रा० मु० वि० धीरे-धीरे देश में मुक्त विश्वविद्यालय व दूरस्थ शिक्षा पद्धति के विकास की जिम्मेवारी ले लेगा।

देश में मानसिक चिकित्सालयों की स्थापना

1914. **श्री अन्ना जोशी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कितने मानसिक चिकित्सालय हैं और उनके नाम क्या हैं;

(ख) उनमें से प्रत्येक चिकित्सालय की भर्ती क्षमता कितनी है और उनमें वास्तव में कितने रोगी भर्ती हैं;

(ग) प्रत्येक रोगी पर औसतन कितना खर्च किया जाता है;

(घ) क्या सरकार का विचार अधिक मानसिक चिकित्सालय खोलने का है; और

(ङ) यदि हां, तो कितने और किन-किन स्थानों पर ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० ताराबेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) देश में मानसिक-रोग अस्पतालों की संख्या और उनके नाम तथा इनमें उपलब्ध पलंगों की संख्या संलग्न बिवरण में दी गई है।

(ग) प्रत्येक रोगी पर होने वाला खर्च पर संस्था में भिन्न-भिन्न होता है, जो अस्पताल के मूलभूत ढांचे और उसमें उपलब्ध सुविधाओं पर निर्भर करता है। अत: खर्च के सम्बन्ध में कोई राष्ट्रीय औसत दे पाना सम्भव प्रतीत नहीं होता।

(घ) और (ङ) अस्पतालों की स्थापना करना मूलरूप से एक राज्य विषय है। जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, फिलहाल कोई और मानसिक-रोग अस्पताल खोलने का प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

भारत के मानसिक/मनश्चिकित्सा अस्पतालों की सूची (10-1-1987 के अनुसार)

क्र०सं	अस्पताल का नाम	ग्रामीण शहरी	नियन्त्रण प्राधिकारी	पलगों की संख्या	राज्य में बिस्तरों की कुल संख्या	राज्य में अस्पतालों की कुल संख्या।
1	2	3	4	5	6	7
	आंध्र प्रदेश					
1.	गवर्नमेंट हॉस्पिटल फान मेंटल केयर, हैदराबाद	शहरी	सरकार	600	—	—
2.	गवर्नमेंट हॉस्पीटल फान मेंटल केयर, विशाखापटनम	शहरी	सरकार	300	900	2
	असम					
3.	तेजपुर मेंटल अस्पताल, तेजपुर	शहरी	सरकार	1000	1000	1
	बिहार					
4.	केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची	शहरी	सरकार	643	—	—
5.	रांची मानसिक आरोग्यशाला, रांची	शहरी	सरकार	1500	—	—
6.	डेविस इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइकेट्री, रांची	शहरी	निजी	300	2483	3
	गोवा					
7.	इंस्टीट्यूट आफ साइकेट्री एंड ह्यूमन बिहेवियर, पणजी	शहरी	सरकार	272	272	1

1	2	3	4	5	6	7
	गुजरात					
8.	मेंटल अस्पताल, देहली दरवाजा, अहमदाबाद	शहरी	सरकार	317	—	—
9.	मेंटल हास्पिटल जाम नगर	शहरी	सरकार	50	—	—
10.	गवर्नमेंट हास्पिटल, भुज	शहरी	सरकार	16	—	—
11.	डा० आचार्य हास्पिटल मनसा	शहरी	निजि	20	—	—
12.	मेंटल हास्पिटल, बड़ोदरा	शहरी	सरकार	155	—	—
13.	कस्तूरबा सेवाश्रम हास्पीटल, मरोली	ग्रामीण	स्वैच्छिक संगठन	100	658	6
	जम्मू और कश्मीर					
14.	साईकेट्रिक डिसीजिज हास्पिटल, काठी दरवाजा, श्रीनगर	शहरी	सरकार	100	100	1
(ब)	मेंटल हास्पिटल ईस्ट जम्मू	—	सरकार	—	—	—
	कर्नाटक					
15.	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर	शहरी	स्वायत्त	885	—	—
16.	मेंटल हास्पिटल, धारवाड़	शहरी	सरकार	375	1260	2
	केरल					
17.	सेंट रीठा अस्पताल, थांकी	ग्रामीण	स्वैच्छिक संगठन	50	—	—
18.	नायर्स हास्पीटल, कोचीन	ग्रामीण	निजी	25	=	—
19.	सेन्ट्रल हास्पिटल, कदाक्तरा	शहरी	निजी	12	—	—
20.	आनन्द नर्सिंग होम, पेरंबवूर	शहरी	निजी	20	—	—

1	2	3	4	5	6	7
21.	लिटल फ्लावर हास्पिटल, कोशा कुराविलंगाव	ग्रामीण	निजी	10	—	—
22.	सिटी हास्पिटल, कोट्टायम	शहरी	निजी	16	—	—
23.	विजय हास्पिटल, कालीकट	शहरी	निजी	8	—	—
24.	विवेक हास्पिटल, कालीकट	शहरी	निजी	28	—	—
25.	सुमेना नर्सिंग होम, नाइक्कवु	शहरी	निजी	14	—	—
26	गवर्नमेंट मेंटल हास्पिटल कालीकट	शहरी	सरकारी	474	—	—
27.	डा० सी०आर०पर्मेश्वरन मिमोरियल हास्पिटल कानालमोंघा	ग्रामीण	निजी	अनुपलब्ध	—	—
28.	एन०एस०एस० मिशन हास्पिटल, बलियकुलंग्रा	ग्रामीण	स्वैच्छिक संगठन	40	—	—
29.	जय भारतम नर्सिंग होम, पुनालुरा	शहरी	निजी	75	—	—
30.	सेंट मेरी हास्पिटल, कोट्टाप्पूराम	शहरी	निजी	16	—	—
31.	प्रशांती हास्पिटल, पुनकुन्नम	शहरी	निजी	30	—	—
32.	मारथोमा हास्पिटल आजीकोड	ग्रामीण	स्वैच्छिक	30	—	—
33.	मेंटल हास्पिटल त्रिचूर	शहरी	सरकार	331	—	—
34.	सी०पी०गोपाल पानिक्कर मेमोरियल हास्पिटल मुत्ताबा	ग्रामीण	निजी	10	—	—
35.	पीस माउंट हास्पिटल पारूरकवा	ग्रामीण	निजी	10	—	—

1	2	3	4	5	6	7
36.	मेंटल हास्पिटल त्रिवेंद्रम	शहरी	सरकार	507	1706	20
मध्य प्रदेश						
37.	मेंटल हास्पिटल, ग्वालियर	शहरी	सरकार	182	—	—
38.	मेंटल हास्पिटल, इंदौर	शहरी	सरकार	125	307	2
महाराष्ट्र						
39.	क्षीरसागर हास्पिटल, अहमदनगर	शहरी	निजी	12	—	—
40.	मेंटल हास्पिटल, नागपुर	शहरी	सरकार	910	—	—
41.	मेंटल हास्पिटल यरवाड़ा, पुणे	शहरी	सरकार	2600	—	—
42.	गवर्नमेंट हास्पिटल, रत्नागिरी	शहरी	सरकार	365	—	—
43.	डा० के० के० बटगे हास्पिटल, मिराज	शहरी	निजी	18	—	—
44.	गवर्नमेंट मेंटल हास्पिटल, थाणे	शहरी	निजी	1850	5755	6
45.	कृपामयी इन्स्टीट्यूट आफ मेंटल हैल्थ, मिराज	शहरी	निजी	150	—	—
नागालैंड						
46.	मेंटल हास्पिटल कोहिमा	शहरी	सरकार	25	25	1
उड़ीसा						
47.	मेंटल हैल्थ इन्स्टीट्यूट कटक	शहरी	सरकार	60	60	1
पंजाब						
48.	मेंटल हास्पिटल, अमृतसर	शहरी	सरकार	811	811	1
राजस्थान						
49.	साइकेट्रिक हास्पिटल जयपुर	शहरी	सरकार	280		

1	2	3	4	5	6	7
50.	मेंटल हास्पिटल, जोधपुर	शहरी	सरकार	85	365	2
तमिलनाडु						
51.	इन्स्टीट्यूट आफ मेंटल हैल्थ, किलपाक, मद्रास	शहरी	सरकार	1800	1800	1
उत्तर प्रदेश						
52.	मेंटल हास्पिटल, आगरा	शहरी	सरकार	818	—	—
53.	मेंटल हास्पिटल, बरेली	शहरी	सरकार	401	—	—
54.	मेंटल हास्पिटल, वाराणसी	शहरी	सरकार	331	1557	3
पश्चिमी बंगाल						
55.	लुम्बिनी पार्क हास्पिटल, कलकत्ता	शहरी	सरकार	200	—	—
56.	हास्पिटस फार मेंटल डिसीजिज, 18-गोबा रोड, कलकत्ता	शहरी	सरकार	250	—	—
57.	मेंटल हास्पिटल, मनकुंडु	शहरी	निजी	180	—	—
58.	मेंटल हास्पिटल, बहरामपुर	शहरी	सरकार	350	—	—
59.	लालगोला स्पेशल जेल मेंटल हास्पिटल, मुर्शिदाबाद	शहरी	जेल	300	—	—
60.	सरकारपोल मेंटल हास्पिटल, महेशता	शहरी	निजी	165	—	—
61.	नंगिया उन्माद आश्रम 24-परगना	शहरी	निजी	110	1555	7
दिल्ली						
62.	मानसिक रोग अस्पताल शाहदरा	शहरी	सरकार	578	1	—
	पूरे देश में अस्पतालों की कुल संख्या				=61	
	पूरे देश में बिस्तरों की कुल संख्या				=21189	

स्रोत : डायरेक्टरी आफ हास्पिटल्स इन इंडिया (1988), केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण ब्यूरो, भारत सरकार, नई दिल्ली।

तिरुअनन्तपुरम हवाई अड्डे का विस्तार

1915. **श्री रमेश चेन्नितला** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन-प्राधिकरण द्वारा अपने अधिकार में लिये जाने के बाद तिरुअनन्तपुरम हवाई अड्डे के विस्तार की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) इसका विस्तार कार्य कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण से 1-4-1991 से तिरुअनन्तपुरम अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का कार्य संचालन अपने हाथ में लिया। इस हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने और तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये प्राधिकरण ने प्रमुख विकास सम्बन्धी निर्माण कार्य शुरू कर दिये हैं। मौजूदा अन्तरदेशीय टर्मिनल भवन में अन्तरिम फेर-बदल, विमान पार्किंग एप्रन का विस्तार, मुख्य धावन-पथ के लिये साधारण पहुंच प्रकाश की व्यवस्था अन्तरदेशीय आगमन हाल में वातानुकूलन की व्यवस्था, मुख्य धावन-पथ के लिए पटरियों की व्यवस्था, मुख्य और परित्यक्त धावन-पथों का सुदृढ़ीकरण जैसे विकास सम्बन्धी कार्य प्रगति पर हैं। ये कार्य अगले वर्ष के मध्य तक पूरे हो जाने की आशा है।

भोपाल-रीवा-दिल्ली मार्ग पर इण्डियन एयरलाइन्स की सेवा पुनः चालू करना

[हिन्दी]

1916. **श्री भीम सिंह पटेल** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपल-रीवा-दिल्ली मार्ग पर एयरलाइन्स की उड़ानें बन्द कर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सेवा को पुनः कब चालू किया जाएगा और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (घ) इंडियन एयरलाइन्स ने भोपाल-रीवा-दिल्ली सेवा का परिचालन कभी भी नहीं किया। रीवा की हवाई पट्टी इंडियन एयरलाइंस के पास परिचालन के लिये उपलब्ध किसी भी विमान के परिचालन के लिये उपयुक्त नहीं है।

केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध शोध परिषद का कार्यकरण

[अनुवाद]

1917. **श्री प्यारेलाल जाटव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय आयुर्वेद सिद्ध शोध परिषद क्रियाकलापों के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेजी गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी०के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद के क्रियाकलापों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सतर्कता आयोग को कोई रिपोर्ट नहीं भेजी गई है। तथापि, परिषद के निदेशक के विरुद्ध अनुशासनिक कारंवाई करने से सम्बन्धित एक मामले को उनके पास सलाह देने हेतु भेजा गया था।

मथुरा जंकशन पर टिकटों के लिए अस्थाई व्यवस्था

1918. श्री योगानन्द सरस्वती : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मथुरा जंकशन पर गोवर्धन परिक्रमा (पूर्णिमा) के दौरान इसके तीन दिन पहले और दो दिन बाद तक टिकटों की बुकिंग हेतु कोई अस्थाई व्यवस्था करने का विचार है ताकि बुकिंग काउंटरों पर यात्रियों की भीड़ को कम किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो यह व्यवस्था कब तक की जायेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) गोवर्धन परिक्रमा के दौरान तीर्थयात्रियों की भीड़ की निकासी हेतु मथुरा जंकशन पर प्रतिमाह तीन दिन के लिये एक अतिरिक्त टिकट खिड़की खोली जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में वृक्षारोपण

1919. श्री महेन्द्र बैठा : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में गत तीन वर्षों के दौरान वृक्षारोपण का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) पहली छ:माही के दौरान प्राप्त किये गये लक्ष्य क्या हैं; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने राज्य की योजना में वृक्षारोपण के लिए क्या क्या लक्ष्य निर्धारित किया है।

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत बिहार के लिये वर्ष 1991-92 में वनीकरण/वृक्षारोपण कार्यकलापों हेतु रखा गया लक्ष्य और 30-9-1991 तक की उपलब्धियां निम्न प्रकार है—

	पौध वितरण (लाख में) (निजी भूमि पर वृक्षारोपण हेतु)	क्षेत्र (हेक्टेयर में) (सार्वजनिक भूमि जिसमें वन भूमि भी शामिल है)
लक्ष्य	700.00	50,000.00
उपलब्धि (30-9-1991 तक)	533.00	38,562.00

एड्स एजूकेशन कार्यक्रम

[अनुवाद]

1920. श्री अर्जुन चरण सेठी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एड्स जैसे भयानक रोग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 80 सदस्यों के एक चिकित्सा दल के साथ एड्स (एक्वायर्ड इम्यून डेफीसिएंसी सिन्ड्रोम) एजूकेशन एक्सप्रेस के रूप में बम्बई-फिरोजपुर जनता एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई;

(ख) क्या देश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे जन जागरण कार्यक्रम चलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी०के० ताराादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, नहीं । भारत सरकार अथवा महाराष्ट्र सरकार ने एड्स एजूकेशन एक्सप्रेस के नाम से कोई गाड़ी नहीं चलाई थी । लेकिन, बम्बई-फिरोजपुर जनता एक्सप्रेस जो 16 सितम्बर, 1991 को बम्बई से दिल्ली के लिए रवाना हुई थी, में 80 छात्र यात्रियों के रूप में यात्रा कर रहे थे, जो ग्रांट मेडिकल कालेज बम्बई में एम०बी०बी०एस० द्वितीय वर्ष छात्र के हैं । उन्हें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अखिल भारतीय अन्तर-देशीय आयुर्विज्ञान युवा समारोह "पल्स-91" में भाग लेने के लिये जाना था । इन छात्रों को भारतीय स्वास्थ्य संगठन द्वारा, जो एक गैर-सरकारी संगठन है, विषय-परिचायक प्रशिक्षण और शिक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया गया था ।

(ख) सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है ।

गोलकुंडा किले की भूमि पर अनधिकार कब्जा करना

1921. **श्री के० प्रोलका राव** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा किले की भूमि पर अनधिकार कब्जा किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो अनधिकार कब्जे को हटाने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : जी, हां ।

(ख) सुरक्षित क्षेत्र से अतिक्रमणों के बेदखली से सम्बन्धित मामलों को राज्य के अधिकारियों के साथ उठाया गया है ।

निजी क्षेत्रों द्वारा तीसरी एयरलाइन्स का संचालन

1922. **क्या श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल** : नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान वायुदूत अपने सम्भावित मूल्यांकन पर खरा उतरा है।

(ख) यदि नहीं, तो ऐसे कार्य निष्पादन के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार अगले एक दो वर्षों में निजी क्षेत्र को तीसरी एयरलाइन्स के संचालन की अनुमति देने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) वाणिज्यिक और

परिचालनात्मक कारणों से, वायुदूत को पिछले दो वर्षों के दौरान अपने परिचालनात्मक कार्यकलापों में कमी करनी पड़ी थी। 31 मार्च, 1991 तक कम्पनी की संचित हानि 128 करोड़ होने का अनुमान है। हानि के मुख्य कारण हैं :

परिचालनों की कम दूरी, पुराना और गैर-किफायती विमान बेड़ा, अलाभकारी किराया ढांचा।

(ग) और (घ) हवाई टैक्सी सेवाओं का परिचालन निजी प्रचालकों द्वारा किया जाता है और वे देश में अनुसूचित परिचालकों के लिए खुले सभी हवाई अड्डों से परिचालन कर सकते हैं।

महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में पर्यावरण असन्तुलन

1923. **श्री उदय सिंह राव गायकवाड़** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के कोल्पापुर जिले के कुछ घने जंगलों को खनन कार्य के कारण बुरी तरह से नष्ट किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस जिले को पर्यावरणीय असन्तुलन से बचाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में खदान पट्टे के नवीकरण से सम्बन्धित केवल एक खनन प्रस्ताव को 31-1-1989 को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत सहमति दी गई है। इस प्रस्ताव को मंजूरी देते समय, खदान कार्यों के हो जाने के पश्चात वनरोहण के सम्बन्ध में कुछ शर्तें लगाई गई हैं। खनन गतिविधि के लिये परियोजना प्राधिकारियों को राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेनी होती है। वन भूमि को वनेतर प्रयोजनों के लिये देते समय लगाई गई शर्तों के कार्यान्वयन पर मन्त्रालय द्वारा निगरानी रखी जाती है।

कटपदी-तिरुपति रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

1924. **श्री दत्तात्रेय बंडारु** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटपदी-तिरुपति रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संसाधनों की तंगी।

केन्द्रीय विद्यालयों में शिशुगृह

1925. **डा० सुधीर राय** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ ने प्रत्येक केन्द्रीय विद्यालय में शिशु-गृह खोलने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ ने दिनांक 31-10-91 के अपने पत्र में यह मांग की है कि केन्द्रीय विद्यालयों में शिशु देख-रेख केन्द्रों की उपरान्त व्यवस्था की जानी चाहिए। तथापि, इस मामले में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

दिल्ली के यमुना-पार क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाएं

[हिंदी]

1926. **श्री बी० एल० शर्मा प्रेम** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के यमुनापार क्षेत्र में चिकित्सा तथा सी० जी० एच० एस० सुविधाओं का भारी अभाव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार 1991-92 के दौरान सी० जी० एच० एस० की डिस्पेंसरियों की संख्या बढ़ाने तथा एक अस्पताल खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, नन्द नगरी में एक अन्य औषधालय खोलने का प्रस्ताव है, जिसे उपयुक्त स्थान के अभाव में रोक दिया गया है। दो और औषधालय, एक दिलशाद गार्डन और दूसरा नौएडा में खोले जाने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है। वर्ष 1991-92 के दौरान किसी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना अस्पताल के खोलने का प्रस्ताव नहीं है।

"चिल्का झील के लिए योजना"

[अनुवाद]

1927. **श्री रवि राय** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडियन इन्टरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उड़ीसा में चिल्का झील को पर्यावरण सम्बन्धी सुधार करने के लिए किसी योजना के कार्यान्वयन हेतु अनुमोदन किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस झील के विकास के लिए निकाय का गठन कब तक किए जाने की सम्भावना है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) कनाडियन इन्टरनेशनल डेवलपमेंट अथारिटी पारि-प्रणाली के संरक्षण में सहायता देने के लिए चिल्का झील के लिए एक समन्वित संसाधन प्रबन्ध योजना तैयार करने के लिए सहमत हो गई है।

(ग) चिल्का विकास प्राधिकरण की स्थापना नवम्बर, 1991 में की जा चुकी है।

पश्चिम राजस्थान में प्रदूषण मुक्त पर्यावरण

1928. **श्री गुमान मल लोढ़ा** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम राजस्थान में उद्योगों द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण से पर्यावरण को मुक्त कराने हेतु वर्ष 1991-92 के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की प्रमुख विशेषतायें क्या हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) राजस्थान प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ने पाली, जोधपुर और बलोत्रा में लघु उद्योगों के समूहों द्वारा फैलाए जा रहे पर्यावरणीय प्रदूषण के नियन्त्रण के लिए एक स्कीम तैयार की है। इस स्कीम के तहत मूल्य रूप से प्रदूषण को स्रोत पर ही कम करने के लिए संयंत्रों में संशोधन करना तथा पाली में इन समूहों के लिए सांझा बहिस्राव शोधन संयंत्र स्थापित करना शामिल है। राजस्थान सरकार ने व्यवहारिकता रिपोर्ट तैयार करने का कार्य राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, नागपुर की सहायता से राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और पूंजी निवेश निगम को सौंपा है। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने, बलोत्रा में स्थित उद्योगों के लिए भी इसी प्रकार की स्कीम तैयार किए जाने का प्रस्ताव रखा है।

एड्स के सम्बन्ध में विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट

1929. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में देश में एड्स के मामलों के सम्बन्ध में विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट मिली है; और

(ख) यदि हां, तो कार्यान्वियन के लिए रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी०के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां।

(ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अनुमान लगाया है कि दक्षिण-पूर्व एशिया में 1/2 मिलियन एच० आई० वी० संक्रमित रोगियों में से बड़ी तादाद भारत और थाइलैंड में है। सरकार ने एड्स के निवारण और नियन्त्रण कार्यक्रम के लिए निम्नलिखित संघटकों वाला एक बृहस्तर का परियोजना प्रस्ताव विकसित किया है।

1. इमारतों की निगरानी और नैदानिक उपचार क्षमता।

2. जन जागरूकता और समुदाय शिक्षा में संवर्धन।

3. रक्त निरापदता में सुधार और रक्त का विवेकपूर्ण प्रयोग।

4. यौन संचरित रोगों के निदान और उपचार सम्बन्धी सुविधाओं में सुधार।

5. कार्यक्रम प्रबन्ध क्षमता को मजबूत बनाना।

इस कार्यक्रम के क्रियाकलापों को सहायता देने हेतु धन के इन्तजाम के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व बैंक और कुछ द्विपक्षीय संस्थाओं के साथ भी सहयोग कर रहा है।

औद्योगिक शहरों में प्रदूषण

[हिन्दी]

1931. श्री गोविन्दराव निकम :

श्री प्यारेलाल जाटव : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक शहरों में प्रदूषण बढ़ रहा है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस प्रदूषण को रोकने हेतु कोई नीति बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रदूषण के लिए जिम्मेदार औद्योगिक एककों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) वायु गुणवत्ता सर्वेक्षण के अनुसार औद्योगिक नगरों में वायु प्रदूषण के स्तर कुल मिलाकर निर्धारित सीमाओं के अन्दर हैं और निर्धारित सीमाओं के अन्दर ही रहेंगे । यद्यपि सल्फर डाई-आक्साइड और नाइट्रोजन के आक्साइडों के स्तर सीमाओं के अन्दर हैं लेकिन इन नगरों में धूल कणों के स्तर उच्चतर हैं । यह मुख्यतया धूल और वाहनों के अधिक यातायात के कारण है । इन नगरों में शहरीकरण के कारण जल प्रदूषण में वृद्धि हो रही है ।

(ख) और (ग) पर्यावरण की सुरक्षा हमेशा चिन्ता का विषय रहा है और इसे अब तक शुरू किए गए सभी कार्यक्रमों, परियोजनाओं और नीतियों में शामिल किया गया है और इस प्रक्रिया को जारी रखा जाएगा । इस प्रक्रिया के भाग के रूप में विकास की योजना बनाने में हमें पर्यावरण और आर्थिक पहलुओं का सम्मेलन करना होगा, प्रदूषण उपशमन में निवारक पहलुओं पर जोर देना होगा, औद्योगिक प्रदूषणों को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी निवेशों को बढ़ावा तथा एक स्वच्छ पर्यावरण के लिए जन सहयोग प्राप्त करना होगा ।

(घ) प्रदूषण फैलाने के लिए उत्तरदायी औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध सरकार द्वारा की गई कारंवाई में निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) उद्योगों के स्थान निर्धारण और प्रचालन के लिए पर्यावरणीय दिशा-निर्देश तैयार किए हैं।

(2) उद्योगों को बहिस्रावों के विसर्जनों और उत्सर्जनों को निर्धारित सीमाओं के अन्दर रखने के लिए राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डों की सहमति अपेक्षाओं का पालन करने के लिए कहा गया है ।

(3) उद्योगों को समय-बद्ध आधार पर जरूरी प्रदूषण नियन्त्रण उपकरण लगाने के निदेश दिए गए हैं और दोषी इकाइयों के विरुद्ध कानूनी कारंवाई की जाती है ।

(4) अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की 17 श्रेणियों पर नियंत्रण लगाने के लिए राज्य सरकारों के परामर्श से एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है और इस सम्बन्ध में एक अधिसूचना जारी की गई जिसके अनुसार प्रदूषण फैलाने वाले इकाइयों को 31 दिसम्बर, 1991 तक मानकों को पूरा करना है ।

(5) मलजल/जल निकासी प्रणाली के निर्माण/वृद्धि करने और मलजल शोधन की स्कीमें शुरू की गई हैं।

(6) साझे बहिस्राव शोधन संयंत्रों की स्थापना के लिए लघु औद्योगिक इकाइयों के समूह को सहायता देने की एक स्कीम शुरू की गई है।

(7) प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों से शिफ्ट करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

दक्षिण अफ्रीका के लिए विमान सेवा

[अनुवाद]

1932. श्री गोविन्दराव निकाम :

श्री सनत कुमार मंडल : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दक्षिण अफ्रीका के साथ सीधे विमान सेवा स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह सेवा कब प्रारम्भ होगी;

(घ) क्या दक्षिण अफ्रीका को भी भारत के लिए तथा भारत से दक्षिण अफ्रीका के लिए कोई सेवा चलाने की अनुमति दी जाएगी; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसी सेवाओं की संख्या कितनी होगी, ये किन हवाई अड्डों से प्रारम्भ होंगी तथा भारत में वे किन-किन स्थानों पर जायेंगी ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

देश में मधुमेह के रोगी

1933. श्री गोविन्दराव निकाम :

श्री मुमताज अन्सारी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 नवम्बर, 1991 के "नवभारत टाइम्स" में "देश में 20 लाख मधुमेह से पीड़ित" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है;

(ग) मधुमेह रोग के उन्मूलन/रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में मधुमेह के कितने रोगी पंजीकृत हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० ताराबेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) जी, हां।

शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों सहित भारत के छह विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के तत्वावधान में वर्ष 1972-75 में मधुमेह की व्याप्तता सम्बन्धी एक जानपदिक रोगविज्ञानी अध्ययन किया गया था जिसके परिणाम इस प्रकार थे—

क्षेत्र तथा राज्य	व्याप्तता (प्रति हजार जनसंख्या)
1	2
अहमदाबाद (गुजरात)	2·86
कलकत्ता (पश्चिम बंगाल)	1·63
कटक (उड़ीसा)	1·40
दिल्ली	1·23
पूणे (महाराष्ट्र)	1.48
त्रिवेन्द्रम (केरल)	1.81

इन आंकड़ों के आधार पर भारत से मधुमेह की व्याप्तता 1·73 आंकी गई थी।

मधुमेह नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत तमिलनाडु के सलेम तथा दक्षिण अर्काट जिलों तथा जम्मू एवं कश्मीर के जिलों में एक आपरेशनल डिस्ट्रिक्ट मॉडल कार्य कर रहा है। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस कार्यक्रम की विषयवस्तु एवं कवरेज का विस्तार करने का प्रस्ताव है।

मधुमेह से सम्बन्धित शैक्षिक सामग्री कुछेक भाषाओं में तैयार की गई है तथा इस कार्यक्रम में शामिल जिलों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को उपलब्ध की गई है।

गर्भवती माताओं जैसे अत्यन्त कमजोर समूहों में मधुमेह की परिचर्या एवं नियंत्रण सम्बन्धी विशेष लघु पुस्तिकाएं भी सामुदायिक शिक्षा के एक भाग के रूप में तैयार की गई है। मधुमेह सम्बन्धी स्वास्थ्य शिक्षा प्रचार सम्बन्धियों के जरिए तथा विशेष अभियान एवं प्रदर्शनियां लगा कर भी दी जा रही है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली के चुनिंदा प्रमुख सरकारी अस्पताल में उपचार किए गए मधुमेह के रोगियों की संख्या इस प्रकार हैं—

संख्या	अस्पताल	1988	1989	1990
1.	डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल	387	213	303
2.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान	381	329	313
3.	लोक नायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल	528	487	564
4.	गोविन्द बल्लभ पन्त अस्पताल	233	17	13
5.	सफदरजंग अस्पताल	463	195	246

कालीकट एयरपोर्ट में एयर कार्गो परिसर

[अनुवाद]

1934. श्री वी० एस० विजयराघवन : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का केरल के कालीकट एयरपोर्ट में एयर कार्गो परिसर की स्थापना की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) सरकार की इस समय कालीकट हवाई अड्डे पर एकीकृत हवाई कार्गो काम्प्लेक्स के निर्माण की कोई योजना नहीं है। राष्ट्रीय विमानपत्तम प्राधिकरण ने काम्प्लेक्स के निर्माण और प्रबन्ध की पेशकश की है यदि सम्बन्धित राज्य सरकार की एजेंसियां इसकी निर्माण लागत का वहन कर सकें।

सोनीपत स्टेशन पर प्लेटफार्म का विस्तार

[हिन्दी]

1935. श्री धर्मपाल सिंह मलिक : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोनीपत रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म का विस्तार करने तथा वर्तमान शेड की लम्बाई बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव कब तक लागू किया जाएगा ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सोनीपत स्टेशन पर आगजनी

1936. श्री धर्मपाल सिंह मलिक : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990 में आगजनी के कारण सोनीपत रेलवे स्टेशन को कुल कितनी हानि हुई थी तथा इसे ठीक करने के लिए कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(ख) भविष्य में ऐसी घटनाओं से स्टेशन को बचाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 1990 में सोनीपत रेलवे स्टेशन में हुई आगजनी के कारण लगभग 19 लाख रु० की हानि होने का अनुमान है, इसे परिचालन योग्य बनाने के लिए लगभग 12.5 लाख रु० खर्च किए गए।

(ख) राज्य पुलिस प्राधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करके धमकी की आशंका के आधार पर रेलवे सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए सुरक्षा प्रबन्ध किये जाते हैं।

दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या

[अनुवाद]

1937. श्री जीवन शर्मा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, सफदरजंग और डा० राम मनोहर लोहिया अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या कितनी-कितनी है और गत तीन माह के दौरान वास्तव में कितने रोगी वार्ड-वार भर्ती हुए;

(ख) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और सफदरजंग अस्पताल में बिस्तरों की संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल की तरह सफदरजंग अस्पताल में भी नर्सिंग होम का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) क्या सरकारी अस्पतालों में सफाई की सामान्य व्यवस्था अच्छी नहीं है; और

(च) यदि हां, तो अस्पतालों को साफ-सुथरा रखने हेतु क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) और (ग) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अतिरिक्त प्राइवेट वार्ड का निर्माण करके, आई० आर० सी० एच० को सुदृढ़ करके, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करके और कार्डियो थोरेसिक सेंटर में कुल और पलंगों की व्यवस्था करके पलंग क्षमता को बढ़ाने का प्रस्ताव है । बहरहाल, इस समय सफदरजंग अस्पताल में पलंग क्षमता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) और (च) रोगियों की बढ़ती हुई संख्या से अस्पताल के आधारभूत ढांचे पर भार पड़ रहा है । बहरहाल, अतिरिक्त आवास और कर्मचारियों की व्यवस्था करके सामान्य अनुरक्षण और अस्पताल के रख-रखाव में सुधार लाने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं ।

विवरण

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली कुल पलंग क्षमता-1576

जून, 1991 से अगस्त, 1991 तक दाखिले

विभाग	जून, 91	जुलाई, 91	अगस्त, 91
मेडिसिन यूनिट-I	98	88	57
मेडिसिन यूनिट II	78	77	77
मेडिसिन यूनिट-III	68	65	59
सर्जरी यूनिट-I	86	118	88
सर्जरी यूनिट-II	83	85	81
सर्जरी यूनिट-III	115	138	72

1	2	3	4
सर्जरी यूनिट-IV	75	94	71
आर्थोपिडिक्स-I	136	147	125
आर्थोपिडिक्स-II	148	145	103
प्रसूति एवं स्त्री रोग-I	239	311	195
प्रसूति एवं स्त्री रोग-II	215	222	149
प्रसूति एवं स्त्री रोग-III	194	195	138
नेफ्रोलाजी	136	149	186
एंडोक्राइन	46	50	38
जठरांत्र रोग विज्ञान	98	116	85
रुधिर विज्ञान	124	130	128
तंत्रिका विज्ञान	154	200	127
कार्डियोलाजी	299	345	239
सी० टी० वी० एस०	179	217	123
मनश्चिकित्सा	38	46	19
तंत्रिकाशल्य विज्ञान	236	247	209
यूरोलाजी	145	217	171
ओटोलेरिंगोलाजी	349	319	177
चर्मरोग	90	109	88
नवजात	115	166	153
पेडियाट्रिक्स	291	296	247
पेडियाट्रिक सर्जरी	149	162	135
रेडियो थिरेपी	19	23	19
दन्त शल्य चिकित्सा	14	16	4
न्यू-मेडिसिन	1	10	9
गैस्ट-इंट-लि०	39	37	30
पुनर्वास और कृत्रिम	5	8	2
आई० आर० सी० एम०	—	2	3
संवेदनाहरण विज्ञान	—	—	2

सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली

कुल पलंग क्षमता—1531

सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में अगस्त, सितम्बर और अक्तूबर 1991 के दौरान वार्ड-वार दाखिले

वार्ड	महीने		
	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर
1	2	3	4
ए	674	708	701
बी	911	819	800
सी	35	28	19
1	38	63	61
2	77	79	120
3	226	199	165
4	194	224	126
5	228	188	160
6	93	87	101
7	111	91	103
8	383	401	418
9	611	669	544
10-बी	469	519	438
10-सी	100	29	[illegible]
11	32	19	27
12	4	5	6
13	5	6	2
14	9	17	10
15	118	110	126
16	86	61	60
17	161	162	189

1	2	3	4	
18	255	343	195	
19	210	162	215	
20	358	424	315	
21	286	466	282	
22	94	78	77	
23	55	43	55	
23-ए	26	33	32	
24	38	39	46	
25	24	18	30	
26	30	43	42	
27	55	55	67	
28	59	49	45	
29	61	57	57	
स्पाइनल इंजेक्शन	9	16	11	
	नवजात शिशु			
3	123	104	94	पलंग क्षमता
4	96	114	83	
5	93	85	85	वयस्क और बच्चे
5 एन	148	129	102	1,357
8	287	312	299	
9	344	379	341	नवजात शिशु
9 एन	83	108	102	174
10	400	443	360	कुल 1,531
योग	7,709	8,032	7,265	

डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल में पलंग क्षमता=929

यूनिट		दाखिल रोगियों की संख्या 1-8-91 से 31-10-91 तक)
डा० सी० पी० सिंह	मेडिकल	395
डा० एस० बग	—तदैव—	404
डा० एन० पी० एस० वर्मा०	—तदैव—	458
डा० एम० पी० दुबे	—तदैव—	448
डा० एस० के० मिनोचा	—तदैव—	473
डा० आर० सी० भसीन	—तदैव—	420
डा० डी० नटराजन	कार्डियालोजी	243
डा० एस० सी० झा	सर्जिकल	417
डा० एस० एम० गुलाटी	सर्जिकल	433
डा० ए० एन० सिंहा	सर्जिकल	425
डा० डी० सेन गुप्ता	सर्जिकल	445
डा० ओ० पी० पथनिया	सर्जिकल	374
डा० (कु०) एस० पाल	सर्जिकल	394
डा० एस० पी० बजाज	बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी	184
डा० एस० पी० अग्रवाल	न्यूरो सर्जरी	432
डा० (श्रीमती) के० के० सिद्दू	पेडिएट्रिक्स	625
डा० यू० सत्या	पेडिएट्रिक्स	529
डा० ए० कोहली	पेडिएट्रिक्स	457
डा० बी० एल० कोछर	अर्थोपेडिक्स	274
डा० एल० के० सूद	अर्थोपेडिक्स	325
डा० वाई० पी० गुलाटी	अर्थोपेडिक्स	201
डा० (श्रीमती) स्नेह लता	स्त्री रोग	351
डा० (श्रीमती) एस० बहादुरी	स्त्री रोग	421
डा० (श्रीमती) के० मदान	स्त्री रोग	429
डा० ओ० एन० कृष्णा	नेत्र	125
डा० सत्य प्रकाश	कान नाक गला	324
डा० ए० के० शर्मा	चर्म	68
डा० जी० एल० सभरवाल	दंत	16
डा० (श्रीमती) नीना वोरा	मनश्चिकित्सा	131
डी० एम० ओ०		61
(ब्रॉट डेड)	योग :	10343

दिल्ली में परिसरीय (पेरिफिरल) अस्पताल तथा पॉलीक्लीनिक

1938. **श्री जीवन शर्मा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, मेटर्निटी होमों और उप-केन्द्रों, पालीक्लीनिकों, उप-क्लीनिकों, पंजीकृत प्राइवेट नर्सिंग होमों की संख्या कितनी है तथा इन संस्थाओं को संचालित करने वाली एजेंसियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन सभी संस्थाओं को किसी एक एजेंसी के नियन्त्रण में लाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में बिस्तरों की संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो कितनी;

(ङ) क्या सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा सेवाओं के स्तर को बढ़ाकर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में उपलब्ध सेवाओं के बराबर करने का विचार है और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या दिल्ली में परिसरीय (पेरिफिरल) अस्पताल तथा पालीक्लीनिक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन्हें संभवतः कब तक स्थापित कर दिया जाएगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, हां। प्राइवेट वार्ड ब्लाक में लगभग 100 अतिरिक्त पलंगों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ) जी, हां। दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत 7 अस्पताल और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत स्वास्थ्य विहार में एक पालीक्लीनिक खोलने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित अस्पतालों के ब्यौरों और इनको स्थापित करने में लगने वाले सम्भावित समय को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है।

विवरण-1

श्रेणी	सरकार	स्थानीय निकाय	निजी और स्वैच्छिक संगठन	योग
अस्पताल (सभी प्रकार के)	33*	21	26	80
औषधालय (सभी प्रकार के)	313	194	146	653
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	3	5	—	8
उप केन्द्र (31-3-91 को)	18	24	—	42
जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य केन्द्र	17	65	7	89
नर्सिंग होम	—	—	117	117

*सांविधिक निकायों के अस्पताल सहित।

विवरण-2

क्रम सं०	अस्पताल का नाम	स्थान	अभ्युक्तियां
1.	100 पलंगों वाला लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल	खिचड़ीपुर	मार्च, 1992 तक बहिरंग रोगी विभाग की सेवाएं और मार्च, 1993 तक अन्तरंग सेवाएं शुरू की जाने की संभावना है।
2.	100 बिस्तरों वाला बाबू जगजीवन राम मेमोरियल अस्पताल	जहांगीरपुर	—तदैव—
3.	199 पलंगों वाला गुरु गोबिंद सिंह अस्पताल	रघुवीर नगर	इन अस्पतालों के लिए भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है।
4.	500 पलंगों वाला बाबा साहब डा० बी० आर० अम्बेडकर अस्पताल	रोहिणी	मार्च, 1994 तक बहिरंग रोगी विभाग की सेवाएं और मार्च, 1995 तक अन्तरंग सेवाएं शुरू की जाने की सम्भावना है।
5.	100 पलंगों वाला अस्पताल	सिरसपुरी	
6.	100 पलंगों वाला अस्पताल	पूठ खुर्द	
7.	100 पलंगों वाला अस्पताल	मैदानगढ़ी	

उड़ीसा सामाजिक वानिकी परियोजना

[हिन्दी]

1939. श्री मृत्युंजय नायक : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री 26 अगस्त, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4293 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच अपेक्षित सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) जी, नहीं। राज्य सरकार ने पूरी अपेक्षित सूचना नहीं भेजी है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में एड्स के उपचार की व्यवस्था न होना

[अनुवाद]

1940. श्री मृत्युंजय नायक : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री 26 अगस्त, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या : 4491 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डो०के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) सरकार द्वारा गठित की गई समिति ने अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

पूजा और दिवाली के त्यौहार पर विशेष उड़ानें

1941. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष पूजा और दिवाली के त्योहारों के दौरान घोषित की गई विशेष उड़ानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उनमें से कितनी उड़ानें वास्तविक रूप से चली; और

(ग) इसकी आय-व्यय स्थिति का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) 1991 में पूजा त्योहार के दौरान इंडियन एयरलाइन्स द्वारा निम्नलिखित उड़ानों की घोषणा की गई थी और इन्हें परिचालित किया गया था :

1. दिल्ली-कलकत्ता-दिल्ली	बी०-737 विमान से 6 उड़ानें।
2. कलकत्ता-अगरतला-कलकत्ता	एक बी-737 विमान के साथ और दूसरा ए-320 विमान के साथ।
3. कलकत्ता-काठमांडू-कलकत्ता	बी-737 विमान के साथ 5 उड़ानें।
4. कलकत्ता-बागडोगरा-कलकत्ता	बी-737 विमान के साथ 1 उड़ान।
कुल	14 उड़ानें

(ग) इन उड़ानों से अर्जित राजस्व और परिचालनों पर किया गया खर्च क्रमश: 29.55 लाख रुपये और 26.85 लाख रुपए था।

इण्डियन एयरलाइन्स टिकटों की बिक्री से आय

1942. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइंस की घरेलू उड़ानों की मार्गवार कुल संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से कितनी उड़ानें चालू वर्ष के दौरान आरम्भ की गई तथा ये किन मार्गों पर आरंभ की गई;

(ग) पिछले एक वर्ष के दौरान किन मार्गों पर विमानों के संचालन हेतु ईंधन की खपत पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई तथा टिकटों की बिक्री से कुल कितनी आय प्राप्त हुई;

(घ) इसमें से कितनी टिकटें जे श्रेणी की तथा कितनी वाई श्रेणी की थी तथा संसद द्वारा अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा अथवा सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों द्वारा अथवा राज्य सरकारों द्वारा कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) इंडियन एयरलाइन्स प्रतिदिन औसतन उड़ानों के 89 जोड़े परिचालित करती है। रूट-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिये गये हैं।

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-2 में उपलब्ध है।

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान अन्तर्देशीय उड़ानों को चलाने में ईंधन की खपत पर कुल 370 करोड़ रुपए की राशि हुई थी। अन्दरदेशीय उड़ानों की टिकटों की बिक्री से प्राप्त आय 890 करोड़ रुपए थी।

(घ) 1990-91 के दौरान, इंडियन एयरलाइन्स के नेटवर्क पर 75.15 लाख यात्रियों ने वाई क्लास में यात्रा की और 3.51 लाख यात्रियों ने जे क्लास में यात्रा की। चूंकि टिकट या तो नकद भुगतान करके या सीधे क्रेडिट द्वारा अथवा एजेंटों की मार्फत खरीदे जाते हैं, अतः संसद संघ सरकार/राज्य सरकार और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा टिकटों की खरीद पर अदा की गई राशि की पूरी सूचना उपलब्ध नहीं है। इंडियन एयरलाइंस केवल कुछ पार्टियों के सम्बन्ध में ही रिकार्ड रखती है जिन्हें क्रेडिट की सुविधाएं दी गई हैं।

विवरण-1

इंडियन एयरलाइंस द्वारा परिचालित मार्ग-वार ब्यौरे

ए-300

उड़ान संख्या	मार्ग
आ०ई०सी०-105/106	बम्बई-बंगलौर
,, 107/108	बम्बई-बंगलौर
,, 109/110	बम्बई-बंगलौर
,, 163/164	बम्बई-गोवा
,, 167/168	दिल्ली-बम्बई-त्रिवेन्द्रम

उड़ान संख्या	मार्ग
आई० सी० 169/170	बम्बई-गोवा
,, 171/172	बम्बई-मद्रास
,, 173/174	बम्बई-मद्रास
,, 175/176	बम्बई-कलकत्ता
,, 183/184	बम्बई-दिल्ली
,, 187/188	बम्बई-दिल्ली
,, 186/185	बम्बई-दिल्ली
,, 229/230	कलकत्ता-गुवाहाटी
,, 263/264	कलकत्ता-दिल्ली
,, 273/273	कलकत्ता-बम्बई
,, 401/402	दिल्ली-कलकत्ता
,, 403/404	दिल्ली-बंगलौर
,, 405/406	दिल्ली-बम्बई
,, 439/440	दिल्ली-हैदराबाद
,, 571/572	मद्रास-बम्बई
,, 593/594	मद्रास-बम्बई
,, 539/540	मद्रास-दिल्ली
ए-320	
आई०सी० 603/604	बम्बई-अहमदाबाद
,, 613/614	बम्बई-अहमदाबाद
,, 617/618	बम्बई-हैदराबाद
,, 629/630	बम्बई-नागपुर
,, 679/680	बम्बई-बड़ौदा
,, 695	बम्बई-वाराणसी-लखनऊ
,, 697/698	बम्बई-कालीकट
,, 729/730	कलकत्ता-गुवाहाटी

उड़ान संख्या		सैक्टर
आई० सी०	741/742	कलकत्ता-अगरतला
,,	743/744	कलकत्ता-अगरतला
,,	765/766	कलकत्ता-मद्रास
,,	771/772	कलकत्ता-बंगलौर
,,	803/804	दिल्ली-बंगलौर
,,	809/810	दिल्ली-पटना-रांची-कलकत्ता
,,	807/807	दिल्ली-बम्बई
,,	815/816	दिल्ली-लखनऊ
,,	817/	दिल्ली अहमदाबाद-बड़ौदरा-दिल्ली
,,	835/836	दिल्ली-लखनऊ
,,	839/840	दिल्ली-हैदराबाद
,,	861/862	दिल्ली-अहमदाबाद
,,	879/880	दिल्ली-गुवाहाटी-अगरतला
,,	889/890	दिल्ली-गुवाहाटी-इम्फाल
,,	919/920	हैदराबाद-बम्बई
,,	913/914	मद्रास-बंगलौर
,,	915/916	बंगलौर-हैदराबाद
,,	927/928	हैदराबाद-बम्बई
,,	929/930	मद्रास-बंगलौर-त्रिवेन्द्रम
,,	939/940	मद्रास-दिल्ली
,,	951/952	मद्रास-बंगलौर-अहमदाबाद
,,	955/956	कोयम्बतूर-बम्बई
बी-737		
	115/116	बम्बई-राजकोट
	121/122	बम्बई-औरंगाबाद
	129/130	बम्बई-रायपुर-भुवनेश्वर-कलकत्ता

उड़ान संख्या	सैक्टर
133/134	बम्बई-अहमदाबाद-इंदौर
135/136	बम्बई-भावनगर
147/148	बम्बई-जामनगर-भुज
159/160	बम्बई-मंगलौर
161/162	बम्बई-कोचीन
177/178	बम्बई-कालीकट
179/180	बम्बई-मंगलौर
191/192	बम्बई-कोचीन
199	बम्बई-रांची-पटना
201/202	कलकत्ता-डिब्रूगढ़
209/210	कलकत्ता-गुवाहाटी-सिल्चर
213	कलकत्ता-तेजपुर-जोरहाट-गुवाहाटी-कलकत्ता
215/216	कलकत्ता-वाराणसी-जयपुर
217	कलकत्ता-गुवाहाटी-तेजपुर-जोरहाट-कलकत्ता
221/222	कलकत्ता-बागडोगरा
255/256	कलकत्ता-सिल्चर-इम्फाल
257	कलकत्ता-इम्फाल-दीमापुर
269/270	कलकत्ता-भुवनेश्वर-नागपुर-हैदराबाद
277/278	कलकत्ता-हैदराबाद
285/286	कलकत्ता-पोर्टब्लेयर
287/288	कलकत्ता-पोर्टब्लेयर-कार निकोबार
407/408	दिल्ली-आगरा-खुजराहो-वाराणसी
409/410	दिल्ली-लखनऊ-कलकत्ता
419	दिल्ली-कानपुर-गोरखपुर-दिल्ली
421/422	दिल्ली-चण्डीगढ़-जम्मू-श्रीनगर
523/424	दिल्ली-अमृतसर-श्रीनगर

उड़ान संख्या	सैक्टर
429/430	श्रीनगर-लेह
433/434	दिल्ली-ग्वालियर-भोपाल-इंदौर-बम्बई
445/446	जयपुर-बम्बई
449/450	दिल्ली-पुना
465	दिल्ली-कानपुर-इलाहाबाद-दिल्ली
469/470	दिल्ली-नागपुर-रायपुर
485/486	जम्मू-लेह
477/478	दिल्ली-भुवनेश्वर
479/480	दिल्ली-बागडोगरा-गुवाहाटी-दीमापुर
481/482	चण्डीगढ़-लेह
487/488	दिल्ली-पटना
489/490	दिल्ली-बागडोगरा-गुवाहाटी-दीमापुर
491/492	दिल्ली-जयपुर-जोधपुर-उदयपुर-औरंगाबाद-बम्बई
493/494	दिल्ली-जयपुर-जोधपुर-उदयपुर-बम्बई
495/496	दिल्ली-जयपुर-जोधपुर-उदयपुर
497/498	दिल्ली-वाराणसी-भुवनेश्वर
483/484	दिल्ली-लेह
499	दिल्ली-आगरा-खुजराहो-वाराणसी
501	मद्रास/त्रिची-मदुरै
503/504	मद्रास/त्रिचि-मदुरै-बंगलौर
517/518	मद्रास-बंगलौर-पुना
523/524	मद्रास-बंगलौर-गोवा-अहमदाबाद
529/530	मद्रास-त्रिवेन्द्रम-कोचीन
531/532	मद्रास-बंगलौर-कोचीन
533/534	मद्रास-बंगलौर-कोयमबतूर
537/538	बंगलौर-कोचीन
541/542	मद्रास/विजाग-कलकत्ता

उड़ान संख्या	सैक्टर
543/544	मद्रास-भुवनेश्वर-कलकत्ता
545/546	मद्रास हैदराबाद
547/548	मद्रास-हैदराबाद
549/550	मद्रास-पोर्टब्लेयर
559/560	मद्रास-बंगलौर-मंगलौर
561/562	हैदराबाद-विजाग

विवरण-2

मार्ग	विमान	प्रति सप्ताह आवृत्ति
1. बम्बई-रायपुर-भुवनेश्वर-कलकत्ता	बी-737	3
2. कलकत्ता-भुवनेश्वर-मद्रास	बी-737	3
3. कलकत्ता-वाराणसी-जयपुर	बी-7:7	3
4, कलकत्ता-चटगांव	बी-737	1
5. जम्मू-लेह	बी-737	2
6. मद्रास-बंगलौर-गोवा-अहमदाबाद	बी-737	2
7. मद्रास-त्रिचि-मदुरै-बंगलौर	बी-737	3
8. दिल्ली-लाहौर	ए-320	2
9. दिल्ली-कराची	ए-320	2
10. कलकत्ता-गुवाहाटी-सिल्चर	बी-737	2
11. दिल्ली-ग्वालियर-भोपाल-इंदौर-बम्बई	बी-737	7
12. दिल्ली-कानपुर-गोरखपुर-दिल्ली	बी-737	2
13. दिल्ली-कानपुर-इलाहाबाद-दिल्ली	बी-737	2
14. कलकत्ता-गुवाहाटी-तेजपुर-जोरहाट-कलकत्ता	बी-737	3
15. कलकत्ता-तेजपुर-जोरहाट-गुवाहाटी-कलकत्ता	बी-737	3
16. दिल्ली-गुवाहाटी-अगरतला	ए-320	3
17. मद्रास-बंगलौर-मंगलौर	बी-737	4
18. मद्रास-बंगलौर-गोवा	बी-737	3
19. मद्रास-बंगलौर-पूना	बी-737	3
20. दिल्ली-बागडोगरा-गुवाहाटी-दीमापुर	बी-737	3
21. बम्बई-रांची-पटना-बम्बई	बी-737	2

तीर्थ स्थानों पर पर्यटन विकास

1943. **श्री सैयद शहाबुद्दीन :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान विभिन्न धार्मिक तीर्थ स्थानों पर तीर्थ यात्रियों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसकी वित्तीय सहायता के विकसित की गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से परियोजनावार कुल कितना निवेश किया गया है; और

(ग) क्या मंजूर की गई परियोजनाएं सीधे ही केन्द्रीय सरकार द्वारा कार्यान्वित की गई हैं अथवा उनका कार्यान्वियन सम्बन्धित राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्र द्वारा किया गया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) केन्द्रीय पर्यटन विभाग से प्राप्त वित्तीय सहायता के तीर्थ स्थानों पर यात्रिकाओं, यात्री निवासों, पर्यटक गृहों और परिसरों का निर्माण किया गया है।

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान, केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा स्वीकृत धन इस प्रकार है :

1. यात्रिकाएं	:	29.35 लाख रु०
2. यात्री निवास	:	158.19 लाख रु०
3. पर्यटक गृह/पर्यटक परिसर		38.87 लाख रु०

(ग) भारतीय यात्री आवास विकास समिति, केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा प्रायोजित एक सोसाइटी है जो अनुमोदित यात्रिकाओं का निर्माण करती है, जबकि सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की एजेंसियां यात्री निवासों पर्यटक गृहों/परिसरों का निर्माण करती हैं।

आपरेशन थियेटरों में मृत्यु

1944. **श्री मदन लाल खुराना :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का ध्यान 31 अक्तूबर 1991 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'आपरेशन एन्ड थियेटर डैथ्स' और 'सेफ्टी स्टेप्स फॉर एनस्थीसिया अर्जे्ड' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है और इस बारे में क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) जी, हां।

लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, नई दिल्ली में आपरेशन थियेटर में हुई मौतों के मामले की दिल्ली प्रशासन द्वारा बनाई गई तीन सदस्यीय विशेषज्ञ समिति द्वारा जांच की गई है जिसने अब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। भविष्य में ऐसी घटनाओं के पुनः न होने को सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं।

(i) पुराने उपकरण को छोड़कर लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में आवश्यक संवेदनाहरण उपकरण को बढ़ाना।

(ii) मौतों के मामले में जांच के लिए उचित कार्रवाई निर्धारित कर दी गई है।

(iii) उस फर्म के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना जिसने मशीन की बार-बार मरम्मत की तथा जिसने मशीन को त्रुटिरहित बताया।

केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के निर्णय को लागू करना

1945. **श्री राम नाईक** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 11 नवम्बर, 1987 को एक अन्तरिम याचिका संख्या 27/1987 (मुम्बई के उच्च न्यायालय में 1983 की मूल याचिका संख्या 1554) में याचिकाकर्ता और अन्य रेलवे के सेवा निवृत्त कर्मचारियों को उनके आदेश के पैरा 11 (छ:) में भविष्य निधि के साथ विकल्प देने का निर्णय लागू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; अब तक कितने मामलों में निर्णय ले लिया गया है और अभी कितने मामलों में निर्णय लेना बाकी है; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या है?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) उन दो सेवा-निवृत्त कर्मचारियों के मामले में, जिन्होंने अर्जी दाखिल की थी, टी०ए० नं० 27/1987 में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के फैसले को कार्यान्वित कर दिया गया है। भविष्य निधि पर सेवा-निवृत्त हुए रेलवे के इसी तरह के अन्य कर्मचारियों के मामलों पर, माननीय अधिकरण द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करने के लिए ढंग-तरीके बताते हुए, रेलवे यूनिटों को हिदायतें दी जा रही हैं।

तमिलनाडु के गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान में रोष

1946. **श्री गुरुदास कामत** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तमिलनाडु में गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान में रोष व्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) संस्थान द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, पिछले कुछ महीनों में प्रदर्शन और हड़ताल की घटनाएं हुई हैं जो मुख्यत: विश्वविद्यालय प्राधिकारियों द्वारा कुछ स्टाफ सदस्यो के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्रवाई के प्रतिक्रिया स्वरूप हुई है। कुलपति द्वारा कुछ अप्राधिकृत ऋणों की वसूली के आदेशों पर और अस्थायी स्टाफ के स्थायीकरण सम्बन्धी अपनी मांग के सम्बन्ध में संस्थान के शिक्षण और गैर शिक्षण स्टाफ के सदस्यों के एक छोटे से समूह ने सितम्बर और अक्तूबर, 1991 में हड़तालों और घेराव का सहारा लिया। एक अवसर पर शांति स्थापित करने के लिए कुलपति को पुलिस को बुलाना पड़ा था।

(ग) गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत एक समविश्वविद्यालय तथा स्वायत्त संस्था है। कुलपति ने संस्थान के परिसर में हुई अशान्ति की जांच करने के लिए एक सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की है।

सोवियत संघ में विद्यार्थियों को प्रवेश

[हिन्दी]

1947. **श्री मोहन सिंह** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991 के दौरान कितने विद्यार्थी मेडिकल और इन्जीनियरिंग अध्ययनों के लिए सोवियत संघ गए;

(ख) क्या इनके सोवियत संघ में प्रवेश हेतु सरकार की देख-रेख में कुछ गैर-सरकारी एजेंसियां यह कार्य कर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को पता है कि इन एजेंसियों द्वारा छात्रों को विदेश भेजने के लिए उनसे भारी शुल्क लिया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गए हैं?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) 1991 के दौरान कोई भी छात्र मानव संसाधन विकास मन्त्रालय द्वारा संचालित सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत मेडिकल अथवा इन्जीनियरी के अध्ययन के लिए यू०एस०एस०आर० नहीं गया।

(ख) जी, नहीं। वे सरकार के पर्यवेक्षण में कार्य नहीं कर रहे हैं।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने छात्रों को यू०एस०एस०आर० भेजने के किसी भी निजी एजेंसियों के कार्यकलापों का अनुमोदन नहीं किया है। यदि इन एजेंसियों द्वारा भारतीय कानून के उल्लंघन का कोई विशेष मामला कानून लागू करने वाली एजेंसियों के ध्यान में आता है, तो उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी।

स्कूल पुस्तकों के मूल्य

[अनुवाद]

1948. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या मानव और संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में स्कूल की पुस्तकों और कापियों के मूल्यों में भारी वृद्धि होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन मूल्यों में कमी लाने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) स्कूलों की पाठ्यपुस्तकों के मूल्यों में भारी वृद्धि कागज के मूल्य में वृद्धि और मुद्रण दरों में वृद्धि के कारण है। इसमें कागज का मूल्य उत्पादन लागत का मुख्य घटक है।

(ग) पाठ्यपुस्तकों के मूल्य को नियन्त्रित करने के लिये रा०शै०अ०प्र०प० द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं :

(i) रा०शै०अ०प्र०प० द्वारा पुस्तकों का मूल्य न लाभ न हानि के आधार पर निर्धारित करते रहना।

(ii) कक्षा-I-VIII तक की पुस्तकों का मूल्य-निर्धारण 15 रु० से अधिक न करना और यदि घाटा हो रहा हो तो उसे बर्दास्त करना।

(iii) रा०शै०अ०प्र०प० पाठ्यपुस्तकों के उर्दू अनुवाद का मूल्य उनके अंग्रेजी या हिन्दी अनुवाद, जो भी कम हो, के बराबर निर्धारित करना और घाटा, यदि कोई हो, तो उसे बर्दाश्त करना।

दक्षिण पूर्व रेलवे के क्षेत्र को दक्षिण मध्य रेलवे के साथ मिलाया जाना

1949. **श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये जोन बनाये जाने के कारण दक्षिण पूर्व रेलवे के कुछ क्षेत्र को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम, विजयनगर और श्रीकाकुल्लम जिले दक्षिण मध्य रेलवे के साथ मिलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हरियाणा में आंगनवाड़ी कार्यक्रम

[हिन्दी]

1950. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा में आंगनवाड़ी श्रमिकों और सहायकों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार उन्हें स्थाई करने का है; और

(ग) हरियाणा में इन कार्यक्रमों पर वर्ष 1990-91 के दौरान कितनी धनराशि खर्च की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेलकूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) हरियाणा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं प्रत्येक की स्वीकृत संख्या 9863 है। इनमें राज्य क्षेत्र की समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाओं के लिए स्वीकृत 4433 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा इतनी ही संख्या में सहायिकाएं शामिल हैं।

(ख) आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं स्थानीय समुदाय में रहने वाली स्वयंसेवी अंशकालिक अवैतनिक महिला कार्यकर्ता होती हैं। अतः उन्हें स्थायी करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान हरियाणा में समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम पर खर्च की

गई कुल धनराशि 1691.22 लाख रु० थी। इसमें अन्य स्रोतों के अलावा केन्द्रीय प्रायोजित समेकित बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा आबंटित धनराशि तथा राज्य सरकार द्वारा पोषाहार और राज्य क्षेत्र की समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाओं पर खर्च की गई धनराशि शामिल है।

सेवानिवृत्ति के बाद यात्रा सुविधाएं

[अनुवाद]

1953. **श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेवानिवृत्त ग्रुप "ग" और ग्रुप "घ" रेलवे श्रमिकों को मुफ्त और रियायती पासों इत्यादि के रूप में सेवानिवृत्ति के बाद क्या यात्रा सुविधाएं दी जाती हैं;

(ख) क्या इन ग्रुपों को सुविधाएं प्रदान करने में कोई असमानता है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) ग्रुप "सी" और ग्रुप "डी" के सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों को निम्नलिखित निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सेवानिवृत्ति के उपरांत मानार्थ पास दिए जाते हैं—

कोटि	रेल सेवा के निर्धारित वर्ष	अनुमेय पासों की संख्या
ग्रुप "सी"	(क) 20 वर्ष और अधिक की सेवा लेकिन 25 वर्ष से कम सेवा पूरी करने पर	प्रति वर्ष एक सेट
	(ख) 25 वर्ष या इससे अधिक सेवा पूरी करने पर	प्रति वर्ष दो सेट
ग्रुप "डी"	25 वर्ष और इससे अधिक सेवा पूरी करने पर	दो वर्ष में एक सेट

(ग) पात्र रेल कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति-उपरांत मानार्थ पास सेवानिवृत्ति के समय उनके ओहदे और की गई सेवा के अनुसार दिए जाते हैं।

आपरेशन ब्लैक बोर्ड के लिए नियत की गई धनराशि

1954. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :**

श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार तथा राज्य-वार आपरेशन ब्लैक बोर्ड के अन्तर्गत कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) वर्ष-वार तथा राज्य-वार प्रतिवर्ष कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) वास्तविक रूप से वर्ष-वार तथा राज्य-वार कितनी धनराशि खर्च की गई;

(घ) इस योजना के अन्तर्गत वर्षवार और राज्य-वार वास्तव में कितने स्कूल भवनों का निर्माण किया गया;

(ङ) 1 अप्रैल, 1991 की स्थिति के अनुसार राज्य-वार देश में कितने प्राइमरी स्कूलों में आपरेशन ब्लैक बोर्ड में नियत किए गए न्यूनतम मानदण्डों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है;

(च) वर्ष 1991-92 के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(छ) क्या सरकार का इस योजना की पुनरीक्षा करने का विचार है; और

(ज) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) राज्यों/संघशासित प्रदेशों को संस्वीकृत और जारी किए गए वर्षवार अनुदान तथा अनुदान राशि के प्रयोग से सम्बन्धी सूचना संलग्न विवरण-1 में दी गई है।

(घ) स्कूल भवनों के निर्माण से सम्बन्धित प्रगति का अनुवीक्षण चरणबद्ध ढंग से किया गया हैं। सब मिलाकर चरण I, II, III और IV क्रमशः वर्ष 1987-88, 1988-89, 1989-90 और 1990-91 से सम्बन्धित है। ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है।

(ङ) सूचना विवरण-2 में दी गई है ।

(च) राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त होने पर राज्यवार आबंटन संस्वीकृत किए जाते हैं। वर्ष 1991-92 के दौरान इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है।

(छ) और (ज) 9 और 10 अगस्त, 1991 को राज्य शिक्षा सचिवों और प्राथमिक शिक्षा निदेशकों की एक बैठक में इस योजना का अद्यतन पुनरीक्षण किया गया। इस बैठक में इस योजना के कार्यान्वियन, कार्यान्वियन में सुधार लाने के तरीकों तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कार्यनीति आदि के बारे में चर्चा की गई।

विवरण-1

(रुपये लाखों में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	निधियों का आवंटन/विमुक्ति तथा उपयोग 1987-88		1988-89		1989-90		1990-91	
	जारी की गई राशि	उपयोग की गई राशि	जारी की गई राशि	उपयोग की गई राशि	जारी कीं गई राशि	उपयोग की गई राशि	जारी की गई राशि	उपयोग की कई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	621.62	549.81	1590.77	1485.56	1209.29	847.93	2095.00	2095.00
अरुणाचल प्रदेश	63.17	62.98	71.81	51.03	46.70	46.76	82.16	82.16
असम	826.69	800.52	—	—	692.41	661.07	—	—
बिहार	1868.41	1124.64	2151.64	1334.50	1407.66	1407.66	1684.02	1684.02
गोआ	12.03	12.03	23.62	21.08	37.32	32.97	47.47	31.48
गुजरात	466.43	460.78	—	—	727.44	727.44	503.10	533.10
हरियाणा	62.93	60.29	117.33	98.70	111.39	63.90	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
हिमाचल प्रदेश	148.75	148.75	280.94	280.94	458.09	458.09	297.03	297.03
जम्मू कश्मीर	156.90	156.90	347.04	311.04	—	—	—	—
कर्नाटक	168.67	164.33	853.09	808.92	537.08	225.19	717.54	717.54
केरल	151.11	151.11	223.44	223.44	—	—	156.12	156.12
मध्य प्रदेश	1194.10	834.28	1981.26	856.91	—	—	1344.78	652.47
महाराष्ट्र	545.03	545.03	—	—	788,33	773.61	612.22	612.22
मणिपुर	38.03	35.04	98.78	77.82	—	—	47.58	46.64
मेघालय	78.37	76.27	—	—	—	—	100.49	100.49
मिजोरम	11.80	11.80	22.88	22.88	8.74	8.74	8.87	8.88
नागालैंड	25.66	25.66	24.67	—	42.94	3.44	5.85	5.85
उड़ीसा	753.00	753.00	1105.45	1105.45	864.25	599.15	1818.32	1347.19
पंजाब	334.11	334.11	384.25	384.25	115.69	115.69	219.29	219.29
राजस्थान	1175.55	1175.55	1123.68	1120.91	1568.63	1568.63	3456.83	2238.43
सिक्किम	41.57	41.57	9.06	9.06	—	—	15.36	15.36
तमिलनाडु	480.80	480.80	856.92	837.49	1213.02	740.77	510.24	510.24
त्रिपुरा	42.12	42.12	—	—	49.59	49.59	7.70	7.70
उत्तर प्रदेश	1759.43	1527.45	1893.44	1823.44	2757.26	1369.85	860.94	860.94
पश्चिम बंगाल	—	—	384.34	366.90	—	—	349.46	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
अंडमान निकोबार दीप समूह	—	—	—	—	8.17	8.26	—	—
चंडीगढ	—	—	—	—	1.17	1.17	—	—
दादर व और नागर हवेली	1.99	1.93	—	—	—	—	4.14	4.14

उड़ीसा	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
पंजाब	334.11	334.11	384.25	384.25	115.69	115.69	219.29	219.29
राजस्थान	1175.55	1175.55	1123.68	1120.91	1568.63	1568.63	3456.83	2238.43
सिक्किम	41.57	41.57	9.06	9.06	—	—	15.36	15.36
तमिलनाडु	480.80	480.80	856.92	837.49	1213.02	740.77	510.24	510.24
त्रिपुरा	42.12	42.12	—	—	49.59	49.59	7.70	7.70
उत्तर प्रदेश	1759.43	1527.45	1893.44	1823.44	2757.26	1369.85	860.94	860.94
पश्चिम बंगाल	—	—	384.34	366.90	—	—	349.46	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
अंडमान निकोबार दीप समूह	—	—	—	—	8.17	8.26	—	—
चंडीगढ़	—	—	—	—	1.17	1.17	—	—
दादर व और नागर हवेली	1.99	1.93	—	—	—	—	4.14	4.14
दमन तथा दीव	—	—	1.19	1.19	—	—	—	—
दिल्ली	32.39	—	—	—	32.39	30.36	53.59	27.27
लक्षदीप	0.48	0.47	—	—	—	—	—	—
पांडिचेरी	—	—	27.20	25.07	20.32	20.32	10.72	10.72

विवरण-2

स्कूल भवन-निर्माण (कमरों की संख्या)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	चरण-I		चरण-II		चरण-III		चरण-IV		उन प्राथमिक स्कूलों की संख्या जिन्हें न्यूनतम स्तर प्राप्त करना है।
	पूरा किवा गया	निर्माणाधीन	पूरा किया गया	निर्माणाधीन	पूरा किवा गया	निर्माणाधीन	पूरा किया गया	निर्माणाधीन	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आंध्र प्रदेश	4018	500	5978	2150	289	608	—	—	18141
अरूणाचल प्रदेश	394	142	140	248	—	—	—	—	442
असम	4742	3584	—	—	—	4372	—	—	11075
बिहार	9786	2164	3708	3160		—	—	—	26166
गोवा	83	3	92	1	24	26	2	4	16
गुजरात	670	3772	—	—	3	—	—	—	6736
हरियाणा	214	124	—	—	—	—	—	—	1262
हिमाचल प्रदेश	725	—	927	—	—	217	—	—	—
जम्मू-कश्मीर	1336	1946	251	455	—	—	—	—	2628

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
कर्नाटक	1643	617	2654	2035	915	1233	—	—	10655
केरल	130	280	—	—	—	—	—	—	1303
मध्य प्रदेश	2835	846	5049	1122	—	—	—	—	16317
महाराष्ट्र	1296	1791	—	—	—	—	—	—	30549
मणिपुर	670	6	1608	24	784	—	—	—	676
मेघालय	—	—	—	—	—	—	—	—	3389
मिजोरम	166	—	200	—	—	—	—	—	561
नागालैंड	87	—	98	52	—	—	—	—	80
उड़ीसा	896	1240	1780	2142	—	1356	—	—	7495
पंजाब	530	534	719	—	—	—	—	—	3712
राजस्थान	4952	659	1291	288	392	278	—	—	1116
सिक्किम	46	—	—	—	—	—	—	—	—
तमिलनाडु	152	55	271	124	38	—	—	—	133
त्रिपुरा	482	92	384	46	—	—	—	—	1034
उत्तर प्रदेश	4084	538	6288	2210	7078	2102	—	—	8885
पश्चिमी बंगाल	—	—	12918	—	—	—	—	—	39672
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	—	10	32	—	—	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
चण्डीगढ़	—	—	—	—	—	—	—	—	—
दादर और नागर हवेली	12	2	—	—	—	—	—	—	4
दमन दीव	—	—	—	—	—	—	—	—	—
दिल्ली	—	—	—	—	—	—	—	—	144
लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—	—	—	—
पांडिचेरी	—	—	74	24	—	—	—	—	113

उत्तर प्रदेश में पर्यटन का विकास

[हिन्दी]

1955. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए सरकार के विचाराधीन कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने आज तक क्या कार्यवाही की है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) तीर्थाटन के विभिन्न स्थानों पर पर्यटक आधारिक-संरचना का विकास करना मुख्यतः राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि, केन्द्रीय पर्यटन विकास विशिष्ट परियोजनाओं/स्कीमों के लिए उनके गुण-दोष, धन की उपलब्धता और आपकी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए वित्तीय सहायता देता है। इसके अलावा, केन्द्र सरकार ने तीर्थ स्थानों पर बनाए जाने वाले होटलों के लिए 50% आय को आय-कर से छूट दी है और 10 वर्षों के लिए व्यय-कर से पूरी छूट दी है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने अन्य बातों के साथ-साथ इलाहाबाद, अयोध्या, हरिद्वार, वाराणसी, वृन्दावन, मथुरा, आदि सहित तीर्थस्थानों पर पर्यटक सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए सहायता प्रदान की है। इसके अलावा, इस राज्य में महत्वपूर्ण बौद्ध केन्द्रों पर पर्यटक आधारिक-संरचनात्मक सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए एक परियोजना भी कार्यान्वित की जा रही है।

रेल भूमि अतिक्रमण

1956. **श्री मोहन सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे की अप्रयुक्त भूमि का उपयोग करने के लिए कोई नई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) इस समय खाली पड़ी अधिकांश रेलवे भूमि की रेलों के भावी विकास कार्यों के लिए आवश्यकता है। रेलों की विकासात्मक परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के उद्देश्य से रेलवे भूमि के वायुमंडल तथा इस समय खाली पड़ी भूमि, अपेक्षित होने पर रेलवे के उपयोग में आने वाली भूमि को बाधा पहुंचाए बिना, का वाणिज्यिक उपयोग करने की व्यावहारिकता का पता लगाने का प्रस्ताव है।

पंजीकरण शुल्क लेना

[अनुवाद]

1957. **डा० सी० सिलवेरा** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी स्कूलों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वे पंजीकरण शुल्क न लें;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

बाल स्वास्थ्य

1958. **डा० सी० सिलवेरा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए कोई योजना बनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां।

(ख) बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनमें शामिल हैं—व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम जिसमें वैक्सीनों से रोके जा सकने वाली छह बीमारियों से बच्चों को रोग प्रतिरक्षित किया जाता है, ओरल रिहाइड्रेशन थिरेपी कार्यक्रम जिसके अन्तर्गत अतिसार रोग में पानी की कमी के कारण होने वाली मौतों की रोकथाम की जाती है, पोषण की कमी से होने वाली रक्ताल्पता और दृष्टिहीनता में बचाव कार्यक्रम, जिसमें आयरन/फालिक एसिड गोलियां तथा विटामिन "ए" प्रदान की जाती हैं। एंटी-माइक्रोबायल कोट्रिमोक्साजोल प्रदान करके तीव्र श्वसनी संक्रमणों पर नियंत्रण के लिए 24 जिलों में एक आरम्भिक परियोजना भी चलाई जा रही है।

इसके अतिरिक्त स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम, आयोडीन की कमी को रोकने के लिए आयोडीन वाले नमक की व्यवस्था, महिला और बाल विकास विभाग की समन्वित बाल विकास सेवा योजना तथा खाद्य विभाग की अन्य स्कीमें जिनमें विटामिन "ए" वाले दुग्ध की व्यवस्था भी शामिल हैं, भी बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए चलाए जा रहे हैं।

"हेरिटेज आन व्हील्स" रेल सेवा शुरू करना

1959. **डा० सी० सिलवेरा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार "हेरिटेज आन व्हील्स" रेल सेवा शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस गाड़ी की विशेषताओं का ब्यौरा क्या है जिसमें इसके द्वारा तय की जाने वाली प्रस्तावित दूरी, किराया-ढांचा, डिब्बों की श्रेणियां और इसमें उपलब्ध अन्य सुविधाओं का ब्यौरा शामिल हो;

(ग) क्या सरकार का अन्य क्षेत्रों की संस्कृति को दर्शाने के लिए और अधिक संख्या में ऐसी गाड़ियों को चलाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, दक्षिण क्षेत्र "पैलेस-आन-व्हील्स" किस्म की गाड़ी चलाने का विनिश्चय किया गया है।

(ख) इसके ब्यौरे को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) यात्री ढोने वाली हजारों गाड़ियां और भारतीय रेलों का इतना व्यापक जालतंत्र देश के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति का दिग्दर्शन कराने के लिए एक बढ़िया झरोखे का काम करते हैं। इसके अलावा, बहुत-सी सुपरफास्ट और अन्तरनगरीय गाड़ियां पहले ही चलाई जा रही हैं, जो सांस्कृतिक विरासत के केन्द्रों से सम्पर्क स्थापित कराती हैं।

राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड

1960. **श्री मुकुल वासनिक** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड को अधिक प्रभावशाली बनाने हेतु इसको पुनर्गठित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड की स्थापना मई, 1985 में की गई थी। वर्ष 1989-90 में इसकी कार्य प्रणाली की समीक्षा की गई। इस समीक्षा के फलस्वरूप बोर्ड को अधिक प्रभावी बनाने की दृष्टि से इसे फिर से पुनर्गठित किया गया और परती भूमि विकास कार्यक्रम में संशोधन किया गया। इस नये दृष्टिकोण में कार्यक्रम की आयोजना और उसके कार्यान्वयन में जन सहभागिता प्राप्त करने, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जुटाने और अन्तर-विषयक समन्वय स्थापित करने पर बल दिया गया है। कार्यनीति जिन विषयों पर लक्षित है उनमें जलाशय आधार पर सकेंद्रित भूमि उपयोग आयोजना, ग्राम स्तरीय कार्य योजनाएं, संरक्षण तथा प्राकृतिक पुनरुत्पादन, ईंधन लकड़ी, चारा और इमारती लकड़ी के उत्पादन तथा प्रौद्योगिकी विस्तार पर जोर देना शामिल है। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से राज्य सरकारों, जिन्हें कि अनुवीक्षण कार्य तंत्र को सुदृढ़ बनाने और बेहतर परिणाम सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है, के माध्यम से नये उत्साह और जोर-शोर से कार्यान्वित किया जा रहा है। आठवीं पंचवर्षीय योजना, जिसे कि अन्तिम रूप दिया जा रहा है, के दौरान परती भूमि विकास कार्यक्रम का विस्तार किया जाएगा। कार्य-प्रणाली की समीक्षा और प्राप्त अनुभव के आधार पर अगले कदम उठाये जाने की संभावना है।

फालतू भूमि को पट्टे पर देना

1961. **श्री मुकुल वासनिक** :
श्री शंकरसिंह वाघेला :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री गुरुदास कामत :
श्री अरविन्द त्रिवेदी : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाली पड़ी रेलवे भूमि और महानगरों तथा अन्य स्थानों में खाली पड़ी अन्य भूसम्पत्तियों को पट्टे पर प्राइवेट बिल्डरों को देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में दिए जाने वाले ठेकों की शर्तें क्या हैं; और

(ग) रेलवे की खाली पड़ी भूमि का कुल क्षेत्रफल कितना है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) इस समय रेलों पर लगभग 61,000 हेक्टेयर खाली भूमि है। तथापि, इ । सारी भूमि को फालतू घोषित नहीं किया जा सकता क्योंकि इस समय खाली पड़ी अधिकांश रेलवे भूमि की रेलों के भावी विकास कार्यों के लिए आवश्यकता है। रेलों की विकासात्मक परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के उद्देश्य से रेलवे भूमि के वायुमंडल तथा इस समय खाली पड़ी भूमि, अपेक्षित होने पर रेलवे के उपयोग में आने वाली भूमि को बाधा पहुंचाए बिना, का वाणिज्यिक उपयोग करने की व्यावहारिकता का पता लगाने का प्रस्ताव है।

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत सुविधाओं का विकास

1962. **श्री मुकुल वासनिक** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश में 15 केन्द्रों में मूलभूत सुविधाओं का विकास करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में चुने गये केन्द्रों का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार विशेष पर्यटन क्षेत्रों का विकास करने के लिए एक स्कीम तैयार कर रही है। तथापि, इन क्षेत्रों का अभिनिर्धारण राज्य सरकारों से परामर्श करके किया जायेगा।

नेहरू युवक केन्द्र

1963. **श्री मुकुल वासनिक** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेहरू युवक केन्द्र संगठन को स्थापित करने और नेहरू युवक केन्द्र जिला-संयोजकों की नियुक्ति करने का क्या प्रयोजन है; और

(ख) नेहरू युवक केन्द्रों के जिला संयोजकों को पिछले तीन वर्षों 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान जारी किए गए अनुदानों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेलकूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) संगठन के लक्ष्य कृपया संलग्न विवरण में देखें।

(ख) 1989-90 के दौरान नेहरू युवा केन्द्रों को 3.30 करोड़ रुपये जारी किए गए थे और कार्यक्रमों के लिए 3.32 करोड़ रुपये जारी किए गए थे। जहां तक 1990-91 के लिए धनराशि जारी करने का सम्बन्ध है, माह अप्रैल, 1991 के दौरान प्रत्येक केन्द्र को कार्यक्रमों के लिए 17,500 रु० की अग्रिम धनराशि दी गई थी और तदुपरान्त जून 1990 से कार्यक्रम धनराशि पर रोक लगाए जाने के कारण आगे कोई कार्यक्रम धनराशि जारी नहीं की गई थी। तथापि प्रत्येक केन्द्र की स्थापना और वेतन के लिए लगभग 15,000 रु० जारी किए गए थे। जहां तक 1991-92 का सम्बन्ध है, प्रतिबन्ध माह अक्तूबर 1991 में उठाया गया था तथा स्थापनागत व्यय को पूरा करने के लिए दी गई 63,000 रु० की अग्रिम धनराशि के अतिरिक्त प्रत्येक केन्द्र को कार्यक्रमों के लिए 35,000 रु० की अग्रिम धनराशि जारी की गई है।

विवरण

लक्ष्य, जिनके लिए संगठन की स्थापना की गई है, निम्न प्रकार है :—

(i) इस समय के ने० यु० के० को लेना, उनका प्रबन्ध, प्रशासन और संचालन करना;

(ii) भारत मे किसी भी स्थान के नये नेहरू युवा केन्द्रों की स्थापना, संचालन, प्रबन्ध और प्रशासन करना और उनके कार्य का मूल्यांकन करना;

(iii) युवाओं में राष्ट्रीय एकीकरण, भाईचारे और धर्मनिरपेक्षता की धारणा विकसित करना और उसे बढ़ावा देना;

(iv) युवाओं को ऐसे कार्यक्रमों में शामिल करना जिससे युवा नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम, सामुदायिक गान, सांस्कृतिक कार्यकलाप, कार्य शिविर, खेल कार्यकलाप, स्वयं सहायता कार्यक्रम, शारीरिक तथा प्रौढ़ शिक्षा, चरित्र निर्माण और सहयोगी आन्दोलन आदि के आयोजन में सहायता मिलेगी;

(v) युवाओं को संगठित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०) स्वयं रोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण (ट्राइसम), स्वयं रोजगार, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण कार्यक्रम और प्रौढ़ शिक्षा आदि जैसे सरकार के विभिन्न विभागों/एजेंसियों द्वारा संचालित कार्यक्रमों के साथ जोडने के लिए समन्वय एजेंसी के रूप में कार्य करना;

(vi) ग्रामीण युवाओं में जागरूकता पैदा करना और उन्हें विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों से लाभ उठाने के लिए अपेक्षित मार्ग-दर्शन प्रदान करना;

(vii) कार्यकर्ताओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना ताकि उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न विभागों/एजेंसियों की योजनाओं/कार्यक्रमों की जानकारी दी जा सके;

(viii) भारत के किसी भी भाग में संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना, संचालन, प्रबन्ध और प्रशासन करना;

(ix) प्रशासनिक, तकनीकी और गैर-तकनीकी तथा अन्य पदों का सृजन करना और उसके बाद उनकी नियुक्तियां, पदोन्नतियां और स्थानान्तरण करना;

(x) इसके लक्ष्यों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों, संघ शासित प्रशासनों और भारत में तथा भारत से बाहर अन्य संगठनों के साथ सहयोग करना;

(xi) सभी मामलों में भारत सरकार को, अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत स्वयं अथवा सरकार द्वारा हवाले पर सलाह देना;

(xii) युवाओ के क्षेत्र तथा सम्बद्ध मामलों में सेमिनारो, सम्मेलनों आदि का आयोजन, प्रायोजन और वित्त पोषण करना;

(xiii) युवाओं से सम्बन्धित पत्रिकाओं और साहित्य का प्रकाशन शुरू करना, आयोजित करना और उसे प्रोत्साहित करना;

(xiv) इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए पुरस्कार और वजीफे शुरू करना और उन्हें देना;

(xv) जैसा उपयुक्त समझा जाए बोर्डों, समितियों या अन्य निकायों का गठन करना और उनके अधिकार, कार्य और अवधि आदि निर्धारित करना;

(xvi) दान, अनुदान और उपहार स्वीकार और एकत्र करना तथा किसी भी स्थायी निधि या न्यास का प्रबन्ध करना और इन लक्ष्यों के प्रयोजनार्थ दान, अनुदान तथा उपहार देना;

(xvii) संगठन की चल और अचल सम्पत्ति की जमानत से या बिना जमानत के धन एकत्रित करना या ऋण लेना बशर्ते कि इस सम्बन्ध में भारत सरकार से पूर्व स्वीकृति ले ली गई हो;

(xviii) चल और अचल सम्पत्ति को पट्टे पर या किराये पर लेने-बेचने या स्वामी होने, तथा ऐसी चल और अचल सम्पत्ति बेचने, गिरवी रखने, स्थानान्तरित करने या निपटाने परन्तु ऐसी अचल सम्पत्ति के बारे में भारत सरकार से पूर्व स्वीकृति लेनी होगी;

(xix) संगठन के कार्यों के संचालन के लिए नियम और विनियम बनाना तथा उनमें समय-समय पर जोड़ना, संशोधन करना, बदलना या निवारण करना;

(xx) "कोष" की देखभाल करना और यह संगठन के पास रहेगा;

(xxi) इसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सामान्य तौर पर समय-समय पर ऐसे सभी उपाय किये जाएंगे जिन्हें आवश्यक समझा जाएगा; और

(xxii) ऐसे सभी कार्यों और वस्तुओं को करना जिन्हें संगठन उपरोक्त उद्देश्यों या उनमें से किसी एक की प्राप्ति या बढ़ाने के लिए उन्हें प्रेरक या प्रासंगिक के रूप में आवश्यक समझे।

नई दिल्ली और बंगलौर के बीच राजधानी एक्सप्रेस चलाना

1964. **श्री के० एच० मुनियप्पा :**

श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर और नई दिल्ली के बीच केवल एक ही रेलगाड़ी उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मार्ग पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए इन दोनों शहरों के बीच एक राजधानी एक्सप्रेस शुरू करने का है;

(ग) यदि हां, तो कब; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) बेंगलूर और नई दिल्ली के बीच राजधानी टाइप की गाड़ी चलाने की व्यावहारिकता की जांच की जा रही है। कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलना

[हिन्दी]

1965. श्री राम नारायण बैरवा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में खोले गये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या हर 30,000 की आबादी के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का लक्ष्य अभी प्राप्त किया जाना है; और

(ग) यदि हां, तो यह लक्ष्य कब तक प्राप्त किया जा सकेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी०के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1988-89, 1989 और 1990-91 के दौरान देश में स्थापित किए गए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला एक ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर दिया गया है।

(ख) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत मैदानी क्षेत्र में 30,000 जनसंख्या और जनजातीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों में 20,000 जनसंख्या के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की जाती है। ग्रामीण स्वास्थ्य प्रभाग के पास उपलब्ध रिकार्डों के अनुसार, 22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 30,000 जनसंख्या पर । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का मानदण्ड प्राप्त किया है। 8 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अभी तक राष्ट्रीय मानदण्ड प्राप्त नहीं हुआ है। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा सेवित जनसंख्या के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण 2 पर दिया गया है।

(ग) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए निधियां योजना आयोग द्वारा उन राज्यों को प्रत्यक्ष रूप से रिलीज की जाती हैं जो इन केन्द्रों की स्थापना के लिए जिम्मेवार हैं। योजना आयोग द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से आठवीं योजना के लक्ष्यों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

विवरण-1

1988-89, 1939-90 और 1990-91 के दौरान देश में स्थापित किए गए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की राज्यवार संख्या

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2.	अरुणाचल प्रदेश	4	4	4
3.	असम	47	3	2
4.	बिहार	407	कुछ नहीं	493
5.	गोवा	2	1	—

1	2	3	4	5
6.	गुजरात	49	25	—
7.	हरियाणा	30	33	29
8.	हिमाचल प्रदेश	15	30	—
9.	जम्मू और कश्मीर	61	कुछ नहीं	1
10.	कर्नाटक	282	306	कुछ नहीं
11.	केरल	127	164	25
12.	मध्य प्रदेश	200	46	1
13.	महाराष्ट्र	कुछ नहीं	107	1
14.	मणिपुर	13	6	कुछ नहीं
15.	मेघालय	7	11	8
16.	मिजोरम	4	कुछ नहीं	—
17.	नागालैंड	4	2	कुछ नहीं
18.	उड़ीसा	96	112	100
19.	पंजाब	85	95	कुछ नहीं
20.	राजस्थान	300	150	275
21.	सिक्किम	कुछ नहीं	कुछ नहीं	2
22.	तमिलनाडु	384	164	43
23.	त्रिपुरा	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
24.	उत्तर प्रदेश	503	124	535
25.	पश्चिम बंगाल	127	6	सूचना प्राप्त नहीं
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	2	2
27.	चण्डीगढ़	कुछ नहीं	कुछ नहीं	—
28.	दादरा और नागर हवेली	1	कुछ नहीं	—
29.	दमन और दीव	कुछ नहीं	2	कुछ नहीं
30.	दिल्ली	कुछ नहीं	—	—
31.	लक्षद्वीप	कुछ नहीं	कुछ नहीं	—
32.	पांडिचेरी	2	—	2
	कुल योग	2751	1393	1523

स्रोत : ग्रामीण स्वास्थ्य प्रभाग, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा, भारत में मार्च, 1991 और जून, 1991 के लिए ग्रामीण स्वास्थ्य आंकड़ों पर बुलेटिन।

विवरण-2

एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा सेवित जनसंख्या के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का वर्गीकरण

क्रम सं०	जनसंख्या की सीमा	इस सीमा में आने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या	जनसंख्या की सीमा प्राप्त कर चुके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	
1	2	3	4	
1.	<10,000	2	1. लक्षद्वीप (2085)	2. पंजाब (6499)
			3. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह (1095[illegible])	4. मिजोरम (13202)
			5. पांडिचेरी (13495)	6. सिक्किम (15295)
2.	10,000-20,000	6	7. मेघालय (16521)	8. मणिपुर (18119)
3.	20,000-30,000	14	9. जम्मू और कश्मीर (20868)	10. अरुणाचल प्रदेश (22906)
			11. हिमाचल प्रदेश (22943)	12. दादरा और नगर हवेली (24280)
			13. राजस्थान (24665)	14. तमिलनाडु (25117)

1	2	3	4	
			15. उड़ीसा (25361)	16. केरल (25529)
			17. कर्नाटक (25940)	18. नागालैंड (25984)
			19. महाराष्ट्र (27529)	20. उत्तर प्रदेश (78356)
			21. बिहार (28795)	22. हरियाणा (29701)
4.	30,000-40,000	3	23. आंध्र प्रदेश (35710)	24. पश्चिम बंगाल (30052)
			25. गुजरात (37644)	
5.	40,000-50,000	4	26. मध्य प्रदेश (40053)	27. गोवा (42135)
			28. त्रिपुरा (45665)	29. असम (48890)
6.	50,000 और अधिक	1	30. दिल्ली (55687)	

टिप्पणी :—1. चण्डीगढ़ द्वारा एक भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित नहीं किया गया है ।

2. एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा सेवा प्रदान की जाने वाली जनसंख्या के राष्ट्रीय मानदण्ड को प्राप्त कर चुके 22 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जो तीनों सीमाओं (10,000 से कम), (10,000-20,000) और (20,000-30,000) में आते हैं ।

* कोष्ठकों की संख्या एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा कवर की गई जनसंख्या को दर्शाती है ।

(आंकड़े अनन्तिम हैं)

उत्तर प्रदेश में शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े जिले

1966. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े जिलों के नाम क्या हैं; और

(ख) इस पिछड़ेपन को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) आपरेशन ब्लेक बोर्ड, शिक्षक शिक्षा, गैर-औपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम जैसी केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को शैक्षिक विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को पिछड़े जिलों पर ध्यान केन्द्रित करने की सलाह दी गई है।

विवरण

राष्ट्रीय साक्षरता दर 36.23 (सभी व्यक्ति) से कम साक्षरता दर वाले
जिलों की सूची

क्र० सं०	जिले का नाम	साक्षरता दर
1.	आगरा	33.45
2.	इलाहाबाद	27.99
3.	अलीगढ़	31.35
4.	आजमगढ़	25.10
5.	बदायूं	16.10
6.	बहराइच	15.57
7.	बलिया	28.18
8.	बांदा	23.30
9.	बाराबंकी	18.87
10.	बरेली	22.04
11.	बस्ती	20.24
12.	बिजनौर	26.71
13.	बुलन्दशहर	28.97
14.	देवरिया	23.20
15.	एटा	27.10

1	2	3
16.	फैजाबाद	25.61
17.	फरूखाबाद	32.02
18.	फतेहपुर	25.97
19.	गाजीपुर	27.62
20.	गोंडा	16.32
21.	गोरखपुर	23.92
22.	हमीरपुर	26.31
23.	हरदोई	22.19
24.	जालौन	35.95
25.	जौनपुर	28.30
26.	खेरी	17.70
27.	ललितपुर	21.34
28.	मैनपुरी	33.30
29.	मथुरा	30.63
30.	मेरठ	34.68
31.	मिर्जापुर	23.58
32.	मुरादाबाद	19.82
33.	मुजफ्फरनगर	30.10
34.	प्रतापगढ़	23.81
35.	पीलीभीत	20.44
36.	रामपुर	16.34
37.	रायबरेली	23.08
38.	सहारनपुर	29.56
39.	शाहजहांपुर	21.44
40.	सीतापुर	19.44
41.	सुल्तानपुर	22.44
42.	टेहरी गढ़वाल	27.89
43.	उन्नाव	25.28
44.	उत्तरकाशी	28.92
45.	वाराणसी	31.85

एन०बी० : 1981 की जनगणना रिपोर्ट पर आधारित

मास्को में केन्द्रीय विद्यालय में इतिहास का शिक्षक

[अनुवाद]

1967. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार :**

श्री मुहीराम सैकिया : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मास्को में केन्द्रीय विद्यालय, 1987 से इतिहास का कोई स्नातकोत्तर शिक्षक नहीं है,

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह पद कब तक भरा जा सकेगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) मास्को स्थित केन्द्रीय विद्यालय के सामान्यता पी०जी०टी० (इतिहास) का एक पद ग्राह्य है, परन्तु आवासीय स्थान की उपलब्धता न होने के कारण यह पद किसी नियमित अध्यापक को तैनात करके भरा नहीं गया था। भारतीय दूतावास, मास्को द्वारा उनके लिए आवासीय स्थान की उपलब्धता की पुष्टि किये जाने पर सम्बन्धित अध्यापक श्री एच०एल० सोनार को वहां तैनात किया जा सकता है।

परिवार नियोजन कार्यक्रम हेतु नसबन्दी

1968. **श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवार नियोजन कार्यक्रम हेतु नसबन्दी कराने वाले सेवारत सरकारी कर्मचारियों को कोई वित्तीय प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार 'केवल एक बच्चा' के मानदण्ड को लोकप्रिय बनाने की योजना भी शुरू करने विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में दिए जाने वाले प्रोत्साहन सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) परिवार नियोजन आपरेशन कराने वाले सरकारी कर्मचारियों को और आर्थिक प्रोत्साहन दिए जाने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) एक बच्चे के आदर्श को लोकप्रिय बनाने के लिए इस समय कोई स्कीम आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

जिलों में स्वदेशी खेलों को प्रोत्साहन देना

1969. **श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव :**

श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय खेलों जैसे कबड्डी और खो-खो को जिला क्रीड़ा योजना में शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेलकूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) से (ग) कबड्डी और खो-खो जैसे देशीय खेलों को पहले ही युवा कार्यक्रम और खेल विभाग तथा भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत शामिल किया गया है। इन विधाओं को अखिल भारतीय ग्रामीण खेल टूर्नामेंट कार्यक्रम, महिला खेल महोत्सव कार्यक्रम तथा एम०पी०डी०ए० की योजना में शामिल किया गया है।

प्राइवेट कम्पनियों से माल डिब्बों की खरीद

1970. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्राइवेट कम्पनियों से माल डिब्बों की खरीद करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय निविदाएं आमन्त्रित की गई हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या मापदण्ड अपनाया जाता है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 11 उद्योगों से माल डिब्बे खरीदे जा रहे हैं जिनमें से 5 उद्योग निजी क्षेत्र में हैं।

(ख) निजी क्षेत्र के 5 उद्योगों का ब्यौरा नीचे दिया गया है—

(i) मैसर्स सिमको लि० भरतपुर।

(ii) मैसर्स हिन्दुस्तान जनरल इण्डस्ट्रीज लि०, नांगलोई, दिल्ली।

(iii) मैसर्स माडर्न इण्डस्ट्रीज, साहिबाबाद उ० प्र०।

(iv) मैसर्स टैक्समैको लि०, कलकत्ता।

(v) मैसर्स हिन्दुस्तान डवलेपमेंट कार्पोरेशन लि०, कलकत्ता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) मालडिब्बों की खरीद के लिए निविदाएं आमन्त्रित नहीं की जाती हैं। माल डिब्बा निर्माण यूनिटों में से खरीद के लिए वितरण का विनिश्चिय सामान्यतः यूनिटों की निर्धारित क्षमता तथा विगत में उनके उत्पादन के रुझान के आधार पर किया जाता है। अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक/भारत भारी उद्योग निगम लि० द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के हिस्से का वितरण इस क्षेत्र की 6 यूनिटों के अन्तर्गत किया जाता है।

उड़ीसा के स्टेशनों पर यात्री सुविधाएं

[हिन्दी]

1971. **श्री मृत्युंजय नायक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में फूलबनी और कालाहांडी जिलों के प्रमुख स्टेशनों पर यात्री सुविधाएं अपर्याप्त हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन सुविधाओं में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उड़ीसा में केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलना

1972. **श्री मृत्युंजय नायक** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी स्थापना कब तक किए जाने की सम्भावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) सरकार द्वारा उत्तरी उड़ीसा में केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव विश्व० अनु० आयोग को उनके विचार के लिए भेज दिया गया था। विश्व० अनु० आ० द्वारा दी गई सूचनानुसार आयोग ने 18-11-1991 को हुई अपनी बैठकों में मामले पर विचार किया था। आयोग वित्तीय संसाधनों की कमी होने के कारण प्रस्ताव के पक्ष में नहीं था ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

लिंक एक्सप्रेस को पूरी गाड़ी बनाना

1973. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का हरिद्वार और इलाहाबाद के बीच चलने वाली लिंक एक्सप्रेस को द्वितीय श्रेणी वातानुकूल शायिका सवारी डिब्बे सहित पूरी गाड़ी बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) परिचालनिक और संसाधन की कठिनाइयों के कारण ।

लखनऊ-पटना विमान सेवा

1974. **श्री बलराज पासी** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लखनऊ-पटना विमान सेवा स्थगित की गई है;

(ख) यदि हां, तो कब से और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस विमान सेवा को पुनः आरम्भ करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो कब; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइंस ने कम भार गुणक के कारण 1-11-91 से लखनऊ-पटना सेक्टर पर अपनी उड़ानें बन्द कर दी थीं ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) अपर्याप्त यातायात मांग के कारण लखनऊ और पटना के बीच सेवा को बहाल करने की कोई योजना नहीं है ।

विचार गोष्ठियों का आयोजन

[अनुवाद]

1975. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991 के दौरान, सरकार की पूरी अथवा आंशिक सहायता से कितनी विचार-गोष्ठियों का आयोजन किया गया तथा इनमें से प्रत्येक पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) इन विचार-गोष्ठियों में से प्रत्येक में किन विषयों पर चर्चा की गई तथा क्या सिफारिशें प्रस्तुत की गई; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

बंगलौर में नए हवाई अड्डे के लिए समिति

1976. **श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद** :

श्री एच०बी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर में एक अन्तर्राष्ट्रीय मानक के हवाई अड्डे को विकसित करने के लिए स्थान का पता लगाने हेतु कोई उच्च समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले छः महीनों के दौरान समिति ने कितनी बैठकें आयोजित की हैं तथा इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ स्थान का शीघ्र पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) समिति की कुल मिलाकर तीन बैठकें हुई हैं और इसने तीन स्थानों का चयन

किया है। समिति द्वारा कुछ अन्य सुझावों पर विचार किया जा रहा है। समिति द्वारा अपनी अन्तिम रिपोर्ट 31 दिसम्बर, 1991 तक प्रस्तुत किए जाने की आशा है।

एअर इंडिया के लिए बेड़ा प्रबंधन कार्यक्रम

1977. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :**

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एअर इण्डिया के लिए बेड़ा प्रबन्धन का विस्तृत कार्यक्रम बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परिप्रेक्ष्य कार्यक्रम से कुल कितनी मुद्रा अर्जित होगी; और

(घ) इसके कब तक आरम्भ किए जाने की सम्भावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) एअर इंडिया ने 20 वर्षों के लिए एक बेड़ा नवीकरण भावी योजना तैयार की है और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अतिरिक्त वित्तीय बोझ के बिना अपेक्षाकृत अधिक नवीन तथा आधुनिक बेड़ा प्राप्त करना सम्भव है। यह एक मौलिक बेड़ा योजना होने की बजाय नीति सम्बन्धी दस्तावेज है।

(घ) मामला सरकार के विचाराधीन है।

जनसंख्या वृद्धि पर सार्क देशों का सम्मेलन

1978. **श्री वी० श्री निवास प्रसाद :**

श्री वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1991 में नई दिल्ली में जनसंख्या नीति पर विचार करने के लिए दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन देशों के लिए विशेषज्ञों का सम्मेलन हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा क्या सिफारिशें की गई और जनसंख्या नियन्त्रण सहित इन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी०के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क) देशों की जनसंख्या नीति पर एक कार्यशाला नई दिल्ली में 7 से 10 अक्तूबर, 1991 तक हुई थी।

(ख) इस कार्यशाला में जनसंख्या नियन्त्रण के लिए बहुत सी सिफारिशें की गई। इनमें निम्नलिखित आवश्यकताएं शामिल हैं—(1) निश्चित लक्ष्यों और प्रयोजनों वाली सुस्पष्ट राष्ट्रीय जनसंख्या नीतियां तैयार करना (2) जनसंख्या नियन्त्रण कार्यक्रमों की सहायता के लिए दृढ़ राजनैतिक प्रतिबद्धता (3) इन कार्यक्रमों को लागू करने के सक्रिय सामुदायिक सहयोग को बढ़ावा देना (4) जन्म में अन्तर रखने के तरीकों को प्रबल रूप से बढ़ावा देकर उच्च जनक्षमता वाले युवा-आयु वर्ग के दम्पतियों की कवरेज को बढ़ाना (5) मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रमों को सुदृढ़ करना (6) सार्क देशों के बीच उनके राष्ट्रीय कार्यक्रमों में और सुधार लाने के लिए सहयोग और अनुभवों को एकत्र करना उनका आदान-प्रदान करना। लगभग इन सभी सिफारिशों को नए कार्य योजना प्रारूप में शामिल किया

गया है जिसे भारत सरकार ने परिवार कल्याण कल्याण कार्यक्रम में नया बल तथा गतिशीलता प्रदान करने के लिए तैयार किया है।

पर्यावरण सम्बन्धी समस्याएं

1979. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन ने परम्परागत समस्याओं के व्यापक तौर पर और कारगर ढंग से निपटने के विचार से नीति की रूपरेखा का पुनर्विन्यास करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न पर्यावरण संरक्षण योजनाओं के कार्यान्वियन के लिए सम्मेलन द्वारा की गई सिफारिशें और टिप्पणियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन रियो-डि-जेनेरो, ब्राजील में जून, 1992 में होने वाला है। चूंकि सम्मेलन अभी होना है, इसलिए इस स्थिति में उसकी सिफारिशों और टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

रेलगाड़ियों में "एक्जीक्यूटिव क्लास कोच"

[हिन्दी]

1980. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन रेलगाड़ियों के नाम तथा संख्या क्या है जिनमें "एक्जीक्यूटिव क्लास कोच" है;

(ख) शताब्दी एक्सप्रेस और "हिमाचल क्वीन एक्सप्रेस" रेलगाड़ियों में "एक्जीक्यूटिव क्लास कोच" उपलब्ध कराने का निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 2001/2002 नयी दिल्ली-भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस और 2003/2004 नयी दिल्ली-लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस।

(ख) 2005/2006 नयी दिल्ली-कालका शताब्दी एक्सप्रेस और 4095/4096 हिमालयन क्वीन एक्सप्रेस गाड़ियों में एक्जीक्यूटिव दर्जे के सवारी डिब्बों की व्यवस्था करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

चंडीगढ़ में विद्यालयों को असम्बद्ध करना

[अनुवाद]

1981. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने चंडीगढ़ के कुछ विद्यालयों को असम्बद्ध करने की धमकी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह सुनिचिश्त किया जायेगा कि असम्बद्धता के कारण विद्यार्थियों को कोई हानि/परेशानी न हो ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) केन्द्रीय मध्यमिक शिक्षा बोर्ड (के० मा० शि० बो०) से प्राप्त सूचना के अनुसार किसी विद्यालय को संबंधन तभी प्रदान किया जाता है जब वे बोर्ड के सम्बन्धन उप-नियमों में निर्धारित न्यूनतम शर्तों को पूरा करता है चंडीगढ़ के छः विद्यालयों को, जिन्हें बोर्ड के साथ अस्थायी रूप से सम्बद्ध किया गया था, उचित कारण बताओ नोटिस के उपरांत उनका सम्बन्धन समाप्त कर दिया गया क्योंकि वे विद्यालय के लिए भूमि तथा स्टाफ के वेतन के भुगतान से सम्बन्धित न्यूनतम शर्तों को पूरा नहीं कर पाये थे। इनमें से एक विद्यालय ने अब बोर्ड द्वारा निर्धारित सम्बन्धन शर्तों को पूरा कर दिया है अतः इस विद्यालय को पुनः सम्बन्धन प्रदान कर दिया गया है।

(ग) के० मा० शि० बो० द्वारा सम्बन्धन समाप्त किए गए विद्यालयों के कक्षा X के छात्रों को 1992 में बोर्ड की परीक्षाओं में बैठने की आज्ञा एक विशेष मामले के रूप में दे दी गई है ताकि छात्रों के शैक्षिक भविष्य को हानि न हो।

चंडीगढ़ में सरकारी स्कूलों का दर्जा बढ़ाया जाना

1982. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चंडीगढ़ में विभिन्न स्कूलों का दर्जा बढ़ाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा 1990 और 1991 के दौरान जिन स्कूलों का दर्जा बढ़ाया गया है उनका पृथक ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 1990-91 के दौरान चंडीगढ़ प्रशासन ने सात स्कूलों का सीनियर माध्यमिक स्कूलों में स्तरोन्नयन किया है। वर्ष 1991-92 के दौरान एक प्राइमरी स्कूल का मिडिल स्तर तक स्तरोन्नयन कर दिया गया है।

चण्डीगढ़ में कामकाजी महिलाओं का होस्टल

1983. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चंडीगढ़ में इस समय कामकाजी महिलाओं के होस्टल में कितनी महिलाएं हैं और वहां पर प्रवेश हेतु कितने आवेदन पत्र लम्बित हैं;

(ख) क्या यह संतोषजनक ढंग से चल रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो वहां पर क्या सुधार करने का विचार है ; और

(घ) इसके लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितनी राशि आबंटित की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (कुमारी मामता बनर्जी) : (क) चंडीगढ़ में भारत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त तीन कामकाजी महिला होस्टलों में 178 कामकाजी महिलाओं की संस्वीकृत आवास क्षमता की तुलना में 166 संवासी हैं। स्थिति निम्नानुसार है :

क्र० सं०	संगठन का नाम	संस्वीकृत किए जाने का वर्ष	संस्वीकृत आवास क्षमता	अद्यतन स्थिति के अनुसार संवासियों की सं०	प्रवेश के लिए लम्बित आवेदनों की सं०
1.	यंग वोमेन्ज क्रिस्चियन एसो०, चण्डीगढ़	1974-75	54	52	—
2.	चण्डीगढ़ बाल कल्याण परिषद, चण्डीगढ़	1975-79	64	64	—
3.	आल इंडिया वीमेन्ज कांफ्रेंस, चण्डीगढ़	1980-81	60	50	10
			178	166	10

(ख) और (ग) चंडीगढ़ में कामकाजी महिला होस्टलों के कार्यकरण के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान चण्डीगढ़ में कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल भवनों के निर्माण हेतु कोई अनुदान राशि जारी नहीं की गई है।

भभुआ स्टेशन पर आरक्षण कोटा

[हिन्दी]

1984. **श्री छेदी पासवान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार के भभुआ स्टेशन पर रुकने वाली यात्री गाड़ियों में आरक्षण सुविधा प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दिल्ली और हवड़ा की ओर यात्रा के लिए 2391 पटना-नई दिल्ली मगध एक्सप्रेस और 3010 देहरादून-हावड़ा दून एक्सप्रेस, दोनों गाड़ियों में भभुआ रोड स्टेशन पर पहले ही आर आरक्षण

कोटे प्रचालित हो रहे हैं, आरक्षित स्थान की सीमित उपलब्धता और वर्तमान में जहां आरक्षण कोटा आबंटित है उन स्टेशनों पर कोटे का पूरा-पूरा उपयोग होने के कारण भभुआ स्टेशन पर अन्य गाड़ियों में अतिरिक्त/नया कोटा आबंटित करना व्यावहारिक नहीं है।

कुदरा स्टेशन (पूर्व रेलवे) पर सतलुज एक्सप्रेस रोकना

1985. **श्री छेदी पासवान** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कुदरा स्टेशन (पूर्व रेलवे) पर सतलुज एक्सप्रेस को रोकने की सुविधा प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वाणिज्यिक औचित्य न होने के कारण।

नई रेलवे लाइनें बिछाना

[अनुवाद]

1986. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1985 से विभिन्न राज्यों में नई बड़ी रेलवे लाइनें/मीटर लाइनें बिछाने के लिए आरंभ किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस अवधि में इन लाइनों को किन लाइनों से सम्बद्ध किया गया तथा किलोमीटर में इनकी लम्बाई कितनी है; और

(ग) इन लाइनों के लिए 1985 से प्रत्येक रेलवे बजट में कितनी धनराशि नियत की गई तथा अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

नयी लाइन — परिव्यय — (करोड़ रुपयों में)

क्र०सं०	खंड और राज्य	निर्माण कार्यक्रम का वर्ष	* लागत	85-86	86-87	87-88	88-89	89-90	90-91	91-92	मार्च, 91 तक प्रत्याशित खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	सतना-रीवा म०प्र० (150 कि०मी०)	85-86	46.13	0.75	0.50	2.00	5.00	7:01	12.00	2.00	27.60
2.	गुना-इटावा म०प्र०/ यू०पी० (318 कि०मी०)	85-86	158.77	0.01	4.00	6.00	16.00	20.00	25.78	20.00	78.64
3.	लक्ष्मीकांतपुर-नामखाना पश्चिमी बंगाल (47.5 कि०मी०)	87-88	40.90	—	—	1.00	2.30	2.30	7.00	3.00	14.40
4.	त्रिचूर-गुरुवायूर (24 कि०मी०) केरल	87-88	16.67	—	—	1.00	4.00	3.00	8.00	2.23	15 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	ब्यास-गोंइदवाल (27 कि०मी०) पंजाब	89-90	21.13	—	—	—	—	0.25	2.00	2.00	2.25
6.	गोधरा-इंदौर एवं देवास-मक्सी (316 कि०मी०) गुजरात/म०प्र०	89-90	297.14	—	—	—	—	1.00	5.39	11.00	5.50
7.	गुवाहाटी बर्नीहाट (26.70 कि०मी०) असम एवं मेघालय	89-90	25.78	—	—	—	—	0.25	0.00,01	0.00,01	0.45,69
8.	मंगलौर-उदिपिरोहा (837 कि०मी०) कर्नाटक, गोवा एवं महाराष्ट्र		रेलवे का हिस्सा राज्य सरकार का हिस्सा बंध पत्रों के माध्यम से		128 करोड़ रु० 122 „ „ 787 कि०मी०		31-10-91 तक खर्च		135 करोड़ रु०		31-3-91 तक 31.38 करोड़ रु० खर्च
9.	खोली गई नई लाइनों की लम्बाई	गुना-शिवपुरी ग्वालियर-पानीहार			म०प्र० म०प्र०	110 कि०मी० 8 कि०मी०					

* परियोजना के अनुमोदन के समय।

सामान का परिवहन

1987. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों से अर्थात् एक दशक से भी अधिक समय से रेलवे द्वारा सामान यातायात के स्थान पर सड़क परिवहन द्वारा सामान यातायात को प्राथमिकता दी जा रही है तथा क्या यह प्रवृत्ति अब भी विद्यमान है, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है;

(ख) वर्ष 1986 से, वर्ष-वार विभिन्न जोनों/डिवीजनों में सामान यातायात से कितने राजस्व की प्राप्ति हुई तथा इसमें कितने प्रतिशत का अन्तर आया है; और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वर्ष 1986 से, वर्ष-वार, विभिन्न जोनों/डिवीजनों में यात्री यातायात में कितने प्रतिशत का अन्तर आया है और इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) यद्यपि रेलें अब भी परिवहन का मुख्य साधन हैं, परन्तु पिछले वर्षों में यातायात का रुझान सड़क परिवहन के पक्ष में रहा है। ब्यौरा नीचे दिया गया है—

भूतल माल भाड़ा यातायात   (बिलियन टन कि०मी०)

वर्ष	रेल संचलन	प्रतिशत	सड़क संचलन	प्रतिशत
1980	156	65.0	48	35.0
1985	182	53.0	261	48.0
1987	223	52.0	210	48.0

(बाद के वर्षों के सड़क संचलन के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।)

(ख) और (ग) विभिन्न रेलों में राजस्व उपार्जक माल यातायात तथा ढोये गए यात्रियों और पिछले वर्ष की तुलना में आई कमी-बेशी के प्रतिशत का ब्यौरा नीचे दिया गया है—

राजस्व उपार्जक माल यातायात (हजार टनों में)

रेलवे	1985-86	प्रतिशत कमी-बेशी	1986-87	प्रतिशत कमी-बेशी	1987-88	प्रतिशत कमी-बेशी
1	2	3	4	5	6	7
मध्य	69,894	7.15	78,159	11.83	80,371	2.83
पूर्व	84,540	11.54	82,140	10.20	68,602	5,43
उत्तर	68,012	15.05	78,240	15.04	80,148	2.44
पूर्वोत्तर	11,094	24.93	12,544	13.07	12,729	1.47
पू०सी०	8,941	22.83	9,886	10.57	11,096	12.24
दक्षिण	31,389	10.84	31,769	1.21	32,112	1.08
द०म०	43,183	12.17	45,586	5.56	46,285	1.53
द०पू०	1,02,383	6.75	1,10,134	7.57	1,18,403	8.51
पश्चिम	47,374	7.65	50,721	9.37	52,710	3.92

1988-89	प्रतिशत कमी-बेशी	1989-90	प्रतिशत कमी-बेशी	1990-91	प्रतिशत कमी-बेशी
8	9	10	11	12	13
80,448	0.10	84,685	5.27	87,759	3.63
20,521	4.53	88,137	—2.63	87,444	—0.79
80,273	0.16	82,373	2.62	81,602	—0.94
12,743	0.11	13,302	4.39	13,519	1.63
11,027	—0.61	11,203	1.59	11,162	—0.37
34,934	8.79	34,648	—0.82	37,653	8.67
48,396	4.56	51,621	6.66	53,216	3.09
1,24,377	5.05	1,30,655	5.05	1,32,668	1.54
52,070	—1.21	55,146	5.91	56,120	1.77

ढोए गए यात्रियों की संख्या (हजार में)

1	2	3	4	5	6	7
मध्य	967,358	3.41	997,588	3.13	1,076,344	7.89
पूर्व	464,249	2.60	504,733	8.72	542,637	7.51
उत्तर	397.329	8.76	420.377	5.83	430,489	2.41
पूर्वोत्तर	195,476	3.32	202.877	3.79	216,269	6.60
पू०सी०	33,085	4.26	35,181	6.34	32,028	—8.96
दक्षिण	289,[illegible]	1.47	303,308	4.62	315,120	3.89
द०म०	173,082	3.55	176,835	2.17	184,854	4.53
द०पू०	167,804	2.60	177,950	6.05	191,851	7.81
पश्चिम	1,062,765	0.45	1,091,946	2.75	1,142,829	4.66

8	9	10	11	12	13
1,008,718	(—) 6.23	1,058,402	4.93	1,148,686	8.53
502,386	(—) 7.42	528,352	5.17	561,383	6.25
412,868	(—) 4.09	443,212	7.35	438,769	—1.00
193,607	(—) 10.48	198,271	2.41	198,992	0.36
29,822	(—) 6.89	32,090	7.61	31,887	—0.63
290,878	(—) 7.69	303,732	4.42	328,633	8.20
164,330	(—) 11.10	156,546	—4.74	164,936	5.36
166,609	(—) 13.16	169,096	1.49	172,822	2.20
100,537	(—) 3.70	1,145,014	4.04	1,236,338	7.98

1988-89 को छोड़कर जब आमदनी बढ़ने के बावजूद कम दूरी के यातायात में गिरावट आई थी, माल भाड़े तथा यात्रा यातायात में वृद्धि परिलक्षित हुई है।

यात्रियों को काकपिट में आने की अनुमति देना

1988. **श्री सोमजी भाई डामोर** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में अनेक पायलट यात्रियों को काकपिट में हवाई दृष्यावलोकन करने की अनुमति देते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में यदि कोई जांच की गई है, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं कि पायलट इस सम्बन्ध में निर्धारित दिशानिदेशों का सख्ती से अनुपालन करें ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

विमानों में समाचारपत्रों की सप्लाई

1989. **श्री सोमजी भाई डामोर** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक विमान में प्रारम्भिक स्थान से कितने समाचार पत्र स्वीकृत किए जाते हैं;

(ख) क्या कलकत्ता से जाने वाले विमानों, यहां तक कि प्रथम उड़ान में ही अन्य जोनों की अपेक्षा बहुत कम समाचार पत्र सप्लाई किए जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) इंडियन एयरलाइंस के मामले में, प्रातःकाल शुरू होने वाली सभी उड़ानों वाले प्रत्येक सीट की पाकेट में एक समाचार-पत्र रखा जाता है। एयर इंडिया के मामले में उड़ान के प्रारम्भिक स्थान पर विभिन्न प्रकार के विमानों में रखे जाने समाचार पत्रों का ब्यौरा निम्न प्रकार है—

समयावधियों के बीच प्रस्थान	संस्करण	विमान			
		774	74-डी	एबी-4	ए-310
0500/1100 बजे	प्रातःकालीन	275	235	175	165
1100/1600 बजे	प्रातःकालीन	125	110	95	95
1600/2000 बजे	सांयःकालीन	130	320	60	60
2000/0500 बजे	डाक	50	50	35	35

(ख) और (ग) कलकत्ता से शुरू होने वाली उड़ानों में रखे गए समाचार पत्रों की संख्या इंडियन एयरलाइंस के मामले में वही है जो अन्य क्षेत्रों में होती है, परन्तु एअर इंडिया के सामले में यह कम है क्योंकि कलकत्ता एअर इंडिया द्वारा परिचालित उड़ानों के लिए केवल एक पारगमन स्थान ही है।

महाराष्ट्र में जनजाति क्षेत्रों में रेल सुविधा

[अनुवाद]

1990. **श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का महाराष्ट्र के जनजाति बहुल क्षेत्रों में पर्याप्त रेल सुविधा उपलब्ध करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर; और

(ग) यह सुविधाएं कब तक दी जाएंगी ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) :(क) से (ग)महाराष्ट्र में गाधचिरोली को छोड़कर, जिसके लिए मूलमरोड़ा निकटतम रेल शीर्ष है और जो जिला मुख्यालय से लगभग 45 कि०मी० दूर है, आदिवासी बहुल थाणे, नासिक, धूले, यवतमाल, नांदेड जिलों में रेल नेटवर्क मौजूद है। नांदेड जिले में मनमाड-परभनी-पर्ली वैजनाथ तथा परभनी-पूर्णा और मुदखेड-आदिलाबाद के भाग के रूप में मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने तथा पूर्णा और मुदखेड़ के बीच (602 कि०मी०) समानांतर बड़ी रेल लाइन का प्रस्ताव 321.73 करोड़ रुपए की लागत से अनुमोदित किया गया है। इस परियोजना के मनमाड-औरंगाबाद खंड (114 कि०मी०) को 1991-92 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।

रद्द की गयी विमान सेवाओं को पुनः बहाल करना

1991. **श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपाकरेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान स्थगित की गयी/रद्द की गयी विमान सेवाओं को इस बीच पुनः बहाल कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) एअर इंडिया ने वाणिज्यिक कारणों से अपनी आस्ट्रेलिया के लिए सप्ताह में दो बार आने वाली सेवा बन्द कर दी थी। इंडियन एयरलाइंस ने बम्बई-माले-बम्बई सेवा को छोड़कर जिसे विमान क्षमता की कमी तथा वाणिज्यिक कारणों से दुबारा चालू नहीं किया गया; स्थगित की गई अपनी सेवाएं दुबारा चालू कर दी हैं। वायु-दूत ने नासिक, औरंगाबाद, सूरत, भावनगर, तेतु, दीमापुर, विशाखापत्तनम, तिरुअनन्तपुरम, कानपुर और लखनऊ के लिए अपने प्रचालन रोक दिए थे। विमान क्षमता की कमी तथा वाणिज्यिक कारणों से ये प्रचालन पुनः शुरू नहीं किए गए हैं।

महिला पायलट

1992. **श्री विलास राव नागनाथराव गुंडेवार** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितनी महिला पायलट हैं और कितनी महिलाएं पायलट का प्रशिक्षण ले रही हैं; और

(ख) सरकार द्वारा इस व्यवसाय के प्रति और अधिक महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) देश में महिला विमानचालकों की संख्या 344 है और देश में विभिन्न फ्लाइंग क्लबों/संस्थानों/स्कूलों आदि में विमानचालक के प्रशिक्षण पर चल रही महिलाओं की संख्या 109 है।

(ख) महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए यह व्यवसाय समान रूप से है । गत पांच वर्षों में महिला विमानचालकों/विमानचालक प्रशिक्षार्थियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है।

हरियाणा में जनसंख्या वृद्धि दर

1993. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा में राष्ट्रीय औसत की तुलना में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है; और

(ख) हरियाणा में गत तीन वर्षों के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए कुल कितनी धनराशि खर्च की और इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) 1991 की जनगणना के अनंतिम जनसंख्या योगों के आधार पर 1981-91 के दौरान दशकीय जनसंख्या वृद्धि-दर हरियाणा और अखिल भारत में क्रमश: 26.27 प्रतिशत और 23.56 प्रतिशत है।

(ख) पिछले तीन वर्षों अर्थात 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए हरियाणा सरकार द्वारा किया गया कुछ व्यय निम्नानुसार है :

(लाख रु० में)

वर्ष	हरियाणा सरकार द्वारा किया गया व्यय
1988-89	1363.55
1989-90	1446.67
1990-91	1344.21

परिवार नियोजन कार्यक्रम के परिणाम जन्म-दर और उस जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य कार्यक्रम के अनुसार आंके जा सकते हैं जो शिशु मृत्यु दर के मामले में परिवार कल्याण कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग है। हाल के वर्षों अर्थात 1988, 1989 और 1990 के लिए भारत के महापंजीयक की नमूना पंजीकरण पद्धति से उपलब्ध हरियाणा के जन्म दर और नवजात शिशु मृत्यु-दर के आंकड़े इस प्रकार हैं—

हरियाणा राज्य	1988	1989	1990
जन्म दर (प्रति 1000 जनसंख्या)	33.8	35.2	31.8
नवजात शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित जन्म)	90	82	59

नई जनसंख्या नीति

1994. श्री साईमन मरांडी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 29 तथा 30 अगस्त, 1991 को हुई राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के परिवार कल्याण सचिवों की बैठक में नई जनसंख्या नीति पर विचार किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके द्वारा की गई शिफारिशें/दिए गए सुझाव क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम की समीक्षा करने, क्षेत्रीय स्तर पर इस कार्यक्रम के कार्यान्वियन में महसूस की जा रही समस्याओं को समझने और इस कार्यक्रम को नए सिरे से बल देने और गतिशीलता प्रदान करने के लिए आवश्यक नए प्रयास करने के लिए 29-30 अगस्त, 1991 को नई दिल्ली में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परिवार कल्याण के प्रभारी सचिवों की एक बैठक हुई।

(ख) इस बैठक में हुए विचार-विमर्शों के आधार पर कार्य-योजना का एक प्रारूप तैयार किया गया है कार्य-योजना के प्रारूप की मूल विशेषताओं में (1) परिवार कल्याण कार्यक्रम के पक्ष में एक राष्ट्रीय सहमति तैयार करना और समाज के सभी वर्गों की स्वैच्छिक सहभागिता प्राप्त करना, (2) परिवार कल्याण सेवाओं की गुणवत्ता और उन्हें दूर-दूर तक उपलब्ध कराने के कार्य में सुधार करना, (3) बहुत ही कम कार्य-निष्पादन वाले 90 जिलों (1981 की जनगणना के अनुसार प्रति हजार जनसंख्या पर 39 और इससे अधिक जन्म दर) पर विशेष ध्यान देना, (4) छोटे परिवार के मानदंड को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहनों/हतोत्साहनों का एक नया पैकेज तैयार करना, (5) बच्चों के जन्म में अन्तर रखने के तरीकों को जोरदार ढंग से बढ़ावा देकर युवा-आयु के दम्पत्तियों को कवर करने के कार्य को बढ़ावा देना, (6) नए गर्भ-निरोधकों को लाना और गर्भनिरोधकों की गुणवत्ता में सुधार करना, (7) शहरी क्षेत्रों विशेषतौर से गंदी बस्तियों में परिवार कल्याण योजनाओं को सुदृढ़ करना, (8) चिकित्सा/अर्ध-चिकित्सा कार्मिकों के प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्य-कलापों में पुन: जान डालना, जिसमें प्रेरणात्मक और परामर्शी पहलुओं पर विशेष जोर दिया गया हो, (9) व्यापक रोग प्रतिरक्षक कार्यक्रम के अन्तर्गत किए गए अच्छे कार्य को जारी रखना और मातृ-शिशु स्वास्थ्य परिचर्या के लिये अन्य उपचारों को सुदृढ़ करना, (10) जीवन सम्बन्धी मुद्दों और अन्तर-वैयक्तिक संचार की गुणवत्ता पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार सम्बन्धी प्रयासों को फिर से विषय परिचायक बनाना, (11) इस कार्यक्रम में सामुदायिक सहभागिता को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने के लिए स्वयंसेवी और गैर-सरकारी संगठनों को बहुत बड़े रूप में शामिल करना, (12) राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों में कार्यान्वियन तन्त्र को सज्जित करना, (13) राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों इत्यादि पर उच्च स्तरीय अन्तर-क्षेत्रीय समन्वय तन्त्रों को तैयार करना शामिल है। कार्य योजना के इस प्रारूप को अब राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की उनकी स्वयं की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें इसकी विषय वस्तु की जांच करने के लिए आगे और मौका देने और सुधार के लिए सुझाव देने के लिये भेजा गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्वास्थ्य मन्त्रियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक करने के पश्चात अगले 2-3 महीनों की अवधि में कार्य-योजना को अन्तिम रूप देने का प्रस्ताव है। आशा है कि इस ढंग से तैयार की गई कार्य-योजना अधिक व्यावहारिक, वास्तविक और परिणामोन्मुखी होगी और इस देश में जनसंख्या समस्या पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने के लिये समर्थ होगी।

साहिबगंज (बिहार) में अस्पताल

1995. **श्री साईमन मरांडी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के साहिबगंज में एक 30 बिस्तरों वाले रेलवे अस्पताल की स्थापना के लिए 1989-90 के रेल बजट में प्रावधान किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) अभी तक कितनी धनराशि खर्च की गई है और बाकी बचे कार्य का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त रेलवे अस्पताल कब तक कार्य करना शुरू कर देगा तथा इस योजना पर कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

भागलपुर-रामपुर हाट मार्ग पर सुपरफास्ट रेल गाड़ियां

1996. **श्री साईमन मरांडी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रांची रेल मार्ग पर भागलपुर साहिबगंज-पाकुड़-रामपुर हाट जैसे जनजाति बहुल क्षेत्रों से गुजरने वाली सुपरफास्ट रेलगाड़ी चलाने की मांग है;

(ख) यदि हां, तो यह रेलगाड़ी सम्भवतः कब तक चलाने की मांग है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) परिचालनिक और संसाधन की कठिनाइयों के कारण।

देश में सफाई की समस्या

[हिन्दी]

1997. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 नवम्बर, 1991 के "पैट्रियट" में "इंडिया एमंग-डर्टियस्ट इन वर्ल्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और सरकार की इन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां।

(ख) यह सच है कि हमारे शहरों और कस्बों में स्वच्छता सम्बन्धी दशाएं पूर्णतया ठीक नहीं हैं और उनमें सुधार की काफी गुंजाइश है।

स्वच्छता प्राथमिक रूप से राज्य का विषय है और स्वच्छता सम्बन्धी योजनाएं बनाने और उनकी देख-रेख करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों/शहरी स्थानीय निकायों का है। तथापि, केन्द्रीय सरकार भी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहयोग करती है।

1981-90 से अन्तर्राष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता दशक कार्यक्रम के अन्तर्गत दिसम्बर, 1990 के अन्त तक शहरी इलाकों में स्वच्छता की कवरेज 45.93% थी। (अनन्तिम)

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में हाथ से मल-मूत्र साफ करने के काम को यथासंभव अधिकतम सीमा तक समाप्त करने की एक योजना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति पूरे कस्बे के आधार पर प्रतिवर्ष 500 कस्बों में ड्राई शौचालयों का परिवर्तन करके कम लागत वाली वाटर सील और फ्लश लैट्रीनों का निर्माण करके किया जाएगा। यह योजना राज्य सरकारों/संघ क्षेत्रों को हुडकों से ऋण दिलवाकर तथा केन्द्र से रियायती सहायता दिलवाकर हुडको के माध्यम से चलाई जा रही है।

केन्द्रीय सरकार ने तीन वर्षों की अवधि और 50:50 के अनुपात में केन्द्र और राज्य/स्थानीय निकायों द्वारा लागत बांटने के आधार पर ठोस मल व्यवस्था करने के लिए प्रायोगिक परियोजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु राज्य सरकारों को कुछ प्रस्ताव भी परिचालित किए हैं।

मरकेडीह और मुरकुन्डा में रेलवे फाटक

[हिन्दी]

1998. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हजारीबाग जिले में ग्रांडकोर्ड लाइन पर मरकेडीह में परसाबाद और चोबे के बीच और मुरकुन्डा में बरकाकाना और पतरातू के बीच कोई रेलवे फाटक नहीं है;

(ख) क्या सरकार का विचार दुर्घटनाएं रोकने के लिए इन दोनों स्थानों पर रेलवे फाटक बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राज्य सरकार/सिविल प्राधिकारियों द्वारा वांछित सुविधाओं के लिए ठोस प्रस्ताव प्रायोजित किये जाने, नियमानुसार लागत वहन करने हेतु विधिवत रूप से सहमत हो जाने के बाद ही रेलवे इस मामले पर आगे कार्रवाई कर सकती है।

सरकारी क्षेत्र के एककों द्वारा प्रदूषण

1999. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या **पर्यावरण और वन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के कुछ एकक प्रदूषण नियन्त्रण उपकरण न लगाकर अनुदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे एककों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जी, हां। देश

में सरकारी क्षेत्र की कुछ इकाइयां पर्याप्त प्रदूषण नियन्त्रण उपकरणों की स्थापना न करने के करण निर्धारित मानकों का पालन नहीं कर रही हैं। लेकिन इन इकाइयों ने जरूरी प्रदूषण नियन्त्रण उपकरणों की व्यवस्था करने के लिए पहले ही कारंवाई शुरू कर दी है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डों द्वारा कार्य के प्रगति की निगरानी की जाती है।

(ग) ऐसी इकाइयों के खिलाफ सरकार द्वारा की गई कारंवाई निम्न प्रकार है :—

1. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत बहिस्राव और उत्सर्जन मानक निर्धारित किए गए हैं।

2. उद्योगों के लिए स्थान निर्धारित और उनके संचालन के लिए पर्यावरणीय दिशा-निर्देश बनाए गए हैं।

3. बहिस्रावों और उत्सर्जनों को निर्धारित सीमा के भीतर रखने के लिए उद्योगों से राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डों की मंजूरी की अपेक्षाओं का पालन करने के लिए कहा गया है।

4. केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारो के परामर्श से सरकारी क्षेत्र की इकाइयों सहित प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के लिए बहिस्राव और उत्सर्जन मानकों को पूरा करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की है।

5. प्रदूषण नियन्त्रण के उपकरण लगाने तथा उद्योगों को भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों से शिफ्ट करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते है।

6. परिवेशी वायु गुणवत्ता, और परिवेशी जल गुणवत्ता निगरानी केन्द्रों के नेटवर्क स्थापित किये गए हैं।

7. साझे बहिस्राव शोधन संयंत्र स्थापित करने के लिए लघु औद्योगिक इकाइयों के समूहों को सहायता देने हेतु एक स्कीम शुरू की गई है।

इन्दौर और भोपाल के बीच नई उड़ानें

[अनुवाद]

2000. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास दिल्ली, इन्दौर और भोपाल के बीच नये हवाई मार्ग शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

एयर टैक्सी चालक

2001. **श्री फूल चन्द वर्मा** :

श्री राम कृष्ण कोंताला : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास ऐसी कोई योजना है जिसमें एयर टैक्सी चालन नियमों में छूट देने का कोई प्रस्ताव हो ताकि अप्रवासी भारतीयों को इस उद्यम की तरफ आकर्षित किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार विमान सेवाओं को दक्षता और आर्थिक क्षमता को बढ़ावा देने के लिए किसी नई नीति पर विचार कर रही हैं; और

(घ) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) हवाई टैक्सी योजना पहले ही ऐसी बनाई गई है जिससे अप्रवासी भारतीय आकृष्ट हों ।

(ग) और (घ) नयी औद्योगिक नीति के अन्तर्गत, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची में से हवाई परिवहन को हटा दिया गया है ।

हाथी अभयारण्य

2002. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय हाथियों के लिए कितने अभयारण्य हैं तथा वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार हाथियों के लिए कुछ नये अभयारण्य बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो इन्हें किन-किन राज्यों में स्थापित किये जाने का विचार है और इन नये अभयारण्यों में कितना क्षेत्र शामिल किया जायेगा ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) विशेष रूप से हाथियों के लिए कोई अभयारण्य नहीं बनाया गया है । लेकिन, जिन अभयारण्यों में हाथी हैं उनके नाम और स्थानों को दर्शाने वाला एक ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है ।

(ख) और (ग) भारतीय वन्यजीव संस्थान ने अपनी रिपोर्ट "प्लानिंग ए वाइल्डलाइफ प्रोटेक्टिड एरिया नेटवर्क" शीर्षक में ऐसे क्षेत्रों में अनेक अभयारण्यों, की स्थापना करने की सिफारिश की है जहां हाथी पाए जाते हैं । सिफारिश किए गए अभयारण्यों के नाम और क्षेत्र संलग्न विवरण-2 में दिए गए है ।

जैसाकि राज्य सरकारों को अभयारण्यों की स्थापना करने का अधिकार है, इसलिए उनसे रिपोर्ट के क्रियान्वयन पर विचार करने का अनुरोध किया गया है ।

विवरण-1

वन्यजीव अभयारण्यों के नाम जहां हाथी पाए जाते हैं

क्र० सं०	वन्यजीव अभयारण्यों के नाम	जिला	राज्य
1.	श्री वेंकटेश्वर	चित्तूर, कुडप्पा	आंध्र प्रदेश
2.	मेहाओ	दिबांग घाटी	अरुणाचल प्रदेश
3.	पाखुई	पूर्वी कामेंग	अरुणाचल प्रदेश
4.	डी" रिंग	सियांग	अरुणाचल प्रदेश

1	2	3	4
5.	बरनाडी	कामरूप	असम
6.	गरमपानी	सिबसागर	असम
7.	ओरांग	डारांग	असम
8.	डालमा	रांची	बिहार
9.	भद्रा	शिमागो	कर्नाटक
10.	बिलगिरि रंगा स्वामी	मैसूर	कर्नाटक
11.	ब्रह्मगिरि	मडिकेरी	कर्नाटक
12.	कावेरी	मैसूर	कर्नाटक
13.	डान्डेली	उत्तर कन्नड़	कर्नाटक
14.	शेट्टीहाल्ली	शिमोगा	कर्नाटक
15.	चिमोनी	क्विलोन	केरल
16.	चिन्नार	इडुक्की	केरल
17.	इडुक्की	इडुक्की	केरल
18.	नेय्यार	त्रिवेन्द्रम	केरल
19.	पराम्बीकुलम	पालघाट	केरल
20.	पीची वझानी	त्रिचूर	केरल
21.	पेप्परा	कोट्टायम	केरल
22.	पेरियार	कोट्टायम	केरल
23.	शेन्डुरूनी	क्विलोन	केरल
24.	थाट्टेकाडु	इडुक्की	केरल
25.	वायनाड	कालीकट और वायनाड	केरल
26.	नोंखिलेम	पूर्वी खासीपहाड़ियां	मेघालय
27.	सिज्जु	पश्चिम गारो पहाड़ियां	मेघालय
28.	डाम्पा	आइजोल	मिजोरम
29.	इंतांकी	कोहिमा	नागालैंड
30.	चन्डका डाम्परा	पुरी	उड़ीसा
31.	हडगढ़	क्योंजर मयूरभंज	उड़ीसा

1	2	3	4
32.	खलासुनी	सम्बलपुर	उड़ीसा
33.	कोटगढ़	फूलबनी	उड़ीसा
34.	कुल्दिया	बालासोर, मयूरभंज	उड़ीसा
35.	महानदी बैसीपाल्ली	पुरी	उड़ीसा
36.	सतकोसिया गार्ज	धेनकनालपुरी	उड़ीसा
38.	सिमलीपाल	मयूरभंज	उड़ीसा
38.	ऊषाकोठी	सम्बलपुर	उड़ीसा
39.	अनामलाई (इन्दिरा गांधी)	कोयबम्टूर	तमिलनाडु
40.	मुडुमलाई	नीलगिरि	तमिलनाडु
41.	नीलगिरि ताहर	नीलगिरि	तमिलनाडु
42.	सोन्नाडी	पौड़ी गढ़वाल	उत्तर प्रदेश
43.	चपरामड़ी	जलपाईगुडी	पश्चिम बंगाल
44.	गोरूमारा	जलपाईगुडी	पश्चिम बंगाल
45.	जलदापाडा	जलपाईगुडी	पश्चिम बंगाल
46.	महानन्दा	दार्जिलिंग	पश्चिम बंगाल

विवरण-2

उन क्षेत्रों के नाम जहां हाथी पाए जाते हैं और वन्यजीव अभयारण्यों की स्थापना के लिए सिफारिश की गई है

क्र० सं०	क्षेत्र का नाम जहां हाथी पाये जाते हैं	राज्य	प्रस्तावित अभयारण्य के तहत क्षेत्र (वर्ग कि० मी०)
1.	कुराथीमलाई	केरल	100.00
2.	पोम्मुडी	केरल	100.00
3.	गंजावती	कर्नाटक	350.00
4.	करीमपुझा	केरल	225.00
5.	अनामुडी पार्क	केरल	207.00
6.	बोलूवामपट्टी	तमिलनाडु	107.00

1	2	3	4
7.	मेगामलाई	तमिलनाडु	400.00
8.	कावेरी	तमिलनाडु	600.00
9.	बारबेटा	तमिलनाडु	200.00
10.	सुज्जलकुट्टई	तमिलनाडु	36.00
11.	चन्द्रपुर	उड़ीसा	471.00
12.	श्रीरामपुर	उड़ीसा	109.00
13.	महेन्द्रगिरि	उड़ीसा	50.00
14.	अजोध्या	प० बंगाल	100.00
15.	मलयागिरि	उड़ीसा	800.00
16.	सारन्धा	बिहार	315.00
17.	डालका	प० बंगाल	7.00
18.	तुरू अरबेल्ला	मेघालय	30.00
19.	नोंखलाओ	मेघालय	150.00
20.	रोंग्रेंगी	मेघालय	200.00
21.	साईपुंगलिक	मेघालय	300.00
22.	बरैल	असम	300.00
23.	बराक	असम	190.00
24.	इन्टरलाइन फारेस्ट	असम	100.00
25.	धनसिरी काकी	असम	100.00
26.	सेन्ट्रल कैचमैंट	त्रिपुरा	50.00
27.	किसा	नागालैंड	30.00
28.	इजूको-फुलियाबेजी	नागालैंड	70.00
29.	इजूको	मणिपुर	100.00
30.	तारेत-लोकेहाव	मणिपुर	100.00
31.	पलाक	मिजोरम	200.00
32.	नेंगपुई	मिजोरम	100.00
			6147,00

मीटर रेलवे लाइनों को बड़ी लाइन में बदलना

2003. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ मीटर रेलवे लाइनों को बड़ी लाइन में बदलने के लिए हाल ही में कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके लिए किन रेल-मार्गों की पहचान की गई है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

हिमालय में वन्यजीव प्रजातियां

2004. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमालय क्षेत्र में वन्यजीवों की कितनी प्रजातियां हैं; और

(ख) सरकार ने इन प्रजातियों के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) ऊंचाई और लम्बाई में भारी अन्तर के कारण, हिमालयी क्षेत्र में रहने वाली वन्यजीव प्रजातियों की संख्या बहुत अधिक है तथा यहां रहने वाली वन्यजीव प्रजातियों, विशेषकर छोटी रीढ़ीदार और गैर-रीढ़ीदार प्रजातियों की सम्पूर्ण सूची दे पाना संभव नहीं है। लेकिन, हिमालयी क्षेत्र में पायी जाने वाली स्तनपायियों और पक्षियों की महत्वपूर्ण प्रजातियों के नाम संलग्न विवरण से दिये गये हैं।

(ख) इन प्रजातियों की सुरक्षा के लिए दिए गये उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं—

(1) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम के तहत जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए तथा अनुसंधान, शिक्षा और पशु संख्या के प्रबन्ध के प्रयोजनों के लिए शिकार को छोड़कर सभी वन्यजीव प्रजातियों के शिकार पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

(2) वन्यजीवों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों और जीवमण्डल रिजवों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है। इन उद्यानों और अभयारण्यों के विकास के लिए भारत सरकार राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता प्रदान कर रही है।

(3) वन्यजीवों की दुर्लभ और संकटापन्न प्रजातियों से प्राप्त होने वाले उत्पादों के अन्तर्राष्ट्रीय और आन्तरिक व्यापार पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

(4) राज्यों के चोरी-छिपे शिकार के विरुद्ध कार्य करने वाले आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाया गया है। भारत सरकार केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम "वन्यजीवों के चोरी-छिपे शिकार और अवैध व्यापार पर नियन्त्रण" के तहत चोरी-छिपे शिकार के विरुद्ध आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करती है।

(5) सीमान्त क्षेत्रों में वन्यजीवों के संरक्षण के लिए सीमा सुरक्षा बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस और सेना का सहयोग मांगा गया है।

(6) भारतीय वन्यजीव संस्थान अधिकारियों को वन्यजीव प्रबन्ध में प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है।

(7) वन्यजीव प्रबन्ध के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में अनुसंधान शुरू किया गया है।

(8) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पहाड़ियों में वृक्षों की कटाई पर प्रतिबन्ध लगाया जाए।

विवरण

स्तनपायी

1. तेंदुआ
2. हिम तेंदुआ
3. बादली तेंदुआ
4. वन बिलाव
5. पल्लास बिल्ली
6. सुनहरी बिल्ली
7. संगमरमरी बिल्ली
8. चित्तीदार लिंसाग
9. बिन्टुरोंग
10. रेड पांडा
11. हिमालयी ब्राउन भालू
12. हिमालयी काला भालू
13. लाल लोमड़ी
14. हंगुल
15. शाउ
16. सांभर
17. काकड़
18. कस्तूरी मृग
19. जंगली याक
20. टेकिन
21. सेरो

22. गोरल
23. यूरियल या शापू
24. नायन
25. मार्कोपोलो शीप
26. भराल
27. साकिन
28. हिमालयी ताहर
29. तिब्बती एन्टीलोप या चीरू
30. तिब्बती सिकारा
31. कृष्णसार
32. भारतीय चिंकारा
33. नीलगाय
34. जंगली सुअर
35. तिब्बती जंगली गधा
36. कॉमन लंगूर
37. लंगूर
38. सुनहरा लंगूर
39. असमिया लघु पुच्छ वानर
40. लघु पुच्छ वानर

पक्षी

1. तिब्बती हिम मुर्गा
2. हिमालयी मोनाल
3. स्केटर मोनाल
4. वैस्टर्न ट्रैगोपान
5. टेमिंक्स ट्रैगोपान
6. ब्लाइथ ट्रैगोपान
7. इअर्ड फीजेन्ट
8. फीजेन्ट ग्राउस
9. ब्लड फीजेन्ट

10. कोलास फीजेन्ट

11. चीअर फीजेन्ट

12. बार टेल्ड फीजेन्ट

13. मोर फीजेन्ट

14. जंगली बटेर

15. काली गर्दन वाला सारस

मेरठ में शटल रेलगाड़ी में बम विस्फोट

2005. **श्री ताराचन्द खण्डेलवाल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में मेरठ से नई दिल्ली को आ रही शटल रेलगाड़ी में शक्तिशाली बम विस्फोट हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इस घटना से कितने यात्री मारे गए/घायल हुए;

(ग) क्या सरकार ने इस बीच इस घटना की कोई जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार ने यात्रियों को सुरक्षित यात्रा उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) मोदी नगर और मुरादनगर के बीच 2 डी० एन० एम० पैसेंजर गाड़ी में 19-10-1991 को एक बम विस्फोट हुआ था।

(ख) दो यात्रियों को गम्भीर चोट तथा दो यात्रियों को मामूली चोट आयीं किसी यात्री की मृत्यु नहीं हुई।

(ग) और (घ) मेरठ की राजकीय रेलवे पुलिस ने एक आपराधिक मामला दर्ज किया है जिसकी जांच-पड़ताल की जा रही है।

रेलों पर कानून और व्यवस्था को बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, बहरहाल, प्रभावित क्षेत्रों में जन उद्घोषणा प्रणाली, टी० वी०, पोस्टरों तथा समाचारपत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से यात्री जनता को किसी सन्देहास्पद वस्तु को न छूने अथवा उठाने की चेतावनी दी जा रही है और वे इसके बारे में पुलिस/रेल कर्मचारियों को सूचित करें। प्लेटफार्मों पर यात्री गाड़ियों के सवारी डिब्बों को खड़ा करने से पहले उनकी पूरी जांच की जाती है, लावारिस पड़ी वस्तुओं की पहचान करने तथा उनका पता लगाने के लिए पुलिस पार्टियों द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में यात्रियों के सामान की अचानक जांच की जा रही है।

कस्तूरबा अस्पताल, दिल्ली में नवजात शिशुओं की मृत्यु

2006. **श्री हरि किशोर सिंह** :

श्री गुरुदास कामत :

श्री अर्जुन सिंह यादव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 अक्तूबर, 1991 के 'इंडियन एक्सप्रेस' तथा क्रमश: 11 अक्तूबर, 1991 और 12 अक्तूबर, 1991 के 'दि हिन्दू' में "डेथ एंटाक्स हास्पीटल्स लेबर वार्ड", "एम० एच० ओ० टु प्रोब इन टु डेथ आफ 79 न्यू बौर्न बेबीज" और "इन्फैंक्ट मोरटेलिटी हाइ इन म्युनिसिपल हास्पीटल्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचारों की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां।

(ख) 7-1-1991 से 31-10-1991 तक नव-प्रसव गहन परिचर्या यूनिट में 2115 नवजात शिशु भर्ती किए गए थे, इनमें से 430 की मृत्यु हो गई। मृत्यु के कारण ये हैं कि केवल ऐसे नवजात शिशुओं को नव-प्रसव गहन परिचर्या यूनिट में भर्ती किया जाता है, जिनका वजन कम हो, समय से पहले पैदा हुए हों, जन्मजात/अजित संक्रमणों से पीड़ित हों, एक्यूटफ्लमिनेंट सेप्टिसीमिया, पीलिया और अन्य गम्भीर बीमारियों अथवा मधुमेह के रोगी हों, कमजोर और रक्ताल्पता वाले हों और प्रीएक्लैप्टिक टाक्सामिया माताओं वाले हों। क्योंकि इस यूनिट में बहुत अधिक खतरे वाले नवजात शिशुओं को ही भर्ती किया जाता है, इसलिए मृत्यु दर को अपसामान्य नहीं समझा जाता।

राष्ट्रीय शिक्षक आयोग की स्थापना

2007. **श्री मुहीराम सैकिया :**

डा० सुधीर राय :

श्री सन्तोष कुमार गंगवार : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय शिक्षक आयोग की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने फरवरी, 1983 में दो राष्ट्रीय शिक्षक आयोगों का गठन किया था— एक स्कूल स्तर के शिक्षकों से सम्बन्धित था तथा दूसरा उच्चतर शिक्षा स्तर (तकनीकी शिक्षा सहित) पर शिक्षकों के लिए था। इन आयोगों की रिपोर्टें 1985 में प्राप्त हुई थीं। इन आयोगों की रिपोर्टों पर सरकार ने विधिवत विचार किया। शिक्षकों की कार्य स्थिति से सम्बन्धित मामले पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 की समीक्षा तथा समीक्षा समिति की रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई के सन्दर्भ में भी विचार किया गया।

केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त स्थान

2008. **श्री मुहीराम सैकिया :**

श्री विलास मुत्तेमवार : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 नवम्बर, 1991 को केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षकों के श्रेणी-वार, कितने स्थान रिक्त पड़े थे;

(ख) क्या 1989-90 में बनाये गये सीधे भरती के पेनल इस समय भी कार्यान्वित किये जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इन रिक्त स्थानों को न भरने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन सभी रिक्त स्थानों को संभवतः कब तक भरा जायेगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) 1 नवम्बर, 1991 को केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षकों की श्रेणी-वार रिक्तियां तुरन्त उपलब्ध नहीं हैं तथा बाद में सभा पटल पर रख दी जायेंगी।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) शासी बोर्ड द्वारा अनुमोदित स्थानान्तरण मार्गदर्शी सिद्धांत में दिये गए अनुक्रमानुसार सीधी भर्ती के शिक्षकों की नामसूची (पेनल) पर स्थानान्तरणों के पश्चात् विचार किया जाता है।

कैंसर के उपचार के लिए दवा की खोज

[हिन्दी]

2009. **श्री जनार्दन मिश्र :**

श्री राम लखन सिंह यादव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद, और सिप्ला "एटोसिड" द्वारा भी कैंसर के रोगियों का उपचार करने के लिए कोई नई दवा विकसित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त दवा का परीक्षण किया गया है तथा इसे उपयोग के लायक पाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) कैंसर रोधी औषध "एटोपोसाइड" के लिए प्रौद्योगिकी, जिसमें पोडोफिल्लोटोक्सिन का प्रयोग शामिल है, विकसित की गई है। इसे फेफड़े अण्डाशय, टेस्टीज और लिम्फोमा आदि के कैंसर के उपचार के लिए लाभदायक पाया गया है। औषध का ब्रांड नाम एटोसिड है।

(ग) और (घ) सरकार ने कैंसर विशेषज्ञों के परामर्श से उक्त दवाई की प्रभावकारिता तथा निरापदता सम्बन्धी आंकड़ों की जांच की है और इस औषध को विपणन के लिए अनुमोदित कर दिया है।

कालाजार रोग

2010. **श्री जनार्दन मिश्र** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दो महीनों के दौरान देश के अनेक भागों में कालाजार रोग का प्रकोप था;

(ख) यदि हां, तो इससे सर्वाधिक प्रभावित हुए राज्यों के नाम क्या हैं तथा इसके फलस्वरूप मरने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(ग) इस रोग के उन्मूलन के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डा० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) कालाआजार की स्थानिकमारी केवल दो राज्यों अर्थात बिहार और पश्चिम-बंगाल में फैली हुई है। पिछले दो महीनों के दौरान राज्य से काला-आजार के कारण हुई 258 मौतों की सूचना मिली है। लेकिन पिछले दो महीनों के दौरान पश्चिमी बंगाल राज्य मे काला आजार के कारण हुई किसी भी मौत की सूचना नहीं मिली है।

(ग) इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए निम्नलिखित विशिष्ट उपाय किए जा रहे हैं —

--रोगियों का प्रणाली बद्ध तरीके से पता लगाना और सभी रोगियों का सोडियम स्टिबुग्लू-कोनेट, पैंटामिडाइन आदि जैसी औषधों से उपचार करना।

—प्रभावित क्षेत्रों में डी० डी० टी० के दो अवशिष्ट कीटनाशी छिड़काव करके वैक्टर नियन्त्रण के जरिए संचरण को रोकना।

—काला आजार के रोगवाहकों अर्थात स्थल अथवा मक्षिकाओं को पनपने से रोकने के लिए घरों के अन्दर और घरों के इर्द-गिर्द सामान्य सफाई में सुधार करना।

—रोग की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य शिक्षा कार्यकलापों को तेज करना।

—काला आजार के रोगियों का निदान और उपचार करने में चिकित्सीय और परा-चिकित्सीय कार्मिकों को प्रशिक्षित करना।

आदिवासी क्षेत्रों में साक्षरता की दर

2011. **श्री यशवंतराव पाटिल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में साक्षरता की दर क्या है;

(ख) इन क्षेत्रों में साक्षरता का प्रसार करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है;

(ग) क्या आदिवासी क्षेत्रों में स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस प्रतिशत में वृद्धि करने के लिए कोई योजना तैयार करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) (क) वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार समस्त आयु वर्ग के अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता दर 16.35 प्रतिशत थी। वर्ष 1991 की जनगणना के मुताबिक, अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई है।

(ख) प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण सहित अनौपचारिक शिक्षा तथा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जिसका उद्देश्य वर्ष 1995 तक 15-35 आयु वर्ग के 8 करोड़ प्रौढ़ निरक्षरों की कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना है, देश में निरक्षरता उन्मूलन के लिए व्यापक कार्यक्रमों का अभिन्न भाग है। जिसमें जनजातीय तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों पर विशेष बल दिया गया है।

(ग) अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के नामांकन में सभी स्तरों पर विशेषरूप से प्राइमरी स्तर पर पर्याप्त बढ़ोत्तरी हुई है, जोकि वर्ष 1964-65 में 22.8 लाख से बढ़कर वर्ष 1988-89 में 76.00 लाख हो गई है जो अखिल भारतीय औसत वृद्धि दर के 2.9 प्रतिशत की अपेक्षा 5.1 प्रतिशत की वृद्धि दर बैठती है।

(घ) और (ङ) अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक कार्यक्रमों को सुदृढ़ आधार बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। जिनमें, जनजातीय क्षेत्रों में प्रौढ़ शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों को खोलने और आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के तहत उन्हें शामिल करना, जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में शैक्षिक संस्थानों का प्रावधान, छात्रवृत्तियां, निःशुल्क शिक्षा, मध्याह्न-भोजन, वर्दियां, पुस्तकें और लेखन सामग्री जैसे प्रोत्साहनों का प्रावधान करना है इस समुदाय के लोगों के लिए उच्च अध्ययन के शैक्षिक संस्थानों में सीटों का आरक्षण इन संस्थानों में उपचारी तथा विशेष शिक्षण सुविधाएं तथा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग कक्षाओं का प्रावधान करना, केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, राष्ट्रीय शैक्षिक, अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् तथा प्रौढ़ शिक्षा के राज्य संसाधन केन्द्रों आदि के माध्यम से जनजातीय भाषा में पाठ्यपुस्तकें, प्रवेशिकाएं आदि तैयार करना, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान करना तथा छात्रावासों और आश्रम स्कूलों के निर्माण के लिए राज्य सरकार को सहायता देना शामिल है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

जलपाईगुड़ी में हाथियों का शिकार

2012. **श्री यशवन्तराव पाटिल** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के उडलाबाड़ी क्षेत्र में जंगली हाथियों के शिकार करने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इस वर्ष के दौरान कितने हाथी अथवा अन्य जंगली जानवर मारे गये; और

(ग) इस क्षेत्र में जंगली जानवरों के शिकार को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) देश भर में हाथियों के शिकार पर प्रतिबन्ध है। वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की धारा 11(1)(क) के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्य वन्यजीव वार्डन द्वारा उन हाथियों के शिकार करने की अनुमति दी जा सकती है जिनसे मानव जीवन को खतरा हो। चालू वित्तीय वर्ष में पश्चिमी बंगाल के

जलपाइगुड़ी जिले में उदलबाड़ी क्षेत्र के आसपास इस तरह के एक हाथी के शिकार करने की अनुमति दी गई थी। इस वित्तीय वर्ष के दौरान कोई दूसरे वन्यप्राणी नहीं मारे गए हैं।

(ग) वन्यप्राणियों को मारे जाने से रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) देश में वन्यप्राणियों के शिकार पर प्रतिबन्ध लगाया गया है।

(2) वन्यप्राणियों की दुर्लभ और संकटापन्न प्रजातियों के व्यापार पर प्रतिबन्ध लगाया गया है।

(3) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम की शर्तों के अनुसार दूसरी प्रजातियों के व्यापार पर कठोर नियंत्रण है। इस प्रकार की प्रजातियों के वन्यजीव उत्पादों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्राणिजात और वनस्पतिजात की संकटापन्न प्रजातियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्बन्धी अभिसमय (कन्वेंशन), जिसका भारत एक सदस्य है, के उपबन्धों के अन्तर्गत भी प्रतिबंध है।

(4) भारत सरकार ने वन्यजीव उत्पादों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की निगरानी और उस पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों और उप क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना की है।

(5) राज्य सरकारों को उनके चोरी-छिपे शिकाररोधी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए "वन्यजीवों के चोरी-छिपे शिकार और अवैध व्यापार पर नियंत्रण" की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(6) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 में संशोधन किया गया है। चोरी-छिपे शिकार करने और अवैध व्यापार के लिए दण्डों में उपयुक्त वृद्धि की गई है।

(7) प्राधिकृत अधिकारी के आदेशों के बिना वन्यजीव उत्पादों के परिवहन को दण्डनीय अपराध बनाया गया है।

भटनी जंक्शन में फैक्ट्री

2013. श्री हरिकेवल प्रसाद : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे के भटनी जंक्शन पर रेलवे की खाली भूमि पर फालतू पुर्जों के निर्माण हेतु फैक्ट्री लगाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गढ़वाल क्षेत्र में वन जीव अभयारण्य

2014. श्री भुवन चन्द्र खंडूरी : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गढ़वाल क्षेत्र में वन्यजीव अभयारण्य के बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो किस तरह की शिकायतें मिली हैं;

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान अभयारण्य के जंगली जानवरों ने इस क्षेत्र में कितने व्यक्तियों और पशुओं को मार डाला और गम्भीर रूप से घायल कर दिया;

(घ) क्या मृतकों के आश्रितों और घायल व्यक्तियों को मुआवजा दे दिया गया है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

पौड़ी और चमोली जिलों के प्राचीन मन्दिर

2015. **श्री भुवन चन्द्र खंडूरी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के पौड़ी और चमोली जिलों में प्राचीन मन्दिरों, ऐतिहासिक इमारतों तथा अन्य स्थानों के नाम क्या हैं जिनका रख-रखाव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया जाता है;

(ख) क्या यह विभाग इन दोनों जिलों में कुछ और मन्दिरों, ऐतिहासिक महत्व के भवनों तथा मकानों का कार्यभार संभालेगा;

(ग) यदि हां, तो पौड़ी जिले के नैनीडान्डा विकास खण्ड में गुजाडूगरही मन्दिर तथा अन्य देव स्थानों को भी उनमें शामिल किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जिला चमोली में केन्द्रीय सुरक्षा के अन्तर्गत जो स्मारक/स्थल हैं, उनकी सूची विवरण के रूप में संलग्न है । जिला पौड़ी में केन्द्रीय सरकार द्वारा सुरक्षित कोई स्मारक/स्थल नहीं है ।

(ख) इस समय सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं हैं ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) मन्दिर और देव स्थानों को प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में सुरक्षा हेतु उपयुक्त नहीं आंका गया है ।

विवरण

उत्तर प्रदेश

जिला—चमोली

क्रम सं०	स्थान	स्मारक/स्थल का नाम
1.	आदबद्री	सोलह मन्दिरों के अवशेष।
2.	चांदपुर	किला और इसकी दीवारें तथा इसके अन्दर के घरों एवं सीढ़ियों के अवशेष।
3.	गोपेश्वर	लोहे का छड़दार त्रिशूल तथा एक प्राचीन एवं तीन नवीन शिलालेख।
4.	पांडुकेश्वर	दो मन्दिर।
5.	गोपेश्वर	रुद्रनाथ मन्दिर।
6.	गांव मंडल	सर्वेक्षण प्लाट नं० 89 में शिलालेख।

हेरिटेज होटल

[अनुवाद]

2016. श्री चेतन पी० एस० चौहान :

श्री रमेश चन्द तोमर : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पैलेस होटलों से भिन्न हेरिटेज होटलों की एक विशिष्ट श्रेणी बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इन्हें बनाने, इनका वर्गीकरण करने तथा इनके रख-रखाव की शर्तों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) नये वर्ग के होटलों के निर्माण में विशेषता हासिल करने के लिए और अधिक भूसम्पत्ति मालिकों को प्रोत्साहित करने हेतु निर्धारित प्रोत्साहनों और रियायतों का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) सरकार ने "विरासत होटलों" की एक श्रेणी बनाई है जिसमें 1950 से पूर्व निर्मित महलों/दुर्गों/किलों/हवेलियों/किसी भी आकार के आवास में चलने वाले होटल शामिल हैं।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) सरकार द्वारा अनुमोदित होटलों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन और रियायतें अनुमोदित "विरासत होटलों" की श्रेणी पर भी लागू होती हैं।

विवरण

1. परिभाषा : "विरासत होटलों" में सन् 1950 से पूर्व निर्मित महलों/दुर्गों/किलों/हवेलियों/किसी भी आकार के आवास में चलने वाले होटलों को शामिल किया जाएगा।

2. सामान्य विशेषताएं : अग्रभाग, वास्तु-कला विशेषताएं और सामान्य निर्माण विशेष ढंग का होना चाहिए तथा आसपास का परिवेश और सजावट महलों के परम्परागत रूप के अनुरूप होनी चाहिए। वहां पर कार पार्क करने के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए। सभी सार्वजनिक कमरों और क्षेत्रों तथा अतिथि कक्षों का रख-रखाव अच्छी तरह किया गया हो और सुरुचिपूर्ण क्वालिटी के कालीन एशिया गलीचे, फर्नीचर/जुड़नार आदि से सुसज्जित होना चाहिए जो परम्परागत जीवन शैली से मेल खाते हों। अतिथि कक्ष स्वच्छ, हवादार, कीट मुक्त सीलन व दुर्गन्ध मुक्त और पर्याप्त बड़े आकार के हों जिनमें आधुनिक सुविधाओं (अर्थात फ्लश कमोड, वाश बेसिन, गर्म एवं शीतल जल) से युक्त साथ लगे बाथरूम हों। इनमें सुसज्जित लॉबी अथवा लाउन्ज होने चाहिए जिनमें उच्च स्तर के फर्नीचर, अच्छी फिटिंग के साथ-साथ पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग क्लॉक रूम होने चाहिए।

3. सुविधाएं : इनमें एक स्वागत, कैश एवं सूचना काउन्टर होना चाहिए जहां पर प्रशिक्षित और अनुभवी कर्मचारी नियुक्त हों। मुद्रा-विनिमय और छोड़े हुए सामान सम्बन्धी कमरे की सुविधा होनी चाहिए। परिसर में एक सुसज्जित सुव्यवस्थित और अच्छी तरह अनुरक्षित भोजन कक्ष होना चाहिए और कानून अनुमत एक सुन्दर सुसज्जित बार/परमिट रूम होना चाहिए। रसोई और रसोई भण्डार व्यावसायिक ढंग से बनाई गई तथा सुसज्जित होनी चाहिए जिससे परिचालन की कुशलता को सुनिश्चित किया जा सके। क्राकरी, कटलरी और शीशे के बर्तन उच्च स्तर के और पर्याप्त संख्या में होने चाहिए जो जीवन शैली और भोजनार्थ आने वाले अतिथियों की संख्या के अनुरूप हों। पेयजल कीटाणु रहित होना चाहिए। रसोई स्वच्छ, हवादार, रोशनीदार और कीट रहित होनी चाहिए। प्रवाहित गर्म और शीतल जल, कूड़े के निपटान की स्वास्थ्य कर व्यवस्था और कीटाणु रहित डीप फ्रीजर और रेफ्रिजरेटर (जहां पर प्रत्येक भोज के लिए ताजे भोजन का प्रबन्ध है, अतिरिक्त जेनरेटर की व्यवस्था होनी चाहिए) से युक्त तीन टियर वाशिंग प्रणाली होनी चाहिए। बगीचों आहातों का रख-रखाव अच्छी तरह किया गया हो।

4. सेवाएं : होटल का भोजन और पेय सेवा अच्छे स्तर की होनी चाहिए। कर्मचारी चुस्त एवं साफ-सुथरी वर्दी में हो तथा वे योग्य, प्रशिक्षित, अनुभवी, कुशल और शिष्ट हो और अतिथियों के सम्पर्क में आने वाले कर्मचारियों को अंग्रेजी समझ आनी चाहिए। इन होटलों में गृह-व्यवस्था (हाउस कीपिंग) उच्चतम, सम्भव स्तर की होनी चाहिए और उच्च स्तर के लिनेन, कम्बलों, तौलियों आदि की प्रचुर संख्या में आपूर्ति होनी चाहिए। प्रत्येक अतिथि कक्ष में वैक्यूम जग/फ्लास्क होने चाहिएं जिनमें कीटाणु-रहित पानी भरा हो। ऋतु के अनुसार अतिथि कक्षों को गर्म/ठण्डा रखने की व्यवस्था होनी चाहिए। जिन स्थानों पर टेलीफोन लाइनें हों वहां पर कार्यालय में कम से कम एक टेलीफोन होना चाहिए तथा प्रत्येक अतिथि कक्ष में कॉल बेल होनी चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सा उपलब्ध होनी चाहिए।

उपर्युक्त बातों के अलावा, यह महसूस किया गया कि "विरासत होटल" की श्रेणी के लिए विचारार्थ सम्पत्तियों के वास्तुशिल्प को विरूपित नहीं किया जाना चाहिए तथा कोई भी विस्तार/सुधार/परिवर्तन परम्परागत जीवन शैली के अनुरूप होना चाहिए। प्रत्येक सम्पत्ति के कर्मचारी/कमरा अनुपात

अतिथि कक्षों की संख्या के अनुरूप होना चाहिए। इस बात पर भी बल दिया गया कि ये होटल व्यावसायिक आधार पर चलाए जाने चाहिएं और उनका परिवेश और सेवाएं यथावत बनी रहनी चाहिएं।

विरासत होटलों को अपने क्षेत्र की विशिष्ट एवं परम्परागत जीवन शैली को प्रदर्शित करना चाहिए और सेवा, परिवेश तथा भोजन बहुत ऊंची गुणवत्ता का होना चाहिए जिसका स्तर 4-सितारा मानक से कम न हो।

आमरानी बहु-उद्देशीय परियोजना

2017. श्री चेतन पी० एस० चौहान :

श्री रमेश चन्द तोमर : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आमरानी बहु-उद्देशीय परियोजना की कार्य योजना कब भेजी गई थी;

(ख) क्या सरकार ने उसे स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) परियोजना को शीघ्र स्वीकृति देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) आमरानी बहुद्देश्यीय परियोजना के लिए व्यापक कार्य योजनाओं को अभी परियोजना प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किया जाना है।

(ख) और (ग) व्यापक योजनाओं के प्राप्त होने के बाद ही मंजूरी के लिए परियोजना पर विचार करना संभव है।

(घ) मामले को शीघ्र निपटाने के लिए परियोजना प्राधिकारियों के साथ अनेक विचार-विमर्श किए जा चुके हैं।

परिवार नियोजन कार्यक्रम

[हिन्दी]

2018. श्री गोपीनाथ गजपति :

श्री अर्जुन सिंह यादव :

श्री सुशील चन्द्र वर्मा :

श्री रमेश चेन्नितला :

श्री पाला के० एम० मैथ्यू :

श्री महेन्द्र बैठा :

श्री दाऊ दयाल जोशी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवार नियोजन कार्यक्रम ने वांछित प्रगति नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार प्रतिवर्ष क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए और प्राप्त किए गए; और

(ग) उक्त अवधि में प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है तथा राज्यवार एवं वर्ष-वार कितने प्रतिशत राशि का उपभोग किया गया तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना में इस सम्बन्ध में राज्य बार कितनी धनराशि आबंटित करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ): (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 1990 के लिए अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित जनांकिकी लक्ष्यों की उपलब्धि रखी गई है :—

अशोधित जन्म दर	:	29.1 प्रति 1000 जनसंख्या
अशोधित मृत्यु दर	:	10.4 प्रति 1000 जनसंख्या
कारगर दम्पती सुरक्षा दर	:	42 प्रतिशत
नवजात शिशु मृत्यु दर	:	90 प्रति 1000 जीवित जन्म

उपर्युक्त लक्ष्यों को देखते हुए वर्ष 1990 की अनन्तिम उपलब्धियां इस प्रकार रहीं :—

अशोधित जन्म दर	:	29.9 प्रति 1000 जनसंख्या (नमूना पंजीयन पद्धति के अनुमानों पर आधारित)
अशोधित मृत्यु दर		9.6 प्रति 1000 जनसंख्या (नमूना पंजीयन पद्धति के अनुमानों पर आधारित)
कारगर दम्पती सुरक्षा दर	:	43.3 प्रतिशत (31-3-1990 को)
नवजात शिशु मृत्यु दर	:	80 प्रति 1000 जीवित जन्म (नमूना पंजीयन पद्धति के अनुमानों पर आधारित)

उपर्युक्त यह देखा जा सकता है कि जन्म दर को छोड़कर मृत्यु दर, कारगर दम्पती सुरक्षा दर और नवजात शिशु मृत्यु दर के लिए लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं और इनसे अधिक कार्य हुआ है।

(ख) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के परिवार नियोजन के राज्यवार और तरीकेवार निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धियां विवरण-1 में दी गई हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान परिवार कल्याण के कार्यान्वयन पर हुए राज्यवार व्यय का ब्यौरा विवरण-2 में दिया गया है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों को परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए आवंटनों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण-1

1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान किए गए बंध्याकरण के सम्बन्ध में राज्यवार लक्ष्य और उपलब्धियां

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य/एजेंसी	लक्ष्य	उपलब्धि *	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि *
1	2	3	4	5	6	7	8
I. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र							
1.	आंध्र प्रदेश	600000	477106	637000	435963	650000	452405
2.	असम	149000	58119	200000	60173	254000	72438
3.	बिहार	513000	514498	513000	332455	550000	268429
4.	गुजरात	293000	241079	293000	237255	258000	240461
5.	हरियाणा	100000	81426	100000	88686	102000	88850
6.	कर्नाटक	325000	301147	311000	289372	360000	282430
7.	केरल	200000	207457	180000	208537	200000	190547
8.	मध्य प्रदेश	400000	273584	350000	237386	350000	284815
9.	महाराष्ट्र	500000	510191	525000	526457	575000	552241

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	उड़ीसा	200000	161547	209000	152614	220000	142329
11.	पंजाब	120000	96594	120000	138962	120000	92021
12.	राजस्थान	225000	107372	225000	122635	225000	147811
13.	तमिलनाडु	450000	407552	425000	383132	425000	382512
14.	उत्तर प्रदेश	650000	729075	700000	483354	785000	439245
15.	पश्चिम बंगाल	437000	335873	450000	320212	500000	320052
16.	हिमाचल प्रदेश	30000	35164	30000	32591	34000	32574
17.	जम्मू और कश्मीर	36600	26146	36600	13973	38000	12406
18.	मणिपुर	7000	5740	7800	4601	10000	3550
19.	मेघालय	1000	470	700	538	800	536
20.	नागालैंड	1000	715	1500	1065	1500	996**
21.	सिक्किम	1100	973	1100	983	1000	889
22.	त्रिपुरा	10000	6915	9000	7331	11000	7670
23.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2000	2061	2100	2138	2000	1909
24.	अरुणाचल प्रदेश	1800	1560	1400	1486	2300	1331
25.	चंडीगढ़	3500	2926	3500	2268	3500	2510
26.	दादरा और नगर हवेली	1100	1163	800	863	1000	712
27.	दिल्ली	36000	31456	36000	31917	40000	33468

1	2	3	4	5	6	7	8
28.	गोवा	4500	4368	4500	4569	4500	4341
29.	दमन और दीव	450	367	350	395	350	420
30.	लक्षद्वीप	60	40	60	22	70	22
31.	मिजोरम	3000	3154	3000	3581	3000	4147
32.	पांडिचेरी	5300	6074	5100	7437	5600	7813
II. अन्य एजेंसियां							
1.	रक्षा मंत्रालय	28800	19746	28900	20150	30800	19217
2.	रेल मंत्रालय	38400	26519	38600	281191	40480	30583
	अखिल भारत	5374000	4678177	5449010	4181322	5803900**	4121980

* =आंकड़े अनन्तिम

**=जनवरी, 91 तक के आंकड़े

1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान आई० यू० डी० निवेशन के सम्बन्ध में राज्यवार लक्ष्य और उपलब्धियां

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य/एजेंसी	1988-89 लक्ष्य	1988-89 उपलब्धि*	1989-90 लक्ष्य	1989-90 उपलब्धि*	1999-91 लक्ष्य	1999-91 उपलब्धि*
1	2	3	4	5	6	7	8
I. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र							
1.	आंध्र प्रदेश	321000	213648	421000	240647	450000	253553
2.	असम	68500	23512	30000	27703	90000	28471
3.	बिहार	355000	337869	400000	253737	475000	201095
4.	गुजरात	317000	358918	317000	356547	460000	451847
5.	हरियाणा	187000	194783	164000	170409	210000	155135
6.	कर्नाटक	210000	204693	223000	199555	262000	204006
7.	केरल	115000	115535	115000	125324	150000	119747
8.	मध्य प्रदेश	251000	306712	300000	334171	370000	357600
9.	महाराष्ट्र	475000	396949	500000	435091	525000	472034
10.	उड़ीसा	148000	146188	168000	157497	200000	164442
11.	पंजाब	270000	314310	275000	356729	350000	406098

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	राजस्थान	210000	173026	250000	191723	250000	178438
13.	तमिलनाडु	453000	4·8664	415000	431817	530000	419192
14.	उत्तर प्रदेश	1151000	1310552	1250000	1340976	1535000	1579715
15.	पश्चिम बंगाल	168000	116864	175000	131126	225000	139672
16.	हिमाचल प्रदेश	43200	35287	43000	37420	60000	41796
17.	जम्मू और कश्मीर	25700	15953	25700	14792	26000	15516
18.	मणिपुर	7000	8026	8200	7151	8000	7728
19.	मेघालय	5300	1454	2000	1610	2000	2015
20.	नागालैंड	4100	646	2500	834	2500	653**
21.	सिक्किम	1700	1384	1700	1471	1300	1568
22.	त्रिपुरा	4000	1867	4500	2560	2500	2379
23.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	1700	1889	1500	1695	1500	1694
24.	अरूणाचल प्रदेश	4200	2169	2000	2116	2400	2350
25.	चंडीगढ़	10000	6020	10000	5644	10000	5511
26.	दादरा और नगर हवेली	180	200	210	160	200	231
27.	दिल्ली	110000	69402	90000	70641	125000	71454
28.	गोवा	3050	3056	3500	3695	3500	3533
29.	दमण और दीव	250	124	330	120	330	162

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	लक्षद्वीप	100	44	100	65	160	120
31.	मिज़ोरम	2700	2100	2700	2580	2700	2570
32.	पांडिचेरी	3300	3924	3200	4121	4200	4236
II. अन्य एजेंसियां							
1.	रक्षा मंत्रालय	18200	12645	20000	13115	24400	13360
2.	रेल मंत्रालय	26100	13070	28700	13851	20320	14222
	अखिल भारत	4970000	4851483	5252840	4936693	6800000	5322143

* आंकड़े अनन्तिम।

** जनवरी, 91 तक के आंकड़े।

1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान प्रचलित गर्भ निरोधकों के प्रयोगकर्ताओं के सम्बन्ध में राज्यवार लक्ष्य और उपलब्धियां

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1988-89		1989-90		1990-91	
		लक्ष्य	उपलब्धियां*	लक्ष्य	उपलब्धियां*	लक्ष्य	उपलब्धियां*
1	2	3	4	5	6	7	8
I. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र							
1.	आंध्र प्रदेश	773000	601396	1014000	750786	1078300	826262
2.	असम	119000	33343	60000	37414	40000	36647
3.	बिहार	202000	205670	202000	185749	359100	15379
4.	गुजरात	650000	671876	650000	769208	600000	801892
5.	हरियाणा	628000	660530	550000	598272	552360	512438
6.	कर्नाटक	222000	223745	246000	223703	264630	228417
7.	केरल	271000	238830	271000	292139	297200	305889
8.	मध्य प्रदेश	961000	1002491	1150000	1230744	1100000	1317060
9.	महाराष्ट्र	849000	805822	850000	915241	969000	1110249
10.	उड़ीसा	268000	268476	306000	306666	291600	300761
11.	पंजाब	462000	521597	429000	580799	473600	49337

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	राजस्थान	527990	428755	400000	445700	400000	297285
13.	तमिलनाडु	320000	342840	280000	324752	389000	296591
14.	उत्तर प्रदेश	1183000	1138746	1300000	1265976	1459500	1576380
15.	पश्चिम बंगाल	412000	252470	425000	319860	418700	312268
16.	हिमाचल प्रदेश	69300	57935	69000	69087	75000	73991
17.	जम्मू और कश्मीर	21200	14016	21200	14731	16000	11708
18.	मणिपुर	3900	2783	4600	3732	5100	2509
19.	मेघालय	13600	1407	3000	2264	3000	1668
20.	नागालैंड	640	17	700	31	900	14**
21.	सिक्किम	600	246	600	463	800	514
22.	त्रिपुरा	8100	3074	4000	4420	1600	4287
23.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1300	1402	1400	1702	1580	1845
24.	अरूणाचल प्रदेश	1700	628	600	882	300	1205
25.	चण्डीगढ़	14200	9975	10000	8482	11180	7933
26.	दादरा और नगर हवेली	600	495	700	503	940	59
27.	दिल्ली	345000	319313	360000	319973	450000	298593
28.	गोवा	17700	16253	12000	14762	12900	14154
29.	दमन और दीव	1400	281	750	578	750	332

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	लक्षद्वीप	790	291	1000	261	1000	192
31.	मिजोरम	2200	1091	2200	1649	4240	1473
32.	पांडिचेरी	8400	10194	8300	11241	9900	8368
II. अन्य एजेंसियां							
1.	रक्षा मन्त्रालय	82700	50058	90800	68661	61350	65118
2.	रेल मन्त्रालय	402000	315895	442000	378552	400000	324782
3.	वाणिज्यिक वितरण	4200000	4220000	4850000	5036528	5330000	5318889
	अखिल भारत	13043320	12421943	14015850	14185511	15079530	14706935

*=आंकड़े अनन्तिम।

**=उपलब्धि के आंकड़े जनवरी 91 तक।

1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान किए गए मुख सेव्य गोलियों के प्रयोगकर्ताओं के सम्बन्ध में राज्यवार लक्ष्य और उपलब्धियां

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य/एजेंसी	1988-89		1989-90		1990-91	
		लक्ष्य	उपलब्धि*	लक्ष्य	उपलब्धि*	लक्ष्य	उपलब्धि*
1		2	3	4	5	6	7
	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र						
	आंध्र प्रदेश	151000	139221	194000	170939	225128	192416
	असम	12900	7804	15000	2031	30000	9242
	बिहार	20700	20164	20700	37210	59700	47588
	गुजरात	70000	114008	78000	118368	90000	114473
	हरियाणा	25000	40994	40000	30340	32800	37615
	कर्नाटक	65000	75608	49800	74249	77900	74582
	केरल	34500	37557	34500	43427	50300	40651
	मध्य प्रदेश	132000	191491	200000	222042	2240000	257054
	महाराष्ट्र	181000	249594	350000	303363	286600	430283

1	2	3	4	5	6	7
उड़ीसा	37700	55433	42100	57675	53900	63279
पंजाब	331000	53837	50000	61523	47900	63073
राजस्थान	45990	46234	50000	66647	50000	59254
तमिलनाडु	82100	164212	150000	189094	173600	176695
उत्तर प्रदेश	112000	169112	180000	186252	224900	213336
पश्चिम बंगाल	44700	83572	100000	99701	124600	106832
हिमाचल प्रदेश	9500	9000	9500	9806	12000	13002
जम्मू और कश्मीर	2600	3020	3200	2946	4000	4083
मणिपुर	190	556	220	365	500	521
मेघालय	2500	1282	2000	1200	2000	1045
नागालैंड	980	100	1000	137	1000	93**
सिक्किम	2100	1467	2200	1768	1300	1619
त्रिपुरा	2900	2581	2900	2660	2100	2861
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	280	407	320	419	380	483
अरुणाचल प्रदेश	1600	965	1000	1047	700	1013
चंडीगढ़	420	363	500	240	900	294
दादरा और नगर हवेली	40	80	100	142	180	220
दिल्ली	2000	3891	4500	3484	8000	5612

1	2	3	4	5	6	7
गोवा	1950	1686	2000	2054	2300	2380
दमन और दीव	150	78	120	118	120	140
लक्षद्वीप	50	50	250	69	300	58
मिजोरम	920	1328	920	978	1580	1106
पांडिचेरी	990	1000	960	1080	1040	927
अन्य एजेंसियां						
रक्षा मन्त्रालय	3800	3221	4200	4279	2960	5524
रेल मन्त्रालय	3700	4012	4100	4454	4100	5041
वाणिज्यिक वितरण	1050000	931462	500000	1032077	700000	1174615
अखिल भारत	2140260	2416190	2094090	2740384	2492788	3107910

*=आंकड़े अनन्तिम हैं।

**=उपलब्धि के आंकड़े जनवरी, 91 तक के हैं।

विवरण-2

पिछले तीन वर्षों के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत
राज्यवार व्यय

(लाख रुपयों में)

क्रम सं०	राज्य	1988-89	1989-90	1990-91
1.	आंध्र प्रदेश	4574.19	4823.91	4987.40
2.	असम	1178.32	1389.64	1541.13
3.	बिहार	3578.57	4247.74	4359.20
4.	गुजरात	3491.81	4666.43	4218.75
5.	हरियाणा	1363.55	1446.67	1344.21
6.	हिमाचल प्रदेश	750.08	792.48	1532.52
7.	जम्मू और कश्मीर	448.61	471.23	603.29
8.	कर्नाटक	3498.46	4310.65	3857.59
9.	केरल	3102.62	4229.35	3973.03
10.	मध्य प्रदेश	2811.22	4395.98	4477.51
11.	महाराष्ट्र	4953.65	5738.40	6507.63
12.	मणिपुर	262.24	303.84	273.45
13.	मेघालय	133.66	158.89	160.53
14.	नागालैंड	141.45	142.30	87.13
15.	उड़ीसा	2185.03	2663.69	3191.66
16.	पंजाब	1078.46	1359.31	1108.94
17.	राजस्थान	2558.77	3219.79	4118.51
18.	सिक्किम	75.57	93.30	121.00
19.	तमिलनाडु	2876.25	3611.58	3736.19
20.	त्रिपुरा	180.54	267.93	292.58
21.	उत्तर प्रदेश	10425.14	11770.21	13696.44
22.	पश्चिम बंगाल	4560.73	6391.85	5192.28
23.	अरूणाचल प्रदेश	33.23	35.20	55.31
24.	गोवा	65.33	78.23	90.96
25.	मिजोरम	94.82	65.54	118.57

* अनन्तिम

वनों का वाणिज्यिक दोहन

[अनुवाद]

2019. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए वनों के दोहन पर रोक लगाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में वृक्षों की कटाई पर पूर्ण प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है। लेकिन, नीति में यह कहा गया है कि सरकार द्वारा प्रबन्ध योजना स्वीकृत किये बिना भी वन में कार्य की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और वनों से प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ प्राप्त करना पर्यावरणीय स्थिरता और पारिस्थितिकीय सन्तुलन के लिए वनों के महत्व से ऊपर नहीं होना चाहिए।

उड़ीसा में साहसिक पर्यटन

2020. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने साहसिक पर्यटन पर बल दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में, और विशेषरूप से उड़ीसा में, क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्र सरकार ने साहसिक पर्यटन सम्बन्धी निम्नलिखित स्कीमों के लिए उड़ीसा सरकार को वित्तीय सहायता दी है—

	(लाख रुपये में)
1. तीन केन्द्रों के लिए जल-क्रीड़ा उपकरण	15.44
2. भितरकणिका के लिए चांदबाली में वन गृह	14.96
3. टिकरपाड़ा में वन गृह	14.80
4. भितरकणिका वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए मोटर बोट	4.30
5. सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के लिए मिनी-बसें और हाथी	4.04

महाराष्ट्र में बौद्ध स्मारक

2021. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रत्नागिरि, ललितागिरि और उदयगिरि जैसे विश्व प्रसिद्ध बौद्ध स्मारक पिछले कई दशकों से उपेक्षित पड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन स्मारकों के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। रत्नागिरि, उदयगिरि और ललितागिरि के बौद्ध स्मारकों को पुरातत्वीय मानदण्डों के अनुसार परिरक्षित और अनुरक्षित किया जाता है। ललितागिरि और उदयगिरि के बौद्ध स्थलों पर खुदाई का कार्य पहले ही किया जा चुका है तथा वहां पर स्तूप, पुरावस्तुएं और मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं। रत्नागिरि के संग्रहालय भवन को पूरा कर लिया गया है। ललितगिरि में खुदाई के दौरान पाई गई पुरावस्तुओं को भवन में रख दिया गया है।

आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को लोकप्रिय बनाना

2022. श्री कड़िया मुंडा :

श्री श्रीकांत जेना :

श्री ही० एम० सईद :

डा० सी० सिलवेरा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को लोकप्रिय बनाने के लिए हाल ही में दिल्ली में कोई बैठक आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसमें क्या सिफारिशें पेश की गई और इन पर क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ग) आयुर्वेदिक कालेजों/अस्पतालों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इन आयुर्वेदिक कालेजों/अस्पतालों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता-राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उड़ीसा और बिहार में और अधिक संख्या में आयुर्वेदिक कालेज/अस्पताल खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो ये किन स्थानों पर और कब तक खोले जायेंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी०के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) इस उद्देश्य के लिए प्राय: चर्चाएं होती रहती हैं। ऐसी चर्चाओं के दौरान विभिन्न सुझाव आए हैं; आयुर्वेदिक कालेजों के मूलभूत ढांचे में सुधार करना, स्नातकोत्तर शिक्षा का संवर्धन करना, कम आपूर्ति वाली जड़ी बूटियों का उत्पादन करना, औषधों का गुणवत्ता नियन्त्रण, मंत्रालय में प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाना आदि। शैक्षिक सस्थाओं में सुधार के लिए और कम आपूर्ति वाली जड़ी बूटियों की खेती करने के लिए नई योजनाएं शुरू की जा चुकी है। औषधों के गुणवत्ता नियन्त्रण और केन्द्रीय सरकार में आयुर्वेदिक चिकित्सकों को बेहतर जीविका प्रत्याशा प्रदान करने पर बल दिया गया है।

(ग) 1-4-89 को आयुर्वेदिक कालेजों/अस्पतालों की (राज्यवार) संख्या को दर्शाने वाला विवरण-1 संलग्न है।

(घ) भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी कालेजों के विकास के लिए अनुदान की योजना के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान सम्बद्ध अस्पतालों सहित आयुर्वेदिक कालेजों को दी गई अनुदान सहायता का विवरण-2 भी संलग्न है।

(ङ) और (च) उड़ीसा और बिहार में कोई आयुर्वेदिक कालेज या अस्पताल स्थापित करने का कोई भी प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

विवरण-1

1-4-89 को आयुर्वेदिक कालेजों/अस्पतालों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघराज्य क्षेत्र	आयुर्वेदिक कालेज	आयुर्वेदिक अस्पताल
1.	आंध्र प्रदेश	4	7
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	1
3.	असम	1	2
4.	बिहार	9	8
5.	गोवा	—	—
6.	गुजरात	9	43
7.	हरियाणा	4	6
8.	हिमाचल प्रदेश	1	12
9.	जम्मू और कश्मीर	—	1
10.	कर्नाटक	9	18
11.	केरल	4	103
12.	मध्य प्रदेश	7	32
13.	महाराष्ट्र	20	28
14.	मणिपुर	—	—
15.	मेघालय	—	+
16.	मिजोरम	—	+
17.	नागालैंड	—	+
18.	उड़ीसा	6	7
19.	पंजाब	4	8

1	2	3	4
20.	राजस्थान	5	86
21.	सिक्किम	—	—
22.	तमिलनाडु	2	2
23.	त्रिपुरा	—	—
24.	उत्तर प्रदेश	10	1137
25.	पश्चिम बंगाल	1	3
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	—
27.	चण्डीगढ़	1	1
28.	दादरा और नगर हवेली	—	—
29.	दमण और दीव	—	—
30.	दिल्ली	1	4
31.	लक्षद्वीप	—	—
32.	पांडिचेरी	—	—
	अखिल भारतीय	98	1509

— = सूचना शून्य

\+ = सूचना प्राप्त नहीं हुई।

विवरण-2

पिछले तीन वर्षों के दौरान आयुर्वेदिक कालेजों को अनुदान सहायता (राज्यवार)

(लाख रुपये)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	संस्था का नाम	1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5	6
1.	उत्तर प्रदेश	1. स्वामी कल्याण गवर्नमेंट आयुर्वे० कालेज, रामपुर	—	1.60	—
2.	महाराष्ट्र	1. आर० ए० पोद्दार आयुर्वेदिक कालेज एम० ए० पोद्दार अस्पताल, वरली बम्बई	—	—	6.00
		2. बसंत दादा पाटिल आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, सांगली	—	—	1.60

1	2	3	4	5	6
3.	हिमाचल प्रदेश	1. गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज मेडिकल कालेज पपरोला, जिला-कांगड़ा	—	—	11.36
4.	हरियाणा	1. श्री कृष्ण गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कालेज कुरुक्षेत्र	—	—	8.00
		2. गौड़ ब्राह्मण वैद्य पंचेमी सभा, रोहतक	1.60	—	—
5.	उड़ीसा	1. एस० एस० एन० आयुर्वेदिक कालेज, एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, पैकमाल	1.60	—	—
		2. गोपालबन्धु, आयुर्वेद महाविद्यालय, पुरी	—	—	10.00
6.	पंजाब	1. गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कालेज, पटियाला	—	—	5.00
7.	कर्नाटक	1. गवर्नमेंट कालेज आफ इंडियन मेडिसिन सयाजी राव रोड, मैसूर	—	—	8.00
8.	राजस्थान	1. एम० एम० मालवीय गवर्नमेंट आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर	—	—	8.00
		2. श्री बनवारीलाल डुगर आयुर्वेद विश्व भारती, सरदार सागर, जिला-चूरू	1.60	—	—
9.	गुजरात	1. गुलाब कुनवर्बा आयुर्वेद कालेज, धन्वन्तरि नगर, जामनगर	—	—	8.00

1	2	3	4	5	6
10.	तमिलनाडु	1. आयुर्वेद कालेज पातंजलिपुरी, पी० ओ०—थडगम, वाया कोयम्बतूर	—	—	10.00
		2. आर्य वैद्यन् रामा वेरियर एजुकेशन फाउन्डेशन आफ आयुर्वेद, कोयम्बतूर	1.60	—	—
11.	पश्चिम बंगाल	1. जे० बी० राय स्टेट आयुर्वेदिक कालेज एण्ड हास्पिटल, कलकत्ता	—	—	10.00
12.	केरल	1. केरल आयुर्वेदिक एण्ड रिसर्च सोसाइटी, कोट्टाकल	1.60	—	—
13.	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	1. ए० एण्ड यू० तिबिया कालेज एण्ड एलाइड यूनिट्स, करोलबाग	—	—	8.00
		कुल	8.00	1.60	93.96

मध्य प्रदेश में नेहरू युवक केन्द्र

[हिन्दी]

2023. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में इस समय कितने नेहरू युवक केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या उनके उचित कार्यकरण के बारे में कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (युवा कार्य और खेलकूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) मध्य प्रदेश में 45 नेहरू युवा केन्द्र हैं।

(ख) योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन सैल ने नेहरू युवा केन्द्र संगठन की योजनाओं का मूल्यांकन किया है। यह अध्ययन नमूने के तौर पर 21 केन्द्रों से सूचना प्राप्त करके किया गया है, जिनमें 3 मध्य प्रदेश में हैं।

(ग) योजना आयोग द्वारा किए गए अध्ययन से पता चलता है कि संगठन की योजनाओं ने पर्यावरण, राष्ट्रीय मूल्यों और मुद्दों, विकास कार्यक्रमों और कार्यकलापों के बारे में ग्रामीण युवाओं में जागरुकता उत्पन्न की है। कई मामलों में युवा क्लब ग्राम पंचायतों के सहयोग से स्वैच्छिक आधार पर सम्पत्ति सृजित करने से सम्बद्ध रहे हैं। इसके अलावा, युवाओं ने व्यावसायिक प्रशिक्षण, कार्यात्मक साक्षरता, कार्य शिविरों और युवा क्लब विकास कार्यक्रमों में भाग लिया है। फिर भी, रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि विभिन्न संभागीय विभागों के बीच समन्वय की काफी गुंजाइश है।

गांधीवादी अध्ययन में उच्च दर्शन पाठ्यक्रम

2024. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गांधीवादी दर्शन में उच्च अध्ययन पाठ्यक्रम चला रहे विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है;

(ख) कितने विश्वविद्यालयों का ऐसे पाठ्यक्रम आरंभ करने का प्रस्ताव है; और

(ग) सरकार का विचार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, वे विश्वविद्यालय, जिनमें एक विशेष विषय के रूप में गांधीवादी चिन्तन और दर्शन शास्त्र को पढ़ाया जाता है और वह स्तर जिसमें गांधीवादी अध्ययन में पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं, निम्न प्रकार हैं—

विश्वविद्यालय	पाठ्यक्रम
अन्नामलै	गांधीवादी अध्ययन में एम० ए०, स्नातकोत्तर डिप्लोमा।
भागलपुर	गांधीवादी चिन्तन में एम० ए०।
गुजरात विद्यापीठ	गांधीवादी चिन्तन तथा भारतीय दर्शनशास्त्र और तुलनात्मक धर्म में एम० फिल।
गांधी जी विश्वविद्यालय कोट्टायम	गांधीवादी अध्ययन में एम० ए०, पी० एच० डी०।
गांधी ग्राम ग्रामीण संस्थान	शान्ति अध्ययन में एम० फिल।
कर्नाटक	गांधीवादी अध्ययन में डिप्लोमा।
काशी विद्यापीठ	गांधीवादी अर्थशास्त्र में डिप्लोमा तथा एम० ए०।
मदुरै कामराज	शान्ति अध्ययन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा और एम० फिल।
मैसूर	गांधीवादी अध्ययन में डिप्लोमा।
नागपुर	गांधीवादी चिन्तन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा।
पंजाब	गांधीवादी अध्ययन में एम० एस०, एम० फिल, पी० एच० डी० और स्नातकोत्तर डिप्लोमा।

इसके अतिरिक्त, दर्शनशास्त्र, अर्थशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र में पाठ्यक्रमों के भाग के रूप में अनेक विश्वविद्यालयों में गांधीवादी दर्शनशास्त्र को भी पढ़ाया जाता है।

(ख) और (ग) वि० अ० आ० द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार आयोग गांधीवादी अध्ययन में नए पाठ्यक्रम शुरू करने सम्बन्धी किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहा है। आयोग गांधीवादी अध्ययन और मूल्यों के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए और गांधी भवनों से सुदृढ़ करने के लिए विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। आयोग गांधीवादी अध्ययन में शोध करने के लिए अनुसंधान एसोशिएटशिप भी प्रदान करता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986

2025. **श्रीमती सुमित्रा महाजन :** क्या मानव और संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में कई कालेजों को स्वायत्तता देने की बात कही गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में अब तक क्या सफलता प्राप्त हुई है; और

(ग) सरकार द्वारा इस बारे में आगे क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में स्वायत्त कालेजों के विकास की परिकल्पना की गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, इस समय 102 कालेज स्वायत्त कालेजों के रूप में कार्य कर रहे हैं जैसे कि ब्यौरे नीचे दिए गए हैं—

राज्य का नाम	स्वायत्त कालेजों की संख्या
आंध्र प्रदेश	16
गुजरात	2
मध्य प्रदेश	28
उड़ीसा	5
राजस्थान	5
तमिलनाडु	44
उत्तर प्रदेश	4

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने स्वायत्त कालेजों की योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की थी समिति ने आयोग को अपनी रिपोर्ट मार्च, 1991 में प्रस्तुत की थी। आयोग ने 6 जून, 1991 को हुई अपनी बैठक में रिपोर्ट स्वीकृत कर ली और आठवीं योजना के दौरान स्वायत्त कालेजों की योजना जारी रखने की सहमति दे दी।

रेल परियोजनायें

2026. **श्री काशीराम राणा :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटी लाइनों को बड़ी लाइन में बदलने, नई लाइनों और पुलों आदि के निर्माण के उन

मामलों का ब्यौरा क्या है जिनका गत पांच वर्षों के दौरान सर्वेक्षण हो चुका है लेकिन निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उन क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां सर्वेक्षण कराया गया था और कार्य निलंबित रखने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन सर्वेक्षणों पर कितनी धनराशि व्यय की गई ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

गुजरात में मां और बच्चा स्वास्थ्य कार्यक्रम

2027. **श्री काशीराम राणा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात के सूरत और बड़ोदा जिलों में मां तथा बच्चा स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रतिवर्ष क्या लक्ष्य रखा गया; और

(ख) इस अवधि के दौरान इस सम्बन्ध में क्या उपलब्धियां रही तथा इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) गुजरात सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान लक्ष्यों, उपलब्धियों और किए गए खर्च सम्बन्धी विवरण संलग्न है।

विवरण

जिला : सूरत

क्रम सं०	तरीका	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
1	2	3	4	5
		1988-89		
1.	आई०एफ०ए० माता	48855	66729	136.6
2.	आई०एफ०ए० बच्चे	92400	61554	66.6
3.	विटामिन "ए"	92400	105022	113.6
		1989-90		
1.	आई०एफ०ए० माता	48855	74579	152.6
2.	आई०एफ०ए० बच्चे	92400	79407	85.9
3.	विटामिन "ए"	92400	58992	63.8

1	2	3	4	5
		1989-90		
1.	आई०एफ०ए० माता	39800	70145	176.2
2.	आई०एफ०ए० बच्चे	96900	83007	85.6
3.	विटामिन "ए"	46300	47807	103.2

जिला बड़ौदा :

क्रम सं०	तरीका	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
		1988-89		
1.	आई०एफ० ए० माता	53972	52516	97.3
2.	आई०एफ०ए० बच्चे	100000	66772	66.7
3.	विटामिन "ए"	100000	95170	95.1
		1989-90		
1.	आई०एफ०ए० माता	53972	60048	111.3
2.	आई०एफ०ए० बच्चे	100000	84507	84.5
3.	विटामिन "ए"	100000	103971	103.9
		1990-91		
1.	आई०एफ०ए० माता	43800	58416	133.4
2.	आई०एफ०ए० बच्चे	106400	97736	91.8
3.	विटामिन "ए"	50804	77433	152.4

इस कार्यक्रम के तहत किया गया खर्च इस प्रकार है—

वर्ष	जिला : बड़ौदा	जिला : सूरत
1988-89	338,850/-	641,990/-
1989-90	591,200/-	702,000/-
1990-91	269,000/-	297,000/-

गुजरात और उड़ीसा में जंगल माफिया

2028. **श्री काशीराम राणा :**

श्री श्रीकान्त जेना : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि आदिवासी क्षेत्र में "जंगल माफिया" सक्रिय है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गुजरात और उड़ीसा में उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और इस बारे में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) राज्य सरकारों ने बताया है कि गुजरात और उड़ीसा राज्यों में आदिवासियों के कब्जे वाले वन क्षेत्र में कोई "जंगल माफिया" सक्रिय नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

इंडियन एयरलाइन्स में हानि

2029. **श्री जार्ज फर्नान्डीज :**

श्री राजवीर सिंह :

श्रीमती वसुन्धरा राजे :

श्री मदन लाल खुराना :

श्री यशवंतराव पाटिल :

डा० ए० के० पटेल :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस ने वर्ष 1989-90 के दौरान हुई हानि की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष में होने वाली भारी हानि का अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1991 के दौरान महीना-वार और लाइन-वार कितना घाटा हुआ तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या किरायों में अक्तूबर, 1991 में की गई 20 प्रतिशत वृद्धि इस हानि को पूरा करने के लिए की गई थी; और

(घ) क्या सरकार के पास हानि को पूरा करने हेतु किरायों में वृद्धि के अतिरिक्त भी कोई योजना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) अप्रैल से सितम्बर, 1991 की अवधि में इंडियन एयरलाइन्स को 120.67 करोड़ रुपए का अनन्तिम घाटा हुआ। मार्ग-वार लाभ/हानि का मासिक आधार पर लेखा संकलित नहीं किया जाता है, तथापि समग्र अनन्तिम घाटे के मास-वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं—

मास	(करोड़ रुपयों में) (अनन्तिम)
अप्रैल, 1991	12.83
मई, 1991	7.86
जून, 1991	9.34

जुलाई, 1991	23.45
अगस्त, 1991	32.26
सितम्बर, 1991	34.93

घाटे के मुख्य कारण नीचे दिए अनुसार हैं—

(i) भारतीय रुपए की तुलना में विदेशी मुद्राओं के मूल्य में लगातार वृद्धि होना;

(ii) विमानन टर्बाइन ईंधन की कीमत में वृद्धि; और

(iii) ए-320 विमान बेड़े से सम्बद्ध मूल्यह्रास, बीमा-ब्याज और वित्तीयन प्रभार आदि जैसे निश्चित खर्चों को खपाना।

(ग) जी, नहीं।

(घ) इण्डियन एयरलाइन्स ने अपने घाटे को कम करने हेतु लागत घटाने सम्बन्धी उपाय किए हैं।

कालेजों में रैगिंग

2030. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का विचार कालेजों में चिन्ताजनक स्थिति में पहुंच चुकी रैगिंग पर प्रतिबन्ध लगाने का है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) सरकार ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, भारतीय औद्योगिकी संस्थानों के निदेशकों, क्षेत्रीय इन्जीनियरी कालेजों के प्रधानाचार्यों तथा सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के सचिवों का ध्यान रैंगिग की कुछ हाल ही की घटनाओं की ओर दिलाया है तथा इनसे इस प्रकार के आवांछित कार्यकलाप को समाप्त करने के लिये शीघ्र कदम उठाने तथा नए छात्रों के लिए ऐसा वातावरण उपलब्ध कराने को कहा है, जो उनको आरामदेह व अच्छा लगें। दिल्ली विश्वविद्यालय ने 5-10-91 को एक नया अध्यादेश पारित किया है जिसमें विश्वविद्यालय के सभी कालेजों व विभागों के परिसर तथा सार्वजनिक परिवहन में रैंगिग को कड़ाई से रोक लगाई गई है। आशा है कि इसी प्रकार के कदम उन अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा भी उठाए जाएंगे जहां रैंगिग की जा रही है।

जन्म नियन्त्रण टीका

2031. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** :

डा० जी०एल० कनौजिया : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल इन्स्टिट्यूट आफ इम्यूनोलॉजी द्वारा विकसित जन्म नियन्त्रण टीके के दूसरे चरण का चिकित्सीय परीक्षण (क्लिनिकल ट्रायल) हो चुका है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षण संस्थान द्वारा विकसित किए गए ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन पर आधारित जन्म नियन्त्रण वैक्सीन इस समय चरण-II चिकित्सीय जांच प्रक्रिया से गुजर रहा है। इन जांच प्रक्रियाओं के छह महीने में पूरा हो जाने की आशा है जिसके बाद वैक्सीन की प्रभावकारिता का मूल्यांकन हो सकेगा।

परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से प्रदूषण

2032. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से फैलने वाले प्रदूषण के बारे में परमाणु ऊर्जा आयोग की राय मांगी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां। रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र से विकिरण के सम्बन्ध में परमाणु ऊर्जा विभाग तथा भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र से विचार मांगे गए थे।

(ख) और (ग) जन-स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ने की जो सूचना दी गई है उसकी राजस्थान राज्य द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति द्वारा जांच कराई गई है किन्तु बताई गई बीमारियों और रावत-भाटा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से निकले विकिरण के मध्य कोई सह-सम्बन्ध नहीं पाया गया है। रावत-भाटा परमाणु ऊर्जा केन्द्र से 5 कि०मी० तक के सभी रास्तों पर विकिरण का जो प्रभाव पड़ा है वह अन्तर्राष्ट्रीय विकिरण चिकित्सा विज्ञान सुरक्षा आयोग द्वारा निर्धारित 2% की वार्षिक प्रभाव-सीमा से भी कम है।

शिशुओं का प्रतिरक्षण

2033. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिरक्षण सम्बन्धी विस्तृत कार्यक्रम के अन्तर्गत एक वर्ष तक की आयु के शिशुओं के प्रति-रक्षण के लिए वर्ष 1991 से 1995 तक वर्षवार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ख) वर्ष 1990 के दौरान निर्धारित लक्ष्यों के मुकाबले राज्यवार क्या उपलब्धियां प्राप्त की गयीं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) वर्ष 1990 से व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत शत-प्रतिशत नवजात शिशुओं को डिप्थीरिया-कुकुर खांसी-टेटनस (डी०पी०टी०) और ओरल पोलियो वैक्सीन (ओ०पी०वी०) की तीन-तीन खुराकें तथा बी० सी०जी० और खसरा वैक्सीन की एक-एक खुराक प्रदान करने का लक्ष्य है।

(ख) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार लक्ष्य और वर्ष 1990-91 वित्तीय वर्ष के वार्षिक लक्ष्यों की प्रतिशतता के रूप में सूचित कवरेज स्तर संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शिशु लक्ष्य 1990-91	वर्ष 1990-91 के लक्ष्यों की प्रतिशतता के रूप में सूचित कवरेज स्तर			
		डी०पी०टी०	ओरल पोलियो वैक्सीन	बी०सी०जी०	खसरा
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	1346284	121	121	126	108
असम	748368	85	85	96	77
बिहार	2731236	93	91	81	81
गुजरात	1010154	104	105	106	101
हरियाणा	432833	104	104	117	89
कर्नाटक	1201700	87	96	102	83
केरल	581837	101	104	112	82
मध्य प्रदेश	1835422	96	97	107	95
महाराष्ट्र	1675474	112	117	116	101
उड़ीसा	794126	94	94	104	88
पंजाब	429786	120	121	119	110
राजस्थान	1482533	92	92	91	86
तमिलनाडु	1197300	105	106	107	101
उत्तर प्रदेश	4410002	101	98	97	91
पश्चिम बंगाल	1617305	85	87	101	69
हिमाचल प्रदेश	132559	85	85	97	97
जम्मू व कश्मीर	203283	63	62	76	46
मणिपुर	41870	77	78	88	64
मेघालय	35000	97	99	106	46
नागालैंड*	23777	31	29	44	49
सिक्किम	12169	81	69	86	58
त्रिपुरा	58288	74	75	134	62

1	2	3	4	5	6
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	6941	99	103	102	84
अरुणाचल प्रदेश	23155	65	65	64	40
चण्डीगढ़	15565	80	86	113	64
दादरा और नगर हवेली	4030	114	188	127	95
दिल्ली	230400	88	88	118	80
गोवा	18888	104	106	109	87
दमन और दीव	1596	165	172	154	140
लक्षद्वीप	1403	116	122	110	117
मिजोरम	21140	77	77	100	65
पांडिचेरी	14138	143	209	201	130
अखिल भारत	22338573	98	99	97	89

टिप्पणी : आंकड़े अनन्तिम

*जनवरी तक के आंकड़े

अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस समारोह

2034. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 27 सितम्बर, 1991 को अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाने के लिए की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस पर कितना खर्च हुआ ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) विश्व पर्यटन संगठन का संदेश भारत सरकार के सभी पर्यटक कार्यालयों, राज्य सरकारों और पर्यटन से सम्बन्धित एजेंसियों को भेजा गया था। 27 सितम्बर, 1991 को विश्व पर्यटन दिवस के आयोजन के रूप में जो कई कार्यक्रम किए उनमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए विभिन्न स्थानों पर प्रवेश की सुविधाएं, प्रेस प्रचार, साहित्य का वितरण, रियायती यात्राएं शामिल हैं।

(ख) विश्व पर्यटन दिवस के लिए कोई विशेष धन निर्धारित नहीं किया गया था। तथापि, पर्यटन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों ने इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए जिन पर हुए व्यय की पूर्ति पर्यटन संवर्धन से सम्बन्धित समग्र बजट में से की गई थी।

एयरबस ए-320

2035. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना मार्ग पर शुरू की गई एयरबस ए-320 को 2 नवम्बर, 1991 को तकनीकी खराबी के कारण उतारा गया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) 2 नवम्बर, 1991 को उड़ान संख्या आई०सी०-809 का परिचालन करते समय एयरबस ए-320 विमान बी०टी०-ई०पी०टी० को पटना में ग्राउंड कर दिया गया था क्योंकि इसका इंजिन चालू न हो सका।

वायुदूत का इंडियन एयरलाइन्स में विलय

2036. **श्री श्रवण कुमार पटेल** :

श्री मुमताज अन्सारी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगातार घाटे के कारण वायुदूत को बन्द करने और/अथवा इसका इंडियन एयरलाइंस में विलय करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में यदि कोई निर्णय लिया गया हो, उसका ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विजयवाड़ा-विशाखापत्तनम लाइन का विद्युतीकरण

2037. **श्री रामकृष्ण कोंताला** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा-विशाखापत्तनम सेक्शन की रेल लाइन का विद्युतीकरण करने की कोई योजनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान देश में और आंध्र प्रदेश में कितनी लम्बी रेल लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) विजयवाड़ा-विशाखापत्तनम खण्ड के विद्युतीकरण के लिए लागत एवं व्यवहार्यता अध्ययन का आदेश दिया गया है। तथापि, अध्ययन के परिणामों और संसाधनों की उपलब्धता तथा अन्य उच्च घनत्व वाले यातायात मार्गों के विद्युतीकरण के लिए प्राथमिकताओं के आधार पर अन्तिम निर्णय लिया जाएगा।

(ग) अप्रैल, 1986 से मार्च, 1991 तक विद्युतीकृत मार्ग किलोमीटर निम्न प्रकार है :—

(i) भारतीय रेलों में 3182

(ii) आंध्र प्रदेश में 418

जम्मू और कश्मीर से अन्य स्थानों में चले गए अध्यापकों को वेतन

2038. श्री गुरुदास कामत : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कश्मीर के अनेक स्कूलों ने जम्मू चले गये अपने अध्यापकों को वेतन और अन्य देयों का भुगतान करने से इन्कार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) जम्मू और कश्मीर सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राजा मंडी स्टेशन पर गाड़ियों का ठहराव

2039. श्री भगवान शंकर रावत : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजा मंडी स्टेशन पर कुछ यात्री गाड़ियों के ठहराव हेतु यात्रियों और कुछ अन्य संगठनों से मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इसकी जांच की गई है और अधिकांश मांगें पूरी कर दी गई हैं।

आगरा कैंट के लिए आरक्षण कोटा

2040. श्री भगवान शंकर रावत : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मथुरा जंक्शन से बम्बई की ओर जाने वाली पैसेंजर ट्रेनों में आगरा कैंट के लिए आरक्षण कोटा प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो उन रेलगाड़ियों के नाम क्या हैं और उनमें रखे गए कोटा का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आगरा के रास्ते बम्बई जाने वाली गाड़ियों में आगरा कैंट स्टेशन पर आरक्षण कोटे की व्यवस्था की गई है। आरक्षित स्थान की सीमित उपलब्धता और दिल्ली-मथुरा-बम्बई सेंट्रल मार्ग पर प्रारम्भिक तथा अन्य स्टेशनों पर इसका पूरा-पूरा उपयोग होने के कारण मथुरा से बम्बई की ओर जाने वाली गाड़ियों में आगरा कैंट पर कोई आउट स्टेशन कोटा आबंटित करना फिलहाल व्यावहारिक नहीं है, इच्छुक यात्री आगरा कैंट स्टेशन पर उपलब्ध औटोटेक्सट सुविधा के जरिये नई दिल्ली को संदेश भेज कर मथुरा से आरक्षण प्राप्त कर सकते हैं।

चेतक एक्सप्रेस में बोगी जोड़ना

2041. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आगरा के यात्रियों को सुविधा के लिए बांदीकुई रेलवे स्टेशन पर आगरा फोर्ट-जोधपुर पैसेंजर ट्रेन की एक बोगी चेतक एक्सप्रेस में जोड़ने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसको कब तक कार्यान्वित किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) परिचालननिक कठिनाइयों के कारण ।

अवध एक्सप्रेस में वातानुकूलित यान

2042. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अवध एक्सप्रेस में एक वातानुकूलित यान जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) कोटा और लखनऊ के बीच 5063/5064 अवध एक्सप्रेम गाड़ी में 14-11-1991 से एक वातानुकूल 2-टियर शयनयान की व्यवस्था कर दी गई है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कर्नाटक में हवाई अड्डों का विकास

2043. **श्रीमती बासवा राजेश्वरी** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कर्नाटक में हवाई अड्डों के विकास के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई;

(ग) क्या उक्त प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसमें विलम्ब के मुख्य कारण क्या हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) प्रस्ताव बंगलौर, बेलगाम और हुबली हवाई अड्डों के बारे में है।

बंगलौर में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा स्थापित करने के लिए स्थल का पता लगाने हेतु सरकार ने एक समिति गठित की है ।

राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास उपलब्ध संसाधनों और मौजूदा यातायात घनत्व को देखते हुए हुबली और बेलगाम हवाई अड्डों का उन्नयन करने की कोई तात्कालिक योजना नहीं है ।

उत्तर प्रदेश में हवाई अड्डे

[हिन्दी]

2044. **श्री शिव शरण वर्मा** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में किन-किन स्थानों पर पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से हवाई अड्डे बनाने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) निधियों की कमी के कारण पर्यटन प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की उत्तर प्रदेश में किसी भी नये हवाई अड्डे के निर्माण की कोई योजना नहीं है।

बोइंग 747 के लिए इंजन

2046. **श्री शिव शरण वर्मा** :

श्री सनत कुमार मंडल : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एअर इंडिया के विमान बोइंग 747 के लिए इंजनों का चयन कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो चुने गए इंजन का ब्यौरा क्या है और इस चयन का औचित्य क्या है; और

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जिनके साथ इस सम्बन्ध में समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं तथा उसकी शर्तें क्या हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) एअर इंडिया ने प्रौद्योगिकी श्रेष्ठता और बेहतर वाणिज्यिक पेशकश के आधार पर अपने बोइंग 747-400 यात्री विमानों के लिए प्रेट और व्हिटनी इंजिनों का चयन किया है। उन्होंने इन इंजिनों की सप्लाई के लिए अमेरिका के मैसर्स यूनाइटेड टेक्नोलोजिस इन्टरनेशनल के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें इस ठेके की कीमत के 15% तक प्रति व्यापार की बाध्यता है।

उड़ीसा में नन्दन कानन में सफेद बाघ सफारी पार्क

[अनुवाद]

2047. **श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में नन्दन कानन राष्ट्रीय पार्क में विश्व के पहले सफेद बाघ सफारी पार्क का हाल में उद्घाटन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो वहां पर कितने सफेद बाघ हैं; और

(ग) वहां पर पर्यटकों को क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) उड़ीसा सरकार ने हाल ही में उड़ीसा में नन्दन कानन राष्ट्रीय उद्यान में एक श्वेत बाघ सफारी उद्यान स्थापित किया है ।

(ख) सफारी उद्यान में चार श्वेत बाघ हैं ।

(ग) आगन्तुकों को सफारी में ले जाने के लिए एक पर्यटक बस की व्यवस्था की गई है ।

मिलावटी मूंगफली के तेल की बिक्री

2048. **श्री चेतन पी० एस० चौहान** :

श्रीमती भावना चिखलिया : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को मई से अक्तूबर, 1991 के दौरान खुदरा बिक्री केन्द्रों पर अरण्डी का तेल/बिनौले का तेल मिलाकर मूंगफली के तेल (खुले रूप में) बेचने के कितने मामलों की सूचना प्राप्त हुई है;

(ख) क्या आरण्डी के तेल का उपभोग स्वास्थ्य के लिए घातक है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० ताराबेवी सिद्धार्थ) : (क) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के आधार पर मई से अक्तूबर, 1991 तक अरण्डी के तेल की मिलावट वाले मूंगफली के तेल की बिक्री के 92 मामलों की सूचना प्राप्त हुई ।

(ख) और (ग) अरण्डी का तेल जठरांत्रश्लेष्मा शोधक होता है, अतः खाद्य तेल में अरण्डी के तेल की मिलावट खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के प्रावधानों के अधीन निषिद्ध है । यदि खाद्य तेल में अरण्डी के तेल की मिलावट के किसी मामले की प्रति प्राप्त होती है तो खाद्य अपमिश्रण निवारण, 1954 के प्रावधानों के अधीन कानूनी कार्रवाई की जाती है ।

12.00 म०प०

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : सभापति महोदय, पिछले सप्ताह दो अवसरों पर अनेक सदस्यों ने विशेषकर विपक्षी दल के सदस्यों ने दिल्ली महानगर परिषद तथा दिल्ली नगर निगम के चुनाव कराने की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर ध्यान दिलाया था । 5 दिसम्बर को मैंने इस ओर ध्यान दिलाया था कि इन दोनों निकायों की भंग की जो अवधि बढ़ाई गई थी, वह समाप्त हो जाएगी । अतः सरकार के लिए यह आवश्यक है कि इस तारीख के आने से पहले वह दिल्ली के नागरिकों को यह विश्वास दिला दें कि वे अब अपने प्रतिनिधियों के बिना नहीं होंगे तथा उनकी तकलीफें, उनकी शिकायतें नौकरशाही द्वारा नहीं अपितु उनके चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा देखी व सुनी जाएंगी । मुझे दुःख है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ । दो अवसरों पर मैंने यह प्रश्न उठाया था तथा बार-बार इस बात पर बल दिया था कि कुछ आश्वासन दिया जाए किन्तु ऐसा कुछ नहीं किया गया ।

अतः मैं दिल्ली के लोगों की शिकायतें दूर करने के लिये मात्र दो निकायों, दिल्ली महानगर परिषद तथा दिल्ली नगर निगम के चुनाव न करा सकने पर सरकार की इस विशेष मुद्दे पर निंदा करने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूं।

मेरे विचार से यह स्थगन प्रस्ताव हर प्रकार से नियमों की परिधि में आता है। यह केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित होना चाहिये। यह सम्बन्धित है। इसे सामान्य रूप से नहीं लिया जाना चाहिए। इसे सामान्य रूप से नहीं लिया जाता है। इसमें एक असफलता के सम्बन्ध में बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा गया है तथा सरकार की बहुत बड़ी असफलता यह है कि बिना किसी कारण के चुनाव कराने में असफल रहना।

चुनाव न कराने का कोई औचित्य नहीं है। प्रारम्भ में यह कहा गया था कि दिल्ली के लिए कुछ नये प्रकार का ढांचा होना चाहिए। अतः हम 6 महीने के लिए चुनाव स्थगित कर रहे हैं। नियम के मामले में यह स्थगन तीन और चार वर्ष से अधिक अवधि का हो गया है। इसके परिणामस्वरूप दिल्ली के अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यह समय उन समस्याओं के विस्तार में जाने का नहीं है।

इस मामले में मैं केवल इस ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि नियम 57 स्थगन प्रस्ताव से सम्बन्धित है। नियम 57 और 58 की सभी अपेक्षाएं पूरी कर ली गई हैं। कौल और शकधर की परिभाषा के अनुसार, मामला अवश्य ही निश्चित होना चाहिए, यह अवश्य ही किसी एक निर्दिष्ट मामले से सम्बन्धित होना चाहिए, इसे सामान्य रूप में नहीं कहा जाना चाहिए, इसमें बहुत अधिक मामले नहीं होने चाहिए तथा यह वास्तविक तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। इसमें बताया गया है कि जब तथ्यों में विवाद चल रहा हो तो स्थगन प्रस्ताव में असत्य बात नहीं होती। मुझे विश्वास है कि सरकार भी तथ्य पर विवाद नहीं करेगी, वास्तव में सच्चाई यह है कि सरकार इन चुनावों को कराने में असफल रही है।

अतः मैं अपने स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूं क्योंकि इससे सदन को इस मामले पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा तथा साथ ही यदि सरकार यह चुनाव नहीं कराती तो सदन को सरकार की निंदा करने का भी अवसर मिलेगा।

अतः मैं यह निन्दा प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिणी दिल्ली) : अध्यक्ष जी, मेरा इसमें निवेदन यह है, जो आडवाणी जी ने कहा है कि दिल्ली मैट्रोपोलिटन कोउंसिल, दिल्ली एकमिनिस्ट्रेशन एक्ट के अन्दर यह प्रावधान है कि हर 5 वर्ष के बाद मैट्रोपोलिटन काउंसिल के चुनाव हों। दिल्ली म्युनिसिपल एक्ट भी इसी पार्लियामेंट के अन्दर बना जिसमें कहा गया कि हर 4 साल के अन्दर दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन के चुनाव होंगे। इस पार्लियामेंट ने ही इन एक्ट्स को पास किया। मेरा निवेदन है कि पिछले चुनाव 5 जनवरी, 1983 को हुए थे।

चार साल के लिए कार्पोरेशन के और पांच साल के लिए मैट्रोपोलीटन काउंसिल के लिए। ये चुनाव बार-बार टाले गए। यह कोई स्टेट का सबजेक्ट नहीं है, यह केन्द्र शासित क्षेत्र है, सीधा केन्द्र के अधीन है, होम मिनिस्ट्री के अन्दर आता है और होम मिनिस्ट्री दिल्ली में चुनाव कराने में टोटल फेल्योर

रही है। कोई रीजन नहीं दे रही है, केवल दो लाइनों में अनेक बार कहा जाता है कि चुनाव छ: महीने के लिए या चार महीने लिये टाल दिए गए।

अभी मैंने एक सवाल पूछा था और उसमें केवल इतना कहा गया कि 15-12-91 को कार्पोरेशन का टर्म खत्म हो रहा है और 11-12-91 को मैट्रोपोलीटन काऊंसिल का एक्सटेंशन टर्म खत्म हो रहा है। मैंने जो ऐडजोर्नमैंट मोशन दिया है, मेरा निवेदन है कि उसमें मैंने बहुत सीधे रूप में कहा है कि होम मिनिस्ट्री अपने कर्तव्यों का पालन करने में फेल हुई है। उसने दिल्ली के राइट्स को छीन लिया है। चार साल के लिए कार्पोरेशन के और पांच साल के लिये मैट्रोपोलीटन काऊंसिल के चुनाव हुये थे। 1987-88 में चुनाव होने चाहिये थे, अब दिसम्बर 91 आ गया है। लगभग नौ साल पूरे होने को हैं, अब तक दूसरा चुनाव भी होना चाहिए था। चूंकि सरकार फेल हुई है, जैसा आडवाणी जी ने कहा, हमने निश्चित कहा है कि इसके लिये होम मिनिस्ट्री जिम्मेदार है। इसलिये मैंने जो ऐडजोर्नमैंट मोशन दिया है उसको मानते हुए उस पर बहस कराई जाए, यह मेरा निवेदन है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : सभापति महोदय, यह बहुत ही महत्व का मामला है। हमने इसका दूसरे दिन समर्थन किया था।

स्थिति यह है कि सरकार कहती है कि वह स्थानीय निकायों के चुनाव कराने की इच्छुक है। वह संविधान संशोधन विधेयक भी लेकर आई है। इससे पहले भी इसके सम्बन्ध में काफी शोर-शराबा हुआ है। जब वे हार गये, उन्होंने चुनावों को एक मुद्दा बना लिया है।

दिल्ली के सम्बन्ध में भिन्न मानक क्यों लागू किया जा रहा है, इसके सम्बन्ध में कोई स्पष्टी-करण नहीं दिया जा रहा है। यदि आप इतने अधिक इच्छुक हैं कि स्थानीय निकायों के चुनाव होने चाहिये जिसके लिए संविधान में संशोधन करना आवश्यक है तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या स्पष्टी-करण है। चुनाव कराये जाने के सम्बन्ध में कोई कदम नहीं उठाया गया है। मैं नहीं जानता कि इसके पीछे क्या प्रयोजन है। क्या आप अभी तक स्वयं के बारे में भी आश्वस्त नहीं हैं ? क्या यह इस देश में आपके विचार के राजनीतिक बेरोमीटर पर निर्भर करता है। मैं नहीं जानता। लोगों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए तथा उन्हें यह निर्णय करने का अधिकार दिया जाना चाहिये कि वे अपने लिए किस तरह का स्थानीय निकाय अथवा प्रशासन चाहते हैं। वे प्रचार किसी अन्य चीज का करते हैं तथा कर कुछ औरने हैं। इसलिये हम इन निकायों में जल्दी चुनाव करवाने की मांग का समर्थन कर रहे हैं तथा सरकार को इस सम्बन्ध में तत्काल ही एक समयबद्ध कार्यक्रम की घोषणा करनी चाहिये।

श्री तरित बरन तोपदार (बैरकपुर) : माननीय गृह मन्त्री जी इस सत्र में इसकी अवश्य घोषणा कर दी जानी चाहिये।

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : महोदय, मेरी पार्टी के नेता तथा दिल्ली से निर्वाचित हुए अन्य सदस्य इस स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए राजी हो गये हैं, जैसाकि मेरी पार्टी के नेता द्वारा उल्लेख किया गया है, हम सरकार द्वारा कोई भी उत्तर प्राप्त करने में अथवा सदन में दिल्ली में चुनावों के सम्बन्ध में कोई सार्थक चर्चा करने में असफल रहे हैं।

यह बताना मेरा कार्य नहीं है कि नियम में स्थगन प्रस्ताव को उठाने की अनुमति है। स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति कौनसा नियम देता है। दिल्ली के चुनावों के मामले में सरकार द्वारा क्या किया जाना है अथवा क्या छोड़ा जाना है, उसका प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सम्बन्ध सरकार के आचरण

अथवा उसकी गलती से है। यह एक सीधा-साधा मामला है सरकार को स्पष्ट रूप से संसद को और जनता को यह बताना चाहिये कि चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं। यह अवश्य ही निश्चित मामला है। यह अवश्य ही वास्तविक तथ्यों पर आधारित होगा। दिल्ली में चुनाव न कराए जाने के पीछे तथ्यों को नकारा नहीं जा सकता है। यह अवश्य ही महत्वपूर्ण मामला है तथा हाल ही में घटा है।

अध्यक्ष महोदय : "हाल ही में घटा" की बात स्पष्ट करें।

श्री जसवन्त सिंह : जी हां, यह हाल ही में घटा है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यदि ये चुनाव तीन वर्ष पहले हो गए होते तो यह गलती नहीं होती। गलती अब सामने है जब 5 दिसम्बर आने वाला है। परसों वे एक अन्य अधिसूचना जारी कर देंगे। अतः उसकी गलती अब उत्पन्न होती है।

श्री जसवन्त सिंह : मैं पूरे विवेक के साथ यह कहता हूं कि यह अविलम्ब महत्व का मामला है। यह हाल में घटा है। यह लोक महत्व का मामला है। मैं अनावश्यक रूप से कौल शकधर की पुस्तक की पृष्ठ संख्या 452 अथवा 453 पढ़कर आपको उकताना नहीं चाहूंगा कि उसमें क्या है। मेरा निवेदन है कि पृष्ठ 452 और 453 के सभी उपबन्ध तथा उनका विस्तृत विश्लेषण कि किस समय स्थगन प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है, सभी बातें इस विशेष मामले पर विचार करने से सम्बन्धित हैं। मैं अन्त में यह कहना चाहूंगा कि अविलम्ब लोक महत्व का मामला है क्योंकि चुनाव प्रजातन्त्र के दिल की धड़कन है। मैं पुनः यह बात दोहराता हूं कि चुनाव प्रजातन्त्र के लिए दिल की धड़कन के समान हैं। आप इसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते अन्यथा इसका अन्त बहुत गलत होगा। आप प्रजातन्त्र के दिल की धड़कनों के साथ नहीं खेल सकते। क्योंकि यह पूर्णतः राजनीतिक, दलगत का मामला है। आप दिल्ली में चुनाव करवाने में विलम्ब कर रहे हैं। अतः मेरी पार्टी के नेता निंदा प्रस्ताव के साथ स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए बाध्य हुए हैं तथा सरकार से इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगते हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इसे स्वीकार करें।

[हिन्दी]

श्री बी० एल० शर्मा प्रेम (पूर्वी दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने दिल्ली की भयानक स्थिति की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। आज यहां पर जो इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, उनके कारण से मैंने एडजर्नमेंट मोशन··· **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़) : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न कर रहा हूं। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आप केवल स्थगन प्रस्ताव पर तर्क करने की अनुमति दे रहे हैं भाषण के लिए नहीं।

अध्यक्ष महोदय : आपकी व्यवस्था का प्रश्न स्वीकार कर लिया गया। किन्तु अब मुझे सुनने दीजिए कि वे क्या कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री बी० एम० शर्मा प्रेम : चुनाव न होने के कारण से दिल्ली के अन्दर अफसरशाही का राज है। कोई चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं है। एक छोटा सा छोटा काम करवाने के लिये व्यक्ति को रिश्वत देनी होती है। यहां तक कि पुलिस थाने के अन्दर गरीब आदमियों की कोई सुनवाई नहीं होती है और उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती है। जगह-जगह गन्दगी के ढेर लगे हैं। आज सारी ब्यूरोक्रेसी दिल्ली

की 80 लाख जनता के गले के ऊपर है। अगर यही स्थिति रही तो दिल्ली के अन्दर इस प्रकार की स्थिति का निर्माण हो जायेगा जिसको दूर कर पाना कठिन हो जाएगा। राशन की दुकानों में 4-4 महीनों से राशन की चीजों की एक बूंद नहीं है। दिवाली और दशहरे की चीनी लोगों को नहीं मिली है। अतः यह जो प्रस्ताव रखा गया है, इसको स्वीकार किया जाये और दिल्ली में चुनाव तुरन्त कराये जाएं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री दिग्विजय सिंह : आपने मेरे व्यवस्था के प्रश्न को स्वीकार कर लिया है। किन्तु आप उन्हें रोक नहीं रहे। वे भाषण दे रहे है।

अध्यक्ष महोदय : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आपको मुझे निदेश नहीं देना है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : जो आप क्वश्चन आवर के बाद करते हैं, वही हो रहा है।

श्री ताराचन्द खण्डेलवाल (चांदनी चौक) : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में जितनी भी समस्याएं हैं, उसका मूल कारण दिल्ली में डैमेक्रेटिक सैट-अप नहीं होना है। यहां पर चुनाव क्यों नहीं कराये जा रहे हैं। मैं आरोप लगाना चाहता हूं कि राजनीतिक दृष्टि से हिन्दुस्तान के नक्शे से दिल्ली को आप हटाना चाहते हैं। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि आडवाणी जी ने जो एडजर्नमेंट मोशन रखा है, उसको स्वीकार किया जाना चाहिए और उसकी यहां चर्चा होनी चाहिये।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : अध्यक्ष जी, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है, उसको क्यों स्वीकृत करना चाहिये, इसके बारे में मैं तर्क देना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, अलग-अलग ढंग से इस सभा में ···(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा कि इसकी अनुमति कैसे दी जाती है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह हाल ही में हुई घटना है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आडवाणी जी ने उसका एक्सप्लेनेशन किया है। उसमें आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो करें।

श्री राम नाईक : अलग-अलग ढंग से बात लाने की इसमें कोशिश की गई है। यह सरकार इस सदन में इस पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। वह इसमें चुपचाप बैठी हुई है। इसलिए सरकार का डिसक्रिट साइलैंस समाप्त करना है तो एक ही आधार है एडजर्नमेंट मोशन। इसमें तीन इशूज हैं। इसमें सबसे बड़ा महत्व स्पैसिफिक इशू का होना चाहिए···(व्यवधान)···इसलिए यह अरजैंट होना चाहिये।

इसकी अर्जेंसी आई है। कल चार तारीख को यह समाप्त होने वाला है। नोटिफिकेशन आ जाएगा, इसलिए इसकी अर्जेंसी है। दूसरे पब्लिक इम्पोर्जेंस हैं। अध्यक्ष महोदय, जनतन्त्र में चुनाव का सबसे

बड़ा महत्व है और सारी दुनिया में सबसे बड़ा जनतन्त्र इस देश में है। उस बड़े जनतन्त्र में जहां से हम सरकार चला रहे हैं, वहां दिया तले अन्धेरा हो गया है और इस दिया तले अन्धेरे को समाप्त करने का एक ही रास्ता है कि इस एडजॉर्नमेंट मोशन को एडमिट करना।

(व्यवधान)

श्री कालका दास (करोल बाग) : अध्यक्ष महोदय, आडवाणी जी ने जो एडजॉर्नमेंट मोशन के लिए रीसेंट अकरेंस की बात कही है, उसका समर्थन करते हुए, मैं कहना चाहता हूं कि···(**व्यवधान**)··· सवाल यह है कि दिल्ली की जनता को आज जितनी बड़ी परेशानी है ···(**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : हम कानून के मुताबिक कुछ भी नहीं कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री कालका दास : रीसेंट अकरेंस का सवाल है। ···(**व्यवधान**)···एडजॉर्नसेट मोशन के लिए फैक्ट्स देने हैं···(**व्यवधान**)···चुनाव न होने की वजह से दिल्ली के नागरिक परेशान हैं। चुनाव हो जाएं तो दिल्ली के नागरिकों की परेशानी को दूर करने में यह सहायक होगा। इसलिए दिल्ली के निकायों के चुनाव कराना बहुत आवश्यक है और आज उसकी तिथि एनाउन्स की जाए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : सभापति महोदय, हम मांग कर रहे हैं कि दिल्ली में महानगर परिषद तथा नगर निगम के चुनाव तत्काल होने चाहिए। किन्तु दूसरे दिन जब यह प्रश्न उठाया गया था तो सरकार ने इसका सकारात्मक उत्तर दिया था तथा कहा था कि वह विभिन्न दलों के राजनीतिक नेताओं के साथ इस मामले पर चर्चा करेगी। अब हमें ऐसा लग रहा है कि सरकार पुनः दिल्ली में चुनावों की तारीख बढ़ाने जा रही है। हमें वास्तव में आश्चर्य है कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में चुनाव कराने से क्यों डर रही है।

श्री दिग्विजय सिंह : हम इससे डर नहीं रहे।

श्री श्रीकान्त जेना : यदि आप डर नहीं रहे हैं तो चुनाव क्यों नहीं कराते? इसका कोई स्पष्ट कारण होना चाहिए। चूंकि सरकार की इच्छा चुनाव की तारीख बढ़ाने की है, अतः सरकार की निन्दा करने के लिए पर्याप्त कारण हैं। हम मांग करते हैं कि सरकार को स्पष्ट रूप से सामने आकर बताना चाहिए कि क्या वह तत्काल दिल्ली में चुनाव करवा रही है अथवा नहीं और यदि वह चुनाव की तारीख बढ़ा रही है तो क्यों। जनता दल की ओर से हम मांग करते हैं कि चुनाव तत्काल कराए जाने चाहिए।

[अनुवाद]

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : महोदय, इन दोनों निगमों के चुनाव होने चाहिये। इन दोनों निगमों के लिये अन्तिम समय सीमा 5 दिसम्बर है। 5 तारीख तक कोई निर्वाचित परिषद नहीं होगी। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। अन्यथा मुझे सभी सदस्यों को अनुमति देनी पड़ेगी।

(व्यवधान)

श्री लोकनाथ चौधरी : यदि वे लोग चुनाव कराना चाहते हैं, तब तो चुनाव सम्बन्धी अधिसूचना पहले ही आ जानी चाहिये थी क्योंकि 5 तारीख को कोई निर्वाचित परिषद नहीं होगी। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट बोलना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा नहीं कर सकते। आपकी पार्टी की तरफ से उन्होंने बोला है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री लोकनाथ चौधरी : लेकिन सरकार ने पहले ही निर्णय कर लिया है कि वह कोई चुनाव नहीं करवा रही। इसीलिए इस मामले पर विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। यही मेरा प्रश्न है। और यह स्थगनादेश गृहीत किया जाना चाहिए। **(व्यवधान)**

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : दिल्ली के चुनावों के सम्बन्ध में विपक्ष के नेता द्वारा व्यक्त की गई चिन्ता को मैं समझ सकता हूं। जहां तक कांग्रेस दल और सरकार का सम्बन्ध है, हम लोग चुनाव कराने के प्रति अनिच्छुक नहीं हैं। एक दिन हमने बैठक की थी और यह निर्णय किया गया था कि माननीय गृह मन्त्री अन्य पक्षों के नेताओं के साथ बैठक कर विचार-विमर्श करेंगे। मैं यह बात गृह मन्त्री जी के ध्यान में लाया और गृह मन्त्री जी एकदम इच्छुक है और अन्य पक्ष के नेताओं से बैठक करके उन्हें बहुत खुशी होगी। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि माननीय मन्त्री जी यह बैठक आज ही करें। इसलिए मैं विपक्ष के माननीय नेता से अनुरोध करूंगा कि वे निन्दा प्रस्ताव पर जोर न दें और गृह मंत्री जी जो विचार विमर्श करने जा रहे हैं, उसे स्थगित न करें।

अध्यक्ष महोदय : इस मामले पर सभा में पहले विचार-विमर्श हुआ था और विभिन्न दलों के नेताओं ने अपने-अपने मत व्यक्त किए थे। सरकार ने अनुकूल प्रतिक्रिया दिखाई और वह दिल्ली के सदस्यों और अन्य सदस्यों से बैठक करने के लिए सहमत हो गई। संसदीय कार्य मंत्री ने हमें बताया है कि विचार-विमर्श आज ही होने जा रहा है। जहां तक तथ्यों का सम्बन्ध है, स्थिति यह हैं और यह विधिक स्थिति नहीं है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह यह विचार विमर्श सकारात्मक रूप से आज ही करे। अन्यथा मैं इस मामले को कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में उठाऊंगा और निर्णय करेंगे कि क्या किया जाए। लेकिन मैं स्थगनादेश की अनुमति नहीं दूंगा क्योंकि यह मानव इस समय पैदा नहीं हुआ है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, मैं आपके माध्यम से 29-11-1991 के **दि हिन्दुस्तान टाइम्स** में प्रकाशित एक बहुत ही जटिल समाचार की तरफ इस सभा और सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

इसमें कहा गया है कि जंगजुओं के 40 प्रतिशत से अधिक छिपने के स्थान सरकारी आवासों में है। इसमें कहा गया है कि इस फ्लैटों को मूल आवंटियों ने आगे किराये पर दे रखा है तथा पुलिस शहरी विकास मंत्रालय से शिकायतें दर्ज करने की सोच रही है। इसमें कहा गया है कि रोमानिया के राजदूत श्री राद्रू के अपहरणकर्ताओं ने अपनी योजना दो सरकारी आवासों में ही बनाई थी। सादिक नगर के जिस आवास में श्री राद्रू को रखा गया था वह लेखा परीक्षा सेवा में कार्यरत एक सरकारी कर्मचारी को आवंटित किया गया है।

इसमें यह भी कहा गया है कि कनाटप्लेस में पुलिस गोलीबारी में मारे गए श्री देवपाल सिंह ने लोधी कालोनी स्थित जिस मकान का उपयोग किया था, वह मकान भारत सरकार के एक उप-सचिव को आवंटित था।

एक और रहस्योद्‌घाटनपूर्ण समाचार है। इसमें बताया गया है कि कुलदीप सिंह सिधू नामक व्यक्ति, जिसका श्री रादू के अपहरण में हाथ था, 11 अक्तूबर से 18 अक्तूबर तक पंजाब भवन के कमरा नं० 110 में ठहरा था और यह अपहरण 9 अक्तूबर को हुआ था।

महोदय, यदि इस तरह की बातें राजधानी में हो रही हों, जहां पर कि उग्रवादी अपनी योजनाएं पूरी करने के लिए सरकारी आवासों का प्रयोग करें, तो हम इस देश में आतंकवाद से लड़ने में कैसे कामयाब हो सकते हैं? यह पता लगाने के लिए कि सरकार में उच्चस्तर पर वे कौन लोग हैं जो उग्रवादियों से सांठ-गांठ करके उन्हें आजादी से शरण-स्थल प्रदान करके देश में बेरोकटोक घूमने की अनुमति दे रहे हैं, इस मामले में पूरी जांच पड़ताल करनी होगी। सभा के नेता यहीं पर है। मैं उनका समूचा ध्यान इस मामले की तरफ खींचना चाहता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस विषय के सम्बन्ध में सभा में एक विस्तृत वक्तव्य दें चूंकि यह मामला देश की सुरक्षा और अखण्डता से सम्बन्ध रखता है।

[हिन्दी]

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज से सात साल पहले 2 और 3 दिसम्बर की रात को भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्टरी से जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिसके कारण दो हजार से अधिक लोगों की मृत्यु हुई और कई हजार लोग घायल हुए।

12.25 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

हालांकि मुआवजा मिलने का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा दे दिया गया है, लेकिन जो मुआवजा दिया जाता है, उसका निर्णय जिला-स्तर पर भोपाल में होना है, जिसमें काफी विलम्ब हो रहा है। इस वजह से जिन लोगों को मुआवजा मिलना है, उन लोगों को अभी तक मुआवजा नहीं मिल पाया है।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि अभी तक देश में 7 वर्ष में आज तक हमारे मैडीकल एक्सपर्ट्स यह पता नहीं लगा पाए है कि वह गैस क्या थी और उसका एक्चुअल लाईन आफ ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। इसके अभाव में वहां जो घायल लोग हैं, आज तक उसकी दुर्दशा हो रही है, लाईन आफ ट्रीटमेंट स्पेसिफाई नहीं है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं।

आज इस अवसर पर मैं इस सदन में उन सभी मृतात्माओं के प्रति अपनी वेदना व्यक्त करता हूं और शासन से निवेदन करना चाहता हूं कि इण्डियन काउन्सिल आफ मेडीकल रिसर्च से आग्रह करें और यह पता लगाएं कि एक्चुअल मेडीकल लाईन आफ ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए और विधि मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि लोगों को कंपेंसेशन दिलाने के लिए तत्परता से निर्णय करें। आज यह अत्याधिक महत्व का विषय है। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है, उनके समर्थन में मैं

इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि गैस प्रदूषण अभी भी जारी है। लोग मर रहे हैं और लोगों को जो वास्तविक क्षतिपूर्ति देय है, यह अभी पीड़ित लोगों को नहीं दी गई हैं। यही कारण है कि इस तरह के प्रस्ताव बार-बार इस सभा में आते रहे है हम इस प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करते हैं और आशा करते हैं कि सरकार इस मामले में शीघ्रतापूर्वक कार्यवाही करेगी।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : मैं इस सभा का ध्यान उस अन्तर्राष्ट्रीय दबाव की ओर खींचना चाहता हूं जिसकी चपेट में भारतीय पेटेन्ट अधिनियम इस समय है। अतारांकित प्रश्न सं० 300 के उत्तर में सरकार ने यह बताया था कि पेटेन्ट मामले के सम्बन्ध में श्रीमती कार्ला हिल्स के दौरे के समय कोई नया प्रश्न नहीं उठाया गया और दोनों पक्ष मामले को फिलहाल स्थगित रखने के लिए सहमत थे···**(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : इतना महत्वपूर्ण मामला उठाया जा रहा है और कोई भी मंत्री ध्यान नही दे रहा है। क्या संसदीय कार्य मंत्री जी सुनेंगे ?

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : अब तथापि, भारत-अमरीका संयुक्त व्यापार परिषद ने 20 नवम्बर को अपना विचार-विमर्श पूरा कर लिया है और इसने सिफारिश की कि भारत को पेरिस सम्मेलन पर हस्ताक्षर कर देने चाहिए। मैं यह जानना चाहता हूं जब श्रीमती कार्ला हिल्स के साथ पेटेन्ट अधिनियम सम्बन्धी कोई नया प्रश्न सामने ही नहीं आया तब इस सिफारिश पर कैसे सहमति हुई। यदि भारत पेरिस सम्मेलन पर हस्ताक्षर करता है तो भारतीय पेटेन्ट अधिनियम को 1970 से पूर्व अवधि की तरफ लौटना होगा और यह पेटेन्ट केवल उत्पादन के सम्बन्ध में ही नहीं होगा, बल्कि यह संसाधन पर भी लागू होगा। अब स्थिति यह है कि पांच से सात वर्ष के पश्चात उदाहरण के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी प्रयुक्त करके दवाई को देश में ही बनाया जा सकता है।

यदि पेटेन्ट अधिनियम में संशोधन किया जाता है, तो यह अधिकार खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही, यदि भारतीय विनिर्माता के विरुद्ध पेटेन्ट अधिनियम को उल्लंघन के लिए कोई आरोप लगाया जाता है, तो प्रमाण का दायित्व उस व्यक्ति का होगा जिसके विरुद्ध आरोप लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त, पेटेन्ट तथाकथित अन्तर्राष्ट्रीय मानकों से मेल खाते हुए हैं। वास्तव में, ऐसा कोई अन्तर्राष्ट्रीय मानक भी नहीं है, इसे 20 वर्ष बाद उठाया जा रहा है। श्रीमन्, यह दवाओं के स्वदेशी विनिर्माताओं के लिए मौत होगा। यही नहीं, तब बहुत सी जीवनरक्षक दवाओं का आयात करना पड़ेगा और परिणामस्वरूप वे महंगी होने से आम लोगों की पहुंच से बाहर हो जाएगी। उदाहरणार्थ, एक लोकप्रिय मूत्रवर्धक दवा लैसिक्स अब से 22 गुणा महंगी होगी। कैंसर के लिए केमोथेरेपी प्रति वर्ष 5 लाख रु० मूल्य की बैठेगी।

[अनुवाद]

इसको ध्यान में रखते हुए संयुक्त कार्य परिषद की सिफारिश से अत्यधिक चिन्ता हो रही है। हमें इस बात से विश्वस्त होना चाहिए कि सरकार अन्तर्राष्ट्रीय स्रोतों से डाले गये दबाव के सामने नहीं झुकेगी। हम इसका स्पष्ट संकेत चाहते हैं कि भारतीय पेटेन्ट अधिनियम के सम्बन्ध में सरकार क्या करना चाहती है। **(व्यवधान)**

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैं इसमें कुछ और जोड़ना चाहता हूं। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : क्या वह मामले से सम्बन्धित है ?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : जी, हां । यह देश के हित में है और इसमें पेटेन्ट औषध कानूनों से सम्बद्ध औषध निर्माण विज्ञान के अतिरिक्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण मामले अन्तंग्रस्त हैं । अमेरिका हमारे देश पर कुछ ऐसी बातें स्वीकार किये जाने के लिये दबाव डाल रहा है जो हमारी कृषि के लिये हानिकारक है। वे मांग कर रहे हैं कि हम पौध प्रजनन अधिकार को स्वीकार करें । इसका अर्थ है कि उन्नत किस्म के बीजों आधार पर हमारे देश में जिस तरह की हरित क्रान्ति हुई है वह पूर्णरूप से संकट में पड़ जाएगी और हमारा कृषि विकास ठप्प पड़ जायेगा ।

वे जीवित सामग्री पर पेटेन्ट की मांग कर रहे हैं । हमने अब तक उसे कभी स्वीकार नहीं किया है । वे चाहते हैं कि हम अपनी कृषि को जिस तरह की सुरक्षा देते हैं या आर्थिक सहायता देते हैं अथवा जिस तरह विशिष्ट वस्तुओं की किस्म पर सुरक्षा और वह सब देते हैं वह बन्द कर दें । वे हमारे देश से यह मांग कर रहे हैं ताकि वे हमारी कृषि को कमजोर कर सकें और हमारे देश में अपने खाद्यान्नों के भण्डार पाट सकें । यह एक अत्यधिक गम्भीर मामला है और यदि कृषि का विनाश होता है तो हमारा औद्योषिक विकास भी संकट में पड़ जायेगा । इस स्थिति में इस सभा को अपने विचार व्यक्त करने चाहिए । उरूग्वे वार्ता के दौरान किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले, सरकार को इस सभा को ठोस रूप से यह बताना चाहिए कि वे क्या करने जा रहे हैं । और उस पर हस्ताक्षर करने के पश्चात् इसे यह बताना चाहिये कि उसने किस पर हस्ताक्षर किये है । वह इस सभा के समक्ष लाया जाना चाहिए और उसकी अभिपुष्टि करवाई जानी चाहिए । मैं नहीं जानता, अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में हस्ताक्षर किसी भी चीज के बारे में हो सकते हैं । लेकिन प्रश्न यह है कि उन्हें इस सभा और इस देश के लोगों को यह बताना चाहिए कि वे किस पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं और हस्ताक्षर करने के पश्चात्, जिस पर भी उन्होंने हस्ताक्षर किये हों, इस सभा में लाया जाना चाहिए और इसकी अभि-पुष्टि की जानी चाहिये । यह एक अत्यन्त गम्भीर मामला है ।

श्री तरित बरण तोपदार : उन्हें इस मामले पर किसी भी पत्र पर इस सभा में उल्लेख किये बिना हस्ताक्षर नहीं करने चाहिये ।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यह एक गम्भीर चिन्ता का और राष्ट्रीय चिन्ता का विषय है । इस मामले पर बाहर बहस की जा रही है और अब तक कोई सरकारी उद्घोषणा नहीं हुई है कि इस सम्बन्ध में सरकार का क्या दृष्टिकोण है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : सब कुछ इस सभा की पीठ के पीछे किया जाता हैं ।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : इस दिनों हम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष आदि से बातचीत करके अपनी आर्थिक समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं । प्रायः इस तरह के मामले भी उनके साथ जोड़ दिये जाते हैं । यह ठीक भी हो सकता अथवा यह गलत भी हो सकता है, मैं इस सम्बन्ध में सरकार की विचारधारा नहीं जानता । इसलिए इन आशंकाओं की केवल इस सभा में सरकार की विचारधारा के साथ विचार करके ही दूर किया जा सकता है । जहां तक मैं समझता हूं यह यह एक ऐसा मामला है जिसे किसी भी तरीके से हमारी आर्थिक समस्याओं से नहीं जोड़ा जाना चाहिए । इस पर अलग से ही निर्णय किया जाना चाहिए । यदि वहां कुछ ऐसी विचारधारा के लोग हों जिनकी हमें इस विशेष दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करने में रुचि है, तो उनसे दूर ही रहना चाहिए । इसलिये मेरी मांग यह है कि सरकार को उनमें भाग लेने के लिये जाने से पहले इस सभा को यह बताना चाहिए कि इस सम्बन्ध में इसकी विचारधारा क्या है । **(व्यवधान)**

श्री लोकनाथ चौधरी : महोदय, श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य द्वारा उठाये गये मामलों का क्या हुआ और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? सरकार को कुछ कहना चाहिए। विपक्ष इस प्रश्न पर पहले ही एकमत है। जो कुछ भी सरकार करती है, उसे वह इस सभा में लाना चाहिए। इस सभा को यह जानना चाहिए कि इस मामले पर सरकार क्या सोच रही है···(**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : सदन के नेता आज इतने उदासीन क्यों हैं? (**व्यवधान**)

श्री लोकनाथ चौधरी : सरकार की चुप्पी से केवल यही प्रदर्शित होता हैं कि वह इस मामले पर पहले से ही सहमत है (**व्यवधान**)

श्री हाराधन राय (आसनसोल) : महोदय, मैं सरकार का ध्यान कुछ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को इस तर्क पर कि वे रुग्ण हैं, उन्हें बन्द करने अथवा उनका निजीकरण करने सम्बन्धी निर्णय की ओर दिलाना चाहता हूं। कई वर्षों में, राष्ट्रीयकरण के बाद, इनमें से बहुत से सरकारी क्षेत्र के एकक आधुनिकीकरण, विविधीकरण तथा विस्तार के लिए निजी क्षेत्र से लिए गए थे लेकिन कुछ भी नहीं किया गया है। पश्चिम बंगाल में, सेन रेले अब भारत का साइकिल निगम—एम० ए० एम० सी०, बी० ओ० जी० एल०, बर्न स्टेंडर्ड के अधीन 7 रिफैक्ट्री एकक तथा उर्वरक एकक बन्द होते वाले हैं। 'इसको' का भविष्य अनिश्चित है। आधुनिकीकरण का कार्यक्रम सरकार की ओर से आना है। यहां तक कि कोल इण्डिया का भविष्य भी फीका है। जबकि निजी क्षेत्र कोयला-उत्पादक भूमि की मांग कर रहे हैं, ऊर्जा उत्पादन का निजीकरण कोयला खानों के निजीकरण को बढ़ावा दे रहा है। ई० सी० एल० ने पहले ही रानीगंज में 32 खानों के बन्द होने की अधिसूचना दी है?

मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस निजीकरण तथा एककों को बन्द करना समाप्त करे तथा सरकारी क्षेत्र के एककों के कार्यकरण में आधुनिकीकरण, विविधीकरण तथा विस्तार आदि के द्वारा सुधार लाए। यही सही समय है जब सरकार को निजीकरण करना व एककों को बन्द करना रोक देना चाहिए अन्यथा, बन्द एककों के कामगार सरकार की इस कारंवाई का विरोध करेंगे तथा स्थिति खराब हो जाएगी। सरकार के 29 नवम्बर की एक दिन की हड़ताल के बाद, स्थिति की गम्भीरता को समझना चासिए। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री अन्ना जोशी का नाम लिया है। उन्हें बोलने दीजिए।

(**व्यवधान**)

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : महोदय, महाराष्ट्र राज्य इस वर्ष बहुत अधिक सूखे की स्थिति का सामना कर रहा है। सरकार ने चावल मिल मलिकों पर लागू करने के लिए चावल का कोटा निर्धारित किया है। उनके लिए निर्धारित कोट को पूरा करना दिन-पर-दिन कठिन हो रहा है। सरकारी प्राधिकारी तथा राजस्व अधिकारी चावल मिल मालिकों को शुल्क देने पर दबाव डाल रहे हैं। सूखे से फसल तथा धान की खेती जोकि विदर्भ में कोंकण तथा भंडारा के 3 अथवा 4 जिलों तक सीमित थी, बहुत कम हो गई है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा इस प्रकार बढ़ाकर लगाया गया शुल्क बाजार मूल्यों का आधा है।

चावल मिल मालिकों पर शुल्क लगाना बहुत ही अनुचित और असंगत है। यह शुल्क या तो उत्पादकों से अथवा बाजार में अन्तिम विक्रेता से लिया जाना चाहिए। चावल मिल मलिक केवल चावल को परिष्कृत करते हैं। सेवा प्रभारों के अतिरिक्त अन्य किसी पर उनका अधिकार नहीं है।

सरकार को तत्काल इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए तथा स्थिति का आकलन करने तथा राजस्व

प्राधिकारियों द्वारा चावल मिल-मालिकों को तंग करना रोकने के लिए विशेषज्ञों का एक दल भेजना चाहिए। (व्यवधान)

श्री रमेश चेन्नित्तला (कोट्टायम) : उपाध्यक्ष महोदय, कोचीन और कालीकट क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों में पासपोर्ट के लिये हजारों आवेदन-पत्र लम्बित पड़े है। पासपोर्ट कर्मचारी अनावश्यक विलम्ब कर रहे हैं। वे लोगों को तंग कर रहे हैं। इन दोनों पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा जिन प्रमुख समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उनमें से एक स्टाफ की कमी है।

हम अपने देश में लोगों को रोजगार नहीं दे सकते हैं। इन नौजवानों को दूसरे देशों में जाने दो और वहां नौकरी ढूंढने दो। हमें उन्हें अनुमति देनी पड़ेगी। वहां अनावश्यक विलम्ब और लालफीताशाही का बोलबाला है।

इन अधिकारियों द्वारा पासपोर्ट आवेदनों को परेशान किया जा रहा है। हम कई बार यह मामला सरकार तथा मंत्री महोदय के ध्यान में लाए हैं। लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई है। यह बहुत ही तात्कालिक मामला है। अब चूंकि कुवैत में स्थिति सामान्य है, लोग वहां वापस जा रहे हैं। वे अपने पासपोर्टों का नवीकरण कराना चाहते हैं और वे नया पासपोर्ट भी प्राप्त करना चाहते हैं। पासपोर्ट कार्यालयों में अनावश्यक विलम्ब के कारण इन युवा तथा रोजगार की तलाश करने वाले लोगों को काफी कष्ट हो रहा है। हाल ही में, मंत्री महोदय ने भी आश्वासन दिया है कि त्रिवेन्द्रम में एक नया क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय खोला जाएगा। पांच माह पहले ही गुजर चुके हैं लेकिन अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। मेरा सरकार से यह विनम्र निवेदन हैं कि वह पासपोर्ट शीघ्रता से जारी करने के लिए तुरन्त कार्यवाही करे ? उसे वर्तमान में कोचीन और कालीकट स्थित पासपोर्ट कार्यालयों में चल रहे कार्यों की जांच भी करानी चाहिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वृशिण पटेल जी, कृपया आप बोलें।

[हिन्दी]

श्री वृशिण पटेल (सीवान) : उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1990-91 में बिहार राज्य चीनी निगम ईकाई, सीवान द्वारा तैयार की गयी दस हजार बोरे चीनी दिल्ली चीनी बिक्री विभाग को गयी लेकिन एक इंस्पेक्टर ने नाराज होकर तमाम दस हजार बोरी चीनी को खाने के लिए अयोग्य करार कर दिया है जिसकी वजह से एफ० सी० आई० ने चीनी का कोटा यहां से उठाना बंद कर दिया है। लगता है कि दिल्ली चीनी बिक्री विभाग के इन्स्पेक्टर का उचित स्वागत नहीं करने की वजह से उन्होंने यह जन-विरोधी कदम उठाया है और वह दस हजार बोरियां वहीं पड़ी हुई हैं। मजदूरों भूखों मर रहे हैं। अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि दिल्ली चीनी बिक्री विभाग से किसी वरिष्ठ पदाधिकारी को सीवान भेज कर पुनः चीनी की जांच करायी जाये ताकि सच्चाई सामने आ सके।

श्री राम सागर (बाराबंकी) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार और विशेष तौर से नेता सदन का ध्यान एक राजनैतिक बन्दी की तरफ दिलाना चाहता हूं।

मान्यवर, श्री विशम्भर सिंह एक विधायक हैं जो फतेहपुर जेल में बन्द हैं और वे इस समय कैंसर रोग से पीड़ित हैं और उनकी हालत बहुत खराब हो गयी है। वहां के जिलाधिकारी और जेलर ने उन्हें रिहा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को लिखा है लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार बदले की भावना से उनको रिहा नहीं कर रही है—चाहे वह विशम्भर सिंह हो, या सेकड़ा से जीते गये मदन भैया हों या डी० पी० यादव हों, उन विधायकों को राजनैतिक बदले की भावना से रिहा नहीं कर रही है।

उपाध्यक्ष जी, नेहरु जी के समय से इस तरह के कुछ राजनैतिक बन्दी थे जिनमें श्री जयप्रकाश नारायण, गांधी जी को अपने समय में जेल से बीमारी की हालत में रिहा किया गया लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने अंग्रेजों को भी पछाड़ दिया है कि जो विधायक कैंसर रोग से पीड़ित पड़ा है, उनको रिहा नहीं कर रही है। मैं भारत सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब प्रजातांत्रिक ढंग से यह फैसला हो गया तो श्री मदन भैया, डी० पी० यादव और विशम्भर सिंह जो सजपा के विधायक हैं, उनको क्यों नहीं छोड़ रही है। मैं सदन के नेता से यह मांग करता हूं कि भारत सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिये और उनको रिहा कराने का फैसला करना चाहिये। यहीं मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सोचता हूं कि जो कुछ मैं कहने जा रहा हूं उसमें विधायिका को परेशान करने की क्षमता है और मेरी सदन के दोनों नेताओं, सदन के नेता और विरोधी दल के नेता, से यह अपील है कि वे संयुक्त रूप से स्वयं को इस विशेष समस्या के साथ जोड़ें जिसकी ओर मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है जिसमें संसद सदस्यों तथा विधान सभा सदस्यों को पेंशन की मंजूरी की वैधता को चुनौती दी गई है। याचिका में यह कहा गया है कि अनुच्छेद 106 के अन्तर्गत संसद सदस्यों को यथा देय वेतन और भत्तें—यदि मुझे गलत नहीं समझा जाता है तो—में पेंशन शामिल नहीं है। अतः अतीत में भूतपूर्व संसद सदस्यों तथा विधायकों को जो भी पेंशन दी गई है अथवा आज दी जा रही है, वह संविधान के नियमों का उल्लंघन है। यदि उच्चतम न्यायालय इस याचिका को वैध ठहराता है तो सभी विधायकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा क्योंकि मैं नहीं जानता—एक बहुत प्रख्यात बैरिस्टर यहां उपस्थित हैं—कि हम संविधान में संशोधन पूर्वप्रभाव के साथ कर सकते हैं या नहीं।

अतः, यह मेरी सदन के नेता तथा विरोधी दल के, नेता दोनों से अपील है कि वे स्वयं को इस विशेष मामले से जोड़ें जिससे कि विधायकों को परेशानियों से बचाया जा सके।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, जहां तक इस देश में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि का सम्बन्ध है, स्थिति ज्यादा से ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। कीमतों की उत्तरोत्तर वृद्धि जारी है। आवश्यक वस्तुएं आम लोगों तथा गरीब लोगों की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं।

जब बजट की घोषणा कीं गई थी, यद्यपि वित्त मन्त्री द्वारा सभी प्रकार की नेक इच्छाएं अभिव्यक्त की गई थीं, फिर भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है। कीमतों में उत्तरोत्तर वृद्धि जारी है जिससे आम लोगों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। यह एक ऐसा मामला है जिस पर तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिए मैं जानना चाहूंगा कि सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। हम इस देश में कीमतों की उत्तरोत्तर वृद्धि को रोकने तथा मुद्रास्फीति को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले किसी प्रयास को नहीं देखते हैं। हमें बताया जाता है कि तीन वर्षों के बाद नई आर्थिक नीति, नई औद्योगिक और नई व्यापार नीति के परिणामों को महसूस किया जाएगा। लेकिन इन तीन वर्षों के दौरान लोगों का क्या होगा, इस बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया गया है। लोग रोजगार खो रहे हैं नई नौकरियों का कोई सृजन नहीं किया जा रहा है। रुग्णावस्था में होने की दलील देकर कारखानों तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बन्द कर दिया गया है। यह बहुत गम्भीर स्थिति है जोकि पहले से ही मुंह बाए खड़ी है और अब यह लोगों के लिए और कठिन होती जा रही है।

इन सब बातों के अलावा, महोदय, इस देश के राष्ट्रीय दैनिक समाचार-पत्रों में ऐसी खबरें छप रही हैं—जिनका सरकार द्वारा खंडन भी नहीं किया जा रहा है—कि विश्व बैंक ने भारतीय कृषि में

आमूल परिवर्तन की सिफारिश की है। बैंक ने खाद्य के बफर-स्टाक में कमी करने; भारतीय खाद्य निगम की भूमिका कम करने—जिसका मतलब होगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रभावित होना; समर्थन मूल्य तथा फसल खरीदारी नीति का एकीकरण; अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य से जुड़ा एक नया फसल मूल्य फार्मूला तैयार करने; चावल एवं चीनी की खरीदारी हेतु लेवी योजना को समाप्त करने तथा विदेशी आयातों का उदारीकरण करने के सुझाव दिए हैं। इन सब कदमों को हमारी कीमतों में वृद्धि होना अनिवार्य है।

तत्पश्चात्, महोदय, सरकार को दिए गए एक विस्तृत ज्ञापन में बहु-पक्षीय एजेंसी विश्व बैंक ने उर्वरकों, सिंचाई जल, विद्युत की कीमतों में वृद्धि की मांग की है और खेती के कार्यों पर दी जा रही सबसिडी को कम करने के लिए धनी देशों में तथा धनी कृषि प्रधान देशों में यह व्यापक स्तर पर लागू है—सुधार करने की भी मांग की है।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य के मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) *: महोदय, आमतौर पर समाचारपत्रों में छपी रिपोटों का हवाला यहां नहीं देते हैं।*

श्री सोमनाथ चटर्जी *: इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं है।*

महोदय, यह कहा जाता है कि 1992 के केन्द्रीय बजट में सबसिडी में कटौती करने की व्यवस्था होनी चाहिए ?

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : महोदय, आम-तौर पर यहां समाचार पत्रों की रिपोर्टों का संदर्भ नहीं दिया जाता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसे आप मेरा अपना अवलोकन मानिए। अतः, महोदय, स्थिति बहुत नाजुक होती जा रही है। क्या हमारा देश एक स्वतन्त्र देश के रूप में कार्य कर रहा है अथवा नहीं ? मैं नहीं जानता। हमारी नीतियों का निर्धारण कौन करने जा रहा है ? हमारी बजट नीति, आर्थिक नीति, हर चीज के लिए यहां आदेश किए जा रहे हैं, जो··· **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अरे भाई सुनो ! क्या आप देश के लिए थोड़ी देर भी नहीं सोच सकते हैं ? कब गद्दी में है, कब नहीं है कोई नहीं जानता।

[अनुवाद]

मैं जानता हूं कि वह भी चिन्तित महसूस कर रहे हैं। लेकिन वहां बैठकर, स्पष्ट रूप से उन्हें अपनी उपस्थिति का एहसास कराना होगा। कृपया, इस तरह से नहीं। जब यहां गम्भीर स्थितियों से सम्बन्धित मामले उठाये जा रहे हैं तो उनकी ओर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए। मुझे पक्का विश्वास है कि न तो इस देश में कोई व्यक्ति और न ही इस सदन में कोई व्यक्ति इस बात से इन्कार कर सकता है कि कीमतों की हालत नाजुक नहीं है तथा यह और अधिक से अधिक नाजुक होती जा रही है।

अतः, मेरे ऊपर चीखने तथा मुझे बैठाने की बजाय, जो कि आप कर नहीं सकते, आप कृपया सुनने तथा इस दिशा में कोई कदम उठाने का प्रयास करें।

अत:, मैं सरकार से शीघ्र ही यहां पर कम से कम एक वक्तव्य देने का आग्रह करता हूं कि इस सम्बन्ध में क्या होने जा रहा है तथा वे इस अत्यन्त ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर क्या कार्यवाही कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, मैं सरकार का ध्यान उत्तर-पूर्व क्षेत्र में डाक सेवाओं के वस्तुतः पंगु हो जाने की ओर आकर्षित करने के लिए खड़ा हुआ हूं जिसका कारण सी और डी ग्रुप के डाक कर्मियों द्वारा 15 नवम्बर से हड़ताल पर चले जाना है। ये हालात हैं। उनकी शिकायतें बहुत जायज हैं। उनकी शिकायत है कि उत्तर-पूर्व राज्यों जैसे--असम, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा और मणिपुर में केन्द्र सरकार के सभी कर्मचारियों को वहां की भौगोलिक स्थिति तथा परिवहन सुविधा आदि के कारण विशेष ड्यूटी भत्ता दिया जाता है और यहां तक कि डाक कर्मचारियों में से भी ग्रुप 'ए' और 'बी' के अधिकारियों को यह भत्ता दिया जाता है लेकिन 'सी' और 'डी' ग्रुप के डाक कर्मचारियों को इस भत्ते का भुगतान नहीं किया जाता है। वे केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में गए जिसने निर्देश दिये कि उन्हें इस भत्ते का भुगतान किया जाना चाहिए।

बाद में, सरकार सर्वोच्च न्यायालय में गई और स्थगन आदेश मांगा। सर्वोच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश देने से इन्कार कर दिया और कानूनी लड़ाई चलती आ रही है। उन्हें हड़ताल करने की इस अति में धकेला गया है जिसके परिणामस्वरूप वे लोग दु:खी हो रहे हैं। वहां डाक सेवाएं ठप्प पड़ी हैं और लोग भी परेशान हो रहे हैं।

इसलिए मैं सरकार से विशेषकर संचार मंत्री महोदय से यह अनुरोध करता हूं कि उन्हें यह समझना चाहिए कि न्यायालय के निर्णय के कारण दूरसंचार मन्त्रालय के कर्मचारियों को भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया है। इन लोगों को वंचित क्यों रखा जाये और उन्हें हड़ताल करने के लिए बाध्य क्यों किया जाये ?

अत:, इस विषय पर तुरन्त बात की जानी चाहिए। उनकी वैध मांगों को भी अन्य कर्मचारियों की मांगों के समान ही समझा जाना चाहिये। उन्हें भी विशेष कार्य भत्ता दिया जाना चाहिये।

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं कि गवर्नमैंट ने 19 सितम्बर, 1991 को जो स्पेशल लीव पिटीशन फाईल की थी, उसे वापिस ले लिया है। इसलिये, उसे अब नैगोसिएशन करनी चाहिये।

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, श्री सोमनाथ चटर्जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण मामला उठाया है। मामला कीमतों में वृद्धि से सम्बन्धित है। बजट चर्चा के दौरान यह कहा गया था कि कीमतों में वृद्धि अस्थायी और इसका स्वरूप मौसमी है। मेरे विचार से बजट के कई महीने के पश्चात भी कीमतों में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

प्रधान मन्त्री यहां कहते रहे हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ और व्यापक बनाने के लिए विशेष प्रबन्ध किये जा रहे हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक व्यापक बनाने की

बजाय राज्य सरकारों को खाद्यान्नों, मिट्टी के तेल और अन्य आवश्यक वस्तुओं, जिनकी आपूर्ति सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से की जाती थी, की अपेक्षित मात्रा की आपूर्ति नहीं की जा रही है। राज्य सरकारों की सूची में, मैं केरल, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और लगभग उन सभी राज्य सरकारों को सम्मिलित करता हूं जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली को किसी न किसी रूप में चलाती हैं । अतः कीमतों में वृद्धि रुक नहीं पाई है। कीमतों में यह वृद्धि, भारत सरकार की दोषपूर्ण आर्थिक नीति के कारण हुई हैं। यह इसलिए है क्योंकि भारत सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के आदेश पर एकाधिकारी संगठनों और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को हमारा देश लूटने की अनुमति देने की नीति को स्वीकार किया है।

अतः, मैं चाहता हूं कि सरकार एक वक्तव्य दे और आपको भी देश में कीमतों की स्थिति जो सीमा से बाहर चली गई है, पर चर्चा करने की अनुमति देनी चाहिये।

[हिन्दी]

श्री मोरेश्वर सावे (औरंगाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से संचार मन्त्री महोदय का ध्यान औरंगाबाद (महाराष्ट्र) की टेलीफोन व्यवस्था की ओर दिलाना चाहता हूं। औरंगाबाद के टेलीफोन एक्सचेंज के विस्तार के लिए गत वर्ष आई० टी० आई० रायबरेली से जो उपकरण मंगाये गये हैं वे बंगलौर आई० टी० आई० में बने उपकरणों की तुलना में बहुत खराब हैं जिसके कारण विस्तार करने के बाद भी औरंगाबाद की टेलीफोन सेवा में सुधार नहीं हो पायेगा। औरंगाबाद में 5000 लाइनों की क्षमता वाली योजना को अभी नीति विषयक निर्णय लेने वाले निदेशालय से स्वीकृति भी नहीं प्रदान की गई है।

इसी तरह इसी जिले के चिकलठाणा नगर में 600 लाइनों वाला एक्सचेंज लगाया जा रहा है जिसमें जालना से हटाए गए उपकरणों को लगाया जा रहा है जो अच्छा नहीं है। मेरी मांग है कि चिकलठाणा की औद्योगिक स्थिति को देखते हुए वहां पर 1400 लाइनों की क्षमता वाला आधुनिक एक्सचेंज लगाया जाए।

महोदय, इसी तरह मेरी मांग है कि औरंगाबाद और बीड़ के बीच लगाए जा रहे 120 चैनल के डिजीटल माइक्रोवेव सिस्टम से 30 चैनल वालुज और जायकवाड़ी को भी दिए जायें क्योंकि वालुज और जायकवाड़ी का एम० आई० डी० सी० औद्योगिक क्षेत्र अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

[अनुवाद]

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : उपाध्यक्ष महोदय, क्या मैं सरकार का ध्यान आपके और इस सभा के माध्यम से शान्ताक्रुज हवाई अड्डे पर हमारे यात्रियों के साथ हो रही नई घटना की ओर दिला सकता हूं। वहां सुरक्षाकर्मी बहुत से यात्रियों से उनकी बहुमूल्य वस्तुएं लूट रहे हैं और जो यात्री खाड़ी देशों से आ रहे हैं वे शिकायत कर रहे हैं कि एक्सरे द्वारा उनके सामान की जांच करते समय सुरक्षाकर्मियों द्वारा उनकी बहुमूल्य वस्तुएं लूट ली जाती हैं। शान्ताक्रुज पर सामान की जांच की जाती है।

30 नवम्बर को एक घटना घटी जिसके मैं और अन्य माननीय सदस्य श्री के० मुरलीधरन साक्षी हैं। हम मुम्बई से कालीकट की उड़ान में थे। एक व्यक्ति वहां आया—वह सऊदी अरब से आ रहा था—और शिकायत की कि जब उसके सामान की जांच की जा रही थी तो सुरक्षाकर्मियों ने उसका कुछ धन चुरा लिया। उस हवाई जहाज का कमांडर कैप्टन मनचन्दा नीचे आया और उसे सुरक्षाकर्मियों के पास ले गया और उसे 100 सऊदी रियाल वापिस दी गई जो सुरक्षाकर्मियों ने उनसे छीन ली थीं। वहां

ऐसा हो रहा है और उसमें वृद्धि हो रही है। मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह नेकनियत यात्रियों को तंग किये जाने को तत्काल रोके और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करे।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण सवाल सदन के सामने लाना चाहता हूं। मैंने इसके बारे में सूचना भी दे रखी है कि सारी जरूरी चीजों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। बजट सत्र के दौरान वित्त मन्त्री जी ने पूरे देश को आश्वासन दिया था कि अक्तूबर महीने के बाद जरूरी चीजों के दाम घटेंगे या घटने शुरू हो जायेंगे, लेकिन अभी तक जो आंकड़े मौजूद हैं, उनके अनुसार इसी अक्तूबर से नवम्बर के बीच में ·7 परसेंट इन्फ्लेशन बढ़ा है, ·4 परसेंट सारी जरूरी चीजों के दाम बढ़े हैं। पिछले छः महीने में जीवन के लिए आवश्यक दवाओं के दाम ढाई गुने से तीन गुने बढ़े हैं, जो बच्चों के पढ़ने की किताब और कापियां हैं उनके भी मूल्य में करीब करीब डेढ़ गुनी वृद्धि पिछले छः महीने में हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार अक्षम है, जरूरी चीजों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। बावजूद इसके कि खरीफ की फसल बाजार में आ चुकी है, फिर भी रसद के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सरकार का जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वह एकदम कलैप्स हो गया है। जीवनोपयोगी सामग्री को सरकार जनता को उपलब्ध कराने में पूरी तरह से विफल रही है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जीवनोपयोगी चीजों को जनता को उपलब्ध कराने एवं बढ़ती हुई महंगाई पर सदन में चर्चा होनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इतने महत्वपूर्ण विषय पर यहां बोला जा रहा है और उधर हाउस पूरा खाली हो गया है, लोगों को बुलाइए। एक सौ दिन में चीजों के भाव घटाने का वायदा किया गया था, इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए और इतने महत्वपूर्ण मामले पर यहां बात हो रही है और ट्रैजरी बैंचेज के लोग हैं ही नहीं। मेरा आपसे निवेदन है कि उन्हें बुलाया जाए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। शून्यकाल के दौरान ज्योंही माननीय सदस्य मामला उठायेंगे, सरकार उसे नोट करेगी लेकिन आप सरकार से यह आशा नहीं कर सकते कि वह इसका तत्काल उत्तर दे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपसे मेरा यह अनुरोध यह है कि मुझे विश्वास है कि इस तरफ के अधिकांश लोग पहले दूसरी तरफ भी थे और वह हमें भूलना नहीं चाहिए। और जो लोग आज इस तरफ हैं वे बाद में उस तरफ भी जा सकते हैं। अतः, जिस प्रणाली और परम्परा का हम पालन कर रहे हैं उनका आने वाले समय में भी पालन किया जाना चाहिए।

श्री तरित बरण तोपदार : उस समय तक वे इस प्रणाली को नष्ट कर देंगे। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : दूसरे, शून्यकाल में अधिकांश लोग जिन्होंने अपने हाथ ऊपर उठाये हैं, बोलने के इच्छुक हैं। हमारे पास समय भी बहुत कम है। बहुत से लोग निराश हो रहे हैं। जहां तक सम्भव हो सका है मैंने प्रत्येक को अवसर देने का प्रयास किया है। जिन लोगों की बात आज नहीं सुनी

जा सकी उन्हें कल अवसर दिया जायेगा और अन्य मित्र जो आज बोल चुके हैं वे उनके कल उन मित्रों को अबसर प्रदान करेंगे। यह व्यवस्था बहुत आवश्यक है। मुझे दुःख है कि हमारे कुछ माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। मैं उनके नाम पुकारना चाहता था। लेकिन उनकी आवाज बहुत कमजोर है जबकि कुछ अन्य लोग अच्छी आवाज के धनी हैं और उनकी आवाज खूब सुनी जाती है। अतः, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस सम्बन्ध में सहयोग करें। अब श्री मनोरंजन भक्त अन्तिम वक्ता होंगे।

(व्यवधान)

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह) : महोदय, अपने मामले की बात करते हुए मैं श्री सोमनाथ चटर्जी का समर्थन करना चाहूंगा ? **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : उत्तेजित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्री जगवन्त सिंह बोल चुके थे, श्री आडवाणी बोल चुके थे और श्री अन्ना जोशी बोल चुके थे। आपको भी अपना भाग मिल चुका था।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : प्रतिदिन इसी व्यक्ति को अवसर दिया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह केवल इस उद्देश्य के लिए है कि मैं यह अनुरोध करता हूं कि कल उन लोगों के स्थान पर जिन्हें आज बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है उन लोगों को बोलने का अवसर दिया जायेगा जिन्हें यह अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। किसी को भी अवसर से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए।

श्री सत्य गोपाल मिश्र (तामलुक) : यद्यपि हम सूचनाएं दे रहे हैं, लेकिन हमें अवसर प्राप्त नहीं हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री मनोरंजन भक्त अन्तिम वक्ता होंगे।

श्री मनोरंजन भक्त : मामले पर आने से पहले मैंने इसका नोटिस दे दिया है, मैं श्री सोमनाथ चटर्जी का समर्थन करता हूं, कि देश में कीमतों की स्थिति बहुत खराब है और यह कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतें दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। लेकिन इस बीच मैं उन्हें यह बताना चाहूंगा कि वे जानते हैं कि ग्यारह महीने चली पिछली सरकार ने इस देश की अर्थव्यवस्था को पूर्णतया बिगाड़ दिया था जिससे वर्तमान स्थिति उत्पन्न हुई। **(व्यवधान)**

जब कीमतों की स्थिति इतनी खराब है तो सरकार को यह बताना चाहिये कि देश में कीमतों में वृद्धि पर नियन्त्रण करने के लिए वह कौन से कदम उठा रही है क्योंकि जहां तक आवश्यक वस्तुओं का सम्बन्ध है, यह देश के हित में है।

मैंने अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में बेरोजगारी की समस्या के बारे में मूल नोटिस दी है। अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह एक संघ शासित क्षेत्र है जो बंगाल की खाड़ी के मध्य में स्थित है। वहां शिक्षित बेरोजगार रोजगार के लिए हर सम्भव प्रयास कर रहे हैं जबकि वहां 2000 पद रिक्त पड़े हैं और प्रशासन इन पदों को नहीं भर रहा है। वहां रोजगार के बहुत से साधन हैं और रोजगार को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन प्रशासन उस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। विमको फैक्ट्री को भी बन्द कर दिया गया है। मैं समझता हूं कि प्रबन्धकों ने कम्पनी को बेच दिया है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या कर्मियों के आनुतोषिक और भविष्य निधि, उनके क्षेत्र और सुरक्षा की रक्षा की गई है

अथवा नहीं। और ऐसा किए बिना, ब्रिटिश कम्पनी को धन को अपने देश में वापस ले जाने की अनुमति दी जायेगी ?

मैं भारत सरकार से इस सम्बन्ध में निदेश जारी करने के लिए अनुरोध करता हूं ताकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र में रिक्त स्थानों की अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में उपलब्ध युवकों में से ही भरा जा सके।

महोदय, विमको के प्रबन्धकों को यह बता दिया जाना चाहिए कि यदि कर्मचारियों के आनुतोषिक और भविष्य निधि के धन का भुगतान नहीं किया गया और उसे सुनियोजित नहीं किया गया तो कम्पनी को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसे पुनः खोला जाना चाहिए···(**व्यवधान**)

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा यह कहे जाने पर कि सत्तापक्ष के सदस्य उपस्थित नहीं हैं, आपके द्वारा प्रतिक्रिया स्वरूप टिप्पण किए जाने के लिए आपका कृतार्थ हूं। लेकिन वास्तविक सच्चाई यह है कि हम सभी उपस्थित हैं। दुर्भाग्य से, चाचा लोग दूसरी ओर बैठे अपने भतीजों को नहीं पहचानते हैं।

मूल्य वृद्धि, विश्व बैंक द्वारा शर्तें लगाये जाने के प्रयासों के सम्बन्ध में, जैसा कि माननीय सदस्य श्री सोमनाथ चटर्जी के कथन और उनके साथ-साथ पेरिस सम्मेलन के सम्बन्ध में जिसका उल्लेख श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य द्वारा किया गया है, इस वारे में मैं यह कह सकता हूं कि हमारा आर्थिक स्थिति पर 16 तारीख को चर्चा कराये जाने का विचार है। (**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : 17 तारीख को।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : तिथि का निर्धारण कार्य मंत्रणा समिति में किया जायेगा।

आर्थिक स्थिति पर चर्चा में, मुझे विश्वास है कि ये सभी मामले उठाये जायेंगे और मुझे विश्वास है कि सरकार माननीय सदस्यों को उनके विचार के अनुसार सन्तुष्ट करने में सफल होगी। मैं सदस्यों को केवल यह आश्वासन देना चाहूंगा कि यह सरकार आर्थिक अथवा राजनैतिक किसी भी प्रकार की प्रभुसत्ता के सम्बन्ध में किसी प्रकार का समझौता नहीं करेगी।···(**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : समझौता करने के लिए कुछ भी शेष नहीं बचा है। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जायें।

1.07 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

अतारांकित प्रश्न संख्या 5352 दिनांक 3 सितम्बर, 1991 के उत्तर को ठीक करने सम्बन्धी वक्तव्य

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : मैं, बख्तियारपुर जंक्शन पर एक्सप्रेस गाड़ियों के हाल्ट के बारे में श्री विजय कुमार यादव द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सख्या 5352 के 3 सितम्बर, 1991 को दिये गये उत्तर में शुद्धि करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 801/91]

लाला राम स्वरूप क्षय रोग अस्पताल, नई दिल्ली के कार्यकरण का वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० ताराादेवी सिद्धार्थ) : महोदय, मैं सभा पटल पर रखती हूं :

(1) (एक) लाला राम स्वरूप क्षय रोग अस्पताल, नई दिल्ली के वर्ष 1988 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) लाला राम स्वरूप क्षय रोग अस्पताल, नई दिल्ली के वर्ष 1988 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 802/91]

1.08 म० प०

समितियों के चुनाव

(एक) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कोर्ट

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (युवा कार्य और खेलकूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (कुमारी ममता बनर्जी) : अपने सहकर्मी, श्री अर्जुन सिंह की ओर से, मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के परिनियमों के परिनियम 14 के खण्ड (1) के उपखण्ड (xxiv) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दे, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के परिनियमों के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कोर्ट के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से छह सदस्य निर्वाचित करें । इस प्रकार निर्वाचित सदस्य अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कर्मचारी नहीं होंगे ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के परिनियमों के परिनियम 14 के खण्ड (1) के उपखण्ड (xxiv) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दे, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के परिनियमों के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कोर्ट के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से छह सदस्य निर्वाचित करें । इस प्रकार निर्वाचित सदस्य अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कर्मचारी नहीं होंगे ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

1.09 म० प०

(दो) भारतीय खान स्कूल, धनबाद की महापरिषद

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (युवा कार्य और खेलकूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (कुमारी ममता बनर्जी) : अपने सहकर्मी, श्री अर्जुन सिंह की ओर से, मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि भारतीय खान स्कूल धनबाद के नियमों तथा विनियमों के नियम 15(3) के साथ पठित नियम 4 (ii) से (iv) तक में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दे, उक्त नियमों तथा विनियमों के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन भारतीय खान स्कूल, धनबाद की महापरिषद के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में दो सदस्य निर्वाचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय खान स्कूल धनबाद के नियमों तथा विनियमों के नियम 15(3) के साथ पठित नियम 4 (ii) से (iv) तक में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दे, उक्त नियमों तथा विनियमों के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन भारतीय खान स्कूल, धनबाद की महापरिषद के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

1.10 म० प०

(तीन) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (युवा कार्य और खेलकूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (कुमारी ममता बनर्जी) : अपने सहकर्मी, श्री अर्जुन सिंह की ओर से, मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (शिक्षा विभाग) के प्रस्ताव संख्या एफ० 1-2/90-पी० एन० (डी०-II) 19 अक्तूबर, 1990 के संकल्प के अनुबन्ध की मद संख्या 5(i) के साथ पठित संकल्प के पैरा 5 के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दे, उक्त संकल्प के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (शिक्षा विभाग) के प्रस्ताव संख्या एफ० 1-2/90-पी० एन० (डी०-II) 19 अक्तूबर, 1990 के संकल्प के अनुबन्ध की मद संख्या 5 (i) के साथ पठित संकल्प के पैरा 5 के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दे, उक्त संकल्प के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

1.11 म० प०

(चार) पशु कल्याण बोर्ड

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : अपने सहकर्मी, श्री कमल नाथ की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 5(1)(i) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दे, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन बोर्ड की शेष अवधि अर्थात् 2 मार्च, 1992 तक के लिए पशु कल्याण बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 5(1)(i) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दे, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन बोर्ड की शेष अवधि अर्थात् 2 मार्च, 1992 तक के लिए पशु कल्याण बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

1.12 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा दोपहर के भोजन के लिए चौदह बजकर दस मिनट तक स्थगित हुई।

2.15 म० प०

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 14.15 बजे पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हम अब नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा करेंगे।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) बीड़ी और तम्बाकू निर्माताओं को तम्बाकू बोर्ड के क्षेत्राधिकार में लाने के प्रस्ताव को निरस्त करने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री मोहन लाल झिकराम (मांडला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन इस महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

देश के उद्योगों में बीड़ी उद्योग एवं बीड़ी, तम्बाकू उत्पादन करने वाले उत्पादक विशेष महत्व रखते हैं। मेरी जानकारी में आया है कि बीड़ी तम्बाकू उत्पादकों को तम्बाकू बोर्ड के अन्तर्गत लाये जाने का प्रस्ताव शासन के पास विचाराधीन है।

उक्त प्रस्ताव न तो शासन के पक्ष में, न उत्पादकों के पक्ष में और न ही बीड़ी निर्माताओं के पक्ष में है। इससे भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा मिलेगा।

मेरा शासन से आग्रह है कि उक्त प्रस्ताव में छोटे तम्बाकू उत्पादकों और छोटे बीड़ी निर्माताओं के हितों को ध्यान में रखकर लोक हित में इसे निरस्त किया जाये क्योंकि उक्त लोगों के हित को न

देखा गया तो इसका सीधा असर गरीब तबके के मजदूरों पर पड़ेगा जिससे वे बेरोजगारी के शिकार होंगे तथा राजस्व पर भी असर पड़ेगा।

[अनुवाद]

(दो) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ के तकनीकोविदों, जो कि इस समय हड़ताल पर हैं, के साथ बातचीत करने के लिए एक विशेष समिति का गठन करने की आवश्यकता

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : महोदय, चण्डीगढ़ के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च में कार्यरत प्रौद्योगिकीविज्ञों को हड़ताल किए हुए और धरने पर बैठे एक महीने से ऊपर हो गया है। जिसके परिणामस्वरूप, मरीजों को कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। मुझे उनके और प्राधिकारियों के बीच सम्पर्क का अभाव दिखाई देता है। लोकतन्त्र में, यह अत्यावश्यक है कि आपसी सम्पर्क, वार्ता और बातचीत में बिखराव न हो। उनकी शिकायत यह है कि नियुक्ति के समय उच्च योग्यता की अपेक्षा के बावजूद, उनके वेतन आदि भेदभावपूर्ण हैं। आपसी समझबूझ और बातचीत द्वारा समझौता करना और एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना आवश्यक है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह हड़ताल पर चल रहे कर्मचारियों से बातचीत करने के लिए और इस मसले को सुलझाने के लिए एक विशेष समिति गठित करे।

(तीन) राजस्थान में टोडाराय सिंह से नाथद्वारा तक की प्रस्तावित रेलवे सम्पर्क लाइन को शीघ्र मंजूरी देने की आवश्यकता

श्री शिव चरण माथुर (भीलवाड़ा) : महोदय, यद्यपि राजस्थान खनिज संसाधनों से पूर्णतः सम्पन्न है, तथापि अपनी प्राकृतिक सम्पदा का उपयोग करने हेतु इसके पास आवश्यक बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। दुर्भाग्य से, दिल्ली-बम्बई रेलवे लाइन को छोड़कर जो राजस्थान के कुछ जिलों से होकर गुजरती है, राज्य के अधिकांश जिलों में छोटी (मीटर गेज) लाइनें हैं। विगत समय में, कई लाइनों को छोटी लाइन से बड़ी लाइनों में बदले जाने और नई रेलवे लाइनें बिछाने के सम्बन्ध में व्यवहार्य सर्वेक्षण किया गया है। टोडारायसिंह से नाथद्वारा तक का प्रस्तावित रेलवे लिंक ऐसे ही एक सर्वेक्षण का परिणाम है। यह रेल सम्पर्क भीलवाड़ा, उदयपुर, अजमेर और टोंक के उन महत्वपूर्ण जिलों को जोड़ेगा जहां खनिज, कृषि उत्पादन प्रचुर मात्रा में हैं और जो औद्योगिक दृष्टि से विकसित हैं। यह लाइन प्रसिद्ध रामपुरा-अगुचा जस्ता और चांदी की खानों से भी जुड़ेगी जिसके आधार पर हाल ही में चित्तौड़गढ़ में एक सुपर जस्ता प्रद्रावक संयंत्र की स्थापना की गई है। विगत समय में विभिन्न व्यापार एवं औद्योगिक संगठनों, संसद सदस्यों, विधायकों और विभिन्न वर्गों के लोगों द्वारा इस महत्वपूर्ण रेल लिंक की मंजूरी हेतु रेल मंत्रालय को कई आवेदन पत्र भेजे गये हैं।

इसलिए मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह इस प्रस्ताव के पक्ष में विचार करे और इसे शीघ्र मंजूरी दें।

(चार) डाक विभाग के अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने की आवश्यकता

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, डाक एवम् तार विभाग के अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों की समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सम्भवतः यही विभाग

ऐसा है जिसमें अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी कार्यरत हैं और उन्हें पूरा वेतन तथा अन्य सुविधाएं नहीं मिलती हैं। कई वर्षों से ये कर्मचारी वेतन, भविष्य निधि, डाक्टरी सुविधा, किराया भत्ता, बोनस आदि की मांग कर रहे हैं। संसद में भी अनेकों बार यह मामला उठाया जाता रहा है। ये कर्मचारी पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों में काम करते हैं और वास्तव में इन्हीं के सहारे डाक एवम् तार विभाग का काम इन दुर्गम क्षेत्रों में चलता है।

अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों की सेवाएं नियमित की जायें और इन्हें वेतन, बोनस, ग्रेच्युटी, डाक्टरी सुविधा, किराया भत्ता आदि दिया जाये तथा इन्हें अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी न कहकर ग्रामीण डाक कर्मचारी कहा जाये।

(पांच) **उत्तर प्रदेश तथा बिहार की सीमा पर पिपराघाट में गंडक नदी द्वारा किए जाने वाले भूमि कटाव को रोकने के लिए बिहार सरकार को केन्द्रीय सहायता देने की आवश्यकता**

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय जल संसाधन मंत्री जी का ध्यान उ० प्र० के पूर्वी जिलों तथा बिहार के पश्चिमी जिलों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। बड़ी गन्डक (नारायणी नदी) जो हिमालय से नेपाल होती हुई पटना के निकट सोनपुर के पास गंगा में मिल जाती है, प्रति वर्ष दोनों प्रदेशों की लाखों एकड़ जमीन और फसल बर्बाद करती है। इतना ही नहीं किनारे पर बिहार आर उ० प्र० के गांव हैं, वे नदी में विलीन होते जा रहे हैं। यह ऐसी भयावह नदी है, जो प्रति वर्ष अपनी धारा कभी बिहार में तथा कभी उ० प्र० में बदलती रहती है। किसानों के लिए आवास की भी कठिन समस्या हो गई है। वर्तमान समय में यह नदी बिहार और उ० प्र० के बार्डर पर पिपरा घाट के पास विकराल कटाव कर रही है। इससे लाखों किसान बेघर बार हो जायेंगे तथा धन-जन की बरबादी होगी। यह कार्य केन्द्र सरकार की सहायता के बिना सम्भव नहीं है।

ऐसी स्थिति में भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्री से आग्रह है कि इसका सर्वे कराकर इस नदी के कटान को रुकवाने हेतु केन्द्रीय सहायता तत्काल दी जावे जिससे लाखों किसानों की जान व माल की हिफाजत हो सके।

(छः) **बिहार के कोडरमा क्षेत्र में एक आयुध कारखाना स्थापित करने की आवश्यकता**

श्री मुमताज अंसारी (कोडरमा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र कोडरमा की तरफ दिलाना चाहता हूं। काफी दिनों पहले सरकार ने यहां आर्डिनेन्स फैक्टरी लगाने का प्रस्ताव किया था, किन्तु अभी तक इस सिलसिले में कोई कार्यवाही नहीं की है। यह एक बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। इसके बावजूद भी यहां बेरोजगारी लगातार बढ़ती ही जा रही है।

इसलिए मेरी सरकार से फिर अपील है कि यहां जल्दी से जल्दी आर्डिनेन्स फैक्टरी स्थापित करें।

[अनुवाद]

(सात) **पश्चिम बंगाल में कोटशिला से पुरुलिया तक की छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने की आवश्यकता**

श्री बीर सिंह महतो (पुरुलिया) : पुरुलिया जिले के लोगों के लिए कोटशिला से पुरुलिया तक

की 31 कि०मी० लम्बी सकरी रेलने लाइन यातायात का एक महत्वपूर्ण साधन है। पुरुलिया के लोग लम्बे समय से इस लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए आंदोलन कर रहे हैं।

यह रेलवे लाइन, यदि सुधार हुआ तो, पुरुलिया को सीधे रांची, टाटानगर, बोकारो, धनबाद आदि बड़े औद्योगित केन्द्रों को जोड़ेगी। इस पिछड़े जिले का आर्थिक और औद्योगिक विकास लाने में यह रेलवे लाइन काफी सहायक होगी।

विगत में इस लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के सम्बन्ध में आश्वासन दिया गया था। सच तो यह है कि 1984 में खुदाई कार्य शुरू कर दिया गया था किन्तु कुछ हफ्तों के बाद ही बन्द कर दिया गया।

पुरुलिया यात्रा के दौरान वर्तमान रेल मन्त्री ने भी आश्वासन दिया है कि इस लाइन को यथा-शीघ्र परिवर्तित किया जायेगा।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह पुरुलिया का सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित करने की दृष्टि से इस लाइन के परिवर्तन सम्बन्धी परियोजना कार्य को तत्काल शुरू करे।

(आठ) केरल को उत्तम किस्म का सेला चावल और पाम आयल की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति करने की आवश्यकता

प्रो० के० वी० थामस (एरणाकुलम) : केरल ही एक ऐसा राज्य है जहां सांविधिक राशन व्यवस्था है। केन्द्र सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण हेतु केरल को चावल, गेहूं, पाम आयल और मिट्टी के तेल की सप्लाई करनी होती है। 220 ग्राम/प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन की दर पर पूरा राशन देने के लिए, केरल को 2,40,000 मीट्रिक टन चावल की आवश्यकता होती है। किन्तु केवल 1,45,000 मी० टन चावल दिया जा रहा है। केरलवासी केवल सेला चावल खाने के अभ्यस्त हैं। किंतु भारतीय खाद्य निगम कच्चे और घटिया किस्म के चावलों की आपूर्ति कर रहा है जिन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा वितरण नहीं किया जा सकता। इसके परिणामस्वरूप एक महीने के भीतर ही खुले बाजार में चावल का दाम 3.50 रु० किलो ग्रा० से बढ़कर 7.20 रु० प्रति किलो ग्राम हो गया है। इसी तरह 10,000 मी०ट० पाम आयल की आवश्यकता वाले केरल को, केवल 1,000 मी० टन पाम आयल की आपूर्ति की जा रही है। चावल और पाम आयल के दामों में अभूत-पूर्व बढ़ोत्तरी के कारण केरलवासियों के लिए समस्याएं खड़ी हो गई हैं। अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि वह केरल को तत्काल पर्याप्त मात्रा में बढ़िया सेला चावल और पाम आयल तेल की आपूर्ति करे।

2.25 म०प०

रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक—जारी

अध्यक्ष महोदय : अब हम रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) संशोधन विधेयक सम्बन्धी प्रस्ताव पर आगे विचार करेंगे जो 2 दिसम्बर, 1991 को प्रस्तुत किया गया था।

डा० देवी प्रसाद अब आप अपनी बात कहिए।

डा० देवी प्रसाद पाल (कलकत्ता-उत्तर-पश्चिम) : महोदय, मैं माननीय वित्त मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं।

[डा० देवी प्रसाद पाल]

विधेयक उपधारा (1) के खंड (घ) में इन शब्दों, "किंतु सरकारी कम्पनी को शामिल नहीं करती जैसाकि उस अधिनियम की धारा 617 में बताया गया है" का लोप करके रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 की धारा 3 में संशोधन करने का प्रावधान है। दूसरे शब्दों में, 1985 का रुग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम अब तक केवल उन कम्पनियों पर लागू होता था जो सरकारी कम्पनियां नहीं थीं। कम्पनी अधिनियम की धारा 617 के अन्तर्गत सरकारी कम्पनी से अभिप्राय ऐसी कम्पनी से है जिसमें केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय और राज्य सरकार 51 प्रतिशत की भागीदार होती है और जिसमें सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनियां भी शामिल हैं। नई औद्योगिक नीति, जिसे सरकार द्वारा इस सदन में पेश किया गया है, के परिणामस्वरूप इस संशोधन की आवश्यकता हुई है।

अब तक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम जो घाटे पर चल रहे थे, उन्हें रुग्ण औद्योगिक उपक्रम अधिनियम की सीमा में नहीं लाया जा सका जिससे उनका उचित अध्ययन और ऐसी रुग्णता के कारणों और उपायों का भी विश्लेषण किया जा सकता था जो इस प्रकार के रुग्ण उद्योगों के लिए हैं। सरकारी क्षेत्र के उपक्रम निःसन्देह हमारे औद्योगिक विकास और अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत सरकार की नीति के परिणामस्वरूप सरकारी क्षेत्र के उपक्रम निजी क्षेत्र के उपक्रमों के पूरक हैं, वे मिलकर कार्य करते हैं न कि प्रतिद्वंदी बनकर और वे एक दूसरे के पूरक हैं। किंतु ऐसा देखा गया हैं कि जब सरकारी उद्यम ब्यूरो ने 1983-84 में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की रुग्णता के कारणों की जांच का मामला उठाया 1893-84 में उस समय यह पाया गया कि इन 229 सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों में से 59 कम्पनियां पूर्णतः घाटे में थीं और इस प्रकार कई करोड़ रुपए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर खर्च किए गए और सरकारी क्षेत्र में अग्रणी अद्योगों सहित कई उद्योगों को घाटा हो रहा था। अब, यदि यह निजी क्षेत्र में आता है तो 1985 का रुग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम में रुग्ण उद्योगों का विचारार्थ विषय बी० आई० एफ० आर० जैसे किसी विशेषज्ञ निकाय को देने की व्यवस्था है।

बी० आई० एफ० आर० निकाय विशेषज्ञ लोगों से गठित है, जो कि ऐसे रुग्ण उद्योगों का विश्लेषण और उनके कारणों की जांच करता है तथा रुग्ण उद्योग को पुनः जीविन करने हेतु सुधारात्मक उपायों का सुझाव देना है। दूसरे शब्दों में रुग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम का मुख्य उद्देश्य बचाव व सुधार के उपायों का सुझाव देना है। यदि रुग्ण उद्योग का पता आरम्भिक अवस्था में ही लग जाता हैं तथा उनके पुनः जीवित करने हेतु सुझाव दिया जाता है तो ऐसी कम्पनियों को रुग्णता से बचाया जा सकता है।

अब तक विधेयक के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों को इस विधान में नहीं लाया जा सका। पहली बार संशोधन में यह बात आई है कि ऐसी सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियां जो घाटे में चल रही है तथा जो हमारी अर्थव्यवस्था को खा रही है, उनको सरकारी राजकोष पर तथा सामाजिक मूल्यों की कीमत पर रुग्ण नहीं चलने दिया जाये। इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र की इन रुग्ण कम्पनियों को रुग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम 1985 के तहत लाया गया है। कम से कम 58 सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियां हैं जो भारी घाटे पर चल रही हैं। कम्पनियों की कुल सम्पत्ति शून्य हो गई है। यदि इन कम्पनियों को ऐसा ही चलने दिया जाए तो फिर आखिर नुकसान किसका होगा? यह जनता ही है जिसे सार्वजनिक क्षेत्र के इन उपक्रमों के भारी नुकसान का पूरा करने के लिए भारी मात्रा में कर देना

पड़ेगा। इसका परिणाम यह होगा कि जो सरकारी क्षेत्र के उपक्रम समुचित प्रबन्ध, प्रयत्न, सक्रियता तथा सामंजस्य की कमी के कारण घाटे में चल रहे हैं उन्हें इस अधिनियम के तहत लाया जा सकेगा। यह नहीं हैं कि उन्हें तत्काल बन्द कर दिया जायेगा। यह एक गलत सुझाव है जो दूसरी ओर से आया है।

उन मामलों को बी०आई० एफ० आर० जोकि एक विशेषज्ञ निकाय है के पास भेजा जाएगा। बी० आई० एफ० आर० ऐसे उद्योग की रुग्णता का विश्लेषण इकाईवार या फिर प्रत्येक सार्वजनिक कम्पनी का उसकी आर्थिक स्थिति के अनुसार करेगा। इसलिए बी०आई०एफ०आर० प्रत्येक इकाई का अपने अनुसार जांच करेगा तथा सुधारात्मक उपायों का सुझाव देगा यदि इससे सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उपक्रम घाटे में चल रहे हैं तो इसकी जांच तथा विश्लेषण का कार्य बी० आई० एफ० आर० जैसे विशेषज्ञ निकाय द्वारा किया जाता रहेगा और यदि सम्भव हुआ तो वह परिचालन एजेंसियां जैसे वित्तीय संस्थाओं को सुझाव देगा कि वे कुछ समय तक इन रुग्ण उद्योगों को चलाए और उसके बाद उनके पुनर्जीवन के लिए कुछ सहायता दें। यह एक बड़ा ही अच्छा उपाय है तथा रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1985 के तहत सभी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को लाकर इन उपायों को लागू किया जाएगा। नौकरशाही को पुनः जीवित करना, जैसी बातों का कोई प्रश्न ही नहीं है। यह तो सरकार की नीति है। जैसे कि हमारी औद्योगिक नीति में घोषित है कि यह नेहरूवाद के सिद्धांतों से भिन्न नहीं है जैसाकि दूसरे पक्ष की ओर से सुझाया गया है। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से सदन में कहा है कि हमारी औद्योगिक नीति में निरन्तरता है तथा परिवर्तन भी हैं। निरन्तरता इसलिए कि हम विगत से भिन्न नहीं हैं।

वर्ष 1948, 1956, 1973, 1977 और 1980 की औद्योगिक नीतियों ने समय-समय पर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बड़े तथा प्रमुख उद्योगों, जिनका राष्ट्रीय महत्व है पर जोर तथा बल दिया है। परन्तु हम इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को इस दिशा में अलग नहीं रख सकते। तथा निजी क्षेत्र के उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने और उन्हें मुक्त बाजार में जाने की अनुमति नहीं दे सकते। क्या होगा?

यदि आने वाले वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को एकाधिकार का मौका दिया जाए तो जो घाटे में चल रहे हैं उनको निरन्तर घाटा ही होता रहेगा। अकुशल एकक हमेशा अकुशल ही रहेंगे। इसका प्रभाव न केवल हमारे राजकोष पर पड़ेगी अपितु जनता को भी इसका नुकसान सहना पड़ेगा। हमारे उद्योगों की आरम्भिक अवस्था पार हो गई है। हमारा आधारभूत ढांचा काफी संशक्त हो गया है अतः मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की ओर जाना चाहिए ताकि प्रतिस्पर्धात्मक बाजार के परिणामस्वरूप अन्ततः कीमतें गिरेंगी तथा जनता को इसका फायदा मिलेगा। इसी कारण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अनिश्चितकाल के लिए रुग्णावस्था में चलने नहीं दिया जाएगा। यह विधान बचाव करने हेतु है और इसका तात्पर्य यही है कि रुग्णावस्था के बढ़ने से पूर्व ही उसकी रुग्णावस्था को पकड़ लिया जावे। सामान्यतः यह पाया गया है कि जब उद्योग पूर्ण रूपेण रुग्ण हो जाते हैं तब व्यावसायिक बैंकों तथा अवधि के लिए ऋण देते वाली संस्थाओं में आपसी सामंजस्य नहीं रहता। सामान्यतः व्यावसायिक बैंक कम्पनी को कार्यकारी पूंजी देते हैं। अवधि के लिए ऋण देने वाली संस्थाएं जैसे वित्तीय संस्थाएं किसी विशेष कम्पनी की लम्बी अवधि की पूंजी की जरूरत पूरा करती है। यदि आरम्भिककाल में ही रुग्णता का पता चल जाता है तब विशेषज्ञ निकाय सुझाव दे सकता है तथा सरकार उस उद्योग के पुनर्जीवन हेतु बी० आई० एफ० आर० के सुझाव के अनुसार कार्य कर सकेगी। यह सुझाव देना पूर्णतः गलत है कि जैसे ही सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को रुग्ण औद्योगिक उपक्रम अधिनियम के तहत लाया

[डा० देवी प्रसाद पाल]

जाता है वैसे ही सरकार उन्हें बन्द करने की इच्छुक होती है। ऐसा नहीं है। यह सुझाव देना भी गलत है कि कार्य के पुर्नगठन से इस प्रकार से लोग बेरोजगार हो जाएंगे।

सरकार ने अपनी घोषणा में स्पष्ट कर दिया है कि उसका लोगों को नौकरी से हटाने का कोई इरादा नहीं है। यदि किसी उद्योग में रुग्णावस्था है तो उसका निर्णय अपने आप किया जाएगा। किसी विशेष मामले में हो सकता है कि उद्योग का 3/4 भाग जीवित रखा जाएगा तथा 1/4 भाग बन्द किया जा सकता है। ऐसे मामले में वहां नियुक्त लोगों को रोजगार से हटाने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। उनको वैकल्पिक रोजगार दिया जाएगा तथा यदि आवश्यक हुआ तो जैसे निजी क्षेत्रों में किया जाता है, कोई मुआवजा राहतस्वरूप दिया जाएगा अतः यह कहना गलत होगा कि इस उपाय द्वारा तथा नई नीति लागू करने से जो लोग सार्वजनिक क्षेत्र में नियुक्त हैं, उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। सरकार ने यह स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जो कि काफी लोकप्रिय सरकार है ने इस लोकप्रिय सरकार की लोगों को रोजगार से हटाने की कोई मंशा नहीं है।

परन्तु जैसे ही रुग्णावस्था का पता लग जाएगा, किसी के मामले में भी उस रुग्णावस्था को नहीं चलने दिया जाएगा, इसी बचाव हेतु यह संशोधन प्रस्तुत किया गया है।

मैं वित्त मन्त्री जी, को बधाई देना चाहता हूं कि यह संशोधन उचित समय पर पेश किया गया है और इसके माध्यम से ही रुग्ण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को पुनः जीवित कर सकते है तथा हमारे सामाजिक लागत को कम किया जा सकता है। मैं, वित्त मन्त्री जी को इस विधेयक को लाने के लिए धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत रूग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) संशोधन विधेयक के विरोध में अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। सार्वजनिक उपक्रमों की जांच के लिए इस सदन की पहले से एक समिति बनी हुई है जो उनके कार्यकलाप की समीक्षा करती है और इस सदन के माध्यम से, जितने देश में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, उन पर हम अपना नियन्त्रण रखते हैं। वित्त मंत्री जी ने इस तरह का संशोधन विधेयक सदन में लाकर एक तरह से इस सदन के अधिकार क्षेत्र में एन्क्रोच करने की, उसमें हस्तक्षेप करने की कुचेष्टा की है।

1985 में औद्योगिक और वित्तीय पुर्ननिर्धारण बोर्ड की स्थापना हुई थी। उसमें से सार्वजनिक उपक्रमों को इस मंशा से भी अलग कर दिया गया था कि उनके ऊपर सदन का नियन्त्रण पहले से है और समय-समय पर हम सदन के भीतर अपनी राय देते हैं। विडम्बना यह है कि यदि सार्वजनिक उपक्रमों की घाटे की इकाईयों को बन्द ही करना है, यह सिद्धान्त मान लिया जाए तो सबसे पहले एअर-इण्डिया या इण्डियन एअरलाइंस जैसे उपक्रमों को बन्द करना चाहिए लेकिन दिक्कत यह है कि सरकार की दृष्टि उधर नहीं जायेगी। उसका कारण है कि ऐसे उपद्रवों का उपयोग इस देश के समृद्ध और सम्पन्न वर्ग के लोग करते हैं। जब भी रूग्ण इकाइयों को बन्द करने का अवसर आयेगा तो सरकार की दृष्टि सबसे पहले हिन्द साईकल और लखनऊ में स्थित स्कूटर के कारखाने—स्कूटर इण्डिया पर जायेगी।

हमारी दिक्कत यह है कि सरकार की सोच बिल्कुल उल्टी दिशा में जा रही है। मैं बिल्कुल

सहमत हूं कि जो नेहरू की औद्योगिक नीति है, उसे अब तिलांजलि दी जानी चाहिये लेकिन इस देश में जो स्वदेशी और स्वावलम्बन की नीति है, वह नेहरू की देन नहीं है, वह महात्मा गांधी की देन है और जो भी कोई स्वदेशी और स्वावलम्बन का विरोध करता है वह निश्चित तौर पर महात्मा गांधी की घोषित नीतियों का इस देश में विरोधी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि नई औद्योगिक नीति और इस तरह के नित्य नये कदमों से हिन्दुस्तान की नई सरकार न केवल गांधी जी की विचारधारा का विनाश कर रही है बल्कि इस देश में पुरानी स्वतन्त्र पार्टी की विचारधारा का नये सिरे से समावेश और प्रवेश हो रहा है। उसका नतीजा यह होगा कि गोरखपुर का खाद का कारखाना बन्द रहेगा। इस सरकार की दृष्टि उसकी ओर नहीं जावेगी। वहां के मजदूरों, कर्मचारियों और अधिकारियों को 23 करोड़ रुपये सालाना, वहां का कारखाना बन्द करके, दैनिक वेतन और मासिक वेतन के रूप में दे दिया जायेगा, उसकी ऐवज में अरबों रुपये की खाद बाहर से मंगवाकर हिन्दुस्ताव के किसानों को दे दी जायेगी लेकिन उस खाद कारखाने को खोलने के बारे में, हिन्दुस्तान की सरकार की ओर से कोई विचार या कोई प्रयास नहीं किया जायेगा।

मैं इस विचारधारा का इसलिए विरोध करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की सरकार अब इस नई औद्योगिक नीति के जरिये जिस तरह से विदेशी पूंजी को लाने की बात कर रही है, पहले माना गया कि हमारे देश की स्वदेशी तकनीक नये सिरे से चल नहीं सकती, इसलिए विदेशी तकनीक आयात की जायेगी। उस विदेशी तकनीक के आयात के विचार को छोड़कर, अब विदेशी पूंजीं आमंत्रित की जा रही है, विदेशी पूंजीपतियों को निमंत्रण दिया जा रहा है। हिन्दुस्तान के जो 9 बड़े औद्योगिक घराने हैं, यह सरासर उनके ऊपर हमला है। इसके खिलाफ उन औद्योगिक घरानों को खड़ा होना चाहिए लेकिन अफसोस की बात है कि वे औद्योगिक घराने भी इसी नीति का समर्थन कर रहे हैं, जिसके चलते, उनका विनाश भी इस देश में होने वाला है। विडम्बना यह है कि इस देश के जो औद्योगिक मजदूर हैं, अभी उन्होंने एक बहुत बड़ी हड़ताल की। उस हड़ताल का कारण यह था कि इस सरकार ने आते ही पहला कदम यह उठाया कि किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या सरकारी संस्थान में नई भर्ती नहीं की जायेगी। उसका नतीजा यह हुआ कि रोज इस देश में बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है, आतंकवाद बढ़ रहा है। आतंकवाद के कारणों में सबसे बड़ा कारण इस देश की बेकारी की समस्या है।

उस बेकारी की समस्या को हल करने के लिए सरकार के पास काई सोच नहीं है। पुराने उद्योग बन्द होंगे, जो उद्योग हैं उनमें नयी भरती नहीं होगी, उनके सारे दरवाजे बन्द होंगे, तो इस देश का नौजवान श्रीमन, कहां जाएगा, यह सरकार को बताना पड़ेगा। उनकी बेकारी का कोई उत्तर हिन्दुस्तान की सरकार के पास नहीं है। उसी तरह जो हमारे देश के बड़े औद्योगिक घराने हैं, उनका रूझान केवल मुनाफा कमाने की ओर हो गया है। जो मुनाफे का क्षेत्र होगा, उसमें वे तेजी से प्रवेश करेंगे। जैसे जिन उद्योगों में ज्यादा मुनाफा होगा, उनमें जाएंगे। खाद के कारखाने में मुनाफा होने की गुंजाइश होगी तो वे प्रयास करेंगे कि खाद के कारखाने को खोलने का लाइसेंस मिले। यदि सीमेंट में उत्पादन के द्वारा अधिक मुनाफे की गुंजाइश होगी, तो उनका प्रयास होगा कि सीमेंट के कारखाने का नया आशयपत्र हमको मिले, लेकिन इस देश में एक जमाना था जब चीनी के नये-नये कारखाने आए और चीनी के नए कारखानों से उनको मुनाफा होने लगा, लेकिन धीरे-धीरे उन्हीं चीनी के कारखानों को कमजोर करके उसकी दौलत को अन्य निजी दौलत में परिवर्तित करके, उन कमजोर कारखानों को उन्होंने सरकार के हवाले कर दिया और फिर सरकार की जिम्मेदारी हो गई कि उन रुग्ण इकाइयों का इस्तेमाल सरकार करे और ऐसी बेकार इकाई की जब सरकार के हाथ में देते हैं, तो उसके बाद

[श्री मोहन सिंह]

लांछन इस बात का कि सार्वजनिक क्षेत्र किसी भी नये उद्योग को ढंग से संचालित नहीं कर सकता। इस तरह के आरोप सार्वजनिक क्षेत्र पर लगते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक क्षेत्र के दो-तीन तरह के काम हैं—एक तरफ तो इस देश के उत्पादन को बढ़ाना, दूसरी तरफ इस देश का जो कच्चा माल है, उस कच्चे माल को जो तैयार करने वाले व्यक्ति हैं, उनको उचित और लाभकारी मूल्य देना और तीसरा जो उद्योगों में काम करने वाले मजदूर हैं, उनकी अपनी क्षमता, अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि और कौशल के मुताबिक उनको पगार और वेतन देना, यह काम है, लेकिन अफसोस यह है कि जो इस देश का निजी क्षेत्र है, उसका अपना सारा रुझान केवल मुनाफे के ऊपर ही रहता है। उन्होंने मजदूरों के हितों की उपेक्षा की, उन्होंने किसानों के हितों की उपेक्षा की, उन्होंने उपभोक्ताओं के हितों की उपेक्षा की। सार्वजनिक क्षेत्र, किसानों के हित को भी ध्यान में रखता है, मजदूरों के हित को भी ध्यान में रखता है, उपभोक्ताओं के हित को भी ध्यान में रखता है। उसका एक सार्वजनिक कर्त्तव्य है और जब वह समाज सेवा करने को अपना कर्त्तव्य समझता है, इसको अपना सबसे परम कर्त्तव्य समझता है, तो ऐसी हालत में सार्वजनिक क्षेत्र में घाटे की गुंजाइश अधिक से अधिक पैदा होती है। इस पहलू को नजरअन्दाज करके केवल यह उलाहना देते रहना कि सार्वजनिक क्षेत्र तो केवल इसीलिए है कि वह निरंतर अपने को घाटे में चलाता रहे और इस देश की मूल्यवान पूंजी को उसमें लगाकर उसको निवेश करके, उसको बरबाद करता रहे, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूं। इस लिए मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारी पुरानी नीति थी "मिश्रित अर्थव्यवस्था" की उस पर गम्भीरता से विचार करें। मिश्रित अर्थव्यवस्था की धारणा यह थी कि जो सार्वजनिक क्षेत्र का समाज सेवा का विचार है, उसको निजी क्षेत्र के लोग ग्रहण करेंगे और निजी क्षेत्र का जो उत्पादकता को बढ़ाने और कौशल को बढ़ाने का विचार है, उसको सार्वजनिक क्षेत्र अपने में ग्रहण करेगा। यह जो एक स्वस्थ स्पर्धा की बात सोची गई थी, धीरे-धीरे पिछले 40 वर्षों में वह स्वस्थ स्पर्धा इस देश से खत्म होती जा रही है। सार्वजनिक क्षेत्र भी मुनाफा कमाने वाला होता जा रहा है। उसी तरह से निजी क्षेत्र केवल मुनाफा कमाने वाला होता जा रहा है। उसके सामने सामाजिक सेवा का जो लक्ष्य था वह धीरे-धीरे कम होता जा रहा है।

यदि सरकार इस दृष्टि से सोचेगी तो इस औद्योगिक नीति को निश्चितरूप से वापस लेगी और उस औद्योगिक नीति को परस्यू नहीं करेगी जिसके लिए नित्य नये कानून और संशोधन इस सदन में आते हैं। मैं समझता हूं कि सरकार उन पर पुनर्विचार करेगी और इस सदन की एक समिति बनाकर एक बार अन्तिमरूप से इस पर विचार किया जाएगा कि क्या पुरानी नीति, मिश्रित अर्थव्यवस्था की, जिसमें सुप्रीमेसी होगी पब्लिक सैक्टर की, उसको स्वीकार किया था, उस पर पुनर्विचार करेगी और नयी दिशा में, जिसको नया रास्ता कहा जा रहा है "ग्लोबल इम्पैक्ट" दुनिया उस दिशा में जा रही है, दुनिया के जो समाजवादी देश हैं, वे भी पूंजीवादी देशों की पूंजी अपने देश में आमंत्रित कर रहे हैं, इसलिए हम जो अविकसित देश हैं उनको इस धोखे में नहीं रहना चाहिए। जो यह एक नये सिरे से पूंजीवादी विचार समूची दुनिया को ग्रस्त करता जा रहा है उससे भारत को मुक्त कराने के लिए हम फिर से एक नया विचार इस देश में कायम करें। इसके लिए इस सदन की एक कमेटी बने और उस पर निश्चित रूप से विचार करके इस तरह के कानून और इस तरह के संशोधन इस सदन में लाए जाएं, तो अच्छा होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं चन्द शब्दों के साथ मैं इस संशोधन विधेयक का पुरजोर तरीके से विरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रत्येक सदस्य को दस मिनट का समय दिया जाएगा। और मैं समझता हूं कि यह उचित होगा अगर प्रत्येक सदस्य दस मिनट के भीतर पूरा कर ले।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : यह विषय इतना महत्वपूर्ण है कि कार्य मन्त्रणा समिति द्वारा निर्धारित समय सीमा का यहां पालन नहीं हो सकेगा।

श्री इन्द्र जीत गुप्त (मिदनापुर) : महोदय, दोनों पक्षों को काफी समय दिया जाना चाहिए। यह काफी जटिल मामला है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सदस्यों को समय-सीमा के बारे में इसलिए कहता हूं ताकि अधिक से अधिक सदस्य इस चर्चा में भाग ले सकें। कई सदस्य एक चर्चा में भाग लेना चाहते हैं इसलिए उन्हें भी शामिल करना चाहिए।

प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती (हावड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने रुग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम, 1985 की धारा 3 का संशोधन करने के लिये रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है जिसके द्वारा रुग्ण सरकारी कम्पनियों को 'कम्पनी' की परिभाषा के अन्तर्गत लाया जाएगा ताकि रुग्ण कम्पनियों को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्धारण बोर्ड के समक्ष नियरुण (नियमन) या पुर्नजीवित या पुनर्वास योजना या बन्द करने के लिए सौपा जा सके। बल्कि मुझे खेद है कि मैं इस विधेयक का समर्थन नहीं कर सकता हूं। मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और उसे वापिस किये जाने की मांग करता हूं। प्रस्तुत संशोधन हालांकि छोटा है लेकिन इसका आयात काफी विस्तृत है। प्रस्तुत विधेयक अपने देश के श्रमिकों द्वारा प्राप्त उन लाभों को ऐंठना चाहता है जो उन्होंने लम्बे संघर्ष के बाद प्राप्त किये हैं। यह विधेयक उन सभी लाभों को तिलांजली देता है जोकि 19 6 के औद्योगिक नीति संकल्प ने प्रदान किये थे। यह विधेयक श्रमिकों को अन्तर्राष्ट्रीय सहायता कोष और विश्व बैंक के इशारे पर माननीय वित्त मंत्री महोदय, क्या संरचनात्मक समायोजन सुधारों के भार की गैर-अनुपातिक उच्च लागत को वहन करने के लिए बाध्य करेगा। यह पश्चिम की इस विचारधारा के आगे आत्मसमर्पण करना है कि उत्पादकता का कहीं अच्छा हित साधन काम कराओ, दाम दो, के आधार पर हो सकता है बजाय इसके कि कर्मकारों से बातचीत करो और ऐसे नियमों की स्थापना करो जिसके लिए हमारे देश में मजदूर संघों की स्थापना की गई थी। यह निश्चय ही अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक द्वारा एक साथ किया गया आर्थिक सत्ता पलेटन का षड्यन्त्र है। इसका क्या अभिप्राय है कि जब वित्त मन्त्री महोदय इनको औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्धारण के पास भेजने का प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं? क्या इसका यह अभिप्राय है कि इन इकाईयों को उन निजी हाथों में सौंप दिया जाए जो लोग इन सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों की जमीन और अन्य अहस्तांतरणीय परिसम्पत्तियों में ज्यादा रुचि रखते हैं अथवा इन इकाईयों को बन्द कर दिया जाएगा और मजदूरों को इस विधेयक का दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा? महोदय, मैं इन इकाईयों को औद्योगिक और वित्तीय निर्धारक बोर्ड के पास भेजने का विरोध करता हूं। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्धारण बोर्ड द्वारा गैरसरकारी रुग्ण कम्पनियों के साथ किये गए व्यवहार के व्यक्तिगत अनुभव को देखते हुए मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। बी० आई० एफ० आर० का रचनातन्त्र मजदूर संघों से मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श नहीं करता। बी० आई० एफ० आई० के पास धन नहीं है, न ही इसके पास शक्तियां हैं न ही सरकार ने इसे आज तक स्थायी निकाय घोषित किया है। इसका काम अधिकांश उन व्यक्तियों और कर्मचारियों द्वारा चलाया जाता है जो वहां प्रतिनियुक्ति पर आते

[प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती]

हैं और क्योंकि वापिस बुलाये जा सकते हैं। सरकार भी इसके कार्यकरण के बारे में गम्भीर नहीं है। बी० आई० एफ० आर० के० अध्यक्ष महोदय ने कई बार सरकार का ध्यान इन सब बातों की ओर आकर्षित किया है लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। यह अपने आप में रुग्ण हैं और इसलिए जब आप इन बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को बी० आई० एफ० आर० को सौंपने की बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार इन इकाईयों को बन्द करना चाहती है। और इनकी परिसम्पत्तियों को बेचना चाहती है।

जून 1991 तक बोर्ड को 1423 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिसमें से 142 को पंजीकृत किया गया और 180 को रद्द कर दिया गया। 471 निपटाए मामलों में से, 331 पुनर्जीवन निर्धारित योजना के अन्तर्गत थे और 137 को समाप्त करने के आदेश दे दिए थे, और फिर बी० आई० एफ० आर० को पिछले ब्याज पर छूट और ऋणों के पुनर्निर्धारण से विमुक्ति के सम्बन्ध में अन्तरिम राहत प्रदान करने का प्राधिकार भी नहीं है। अतः, मैं इस कदम का विरोध करता हूं।

इन देश में सार्वजनिक क्षेत्र को इन भारी और मूल उद्योगों को, जिनके निर्माण में लम्बा समय लगता है, स्थापित करने के लिए एक वाहन के रूप में स्थापित किया गया था तथा पर्याप्त आधारभूतीय सुविधाएं प्रदान करने, संसाधनों का उपयोग करने और अर्थव्यवस्था को अपेक्षित दिशा की ओर बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया था।

यह केवल अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिये ही कोई उपकरण नहीं है बल्कि सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए सरकार के हाथों में एक उपकरण है। परिवर्तन लाने का यह उपकरण (माध्यम) है। इसका उद्देश्य इस्पात अथवा कार बनाने का नहीं है बल्कि इस्पात और कार निर्माण को सामाजिक परिवर्तन आर्थिक उन्नति और आय के बंटवारे के लिए एक औजार बनाने का है। इसलिए अगर हमें सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करना है तो हमें इन सब बातों को ध्यान में रखना होगा। केवल लाभ और लाभकारिता को ही मद्देनजर नहीं रखना होगा; यह तो केवल आंशिक दृष्टिकोण होगा। यह तो देश की सार्वभौमिकता और राजनीतिक स्वतन्त्रता से सम्बद्ध एक नीतिगत राजनीतिक प्रश्न है। लाभ और लाभकारिता पर चर्चा का विचारण कल्याणकारी राज्य के सन्दर्भ में किया जाना चाहिए।

क्या यह सच है कि सभी सार्वजनिक क्षेत्र अनिपुण होते हैं। 1960 में इस्पात उद्योग के कार्य-निष्पादन से यह पता चलता है कि इस उद्योग ने कुल मिलाकर काफी तरक्की की है। तैयार इस्पात के उत्पादन के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के एककों की कार्य-निष्पादकता से सार्वजनिक क्षेत्र के एककों की कार्य-निष्पादकता कहीं अच्छी थी जबकि 'टिस्को' जैसा विशाल उद्योग भी तैयार इस्पात में 1989 के उत्पादन से 12 प्रतिशत पिछड़ गया है।

क्या यह सही है कि कुल मिलाकर सार्वजनिक क्षेत्र घाटे उठाता आ रहा है? 17 नवम्बर को माननीय मन्त्री श्री पी० ए० संगमा ने मजदूर संघ के नेताओं के साथ हुई बैठक में संघ सरकार की 244 इकाईयों की वर्तमान स्थिति को दर्शाया था। 31 मार्च 1990 को 131 इकाईयों ने 85 प्रतिशत पूंजीनिवेश के साथ 1989-90 में मुनाफा कमाया था।

इस प्रकार जबकि 85 प्रतिशत पूंजी निवेश पर सरकार को लाभ प्राप्त हो रहा है केवल 15 प्रतिशत पूंजी निवेश पर ही लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। निःसन्देह, लम्बे समय से घाटे में चले

आ रहे एकक भी हैं। उनकी संख्या 48 है। लेकिन मन्त्री महोदय ने श्रमिक संघों को विश्वास दिलाया है कि एक त्रिपक्षीय समिति का गठन किया जायेगा और वह उस समिति के समक्ष स्टेट्स पेपर रखेंगे और तब इस पर विचार-विमर्श किया जायेगा। श्रमिक संघों के साथ बातचीत करने और मामलों को हल करने का यही तरीका है। लेकिन इस विधेयक को इस तरीके से पारित करने के लिये सरकार इतनी जल्दी में क्यों है ? मैं नहीं समझ सकता कि इसके पीछे क्या कारण है।

जैसाकि मैंने पहले ही कहा है कि सरकारी क्षेत्र के बहुत से उद्यम भली-भांति कार्य कर रहे हैं और लाभ अर्जित कर रहे हैं। कुछ भली-भांति कार्य करने रहने के पश्चात् भी लाभकारी नहीं हो सकते जिसका कि एक उदाहरण 'भेल' (बी० एच० ई० एल०) है जो सरकार के पास वित्तीय संसाधनों की कमी और 'समझौता सहायता' के अन्तर्गत अत्यधिक कीमतों पर ऊर्जा संयंत्रों का आयात करने की सरकार की रुचि के कारण वर्ष 1992 के लिए क्रयादेशों के बिना ही चल रही है। मैं यह नहीं समझ सकता कि इस सब के पीछे क्या तर्क है। मैं नहीं जानता कि जब सरकारी क्षेत्रों की इकाईयों में वस्तुओं का उत्पादन करने की क्षमता है, तो सरकार इन वस्तुओं को विदेशों से आयात करने का प्रयास क्यों कर रही है।

कांग्रेस पक्ष के मेरे मित्र आज सरकारी क्षेत्र के साथ अवांछित बच्चे की तरह व्यवहार कर रहे हैं जिसको बाह्य रूप मे वे उसे प्यार करने का प्रचार करते हैं, जबकि गुप्तरूप से कोई अन्य ही उसकी देखभाल करता है। भाजपा के मेरे मित्र भी इसे पवित्र गाय मानने के लिए तैयार नहीं हैं। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है यदि वे इसे पवित्र गाय नहीं समझते हैं। लेकिन कम-से-कम उन्होंने इसे एक गाय तो समझा है जो बच्चों, बूढ़ों और कमजोरों को दूध देती हैं।

सरकारी क्षेत्र के श्रमिकों ने उनके लिए आधारभूतीय सुविधाएं उत्पन्न की हैं, सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों ने उन्हें धन दिया है, ताकि इन सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को सुदृढ़ बनाया जा सके। लेकिन अब वे कहते हैं कि सरकारी क्षेत्र को समाप्त कर दिया जाए और इसे बधगृह में भेज दिया जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले भा० ज० पा० मे मेरे माननीय मित्र और प्रसिद्ध संसदविज्ञ श्री जसवन्त सिंह उन्हें हमारे धर्म से मन्त्रों का उच्चारण करके पवित्र बनाना चाहते हैं शायद जिनका प्रचार विश्व हिन्दू परिषद के डालमिया द्वारा किया गया था जिसे ऐसा बताया गया है कि 700 करोड़ रु० से भी अधिक की परिसम्पत्तियां केवल 40 करोड़ रु० या इसी तरह के कुछ रुपयों में देने का प्रस्ताव था। उनको खुश करने के कारण हैं और इसलिए वे सरकार की मंशा का समर्थन करते हैं।

इनमें से कुछ इकाइयां रुग्ण हैं, लेकिन क्यों ? मैं अपने स्वयं के तर्क नहीं दे रहा हूं, मैं स्वयं औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बैंक के चैयरमैन श्री गणपति के कथन से ही उद्धृत कर रहा हूं :

> "हमने कोई भी मामला ऐसा नहीं देखा है जिसमें श्रमिक रुग्णता का कारण रहे हों। कुल मिलाकर रुग्णता के कारण दूसरे हैं। मुख्यतया प्रबन्धन की असफलता, बाह्य पर्यावरणीय कारण जिसमें सरकारी नीतियां भी शामिल हैं, रुग्णता में योगदान देती हैं। कुछ मामले में प्रबन्धकों का इरादा होता है कि श्रमिकों से अत्यधिक बलिदान कराये जाये और वे किये भी जाते हैं ये तो प्रवर्तक ही हैं जो कम बलिदान करना चाहते हैं। श्रमिक संघों की भूमिका बहुत रचनात्मक है। उनका प्राथमिक हित यह सुनिश्चित करना होता है कि रोजगार चलता रहे। जहां कहीं अधिक श्रमिक होते हैं, वहां वे छंटनी का समझौता भी करते हैं।"

अतः हमारे देश के कामगारों का यह दृष्टिकोण है। मेरा निवेदन है कि इनमें से बहुत-सी

[प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती]

इकाइयां रुग्ण हैं। लेकिन सरकार का क्या दृष्टिकोण है। भारत सरकार द्वारा ऐसे सामान का विदेशों से आयात करने की अनुमति देने से जिसकी खरीद स्वदेशी रूप से हो सकती थी, इन्जिनियरिंग उद्योग पर बुरा असर पड़ा है। यहां तक कि इस्पात जैसे निर्णायक क्षेत्रों में भी भारत सरकार ने इस्पात के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है। बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा हमारे देश में सस्ते इस्पात की आपूर्ति करने और कम मूल्यों पर इस्पात बेचने को ध्यान में रखते हुए पश्चिमी जर्मन सरकार भारत में बेचे गये प्रति टन इस्पात के साथ 100 डालर आर्थिक सहायता दे रही थी। और जापान इस देश में इस्पात के उत्पादों के विद्यमान मूल्यों के आधा दे रहा था और हम आयात बिल के रूप में 1200 करोड़ रुपये तक विदेशी मुद्रा खर्च कर रहे हैं।

कांग्रेस (इ) के लोग, सरकार और भा० जा० पा० उस विधेयक के गुणों का एक-दूसरे से बढ़-चढ़ प्रचार कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप निजीकरण होगा। भारतीय व्यापारियों के चैम्बर ने धीरे-धीरे सरकारी क्षेत्र के निजीकरण की पूर्ण रूप-रेखा प्रस्तावित की है और यह बताया है कि सरकारी क्षेत्र की लाभ अर्जित करने वाली इकाइयों को भी निजी क्षेत्र को दे दिया जाना चाहिए। 'ऐसो चेम' के अध्यक्ष तो और कदम आगे बढ़ गये हैं, जिन्होंने यह कहा है कि सरकारी क्षेत्र के स्वामित्व को धीरे-धीरे भारत के राष्ट्रपति की ओर से बदले भारत के लोगों में बदल दिया जाना चाहिए। ये लोग कौन हैं? वे बड़े व्यापार घराने वाले और अनिवासी भारतीय हैं। यदि सरकार का विचार इन इकाइयों को इन लोगों को देने का है, तो मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। और मैं इस विधेयक के पीछे की नीति का भी विरोध करता हूं।

सरकारी क्षेत्र के उद्धारक उस समय चुप क्यों रहे थे जब भारतीय रिजर्व बैंक ने एक अध्ययन रिपोर्ट निकाली थी कि केवल 2% इकाइयां ही श्रमिक प्रबन्ध समस्याओं के कारण रुग्ण थी जबकि बाकी की इकाइयां कुप्रबन्धन कम्पनी के संसाधनों को अनिश्चित उद्देश्यों के लिए नष्ट करके निधियों का अन्य लाभकारी उद्यमों में लगाये जाने और करों के भुगतान को छोड़ने के कारण रुग्ण थी। यहां तक कि जब कोई ईमानदार अधिकारी करों की वसूली करने का प्रयास करता है तो उसे अनुमति नहीं दी जाती है। हमें ये आरोप प्राप्त हुए है कि इन बड़ी कम्पनियों के प्रबन्धकों को चुनावों के दौरान निश्चित राजनैतिक पार्टियों के लिए निधि इकट्ठी करनी होती है। क्या सरकारी क्षेत्र के ये उपक्रम इस तरह से कार्य करेंगे? यह सरकार के लिए उचित समय है कि वह प्रबन्ध और अन्य बातों की तरफ अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करे।

उपाध्यक्ष महोदय : समय समाप्त हो गया है। आपने 15 मिनट ले लिए हैं।

प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती : महोदय, मैं समाप्त कर दूंगा। यह एक महत्वपूर्ण विषय है। निजी क्षेत्र के प्रचारक औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के चैयरमैन के वक्तव्य पर चुप क्यों रहे जब उन्होंने यह कहा कि—

> इकाइयां रुग्ण हो जाती हैं लेकिन इकाइयों को रुग्ण बनाने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति अधिकाधिक प्रभावशाली बनते जाते हैं।"

सरकार के पास इसका जवाब नहीं है। सरकारी क्षेत्र की लगभग आधी इकाइयां ऐसी हैं जो पहले निजी क्षेत्र में थी। उनमें से कुछ को जीवनक्षम और लाभकारी बना दिया गया है और अब चाहते हैं कि इन इकाइयों को निजी क्षेत्र को दे दिया जाये। जैसाकि मैंने पहले ही कहा है कि इकाई

को रुग्ण बनाना और निधियों को अन्य इकाइयों में लगाना एक लाभकारी उद्यम बन गया है। औद्योगिक सम्बन्धों में अनुचित रूप से समाप्ति पहले ही स्वीकृत नियम बन गया है।

स्कूटर इण्डिया के निजीकरण के प्रस्ताव का उदाहरण इस बात का स्पष्ट उदाहरण था कि सरकारी क्षेत्र की बहुमूल्य परिसम्पत्तियों को बहुत कम कीमतों पर निजी बड़े व्यापार घराने वालों को कैसे सौंप दिया गया था। इन सब के विरुद्ध हमारे देश में श्रमिकों ने 29 नवम्बर को हड़ताल की। वे इन सभी बातों के मूकदर्शक ही नहीं बने रहेंगे। ये शब्द मात्र पाग्नितापूर्ण नहीं है जोकि हड़ताल की सफलता से स्पष्ट झलकता है। बहुत से लोगों ने उनके आह्वान के प्रति अपनी संवेदनशीलता दिखाई है। यह आप लोगों को संकेत है जो निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देते हैं और सरकारी क्षेत्र को अलविदा कहना चाहते हैं। लेकिन आप अन्तिम शब्द नहीं कह पायेंगे। यह जनता का फैसला है जिसकी अन्त में विजय होगी। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का पूर्णतः विरोध करता हूं।

पहला प्रश्न यही उठता है कि जब रुग्ण उद्योग अधिनियम के अन्तर्गत औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी० आई० एफ० आर०) बनाया गया था तो सरकार ने जानबूझकर सरकारी स्वामित्व की कम्पनियों और सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को इस अधिनियम के क्षेत्राधिकार से बाहर क्यों रखा। इसके कतिपय कारण थे; और तर्क थे। जाहिर है कि इसका कारण यही था कि सरकार भी समझती थी कि निजी कम्पनियों और सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों में एक स्पष्ट अन्तर है और सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों और निजी कम्पनियों के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता तथा इन कम्पनियों के कार्य-निष्पादन का आकलन और मूल्यांकन एक ही पैमाने से नहीं किया जा सकता। यह एकदम स्पष्ट है। अन्यथा, शुरू में ही सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को बी० आई० एफ० आर० के अन्तर्गत ले लिया गया होता जिसका सरकार का अब विचार है। महोदय, कारण बिल्कुल साधारण सा है। 'रुग्ण कम्पनी' की इस अधिनियम में परिभाषा यह दी गई है कि वह कम्पनी किसी वित्तीय वर्ष के अन्त में घाटा इसकी समूची शुद्ध कीमत के बराबर हो गया हो अथवा इससे अधिक हो गया हो और इसी वित्तीय वर्ष में अथवा इससे पहले वर्ष में इसे नकद घाटा भी हुआ हो तथा अधिनियम में 'शुद्ध कीमत' की परिभाषा यह दी गई है कि कुल प्रदत्त पूंजी और 'मुक्त भण्डार', तथा 'मुक्त भण्डार' की परिभाषा है कि वे सभी भंडार जिन्हें लाभ और शेयर प्रिमीयम खानों में शामिल नहीं किया जाता और जो अन्य भण्डारों में नहीं आते।

अब, यदि यह परिभाषा किसी भी कम्पनी पर लागू की जाए और जिस क्षण भी कोई कम्पनी इस परिभाषा के क्षेत्राधिकार में आ जाए, तो इसे इस अधिनियम के अन्तर्गत रुग्ण माना जाएगा तथा ऐसी रुग्ण कम्पनी के लेखापरीक्षित लेखाओं को अन्तिम रूप दिए जाने के साठ दिनों के अन्दर उस कम्पनी के निदेशकों द्वारा बी० आई० एफ० आर० को इस बारे में सूचना दी जाएगी। यह अधिनियम के अन्तर्गत अनिवार्य है। इस तरह से, इसका अर्थ हुआ कि यदि सरकारी क्षेत्र की कोई कम्पनी वित्तीय परिभाषा के रूप में इस अधिनियम के क्षेत्राधिकार में आती है, यदि लेखापरीक्षित लेखे यह दर्शाएं कि कम्पनी की यह हालत है तब निदेशक मंडल को यह मामला बी० आई० एफ० आर० को सौंपना पड़ता है। वास्तव में, सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकार और आवश्यक हो तो कोई अनुसूचित बैंक अथवा इस देश में कार्यरत कोई सरकारी वित्तीय संस्था भी मामले को बी० आई० एफ० आर० को सन्दर्भित कर सकते हैं।

इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने जानबूझकर सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को इस अधिनियम

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा है। श्रीमन् कारण यह है कि सरकारी क्षेत्र को कतिपय फायदों और घाटों को आकलित करते हुए स्थापित नहीं किया गया था। सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को इस देश के विकास सम्बन्धी आर्थिक नीति की कतिपय प्राथमिकता पूर्ण आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए स्थापित किया गया था। नीति अब बदल सक्ती है। यह एक भिन्न मामला है। अब कोई नीति विश्व बैंक अथवा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित किए जाने से भिन्न नीति हो गई हो। लेकिन इन समूचे वर्षों में नीति यह थी कि जिन क्षेत्रों में देश में आधारभूत ढाचां नहीं था—भारी उद्योगों में, रक्षा सम्बन्धी उद्योगों में और जहां ये उद्योग स्थापित न करने से हम खतरनाक रूप से विदेशों पर आश्रित हो जाते, वहां सरकारी क्षेत्र की कम्पनियां स्थापित करने की आवश्यकता थी। अतः ये कम्पनियां स्थापित की गई। इसीलिए उनका आकलन मात्र उनके फायदे या घाटे को देखकर नहीं करना चाहिए जैसाकि निजी कम्पनियों के मामले में होता है। अर्थव्यवस्था में उनके स्थान और आर्थिक विकास में उनके समग्र योगदान को ध्यान में रखना पड़ता है।

इसे कहने का मेरा कारण है। निःसंदेह, सरकारी क्षेत्र की कुछ कम्पनियों को घाटा हो रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है लेकिन पहले यह देखा जाए कि यह घाटा क्यों हो रहा है, इस घाटे के लिए उत्तरदायी कारण क्या हैं, क्या इन्हें सुधारा जा सकता है अथवा नहीं तथा क्या रुग्णता से बचाया जा सकता है अथवा नहीं। इस रुग्णता के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। देखिए, इसमें अनुकम्पा का कोई प्रश्न तो है नहीं जैसाकि मेरे मित्र श्री जसवन्त सिंह कल विवाद कर रहे थे। यह मानवीय अनुकम्पा का प्रश्न बिल्कुल नहीं है। पिछले 10 वर्षों में लगभग ढाई लाख से तीन लाख औद्योगिक इकाइयों को बंद किया गया है। वे सरकारी क्षेत्र की इकाईयां नहीं है। वे गैर-सरकारी क्षेत्र के एकक है। लगभग तीन लाख एककों को बन्द किया गया है। हमारी सरकार की अनुकम्पा ऐसी है कि श्रम मन्त्रालय उन श्रमिकों की संख्या के सम्बन्ध कोई जानकारी अथवा आंकड़ा तक नहीं दे सकता जिनकी नौकरी इन तीन लाख एककों के बन्द करने से चली गई है। यदि आप अनुकम्पा की बात कर रहे है, तो मैं पूछता हूं कि उन मामलों में अनकम्पा कहां चली गई? वे तो आपको इतना तक बताने के लिए कोई आंकड़ा भी नहीं रखते कि इन एककों के बन्द हो जाने से कितने लोग नौकरी से बाहर हो गए हैं।

इस देश में अनुकम्पा का क्या अर्थ है जहां मानव जीवन सबसे सस्ती चीज है और जहां कोई भी मानव जीवन की परवाह नहीं करता? हमें मालूम है कि इस देश में प्रतिदिन क्या हो रहा है? इसलिए अनुकम्पा की बात मत कीजिए। हम अनुकम्पा को ध्यान में रखकर तो बिल्कुल नहीं चल रहे।

सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों के बारे में प्रश्न यह है जब कभी भी कोई आशंका हो कि वे घाटे में जा सकते हैं अथवा किसी भी कारणवश यदि वे उस ढंग से कार्य नहीं कर रहे जिस ढंग से उन्हें करना चाहिए तो क्या घाटे के कारणों का पता लगाने के लिए कोई तंत्र बनाने और उन्हें सुधारने का कार्य सरकार का नहीं है ताकि उन्हें रुग्ण होने से बचाया जाए? लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया है।

अधिनियम में निर्धारित मानदण्ड के अनुसार बी०आई० एफ० आर० को मामला तभी सौंप जाता है जब कोई कम्पनी रुग्ण घोषित कर दी जाए, न कि उसके रुग्ण अवस्था में पहुंचने से पहले। कोई एहतियाती कदम नहीं उठाया जाता। श्री संगमा ने जो कहा है, अभी किसी सदस्य ने उसका हवाला दिया था। दूसरे दिन श्रमिक संघों के साथ बैठक में श्री संगमा ने वचन दिया था कि इन मामलों के बी० आई० एफ० आर० अथवा कहीं और जाने से पहले इनकी जांच एक त्रिपक्षीय समिति करेगी जिसमें श्रमिक संघों के प्रतिनिधि नियोक्ता और सरकार शामिल होगी। मैं मानता हूं कि उन्होंने सरकार की तरफ से यह बात कही है और मुझे आशा है कि वित्त मन्त्री इससे अवगत होंगे। उन्होंने वचन दिया था कि जांच

समिति की तरह की यह त्रिपक्षीय समिति गठित की जाएगी और यह मामलों को बी० आई० एफ० आर० में जाने से पहले उसकी जांच करेगी। लेकिन इस समिति के सम्बन्ध में अभी कोई घोषणा नहीं की गई है। यह कब से कार्य करना शुरू करेगी ? इसकी क्रियाविधि क्या होगी ? इसमें कितने व कौन लोग होंगे ? हमें इस बारे में कुछ पता नहीं है।

मेरा प्रश्न यह है कि इन अधिकतर मामलों में घाटों के कारणों का पता लगाने के लिए कोई गम्भीर प्रयास नहीं किए गए हैं। वे कौन से कारक हैं जो इन घाटों के लिए जिम्मेदार हैं। मुझे ऐसे बहुत से मामलों की जानकारी है जिनके सम्बन्ध में यदि समय रहते कार्यवाही की गई होती तो घाटों से बचा जा सकता था। लेकिन इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं किया गया है। मेरे पास समयाभाव है लेकिन मैं संक्षिप्त में दो या तीन उदाहरणों का उल्लेख करना चाहूंगा।

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० आई० डी० पी० एल० का उदाहरण लीजिए। इसकी सारे भारत में अनेक शाखाएं हैं। शुरू में इसे सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया था क्योंकि यह महसूस किया गया था कि हमें केवल गैर-सरकारी उन फार्मास्यूटिकल्स और ड्रग्स कम्पनियों तथा सुविख्यात बहुराष्ट्रीय शाखाओं पर ही निर्भर नहीं होना चाहिए जो इस देश में कार्य कर रही है और जो बाजार पर नियन्त्रण करना चाहती हैं। इस तरह से आई० डी० पी० एल० स्थापित की गई थी।

महोदय, केन्द्रीय राज्य सरकार के अधिकांश अस्पतालों तथा औषधालयों में आप पाएंगे कि उनके स्टाक में आई०डी०पी०एल० द्वारा निर्मित दवाइयां नहीं रहतीं। क्या कभी उनको कोई निर्देश दिए गए थे ? यदि आप किसी दवा की दुकान पर कोई विशेष दवा खरीदने जाएं, तो आपको अन्य कम्पनियों द्वारा निर्मित दवाइयां मिल जाएंगी पर आई०डी०पी०एल० द्वारा निर्मित, दवाई नहीं मिलेगी। स्टाकिस्ट आपको कहेंगे "क्षमा करें, हम आई०डी०पी०एल० की दवाइयां नहीं रखते हैं।" मुझको यह तजुर्बा है। परन्तु क्यों ? क्योंकि आई०डी०पी०एल० एक सार्वजनिक क्षेत्र कम्पनी है जो दवाइयों के दुकानदारों को अपना स्टाक रखने के लिए अतिरिक्त कमीशन नहीं दे सकती। परन्तु निजी क्षेत्र की कम्पनियां दे सकती हैं। अत: वे घाटे में क्यों नहीं चलेंगे।

इस्पात का मामला लीजिए। मुझे कई बार बताय गया है कि दक्षिण कोरिया में इस्पात का उत्पादन काफी कम लागत पर किया जा रहा है। परन्तु हमारे देश में सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों द्वारा निर्मित इस्पात पर सबसे ज्यादा उत्पादन शुल्क का भार है। मैं नहीं समझता कि दक्षिण कोरिया तथा अन्य देशों में इस्पात जैसी वस्तु पर हमारे देश के जैसे इतनी ज्यादा उत्पादन शुल्क लगती है। यदि इस उत्पादन शुल्क को कम किया जाए अथवा समाप्त किया जाए तो हम इस्पात को काफी कम कीमतों पर बाजार में ला सकेंगे। अत: यह कहना कहां तक उचित है कि वे घाटे में चल रहे हैं।

भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स का उदाहरण लीजिए, यह तीसरे विश्व की एकमात्र कम्पनी है जिसके पास बिजली के सभी उपकरणों का उत्पादन करने की क्षमता है। हमें इस पर गर्व करना चाहिए। परंतु अब क्या हो रहा है ? जिस पावर सेट को जिसे भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स बनाती रही है तथा जिसके पास बनाने की क्षमता है, उसी के लिए उसने जर्मनी की एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी साईमन के साथ सहयोग समझौता किया है। विद्युत उपक्रमों तथा राज्य विद्युत निगमों के प्रबन्धकों की यह मानसिकता है कि वे बी०एच०ई०एल० द्वारा निर्मित उपकरणों को नहीं खरीदेंगे। वे हमेशा विदेशों में निर्मित चीजों को खरीदना चाहते हैं। अब ये आर्डर कम हो रहे हैं और अब तो हैं ही नहीं।

श्री मुरली देवरा : उनकी गुणवत्ता घटी है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : गुणवत्ता का मुद्दा नहीं है। प्रत्येक शिकायत वाले मामले की जांच तथा परीक्षा की गई तथा यह पाया गया कि गुणवत्ता एकदम अच्छी है।

अब मैं कुछ संक्षिप्त में अपने विचार रखना चाहता हूं। विशाखापत्तनम में स्थित हिन्दुस्तान शिपयार्ड का मामला लीजिए। हमारे पास यही एकमात्र प्रमुख शिपयार्ड है। हम हर वर्ष 2400 करोड़ रुपया विदेशी जहाज मालिकों को नौवहन प्रभार देते हैं। हमारे पास सामान को ले जाने के लिए अपने जहाज नहीं हैं। हमारा अधिकांश व्यापार विदेशी जहाजों द्वारा होता है। नौवहन प्रभार के रूप में 2400 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष खर्च किए जाते हैं। क्या यह आवश्यक नहीं है कि सार्वजनिक क्षेत्र जहाज निर्माण के क्षेत्र को विकसित करे ताकि हम लोग आत्मनिर्भर बन सके तथा हमारे पास काफी जहाज हों।

विशाखापत्तनम शिपयार्ड मुश्किलों में चल रहा है, परन्तु किसकी गलती से? इसे बी०आई० एफ०आर० के पास क्यों भेजा गया? क्या विश्व में जहाज निर्माण में मन्दी चल रही है जिसके परिणाम-स्वरूप जहाज निर्माण का कार्य पिछड़ रहा है? इतना ही नहीं, हमारे देश में इस सम्बन्ध में समुचित आर्डर भी नहीं मिल रहे हैं तथा सरकार द्वारा जो कीमतें तय की गई हैं वे बिल्कुल ही लाभदायक नहीं हैं। ये ही वे कारण हैं जिसके परिणामस्वरूप शिपयार्ड घाटे में चल रहा है। क्या इस विधेयक को पारित करने से पूर्व, इन तथ्यों को जानने की कोशिश की गई है तथा इनके सुधार हेतु कोई उपाय किये गये हैं?

यह विधेयक निदेशक मण्डल को हर मामले में अपनी जिम्मेदारी से बचायेगा तथा कहेगा कि "इसे बी०आई०एफ०आई० के पास भेज दो?" मैं इसके विरोध में हूं। सरकारी तथा निजी क्षेत्र को एक समान नहीं देखा जाना चाहिये। यही कारण है कि श्री संगमा को उस बैठक में मजदूर संघों ने बाध्य किया कि वे उन मामलों को बी०आई०एफ०आर० के पास भेजने से पूर्व उनकी जांच समिति से जांच कराएं।

इस अधिनियम में और कुछ प्रावधान नहीं हैं। और प्रबन्धकों के लिए यह जरूरी हो गया है कि जैसे ही अधिनियम के मानदण्ड के तहत मामला ठीक बैठे, उसे बी० आई० एफ० आर० के पास भेजा जाये।

महोदय, अब मैं सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति दृष्टिकोण के प्रश्न पर आता हूं। मेरे विचार से यह दृष्टिकोण पूर्णत: नकारात्मक तथा राष्ट्र के विरुद्ध है। कुछ ऐसी कम्पनियां होंगी जो इतने ज्यादा घाटे में चल रही हैं और जिनको पुन: सुधारा नहीं जा सकता है। उनका पता लगाया जाना चाहिए। मजदूर संघ निश्चित रूप से सहयोग करने के लिये तथा इन मामलों के सम्बन्ध में क्या किया जाना चाहिए, उसके लिए तैयार हैं। परन्तु सार्वजनिक प्रावधान बनाए जा रहे हैं कि निदेशकमंडल की जिम्मेदारियों को खत्म करो तथा उसे बी०आई०एफ०आर० के पास भेज दो।

इसलिए हम इसके पूर्ण विरोध में हैं। यही वह तरीका है जिसके द्वारा वित्त मन्त्री जी ने बैंकाक में घोषणा की कि जो इकाइयां घाटे में चल रही हैं तथा जिनको चलाया नहीं जा सकता है उन्हें बन्द कर दिया जाना चाहिए। अपने पर जिम्मेदारी लेने के बजाए वे इसे बी० आई० एफ० आर० पर टालना चाहते हैं, जो कि सर्वविदित है यही कहेगा कि इसको समाप्त कर दो, बन्द कर दो और सरकार इसे मानकर यही कहेगी कि हम क्या कर सकते हैं। बी०आई०एफ०आर० एक विशेषज्ञ निकाय हैं तथा उसने यह कहा है कि इसे बन्द किया जाना चाहिए। बी०आई०एफ०आर० को चलाने वाले लोगों के दिमाग के क्या सरकारी क्षेत्र के लिए कोई विचारधारा, जागृति है? इसमें मुझे सन्देह है।

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : ऐसा क्यों है ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यही तो मसला है ।

श्री मनमोहन सिंह : अभी-अभी आपने माननीय सदस्य को बी०आई०एफ०आर० के चेयरमैन की प्रशंसा करते हुए सुना ।

श्री चित्त बसु : उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि बी०आई०एफ०आर० के चेयरमैन ने बन्द करने के कारणों के बारे में कुछ टिप्पणियां की थीं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उस चेयरमैन के लिए अच्छा है कि वह अधिक वक्तव्य न दें अन्यथा वे अपनी नौकरी गंवा बैठेंगे । मुझे पता है, मैं श्री गणपति को जानता हूं । वे ज्यादा टिक नहीं सकेंगे यदि वे इस प्रकार के वक्तव्य देते ही रहें । जिन इकाइयों को बन्द किया जाना है उनके कर्मचारियों का क्या होगा ? यह सहानुभूति का प्रश्न नहीं है । जहां कर्मचारियों तथा मजदूर संघों को इस मामले में सरकार पर, वर्तमान व्यवस्था पर विश्वास नहीं है तो उन कर्मचारियों का क्या होगा जो इन बन्द होने वाली इकाई में कार्यरत हैं ।

हमारे देश में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके द्वारा फालतू कर्मचारियों फालतू कर्मचारी कई इकाइयों में होंगे—को पुनः नियुक्त किया जा सके । उनको, यदि जरूरी हो, तो समुचित प्रशिक्षण भी दिया जा सकता है ।

हमें 'सेफ्टी नेट' के बारे में बताया गया है । इसे 'सेफ्टी नेट' कहा जा रहा है अतः वे इसको उपलब्ध करा रहे हैं । इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया । इसकी कोई परिभाषा नहीं की गई है । यह कैसे चलेगा ? आप लोग एवजी कार्य कहां से दे सकेंगे ? आप उनके लिए वैकल्पिक रोजगार कहां से ढूंढेंगे ? आप उन्हें प्रशिक्षण कहां देंगे ? क्योंकि आपको आई०एम०एफ० से पैसे मिल रहे हैं जोकि आपको उन्हें बन्द करने के कार्य को तेज करने हेतु प्रोत्साहन के रूप में है, इसका यह अर्थ नहीं है, कि इन कर्मचारियों की समस्या पर स्वतः ही विचार हो जाएगा उन्हें पुनः नौकरी में लगाना होगा, जो वास्तव में फालतू हो गए हैं । जिन नये कामों में उनको लगाया जायेगा, यदि आवश्यकता समझी जाती है तो उस कार्य में उन्हें प्रशिक्षण भी देना होगा । परन्तु क्या हमारे पास ऐसी कोई अर्थव्यवस्था है ?

श्री मनमोहन सिंह : हम उसकी उम्मीद कर सकते हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप बातों में किसी भी चीज की उम्मीद कर सकते हैं । कृपया आप बताइए किन-किन लोगों को पुनः नौकरी दी जाएगी, क्या उनके लिए रोजगार है । कहां हैं ? ऐसा प्रयत्न किया जा रहा है कि कम लोगों द्वारा अधिक काम किया जाए । आप सभी तरफ श्रमिकों की संख्या कम कर रहे हैं । आप श्रमिकों की संख्या का विस्तार नहीं कर रहे हैं । आपकी सम्पूर्ण नीति यही है कि मजूरी श्रमिक लागत की बचत हो ।

अतः यह कोई तरीका नहीं है । ऐसा कोई युक्तसंगत तरीका तथा प्रणाली नहीं है, जिसके द्वारा इस तथाकथित 'सेफ्टी नेट' का संचालन किया जा सके । आज तक मैं केवल इसके बारे में सुन ही रहा हूं । परन्तु किसी ने भी इसके बारे में, कि यह कैसे चलेगा, बताने की जरूरत समझी । इस विधेयक पर किसी भी श्रमिक का विश्वास नहीं है । मैं जानता हूं कि वे यदि हटाये जाते हैं तो वे मुआवजा के पात्र होंगे । यह पहले से ही विधान में है । हर श्रमिक इसका पात्र है ।

यदि उन्होंने अपनी भविष्य निधि या सेवानिवृत्ति उपदान में कुछ धन बचाया है तो निःसन्देह

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

वह धन उन्हें मिलेगा ही। कोई उसे उनसे छीन नहीं सकता है। लेकिन यह सहानुभूति का प्रश्न है जैसा कि श्री जसवन्त सिंह जी यहां तर्क दे रहे थे। मैं आपकी सहानुभूति नहीं जानता। मैं तो उन मजदूरों के लिए न्याय की मांग कर रहा हूं जिन्हें बिना उनके किसी दोष के नौकरी से निकाल दिया गया है जिसका कारण है आप कुछ नीतियों का कार्यान्वियन करना चाहते हैं। तो इसी असंदिग्ध परिस्थितिवश वह आम हड़ताल की गई। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने मजदूरों के मन में शंका की यह दहशत बिठा दी कि उनके भविष्य में बारे में कोई प्रावधान किए बिना कल न जाने उनका क्या हो जाए। आज उनकी स्थिति काफी संत्रस्त एवं डांवा-डोल है और वे नहीं जामते की उनकी नौकरी की सुरक्षा का क्या होगा। इस लिये इस स्थिति से निपटने का यह तरीका नहीं है।

जहां तक नौकरी की सुरक्षा और बचाव का प्रश्न है, जब तक सरकार कोई बात स्पष्ट नहीं कर देती है तब तक हम केवल शब्दों में ही इस पर स्वीकृति प्रदान करने वाले नहीं हैं।

जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को बन्द करने का प्रश्न है, हम इसके लिए तैयार नहीं है जब तक कि कोई ऐसा तरीका ढूंढ़ नहीं निकाला जाता जिससे कि इस प्रकार के घाटे के कारणों का पता लगाया जा सके।

इन्दिरा गांधी के समय से ही जब श्री प्रणव मुकर्जी वित्त मंत्री थे हम मांग करते आ रहे हैं, लेकिन हर बार हमें बताया जाता था कि एक सम्मेलन बुलाया जाएगा, पहले से ही पेपर तैयार किए जाएंगे और मजदूर संघों तथा नियोक्ताओं को भी बुलाया जाएगा और वे उन कारणों का गहराई से अध्ययन करेंगे जिसके कारण इन विशिष्ट उपक्रमों में नुकसान हो रहा है लेकिन यह सम्मेलन कभी भी नही बुलाया गया। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है और न ही कभी होगा। मैं कहता हूं कि ऐसा कभी नहीं किया जायेगा। क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में होने वाले अपव्यय और भ्रष्टाचार के कारण क्योंकि होने वाली चोरियों, प्रबन्धकों और निजी ठेकेदारों के बीच होने वाली मिलीभगत को श्रमिक संघ प्रकट करना चाहते हैं। क्योंकि हम सार्वजनिक क्षेत्र की सफलता चाहते हैं, लेकिन आप नहीं चाहते कि ये बातें उजागर हों। इसीलिए कोई अध्ययन नहीं किया गया। अतः, घाटे के नाम पर इस प्रकार सरकारी एककों कतले आम की अनुमति नहीं दी जा सकती है और अगर जरूरी हुआ तो श्रमिक वर्ग अपनी पूरी ताकत से दुबारा इसका विरोध करेगा।

और इसीलिए मैं वित्त मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं इन सब बातों को लेकर असंगत ढंग से कोई कार्य न करे कि परिणाम फिर जो चाहे निकले। आप इस पूरे ढांचे को इतनी बेदर्दी से मटिया-मेट न कर दें जिसके बनाने के लिए कई वर्षों तक काफी मेहनत और प्रयास करना पड़ा है। मैं यह नहीं कहता कि प्रत्येक इकाई को वैसे ही संरक्षित रखा जाए जैसे कि आज उसकी स्थिति है क्योंकि कई चीजें इसमें घुस आई हैं, निसन्देह, मैं उनको मानता हूं लेकिन यह सामान्य बात है जिसकी हमने यहां प्रस्तावना की है।

कृपया कर निदेशक मंडल को पूरी शक्तियां सौंप दीजिए। जिस क्षण उन्हें किसी खास इकाई से सजगता का आभास हो उसे औद्योगिक और वित्तीय पुर्ननिर्धारण बोर्ड को सौंप दें और यह बोर्ड किसी गैर सरकारी फर्म को इसे सौंपने के लिए सलाह दे सकता है किसी दूसरी गैर-सरकारी फर्म के साथ मिला सकता है जिसको वे उचित समझे या बन्द कर सकता है कुछ भी कर सकता है। हम क्यों इन सब बातों के सामने घुटने टेकें ? सार्वजनिक क्षेत्र को इसीलिए नहीं बनाया गया था।

मेरे विचार से मेरे कई कांग्रेसी मित्र जो आत्मनिर्भरता, अपने संसाधनों पर निर्भर रहने और उस सार्वजनिक क्षेत्र के निर्माण को जो हमें विदेशी स्रोतों पर निर्भरता से मुक्त रखे के इस दर्शन में विश्वास रखते हैं उन्हें भी इस प्रकार के तरीकों का विरोध करना चाहिए। अगर आज आप इसका विरोध नहीं करते हैं तो कल उन्हें इस पूरे के पूरे सार्वजनिक क्षेत्र को नष्ट करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा और कुछ बातें ऐसी हैं जो देश के हित में नहीं हैं। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं और मन्त्री महोदय से इस विधेयक पर अब भी पुर्नविचार करने का अनुरोध करते हैं और यह भी अनुरोध करते हैं कि वे इस विधेयक पर सिर्फ इसलिए जोर न दें कि उनके विचार में कोई ऐसा विधेयक है जिसे किसी और की ओर से अवश्य पारित किया जाना चाहिए, इसलिए मैं इस विधेयक का पूरी तरह से बिना किसी खर्च के विरोध करता हूं और मैं सभी सदस्यों से अपील करता हूं कि वे इस विधेयक का समर्थन न करें।

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : उपाध्यक्ष जी, मैं आभारी हूं कि वित्त मंत्री जी ने सदन में जो रूग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है, उसके सम्बन्ध में अपने और अपनी पार्टी के विचार रखने का आपने मौका दिया। इस सदन में हर विचार के लोग हैं। वित्त मंत्री जी केन्द्रीय शासन की तरफ से जो बिल सदन में लाये हैं, मैं कहना चाहता हूं कि 40 साल से कांग्रेस इस देश में समाजवाद को एक्सैप्ट करके चलती आई है और इस देश में उसने मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया है, जिसके अन्तर्गत यह भी आता है कि हम सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा देंगे। विश्व के रंगमंच पर समाजवाद बनाम साम्राज्यवाद का जो बहुत दिनों से संघर्ष हो रहा था, आज वह दिन आ गया है कि जिस समाजवाद के सिद्धांत के सर्वे-सर्वा की मान्यता रूस देश को मिली थी, और जो विश्व की बड़ी शक्तियों में एक था, आज वह बिल्कुल फेल हो रहा है, समाजवाद का सिद्धांत बिल्कुल फेल हो रहा है।

यहां अभी कहा गया कि जवाहर लाल नेहरू के समय से ये सारी चीजें आयीं, यह जवाहर लाल नेहरू की विचारधारा थी और उस समय ऐसी बातें हुई थीं। अगर बड़े-बड़े उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में न खोले गये होते तो शायद इस देश में उतना विकास न हुआ होता, जितना विकास हम कर चुके हैं। किन्तु समय की देन है, आवश्यकता विकास की जननी होती है। सारी चीजों का विवेचन करने के बाद, हमें खुशी है कि आज केन्द्र में जो सरकार सत्ता में है, उसने सोचा कि अगर हम इसमें संशोधन नहीं करते हैं तो इस देश में किसान और मजदूर दो ही वर्ग प्रमुख हैं, सारे हमारे नेता, सब लोग मजदूर की दुहाई देते हैं, हम लोग भी मजदूर की दुहाई देते हैं, किन्तु उसी गांव में रहने वाले निहत्थे किसान की तरफ भी तो नजर डालिए कि आज उसकी क्या हालत है, किस स्थिति में वह पहुंच गया है।

किसान से टैक्स लेकर, करोड़ों रुपये वसूल करके, हम इस देश को चला रहे हैं, खर्चा करते हैं। यहां एक चीज मैंने पसन्द की। अभी गुप्ता जी ने कहा—कृता प्रयत्न: कार्यसिद्धम् न भवेत तत्र कुत्र दोषा:। इसका मतलब है कि अनेक प्रयत्न करने के बावजूद यदि कार्य सिद्ध न हो तो हमें पुन: देखना चाहिए कि कहां दोष है। यह बिल्कुल सत्य है। हमें सोचना चाहिए कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग आज क्यों रूग्ण हो गये, क्यों इतना पीछे जा रहे हैं। मैं यहां सिद्धांत की कोई बात नहीं कहता हूं केवल नीति परक अनुरोध आपसे कर रहा हूं। हमारे प्रदेश में चीनी मिलें बहुत हैं और सबसे प्रमुख उद्योग हैं। 38 चीनी मिलें निगम के जिम्मे हैं जोकि अरबों रुपये के घाटे में जा रही हैं और वहां की जो पद्धति है, उसके अनुसार जो वहां मैनेजर होकर जाता है वह लखपति होकर आता है और मान्यवर उसकी देखा-देखी जो प्राइवेट सैक्टर की मिले हैं, उनके लिए मैं एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं "पपलू", चीनी उद्योग में अगर एक ही क्वालिटी की चीनी सरकारी क्षेत्र में, निगम में वह साढ़े सात सौ रुपये प्रति

[श्री राम नगीना मिश्र]

बोरा बिकती है, तो बैटर क्वालिटी की चीनी प्राइवेट सेक्टर में सवा सात सौ रुपये प्रति बोरा बिकती है। हालांकि वे कागज में 725 रुपये ही लिखते हैं, लेकिन लेते 750 रुपये हैं। इस प्रकार से 15, 20 और 25 रुपये प्रति बोरा वे नम्बर दो का रुपया लेते हैं। मैं मंत्री जी से कह रहा हूं कि इसकी जांच करवाइये। "पपलू" शब्द को जो बड़े-बड़े चीनी मिल मालिक हैं, वे जानते हैं। देखादेखी दोनों तरफ लूट हो रही है। प्राइवेट सेक्टर में भी लूट हो रही है और सार्वजनिक क्षेत्र में भी लूट हो रही है। सार्वजनिक क्षेत्र में कौन लूट रहा है, आफिसर लूट रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना एक निजी सुझाव दे रहा हूं, कोई किताब की लिखी बात नहीं कह रहा हूं। एक्सपेरीमेंट के तौर पर, जैसे मिश्रित अर्थव्यवस्था इस देश में कायम की गई, ठीक उसी तरह से इस देश की जो रूग्ण चीनी मिले हैं, उनको एक्सपेरीमेंट के बेस पर दो-चार महीने के लिए मजदूरों को दे दिया जाये और उनको समझा दिया जाये कि अगर मुनाफा होगा तो उसमें भी उनका उतना ही हिस्सा होगा जितना सरकार का होगा और इसी प्रकार यदि घाटा होगा, तो उसमें भी वे बराबर के जिम्मेदार होंगे। इस प्रकार का एक्सपेरीमेंट दो-चार मिलों में किया जाये। अगर यह सफल हो जाता है, तो मान्यवर मैं समझूंगा कि यह सबसे बड़ी उपलब्धि होगी।

मान्यवर, मैं इस बात के हक में नहीं हूं कि सार्वजनिक उद्योग न पनपें। हो क्या रहा है? सच्चाई यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र में जो भी कम्पनी दे दी जाती है, वह समझो स्वाह हो गई। लोग समझते हैं कि सरकारी काम है, तनख्वाह लेते रहो, कोई काम मत करो। [अभी मैं एक मिसाल दे रहा हूं। हमें एक सूचना मिली अखबार से, सरकार की ही एक कपड़ा मिल है कानपुर में, वहां पर लूट हो रही है, यह रिपोर्ट मिली है कि 21 ट्रक स्पेयर पार्ट और लोहे वगैरह के बेचे गये, उनमें से एक ट्रक पकड़ा गया, जिसमें स्क्रैप के नाम पर मशीनों के पुर्जे आदि जा रहे थे। वहां पर कांग्रेस, समाजवादी दल और कम्युनिस्ट पार्टी, सभी नेताओं ने अपना बयान दिया है। अगर महोदय, आपकी इजाजत हो तो उसमें एक पैरा सुना दूं। उसमें लिखा है--

> "प्रमुख ट्रेड यूनियन नेताओं ने एक संयुक्त बयान के माध्यम से मांग की है कि एल्गिन मिल नं० एक में चोरी से बेचे जा रहे सामान की घटना की सी० बी० आई० द्वारा जांच करवाई जाये। बयान में एफ० आई० आर० में दर्ज मिल के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई तथा गिरफ्तारी की भी मांग की गई है।
>
> ज्ञातव्य है कि श्रमिकों ने स्क्रैप के नाम पर बेचे जा रहे लोहे में से मशीनों के तमाम स्पेयर पार्टस पकड़े थे। उन स्पेयर पार्टस की कीमत लाखों रुपये की आंकी गई है। बयान में यह भी कहा गया है [कि प्रबन्धकगण इसी तरह से मिलों में से चोरी करवाकर कारखानों को खोखला करने जा रहे हैं और कारखानों के घाटे की जिम्मेदारी श्रमिकों की बताई जाती है। बयान में नेताओं ने यह भी कहा है कि इस प्रकरण को संसद और विधान सभा में भी उठाया जायेगा।"
>
> यह न्यूज गई।

मान्यवर, मैं तो निवेदन करूंगा कि मंत्री जी से कम से कम इतना काम जरूर करवाएं कि जो चीनी मिलें और कपड़ा मिलें हैं या जितने भी ऐसे कारखाने हैं जो घाटे में जा रहे हैं, उसके क्या कारण हैं, इसकी जांच करवायें। आज मजदूर के लिए हम सब लोग परेशान हैं। हम भी चाहते हैं कि देश के किसान की कड़ी मेहनत की कमाई कब तक आप इसी तरह से फूंकते रहियेगा, कब तक देते रहियेगा?

मान्यवर, अभी हमें एक बयान मिला है। कपड़ा मंत्री ने बयान दिया था कि कपड़ा मिलें बन्द होने से डेढ़ लाख मजदूर बेकार हो जायेंगे। आपकी अनुमति से मैं इस बयान से उद्धृत करना चाहता हूं—

"श्री गहलोत ने बताया कि सितम्बर 91 तक देश में 275 कपड़ा मिलें बीमार उद्योग की श्रेणी में थीं। इनमें 68 कताई मिलें हैं। जांच पड़ताल के बाद बीमार मिलों में 39 को पुनः चालू करने योग्य पाया गया है, लेकिन इनमें कब तक उत्पादन शुरू होगा, यह नहीं बताया जा सकता है।"

मजदूरों के पुनर्वास पर इस वर्ष नवम्बर के प्रारम्भ तक 35 करोड़ 96 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। लगभग 53 करोड़ 65 लाख रुपये और खर्च का अनुमान है। यह रुपया कहां से आया। यह किसानों के खून-पसीने की कमाई है, दिया जा रहा है। मरीज को दवा अच्छा होने के लिए दी जाये न कि उसका दुरुपयोग हो। सैंकड़ों मिलें बन्द होती जा रही हैं, पता नहीं कितने सालों से बन्द होती जा रही हैं। क्या शासन को इसकी फिक्र नहीं थी? उसे देखना चाहिए। यह स्थिति हमारे देश में ही नहीं है यह समूचे विश्व में है। आज समूचे विश्व के रंगमंच पर यह सिद्ध करना है कि सचमुच सार्वजनिक क्षेत्र में काम अच्छा होगा कि निजी क्षेत्र में, खासतौर से हमारे भारतवर्ष में। हमारे वित्त मंत्री जी जो बिल लाए हैं और उसमें संशोधन दिया कि औद्योगिक बोर्ड को सौंपा जाएगा, चलने लायक मिलों को चलाया जाएगा बन्द नहीं किया जाएगा, यह बिल्कुल ठीक है।

चीनी मिलों के जितने बड़े-बड़े उद्योगपति हैं, क्या मंत्री जी दिखायेंगे कि एक ही क्वालिटी की चीनी सरकारी मिल में अधिक रेट पर बेचते हैं और प्राइवेट सेक्टर में कम रेट पर बेचते हैं? इसका क्या कारण है। मैंने दो मिसाल दी हैं—एक तो कानपुर कम्पनी की मिसाल और एक चीनी मिल की मिसाल। ठीक उसी प्रकार से गोरखपुर खाद का कारखाना है। अरबों रुपये का कारखाना है, कई सालों से पड़ा हुआ है बीस लाख मजदूरों को तनख्वाह देनी पड़ती है। यह रुपये का दुरुपयोग क्यों हो रहा है क्या आज तक सरकार ने उसकी जांच करवाई? अरबों रुपया खून-पसीने का किसान का रुपया है, यह हमारा आपका नहीं है। क्या कारण है कि दो साल से 30-30 लाख रुपया मजदूरों को बैठाकर तनख्वाह दे रहे हैं और मिलें बेकार पड़ी हुई हैं। मैं दो बातें कहूंगा—एक तो खाद के कारखाने के बारे में कि पूर्वांचल में केवल एक गोरखपुर का कारखाना है जिससे खाद उत्पादित होती थी और किसानों को लाभ होता था। वह पड़ा हुआ है। आप उसकी जांच करवायें, कारखाने का पूरा निर्माण करवायें और ऐसी व्यवस्था करवायें जिससे उसमें लूट न हो और काम ठीक से चले। दूसरी बात कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कई सौ चीनी मिलें हैं और चीनी का सबसे बड़ा उद्योग है। 38 चीनी मिलें निगम की हैं जो और बराबर के घाटे में जा रही हैं। कुछ पुरानी चीनी मिलें हैं जिनकी कैपेसिटी बहुत कम है, रिकवरी भी बहुत कम है। मैं कहना चाहूंगा कि रूग्ण कम्पनियों को यदि सरकार बन्द कर देगी तो किसानों का क्या होगा। मैं निवेदन करूंगा कि उत्तर प्रदेश की जितनी भी चीनी मिलें हैं, जिनकी कैपेसिटी कम है, जो घाटे में जा रही हैं, जो सरकार की देखरेख में चल रही हैं, उनका सर्वे करवाकर ढाई-तीन हजार टन की अधिकतम कैपेसिटी बनवायेंगे तो किसान का भी भला होगा और मजदूर का भी भला होगा। मजदूरों को बैठाकर तनख्वाह देने से तो अच्छा है कि कैपेसिटी बढ़ाकर मजदूरों से काम लिया जाये।

मैं हड़ताल की बात पर दो शब्द जरूर कहूंगा। जो कानून मन्त्री जी लाए हैं यह बहुत पहले लाना चाहिए था। अरबों रुपया नुकसान हो गया। देर आए दुरुस्त आए वाली कहावत सही उतरती है। इस पर अगर आन्दोलन हुआ तो कम से कम अरबों रुपया नुकसान होगा। हम निःसंकोच कह रहे हैं कि ट्रेड

[श्री राम नगीना मिश्र]

यूनियन का काम यह होना चाहिए कि वे यह समझें कि कम्पनी सोने की चिड़िया है। किसानों और मजदूरों के हकों के लिए अवश्य लड़ा जाये किन्तु कम्पनी को बरकरार रखा जाये। अगर घर ही जल गया तो हक या हिस्सा कैसे मिलेगा। हमारे देश के मजदूरों और किसानों की खून पसीने की कमाई का अरबों रुपया विकास कार्यों पर खर्च हुआ लेकिन उनको उसका पूरा लाभ नहीं मिला। आप देश को बचाइये। हड़ताल से समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। समस्याओं का समाधान मिल बैठकर डिसकस करने से ही सम्भव है और यही समय की मांग है।

जो वित्त मन्त्री जी ने इस सम्बन्ध में कानून पेश किया है, उसमें यह है कि औद्योगिक बोर्ड द्वारा इसकी जांच-पड़ताल होगी और अगर वे चलने लायक होंगे तो उन्हें चलाया जायेगा और साथ ही मजदूरों का भी समावेश किया जायेगा, मजदूरों को बेकार नहीं होने दिया जायेगा। आप हमें कई आश्वासन दे चुके हैं और आश्वासन देना भी चाहिए। देश के किसानों की तरफ आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। आप गांवों में जांकर देखें। वहां एक किसान की आमदनी दस रुपये रोज की भी नहीं है। उसको तो काम करने को ही नहीं मिलता है।···(व्यवधान)···हम ऐसा समझते हैं कि हमारे राज में किसानों और मजदूरों दोनों का राज रहेगा और दोनों ही उसमें सम्मिलित होंगे। भारतीय जनता पार्टी का यही आदर्श है। हर बात पर टीका-टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।

"अगर चाक है, दामन तो बैठ कर सिलो,
पेकिंग के दर्जियों से सिलाना नहीं अच्छा।"

समाजवाद का नारा कोई नया नारा नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति में "वसुधैव कुटुम्बकम्" की भावना बहुत पहले से ही विद्यमान है। हमारे यहां पहले से ही परम्परा है कि अपने पड़ोस के लोगों से पहले पूछों कि आपने खाया या नहीं।

"साईं इतना दीजिये जामे कुटुम्ब समाय,
आप न भूखा रह सके, अतिथि न भूखा जाये।"

यही हमारा पवित्र सिद्धान्त है। आपके समाजवाद से हमारा समाजवाद बहुत ऊंचा है।

मैं ऐसा समझता हूं कि हमारे वित्त मन्त्री जी ने बहुत सूझबूझ के साथ यह प्रस्ताव पेश किया है। मैं अपने समाजवादी भाइयों से यह कहना चाहूंगा कि समाजवाद का शिखर ढह रहा है। रशिया जाने पर ही नेहरू जी ने समाजवाद का नारा दिया और देश में सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी-बड़ी इकाइयों का निर्माण करवाया था। उसी लबूते पर समाजवादी व्यवस्था चल रही है। इसमें दोष हो सकते हैं जिनका निराकरण किया जा सकता है। जिस चीज से देश व समाज का भला हो, वही काम आप कीजिये।

अन्त में मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री शरद दिघे (मुम्बई उत्तर मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करने के पक्ष में खड़ा हुआ हूं जो सदन के समक्ष हैं। प्रथम दृष्टया यह बहुत साधारण और अहानिकारक विधेयक है। यह कहना उचित नहीं होगा कि सक्षम सार्वजनिक क्षेत्र कमजोर वित्तीय आधार पर नहीं बनाए जा सकते। अगर देश के बदलते औद्योगिक क्षेत्र के आर्थिकतंत्र में सार्वजनिक क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत

बनाए रखना हैं तो यह जरूरी है कि ये क्षेत्र समृद्धि बढ़ाने के स्रोत होने चाहिए। तथापि मैं अपने देश के श्रमिक वर्ग के दिमाग में उत्पन्न हुई शंकाओं के प्रति कुछ टिप्पणियां करता हूं। ऐसी आशंका है कि इससे कई सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी के बादल छा जाएंगे और ऐसी संभावना है कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बन्द करने के कार्य को उचित ठहराने के लिए बी० आई० एफ० आर० का प्रयोग कर सकती है। इसलिए मेरा सरकार से प्रथम आत्मनिवेदन और सुझाव यह हैं कि इन प्रावधानों को लागू करने से पहले मुख्य अधिनियम के उन उपबन्धों की पुनःसंरचना और पुनःप्रारूपण करना होगा जिनमें बी० आई० एफ० आर० की संस्थापना और कार्यों का उल्लेख किया गया है। यह विधेयक सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को मुख्य अधिनियम के अन्तर्गत ले आता है और इसके परिणामस्वरूप बी० आई० एफ० आर० मुख्य नियम बन जायेगा जो यह निर्णय लेगा कि क्या कोई सरकारी उपक्रम जीवनक्षम है या नहीं। अब मेरा अनुरोध है कि बी० आई० एफ० आर० की दृष्टि लेखाकार की है। इसलिए, मुख्य अधिनियम के अन्तर्गत परिभाषित रूग्ण उद्योग में केवल मात्र लाभ एवं हानि का उल्लेख किया गया है और उन्हीं आधारों पर किसी उद्योग को रूग्ण घोषित किया जाता है।

इसके बाद निदेशकों का कर्त्तव्य है कि वह इसे बी० आई० एफ० आर० को भेजें अथवा यहां तक कि केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, वित्तीय संस्थाएं, रिजर्व बैंक भी इन्हें बी० आई० एफ० आर० को भेज सकता है। परन्तु ऐसा लगता है कि बी० आई० एफ० आर० में उस उद्योग को पुनः चालू करने अथवा बन्द करने के प्रश्न पर विचार करने से पूर्व उस कम्पनी की वित्तीय स्थिति मुख्य विचारण होता है जोकि कम्पनी के सम्पूर्ण भविष्य का निर्णय करता है।

सर्वप्रथम, औद्योगिक वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड का गठन भी जैसाकि उस अधिनियम में बताया गया है कोई बहुत संतोषजनक नहीं है और इसमें सुधार करना होगा अथवा व्यावहारिक रूप से सरकार को कम से कम यह सुनिश्चित करना होगा कि श्रमिकों के प्रतिनिधियों को भी बी० आई० एफ० आर० में सम्मिलित किया जाए। इस समय इसमें एक सभापति और कम से कम 2 सदस्य हैं और 14 सदस्यों से अधिक सदस्य नहीं होते हैं और उसे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए अथवा आर्थिक, बैंकिंग, उद्योग, विधि, श्रम सम्बन्धी मामलों का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। मैं नहीं जानता कि इन श्रम सम्बन्धी मामलों के अन्तर्गत क्या शामिल है। परन्तु, मेरे विचार से इस समय किसी भी बी० आई० एफ० आर० में श्रमिकों के किसी भी प्रतिनिधि ने इनका प्रतिनिधित्व किया है और श्रमिकों में विश्वास उत्पन्न करने के लिए सरकार को सर्वप्रथम इसकी ओर ध्यान देना होगा तभी श्रमिकों के साथ न्याय किया जा सकेगा। किसी उपक्रम को बन्द करने अथवा उस कम्पनी को पुनः चालू करने पर विचार करने के लिए लेखाकार के इस दृष्टिकोण को नहीं अपनाना चाहिए।

मुझे कई उपक्रमों की जानकारी है और मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ऐसा ही एक उपक्रम है—नेशनल बाइसिकल कारपोरेशन बम्बई। उसमें सरकार की असफलता के कारण लगातार घाटा हो रहा है। इससे पूर्व, शायद बिरला अथवा पोद्दार की हिन्द बाइसिकल कम्पनी थी और इसके बाद उसका सरकार ने अधिग्रहण किया था। इस समय सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि सरकार ने जिन 58 सार्वजनिक उपक्रमों का उल्लेख किया है उनमें से कम से कम 46 उपक्रम ऐसे हैं जिनका सरकार ने स्वयं अधिग्रहण किया था। और उनका अधिग्रहण करने के बाद हमने उनके लिए क्या किया? हमें इस बात की जांच करनी होगी कि क्या इन रूग्ण उद्योगों के अधिग्रहण के पश्चात उन्हें सही ढंग से चलाने के लिए उपयुक्त उपाय किये गये थे अथवा नहीं और यदि ऐसा नहीं किया गया है तो स्वाभाविक रूप से उन्हें घाटा होगा

[श्री शरद दिघे]

और वे बी० आई० एफ० आर० के शिकंजे में आ जायेंगे और जिस उद्देश्य के लिए हमने उपक्रमों का अधिग्रहण किया था वह पूरा नहीं होगा।

मैं नेशनल बाइसिकल निगम का उल्लेख कर रहा था। इस कम्पनी को 1974 या 1975 में अधिगृहीत किया गया था और तब से उस कम्पनी को कच्चे माल की खरीद के लिए पर्याप्त पैसा नहीं दिया गया। जिसका परिणाम यह हुआ है कि मैंने वहां देखा कि पिछले 4-5 वर्षों से श्रमिक बेकार बैठे हैं। उनके पास कोई काम नहीं है। जब मैंने उनसे पूछा कि वे बेकार क्यों बैठे हैं तो श्रमिकों ने बताया कि उन्हें वेतन तो मिलता है परन्तु वहां पर कच्चा माल नहीं है। सरकार कच्चा माल खरीदने के लिए पूंजी नहीं देती है और कच्चे माल के अभाव में उत्पादन नहीं किया जा सकता। वास्तव में, इस समय बाइसिकल उद्योग सम्पूर्ण विश्व में फलता-फूलता हुआ व्यापार है। साइकिलों की अन्तर्राष्ट्रीय मांग है। लेकिन क्योंकि कच्चा माल नहीं दिया जाता है, तो श्रमिक कुछ काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस पहलू पर भी विचार करना होगा कि जब से इन कम्पनियों को अधिगृहीत किया गया है क्या हमने उनके लिए सही प्रबन्ध व्यवस्था की है।

कई बार केवल सेवानिवृत्त सेना अधिकारियों को प्रबन्ध निदेशक के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। उन्हें उस उद्योग के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होती है। अतः, इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या उन उद्योगों की सही प्रबन्ध व्यवस्था की गई थी और उन्हें इस कार्य के लिए समुचित मात्रा में कच्चा माल और पूंजी दी गई थी। यदि ऐसा नहीं किया गया था तो यह कहना बेकार है कि ये उद्योग घाटे में चल रहे हैं। जहां तक बी० आई० एफ० आर० का सम्बन्ध है तो वे उद्योग घाटे में चलेंगे और परिणामतः बेरोजगारी उत्पन्न होगी। अतः यदि हम संसाधन उत्पन्न करने वाले सार्वजनिक उपक्रमों के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं और केवल उन्हीं कम्पनियों को बन्द करना है जिनसे लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है तो हमें केवल लेखाओं के विचार से नहीं अपितु उन सबकी पहले सही परिप्रेक्ष्य में जांच-पड़ताल करनी होगी। इसके साथ ही साथ हमें उन श्रमिकों के लिए समुचित योजना भी बनानी होगी जो उस कम्पनी के बन्द होने के कारण बेरोजगार हो जायेंगे। जब तक इस विस्तृत योजना को इस सदन में, जनता के सामने नहीं रखा जाता तब तक श्रमिकों का विश्वास अर्जित नहीं किया जा सकता और उनमें सदैव ही गलत सूचनाएं तथा गलतफहमियां उत्पन्न होती रहेंगी। यह कदम एक प्रतिगामी कदम होगा। हमारे वित्त मन्त्री महोदय इस देश की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए जो कि बड़े ही कठिनाई भरे दौर से गुजर रही है, अच्छे प्रयोजन और ईमानदारी से समुचित कदम उठाने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसका अवश्य ही अधिकाधिक विरोध हो रहा होगा। यदि हम इन समस्याओं की ओर ध्यान नहीं देते हैं तो हमारे देश में भी वही स्थिति उत्पन्न होगी जैसाकि सोवियत संघ और कई अन्य पूर्वी यूरोप के देशों में उत्पन्न हुई है। अतएव, हमारी वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए शीघ्र ही कदम उठाने की अत्यन्त आवश्यकता है।

4.00 म० प०

जहां तक वित्तीय स्थिति का सम्बन्ध है हमें उसमें भी सुधार करना होगा। हमें यह भी देखना होगा कि हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कुशलता से चलें और उन्हें लाभ प्राप्त हो। परन्तु उनकी जांच करने से पूर्व, हमें एक अच्छे तंत्र का निर्माण करना होगा जिससे लोगों में विशेष रूप से कर्मचारी वर्ग में विश्वास उत्पन्न होगा जिससे कम से कम विरोध होगा। जहां तक इस कदम का सम्बन्ध है इससे

राष्ट्रीय स्तर पर मतैक्य उत्पन्न होगा। इस अधिनियम के अन्तर्गत ये सब तंत्र लाकर हम अपने वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने में समर्थ होंगे।

मेरा निवेदन है कि बी० आई० एफ० आर० जैसा ही कोई तंत्र, जिसका वित्त मन्त्री जी ने अपने भाषण में संकेत दिया था कि वह बी० आई० एफ० आर० अथवा उस जैसे ही निकाय का उल्लेख करना चाहेंगे, तो यह अच्छी बात होती। परन्तु उन्होंने इन सभी मामलों को बी० आई० एफ० आर० के अन्तर्गत लाना चाहा है और यदि ऐसा किया जाना है तो बी० आई० एफ० आर० के ढांचे में परिवर्तन करना चाहिये और यदि इस तरीके से इसका पुनर्गठन किया जाता है कि सार्वजनिक उपक्रमों को समुचित न्याय प्राप्त हो सके और जिन उपक्रमों को हम बन्द करना चाहते हैं उनका समुचित मूल्यांकन किया जा सके तो इससे कर्मचारी वर्ग में विश्वास की भावना उत्पन्न होगी। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव (मछलीपट्टनम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित कारणों से इस विधेयक का विरोध करता हूं। इस प्रकार के महत्वपूर्ण मामले पर, जिससे इस देश के लगभग 80-90 करोड़ व्यक्ति सम्बन्धित हैं, निष्पक्ष और जोशीला विचार-विमर्श एवं वाद-विवाद किया जाना चाहिए जोकि पार्टी लाइन पर नहीं होना चाहिए।

विधेयक का विरोध करने के कारण देने से पहले मैं उन मौलिक पहलुओं पर चर्चा करना चाहूंगा जिनके कारण भारत सरकार ने नई औद्योगिक नीति और वित्तीय तथा अन्य क्षेत्रों में कई परिवर्तन किए हैं। सबसे प्रमुख बात है विश्व बैंक की सलाह जो उसने इस महान देश का सच्चा मित्र होने के नाते दी है। इससे पहले भी इस माननीय सदन में औद्योगिक नीति पर चर्चा के समय अपने भाषण में मैंने इस बात की ओर ध्यान दिलाया था कि इससे पहले कि हम आगे चर्चा करें और इससे पहले कि हम सारे देश का उद्धार करें हमें कतिपय उपाय करने होंगे। मेरा निवेदन है कि पिछले चार महीनों से भारत सरकार ने व्यय में कटौती करने अथवा अब तक चली आ रही गड़बड़ियों को सुधारने के लिए कुछ नहीं किया है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि उन्होंने इस सम्बन्ध में कोई अनुदेश दिए हैं।

इससे पहले भी अपने एक भाषण में मैंने सुझाव दिया है कि यदि हम उप-मंडलीय अधिकारी के स्तर तक जीपों और कारों को उपलब्ध कराने के प्रावधान को समाप्त करते हैं तो उससे हम ईंधन, जिसका हम आयात करते हैं, की बचत करके लगभग 3-4 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा की बचत कर सकते है। मैं बताना चाहता हूं कि चीन में प्रथम श्रेणी का अधिकारी भी सार्वजनिक वाहन जैसे रेल, बस से यात्रा करता है और वे लोग साइकिल भी इस्तेमाल करते हैं। जब हम इतनी गम्भीर स्थिति में हैं तो फिर हमारे माननीय प्रधान मन्त्री जी तथा वित्त मन्त्री जी ने इस मामले में कुछ विभागों को अनुदेश क्यों नहीं दिये? परन्तु ये सारी जनता को अकथनीय दुखों तथा त्रासदी में डालना चाहते हैं, जिनमें कई लोगों को दिन में दो वक्त का खाना भी नहीं मिलता। परन्तु सरकार देश के 5 प्रतिशत कर्मचारियों को नहीं छूना चाहती है।

मैंने अपने कुछ मित्रों से पूछताछ की है तथा कुछ जानकारी इकट्ठी की कि विश्व बैंक ने लाइसेंस प्रणाली को समाप्त करने, तथा रुकावटों व खामियों को इस हद तक समाप्त करने अथवा रोकने हेतु राय दी थी जिससे वे लाभान्वित हों। मैंने बुद्धिजीवियों तथा अर्थशास्त्रियों को एक प्रश्न पूछा : "और कोई राय दी गई"? उन्होंने कहा कि उन्होंने खराब प्रशासन, राजनैतिक पदों में व्याप्त भ्रष्टाचार, नौकरशाही, प्रेस तथा न्यायपालिका के लिए कोई और सुझाव नहीं दिया है। यदि ये वास्तव में हमारे मित्र

[श्री के० पी० रेड्डय्या यादव]

होते, हमारी सहायता करना चाहते, यदि हमारे देश को विश्व के अग्रणी देशों में रखना चाहते तो वे सुझाव दे सकते थे कि "वित्त मन्त्री महोदय, आप अमुक-अमुक राज्य के मुख्य मन्त्री, अमुक-अमुक उपक्रम के सी० एम० डी० (मुख्य प्रबन्ध निदेशक), अमुक-अमुक संगठन पर जहां भ्रष्टाचार व्याप्त है पर निगरानी रखें ताकि आप सार्वजनिक क्षेत्र के एककों को ठीक कर सकें या किसी इस्पात मिल को सुधार सकें, आदि। परन्तु इन लोगों ने कभी भी ऐसा सुझाव नहीं दिया। उन्होंने उसी हद तक सुझाव दिया, जिसके परिणामस्वरूप वे हमें लूट सके। मैं आपके विश्व बैंक के लोगों का नमन करता, तथा अपने वित्त मन्त्री जी श्री मनमोहन सिंह के महत्वपूर्ण सुधारों का समर्थन करता यदि इन लोगों ने हमारे हर क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के उखाड़ने हेतु भी साथ साथ सुझाव दिये होते। अत: सबसे पहले मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है कि ये वास्तव में हमारे मित्र नहीं हैं। वे हमें मुसीबतों में डाल देंगे, उन्होंने कई देशों को परेशानियों में डाला है। आप उदाहरण ले सकते हैं। अतः महोदय, मैं इन सब बातों में ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं।

4.04 म० प०

[श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य पीठासीन हुईं]

अब मैं सार्वजनिक क्षेत्र की एक इकाई के बारे में कुछ कहना चाहता हूं ताकि आप अन्य उपक्रमों के बारे में कुछ राय बना सको। उदाहरण के लिए आप हैदराबाद के बी० एच० ई० एल० को ही लीजिए। यह सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े उपक्रमों में से एक ऐसा विशाल उपक्रम है जिसने 1978 तक करोड़ों रुपये का लाभ अर्जित किया। इसमें 10,506 लोग कार्यरत हैं। जिनमें 5000 श्रमिक हैं तथा 5500 पर्यवेक्षक संवर्ग अर्थात अधिकारी, प्रबन्धक, उप-प्रबन्धक, निदेशक उप-निदेशक आदि हैं। इनका कार्यालय दिल्ली में स्थित है। वास्तव में ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग 500 मेगावाट क्षमता के गैस टरबाइन सेटों का उत्पादन कर रहे हैं जिनको एन० टी० पी० सी०, इस्लामी देशों तथा राज्यों के विद्युत बोर्डों में लगाया गया है ये गैस टरबाइन, सीमेंन तथा एल० एण्ड टी० की कम्पनियों में निर्मित उत्पादकों के बराबर कार्य कर रहे हैं। तब ये घाटे में क्यों चल रहे हैं? सही कारण यह है कि इन 5500 अधिकारियों ने सीमेन तथा एल० एण्ड टी० के समान अपनी फैक्ट्रियों में सभी आधुनिक उपकरण लगाए हुए हैं। वे लोग जो कर रहे हैं वह यह है कि ये [illegible] उत्पादन का 75 प्रतिशत उत्पादन कार्य उप-ठेकेदारों को रहे हैं। ये उप-ठेकेदार कौन हैं? ये लोग-प्रबन्धक, उप प्रबन्धक या राजनैतिक लोग, अथवा सी० एम० डी० के विशवस्त लोग हैं जो यह काम कर रहे हैं। ये लोग चार बजे उठ जाते हैं तथा उप-ठेकेदार के यहां बी० एच० ई० एल० मशीनों मे अपना काम करते हैं। क्या आपको पता है कि ये लोग इन बी० एच० ई० एल० के उपकरणों को उप-ठेकेदार की फर्म के नाम पर कैसे बेचते हैं? मान लीजिए कि एन०टी०पी०सी० अथवा अरब देशों से अथवा विद्युत बोर्डों से 100 करोड़ का इरेक्शन अनुबन्ध मिला है। 10 प्रतिशत लाभ रख लेंगे तथा 90 प्रतिशत दर इन उप-ठेकेदारों को दे दिया जाता है। परन्तु इरेक्शन का कार्य बी० एच० ई० एल० द्वारा बी० एच० ई० एल० मशीनों अथवा बी० एच० ई० एल० के कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा और यह लगभग शतप्रतिशत लाभ का ठेका हो गया। (व्यवधान) मैं यह चुनौती देता हूं कि यदि कोई इसके लिए 'नहीं' कह दे तो मैं यहीं पर अपना त्याग पत्र दे दूंगा तथा मैं गोली से मरने के लिए भी तैयार हूं।

श्री मुरली देवरा (मुम्बई दक्षिण) : गोली खाकर मत मरिये ?

(व्यवधान)

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव : क्योंकि आप अपनी गैर-जिम्मेदारी के परिणामस्वरूप देश को निष्क्रियता की ओर ले जा रहे हो अतः मुझे यह कहना पड़ रहा है। आप अपनी आंखें कब खोलोगे, मुझे नहीं पता। इसीलिये मैं कहता हूं कि इसकी चर्चा नहीं की जानी चाहिए। कमियां कहां पर हैं उन्हें मालूम कीजिए तथा उनका निवारण आपको करना होगा आपको यह पता करना होगा कि इन दोषों की मूल जड़ क्या है। यदि आप मूल कारणों का नहीं पता लगा सकते और उनका निवारण नहीं कर सकते तो आप इन इकाइयों को बन्द कर नैतिक रूप से गलती करोगे।

बी० एच० ई० एल० के इरेक्शन ठेके के 100 करोड़ में, वे एम० टी० पी० सी० और दूसरे इस्लामी देशों के ठेके कर देते हैं। वहां प्रबन्धक तथा अन्य सभी 10 प्रतिशत का लाभ ले लेते हैं। वस्तुतः इरेक्शन में 60 से 70 प्रतिशत लाभ होता है। यही एक मात्र मद है जहां से हमें बी० एच० ई० एल० से पैसा मिलता है। उसके बाद वे इसे उप-ठेकेदार को दे देंगे? ठेकेदार या तो बेनामी होगा या फिर महाप्रबन्धक अथवा निदेशक का बेटा या बेटी या पोता या पोती रहेगा या फिर एक ऐसी अनुबंधित कम्पनी रहेगी जिसके 50 प्रतिशत शेयर धारक, आपके निदेशक अथवा प्रबन्धक के बेनामी शेयर धारक रहेंगे।

मशीन की मरम्मत के लिए भी, ये लोग अपनी मशीन के सभी अच्छे पुर्जे निकाल लेंगे तथा उन्हें मशीन की मरम्मत करने वाले को दे देंगे। वे उसी मशीन को बहुत ऊंची कीमतों पर, जैसे 5 रु० या 10 करोड़ रु० में क्रेन अथवा जनरेटर के लिए खरीद लेंगे। जब ऐसा हो रहा है तो फिर सतर्कता एजेंसियां क्या कर रही हैं? मन्त्रालय क्या कर रहा है? क्या नौकरशाही ने कभी किसी स्तर पर इसका पुनरीक्षण किया? क्या आपके मन्त्री जी ने देश में यह जो प्रवृत्ति तथा कार्य चल रहे हैं, उनको समझने की कभी कोशिश भी की? आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे श्रमिक तथा जनता देशभक्त नहीं हैं? आपने देश को दिवालियेपन के इस स्तर तक ले आये हो।

आई० डी० पी० एल० के बारे में भी मैं एक बात कहना चाहता हूं। आपको पता होना चाहिए कि हम कार्यकुशलता में अथवा देश प्रेम में पिछड़े नहीं हैं। जब कुछ विदेशी संवाददाताओं ने प्रधानमन्त्री श्री नरसिम्हा राव को पूछा कि "आप कई मौलिक सुधार ला रहे हैं, आप नौकरशाही से कैसे लड़ सकोगे?" तो उन्होंने कहा "वे मेरे प्रशिक्षित लोग हैं। हम जो भी कहेंगे, वे करेंगे।" अतः प्रधानमन्त्री ने स्पष्ट तौर से कहा है कि हमें नौकरशाही देश को दिवालियापन की ओर ले जाने के लिए जिम्मेवार नहीं है। राजनीतिक नेतृत्व देश को इस अवस्था में लाया है। इसलिए यह स्पष्ट है कि हमें इसके लिए नौकरशाही को दोष नहीं देना चाहिए। यह इसलिए क्योंकि वे आपके प्रशिक्षित लोग हैं जिनकी परख विश्व निकाय के समक्ष हो चुकी है। अतः मैं नौकरशाही को दोषी नहीं ठहराऊंगा। ये राजनैतिक नेता, आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी तथा कांग्रेस पार्टी ही है। जो देश को इस अवस्था में लाये हैं।

एक माननीय सदस्य : रामराव के बारे में क्या कहना है, वह भी तो एक राजनीतिज्ञ हैं?

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव : 1983 में आंध्र प्रदेश सड़क परिवहन निगम को 90 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का घाटा होता था। उनका कुल घाटा 1983 में 390 करोड़ रुपये था जब रामाराव ने कार्यभार संभाला था। दो या तीन साल के बाद उन्होंने सारे घाटे को खत्म कर दिया तथा उसे 60 करोड़ प्रति वर्ष मुनाफा होने लगा। उन्होंने आंध्र प्रदेश में मण्डल मुख्यालयों तथा बड़े गांवों में बस टरमीनस भी बनाये। आप में इच्छा शक्ति, देश भक्ति तथा देश प्रेम होना चाहिए तभी आप कुछ कर सकते हैं।

(व्यवधान)

[श्री के० पी० रेड्डय्या यादव]

मैं सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे माननीय वित्त मन्त्री डा० मनमोहन सिंह जितना देशभक्त कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। मैंने अनेक बार सदन में यह बात कही है। किन्तु उन्हें भी ए० आई० सी० सी० ने पकड़ लिया। वे जो भी कहते हैं, उन्हें करना पड़ता है। बस केवल यही बात है। (व्यवधान)

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक (बुलढाना) : एक ईमानदार आदमी ने ईमानदार दल का चुनाव करा है। (व्यवधान)

श्रीमती बासव राजेश्वरी (बेल्लारी) : मैं व्यवस्था का प्रश्न कर रही हूं।

सभापति महोदया : श्रीमती बासव राजेश्वरी व्यवस्था का प्रश्न कर रही हैं।

श्रीमती बासव राजेश्वरी : महोदया, मैं व्यवस्था का प्रश्न कर रही हूं। वे नौकरशाही की बात कह रहे हैं तथा वे कह रहे हैं कि वे पुरानी मशीनें खरीद रहे हैं और वे उन मशीनों की देखभाल नहीं कर रहे हैं। एक प्रकार से वे नौकरशाही पर दोष लगा रहे हैं। उन्होंने पुनः यह कहा है कि केवल राजनीतिक शक्तियां औद्योगिक रूग्णता के लिए उत्तरदायी हैं। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि वे बार-बार ए० आई० सी० सी० का उल्लेख क्यों कर रहे हैं। यह ए० आई० सी० सी० से किस प्रकार संबंधित है। (व्यवधान)

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव : महोदया, यदि मैंने आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है तो मुझे क्षमा कीजिए। किन्तु वे आप ही हैं जिन्होंने 44 वर्षों तक इस देश पर शासन किया है। (व्यवधान) मेरा कहना यह है कि टिप्पणी करने से पहले आपको सरकारी उपक्रमों को निरन्तर हो रहे घाटे के मूल कारणों का पता लगाना चाहिए। इससे पहले कि हम सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मामले पर चर्चा करने के लिए बैठे, मैंने माननीय प्रधानमन्त्री को एक प्रश्न सूची दी है उनके उत्तर हमारे पास होने चाहिए।

मैं एक बात जानना चाहता हूं। इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटीकल्स लिमिटेड और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम आदि एवं कोई ऐसे निजी उद्योग हैं जो निरन्तर हानि उठा रहे हैं और यह मैं जानता हूं, मैंने सूचना एकत्रित की है कि एक व्यक्ति जिसने एक ईकाई से एक करोड़ रुपया लिया है वह इसका 25% अलग रख देगा और किसी व्यक्ति के नाम से इसका हस्तान्तरण कर देगा और फिर दोबारा वह कहेगा कि वह इकाई को रुग्ण बना देगा और दूसरी इकाई को अपना लेगा और वह वहां फिर 100 करोड़ रुपए ले लेगा। आपका इस देश में ऐसे कदाचारों को किस प्रकार रोकने का विचार है? वर्ष 1985 और 1987 में इस सभा में एक प्रगतिशील निर्माण कम्पनी के बारे में बहस की गई थी। उन्होंने करोड़ों रुपए का ऋण लिया हुआ है। उन्होंने 64 पब्लिक लिमिटेड कम्पनियां खोल रखी हैं और अभी तक उन्होंने कर के रूप में एक पैसा भी नहीं दिया है। आप क्या कर रहे हैं? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में डाक्टर मनमोहन सिंह ने एक जांच कराई थी और जांच रिपोर्ट का दूसरा कदम उनकी अलमारी में रखा है। लेकिन वे इसे न तो सभा को और न ही सार्वजनिक रूप से प्रकट करना चाहते हैं। आप जब तक अपने प्रशासकीय तंत्र को सही नहीं कर लेते तो ऐसे में आप देश को विश्व बैंक और राष्ट्रिकों से कैसे बचाने जा रहे हैं? इसलिए आप 1000 अथवा 2000 बड़े लोगों को सामने लाएं।

मैंने पहले ही माननीय प्रधानमन्त्री महोदय को पत्र लिखे हैं। मुझे उन सभी लोगों, सभी बड़े नौकरशाहों, चेयरमैन तथा प्रबन्ध निदेशकों के और राजनीतिक नेताओं के जीवन-वृत चाहिए जो इस देश को लूट रहे हैं।

आंध्र प्रदेश में आंध्र सीमेंट कम्पनी बन्द हो चुकी है। इस इकाई को आंध्र प्रदेश सरकार के उत्पाद-शुल्क विभाग का 10 करोड़ रुपया देना है। उसका सम्बन्ध एक अन्य बड़े उद्योगपतियों के समूह से है। यदि उसने यहां बन्द कर दिया है, तो उसे कहीं और सैकड़ों और हजारों और करोड़ों रुपय मिल गए हैं।

मेरे निर्वाचन-क्षेत्र के वुयुरू में के०सी०पी० लिमिटेड किसानों से करोड़ों रुपए लूट रही है। उसने 30 करोड़ रुपए आरक्षित धन के रूप में रखा हुआ है। लेकिन उसकी मद्रास में कुछ अन्य इकाइयों को यह कह कर बन्द करने की इच्छा है कि वे घाटे में चल रही हैं। आप क्या करने जा रहे हैं? आप इन बातों का पता लगाने का प्रयास करें। उनसे यह 50 करोड़ रुपए लेकर इसे वहां मद्रास में खर्च करके इकाइयों को देश की गरीब जनता के हित में चलाने के लिए कहा जाए।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री के०पी० रेड्डय्या यादव : जब इन्दिरा जी इस देश की प्रधानमन्त्री थीं और आपातकाल के दौरान हमने लगातार तीन वर्षों तक दूसरे देशों को दस लाख टन इस्पात का निर्यात किया है। यहां एक अथवा डेढ़ वर्ष तक आपात स्थिति लागू की हुई थी। लेकिन आपात स्थिति का प्रभाव तीन वर्षों तक कायम रहा। इसी कारण से श्री मोरार जी देसाई की सरकार ने अच्छा नाम कमाया। उन्होंने मात्र अपने प्रयासों से ही अच्छा नाम नहीं कमाया। इसलिए क्या माननीय वित्त मन्त्री महोदय इस देश में कम से कम औद्योगिक आपात स्थिति, वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा करने के लिए तैयार हैं, हालांकि राजनैतिक आपातकाल घोषित न किया जाए? ऐसा दिखाई देता है कि मन्त्री महोदय ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हैं। आप किस प्रकार से सार्वजनिक क्षेत्र की उन इकाइयों को बन्द करने जा रहे हैं, जो इस देश के विकास की नब्ज हैं। ये पंडित जवाहर लाल नेहरू ही थे जिन्होंने औद्योगिक क्षेत्र की भूमिका को पहचाना और इस देश में मिश्रित आर्थिक पद्धति के द्वारा बड़े औद्योगिक आधारभूतीय ढांचों की स्थापना की। उसी के कारण, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र औद्योगिक विकास में भाग ले सके। यदि एक असफल हो जाता है, तो दूसरा इस प्रकार से कार्य करेगा कि देश को अच्छा आधार मिले और गरीब जनता के लिए कम से कम भोजन और छत की निश्चित व्यवस्था उसमें थी। इसलिए अनेक प्रशासकीय बातों को दूर करना होगा। माननीय वित्त मन्त्री महोदय की ऐसा करने की इच्छा है और उनमें क्षमता भी है। यदि वे केवल तीन महीने लेते हैं और सही प्रकार से कार्य करते हैं, तो इन सभी कमियों का निराकरण किया जा सकता है और इन लोगों की धर पकड़ की जा सकती है। इकट्ठा हुआ अत्यधिक कालाधन उचित माध्यमों से बाहर आ जाएगा।

अन्त में, मैं मजदूर संगठनों को भी दोष देना चाहूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : आप अपने भाषण को दूषित क्यों कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव : हमें इन बातों का निष्कपट रूप में विश्लेषण करना है। राष्ट्रहित में, देशभक्तों की तरह हमें इस मुद्दे पर चर्चा करनी है।

सभापति महोदय : कृपया संक्षेप में बोलें।

श्री के०पी० रेड्डय्या यादव : कृपया मुझे क्षमा करें। जहां तक मैंने देखा है कि कोई भी मजदूर संघ अपनी इकाइयों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध नहीं लड़ रहा है।

[हिन्दी]

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप क्या बोल रहे हैं। शायद आप जानते नहीं हैं। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव : उन्होंने कभी भी चेयरमैन तथा प्रबन्ध निदेशक अथवा कार्यकारी निदेशकों और भ्रष्ट राजनीतिज्ञों के विरुद्ध लड़ाई घोषित नहीं की है। वे केवल अपने वेतन, बोनस, इस और उस बात के लिए लड़ते रहते हैं। यह एक और दूसरा कारण है जिससे ये लोग आनन्द मना रहे हैं।

इसलिए, इन्हीं बातों के साथ मैं सभापति महोदय को मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। चूंकि हम में से कुछ सदस्यों की अध्यक्ष महोदय के कक्ष में 4.30 बजे म०प० बैठक है, अतः, मैं सभा से अनुमति लेती हूं ताकि श्रीमती बासवा राजेश्वरी आ जाएं और 4.30 बजे म०प० पर आसन ग्रहण करें। अगले वक्ता श्री राजगोपाल नायडू रामासामी होंगे।

श्री राजगोपाल नायडू रामासामी (पेरियाकुलम) : महोदया, मैं रुग्ण कम्पनियां (संशोधन) विधेयक, 1991 के समर्थन में अन्ना द्रमुक मुनेत्र कषगम की ओर से कुछ शब्द कहना चाहूंगा। विधेयक का उद्देश्य सरकारी कम्पनियों को इसकी परिधि में लाना है।

4.23 म०प०

[**श्रीमती बासवा राजेश्वरी पीठासीन हुई।**]

यह देर से किया गया उपाय है। आजादी के 44 वर्षों के पश्चात् हमने यह कटु तथ्य स्वीकार करना आरम्भ किया है कि सरकारी कम्पनियों में जन कल्याण हेतु सार्वजनिक धन का काफी पूंजी-निवेश न केवल लाभ ही अर्जित नहीं कर पा रहा है बल्कि अधिक से अधिक सार्वजनिक धन को हानि की पूर्ति करने में ही डकारने का प्रयास कर रहा है।

महोदया, मेरे विचार से 50 प्रतिशत से अधिक सरकारी कम्पनियां बुरी दशा में हैं अथवा घाटा करने की प्रक्रियाधीन हैं अथवा उनमें आर्थिक जीवन क्षमता की कमी है। जब विधेयक मूल रूप से विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा पेश किया गया था जो तत्कालीन वित्त मन्त्री थे तो उन्होंने बताया था कि जब एक कम्पनी की 50% सम्पत्ति का क्षय हो जाएगा तब कम्पनी अंश धारकों के पास चली जाएगी और जब इसका 100% क्षय हो जाएगा तब यह औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष जाएगी। अब सरकारी कम्पनियों को भी विधेयक में सम्मिलित कर लिया गया है, अतः सरकारी कम्पनियां किस स्थिति में बोर्ड के समक्ष जाएंगी? मेरा सुझाव है कि यदि रुग्ण सरकारी कम्पनी का श्रमिक प्रबन्धन को सम्मिलित करके 25 प्रतिशत क्षय हो जाता है तो इसे ढांचागत समायोजन बोर्ड को प्रेषित कर दिया जाना चाहिए ताकि जब सरकारी कम्पनी की बुरी स्थिति हो जाने पर सभी श्रमिकों को रोजगार से वंचित न किया जाए।

यदि आगे भी क्षय जारी रहता है तो कम्पनी के पूर्ण कार्य-दल को निजी उद्यमियों के प्रबन्ध में सौंप देने पर विचार करना चाहिये जो कम्पनी में निवेश के इच्छुक हों और कम्पनी को अगले 5 अथवा 10 वर्षों के अन्दर हानि से उबार सकने के लिए तैयार हों। उस अवधि के दौरान, कम्पनी के सरकारी

प्रबन्धन को निलम्बित कर दिया जाए। यदि उस अवधि के दौरान कम्पनी की स्थिति सुधर जाती है, तो निजी प्रबन्धन अपना लाभ प्राप्त करके अलग हो जाएगा। निजी उद्यमियों के पुनर्वास के लिए औद्योगिक रियायतें दी जानी चाहिए। यदि हानि होती है तो इसका उत्तरदायित्व निजी प्रबन्धकों के द्वारा वहन किया जाए। निजी प्रबन्ध की अवधि के दौरान, अर्द्धवार्षिकी तौर पर कार्य-निष्पादन की समीक्षा करनी होगी। इसी के अनुसार, कम्पनी कानूनों में संशोधन किया जाना चाहिए। इसलिए यह विधेयक पर्याप्त नहीं है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सही ढंग से चलाने के लिए कई अन्य विधायी उपाय किए जाने की आवश्यकता है।

वर्तमान में, इस विधेयक के अन्तर्गत केवल निजी कम्पनियां और पब्लिक लिमिटेड कम्पनियां ही आती हैं और कम्पनी के कुप्रबन्धन के लिए किसी भी व्यक्ति को सजा नहीं दी जा रही है। तथापि सरकारी कम्पनियों के सम्बन्ध में, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को उन लोगों को प्रकाश में लाना चाहिए जो कम्पनी को रुग्णता की स्थिति में पहुंचाने के लिए दोषी हैं और प्रशासनिक उच्चाधिकारियों को कठोरता से दण्डित किया जाना चाहिए। दण्डों में से एक यह हो सकता है कि उन्हें सरकारी कम्पनी अथवा सरकार में कोई भी पद ग्रहण करने हेतु दस वर्ष तक की अवधि के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाये। सरकारी कम्पनियों के उच्चाधिकारियों से वित्तीय वसूली भी की जानी चाहिये।

यह बात अस्वीकार करनी चाहिये कि सरकारी कम्पनियो में कामगारों के अन्दर काम करने की भावना की अत्यन्त कमी है। जब तक वे प्रबन्ध में भागीदार नहीं बनते तब तक वे यह बात मन में सोचकर कार्य नहीं करेंगे उन्हें क्या परिणाम प्रदर्शित करने हैं। इसलिये, राज्य सभा में लम्बित विधेयक को बिना और बिलम्ब किए पारित कर दिया जाना चाहिए। निश्चित रूप से यह सरकारी कंपनी को गलत दिशा में जाने से रोक पाएगा।

सरकारी कंपनियों के उच्चाधिकारी कंपनियों के कार्य-निष्पादन में सुधार करने के नाम पर, प्रायः विदेशों में जाते रहते हैं। वे भारत में वापिस आ जाते हैं और उत्पादन में लगे तकनीकी विशेषज्ञों को बताते हैं कि क्या किया जाना चाहिए। ऐसी स्थित में जो कामगार उत्पादन से प्रत्यक्ष रूप में जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा ये लाभप्रद क्यों नहीं किए जाते जिससे कि उन्हें ज्ञान प्राप्त करने का आनन्द अनुभव हो और इसे कंपनी की उन्नति के लिए व्यवहार में लाने में वे आनन्द का अनुभव करें। सरकारी कंपनियों के नियमों में संशोधन किया जाना चाहिए और इन यात्राओं को न्यूनतम कर दिया जाना चाहिए और इन दौरों पर केवल वे ही कर्मी जाएं जो उत्पादन के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं चाहे वे उच्च अथवा निम्न किसी भी स्तर के हों।

सरकार ने, 1986 में विधेयक पेश किया था तब यह वचन दिया था कि रुग्ण इकाइयों को ठीक करते समय वह श्रमिकों का पुनर्वास करेगी और इसके लिए वह एकमुश्त लाभ प्रस्तुत करेगी। हमें अभी तक यह जानना है कि वह एकमुश्त लाभ क्या होंगे। जब तक आप यह उपाय नहीं कर देते हैं; तो ऐसे में यदि आप सरकारी कंपनियों को बन्द करते हैं और कई हजार लोगों को जिनमें से अधिकतर कामगार हैं, सरकारी कंपनियों से बाहर निकाल देते हैं, तो इसका परिणाम बेरोजगारी और बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि करना होगा। इसलिए, इस एकमुश्त लाभ वाली एक संविधि को संसद द्वारा अनुमोदित किया जाए और लोगों को इसके बारे में बता दिया जाना चाहिए जिससे गलत शंकाओं का निराकरण किया जा सके। इस उपाय को श्रमिक विरोधी बताकर कई इसका विरोध करते हैं। इस गलत

[श्री राजागोपाल नायडू रामासामी]

धारणा का निराकरण किया जाना चाहिए और यह केवल तभी किया जा सकता है जब सरकार श्रमिक के पुनर्वास प्रस्तावों का पर्याप्त प्रचार करे।

अन्त में, सरकार से अपील करता हूं कि वह गतिशील नेता पुरात्ची थलाईवी जयललिता के नेतृत्व के अन्तर्गत तमिलनाडु में निवेश किए जाने के लिये प्रस्ताव लेकर आगे आए। उन्होंने उद्यमियों का तमिलनाडु में निवेश करने के लिये आह्वान किया है और सरकार को चाहिए कि वह वहां पर निवेश के इच्छुक लोगों को विशेष औद्योगिक रियायतें प्रदान करें। अनिवासी भारतीयों को तमिलनाडु में निवेश करने के लिए कहना चाहिए और राज्य सरकार निश्चित रूप से उन्हें सभी सहायता प्रदान करेगी। तमिलनाडु सरकार को डी०एम०के० शासन के दौरान राज्य सरकार की कुछ कंपनियों में कुप्रबन्ध के कारण हुई हानि की पूर्ति करने के लिए 500 करोड़ रुपए का विशेष औद्योगिक पुनर्वास अनुदान प्रदान किया जाये। तीन लाख कंपनियां बन्द की जा चुकी हैं। इसी के साथ-साथ हमें इन तीन लाख बन्द कंपनियों के मालिकों की हैसियत के बारे में विश्लेषण करना होगा और आंकड़े प्राप्त करने होंगे। धन्यवाद।

श्री मुरली देवरा: सभापति महोदया, जब उप-सभापति महोदय मेरे मार्क्सवादी मित्र को अपना भाषण समाप्त करने का अनुरोध कर रहे थे, तो तब उनके मुंह से कुछ बड़ी भविष्यवाणी हो गई। उप-सभापति महोदय ने कहा कि समय खत्म हो गया है और मुझे पता है कि उनके कहने का अर्थ यह नहीं था कि उस वक्ता का समय खत्म हो गया जो उस समय बोल रहा था। वास्तव में जो भविष्य-कथन हो गया था वह यह है कि कई वर्षों से कई दशकों से जो परिकल्पना, अवधारणा चली आ रही थी उसका समय समाप्त हो गया है। मैं साम्यवाद की बात कर रहा हूं। मैं सरकार द्वारा दिन-प्रतिदिन मनुष्यों के जीवन में किए जा रहे हस्तक्षेप की बात कर रहा हूं। एक समय था जब भारत में एक छोटी सी परियोजना प्रारम्भ करने के लिए भाखड़ा नांगल तथा इस्पात संयंत्र को भूल जाइये—ऐसा कोई निजी क्षेत्र का उद्योगपति नहीं था जो इतने सारे संसाधनों के साथ सामने आ सके। उस समय सार्वजनिक क्षेत्र की आवश्यकता थी। उस समय सार्वजनिक क्षेत्र को नई ऊंचाइयों को छूने की तथा हमारे जीवन में भूमिका निभाने की आवश्यकता थी। परन्तु, आज ऐसा समय आ गया है, जब छोटे तथा बड़े उद्योग-पति, जोकि उस समय इतने बड़े नहीं थे वे अब आगे आ सकते हैं, अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति का तथा अन्तर-राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकते हैं। यह कोई गलत बात नहीं होगी, यदि इनको भी सार्वजनिक क्षेत्र के समान प्रोत्साहन दिया जाए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने आई०डी०पी०एल० का एक उदाहरण दिया था। मैं इसी अच्छे आई०डी० पी० एल के उदाहरण की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मेसीटिकल लिमिटेड। इसी तरह हमारी अर्थव्यवस्था की, हमारी विदेशी पूंजी निवेश की नीतियों तथा 'फेरा' की नीतियों बनाया जाना चाहिए। वह कह रहे थे कि आई०डी०पी०एल० द्वारा निर्मित औषधि को एक औषधि विक्रेता भी नहीं बेचता है उन्हें खेद हो रहा था कि एक औषधि जिसको एक सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई बनाती है बाजार में उपलब्ध नहीं हो रही है। क्या आप सोचते हैं कि क्या औषधि विक्रेता लाभ नहीं चाहते ? उन्हें आई०डी०पी०एल० के प्रबन्धकों के विरुद्ध कोई दुर्भाव नहीं है।

मैं आपको बताऊंगा कि वह ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। वह इसलिए, क्योंकि दवाइयां घटिया दर्जे की होती हैं, पैकिंग दोषपूर्ण रहती है तथा दवाइयां कभी भी समय पर नहीं मिलती हैं। इसीलिए

आई०डी०पी०एल० को नुकसान हो रहा है तथा वह बाजार की प्रतिस्पर्धा से बाहर हो गई है।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने जो दवाई विशेष की, जो उस समय बात कही थी, वह अल्सर के इलाज के लिये है। इसे "सेमिटिडाइन" कहते हैं। इसको कई कंपनियां बनाती हैं। आई०डी०पी०एल० द्वारा निर्मित "सेमिटिडाइन" वास्तव में सभी से अच्छी है, परन्तु वह मुझे किसी भी दुकान में नहीं मिल सकी क्योंकि वे इसका स्टाक नहीं करते और उन्हें कुछ अतिरिक्त भी नहीं मिलता······

श्री मुरली देवरा : आप कुछ नया नहीं बता रहे हैं। आपने जो पहले कहा है, उसे ही दोहरा रहे हैं।

जब लिगर फार्मेसिटिकल कम्पनी की दवा बेची जाती है, तो बाजार में उसका नाम है, उसकी विश्वसनीयता है। मैं यह कहने का प्रयास कर रहा हूं कि यहीं पर हमारी औद्योगिक नीति पर प्रश्न चिन्ह लगता है।

वे लोग एक रूसी कंपनी से एन्टी-बायोटिक जानकारी खरीद रहे थे। रूसी कंपनी एक अमेरिकन कंपनी से जानकारी प्राप्त कर रही थी। इसका विकास इन लोगों ने नहीं किया था। वही कंपनी भारत में दवा बनाने के लिये इच्छुक थी। फाइजर इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता तथा बम्बई, इस एन्टी-बायोटिक दवाई का भारत में उत्पादन करना चाहती थी। परन्तु उनको अमेरिका की आविष्कारक कंपनी से, फाईजर इंडिया लिमिटेड नाम की उनकी भारतीय के कंपनी माध्यम से सीधे जानकारी प्राप्त करके यहां उत्पादन करने की अनुमति नहीं दी गई। परन्तु क्या हुआ?

आई०डी०पी०एल० को लाइसेन्स, रूसी कंपनी की जानकारी का मिला जो अमरीकी कंपनी से प्रौद्योगिकी प्राप्त कर रही थी और अमरीका की फाईजर कंपनी तथा रूसी कंपनी में कुछ मतभेद हो गए जिसके परिणामस्वरूप आई०डी०पी०एल० को नुकसान उठाना पड़ा। आई०डी०पी०एल० को जिस प्रौद्योगिकी की बड़ी आवश्यकता थी वह नहीं मिल पाई। उनके पास लाइसेन्स था परन्तु इसके लिये छः वर्ष लग गये और इन छः वर्षों के दौरान हमें वह दवाई अमरीकी कंपनी से आयात करनी पड़ी क्योंकि वह जीवन रक्षक दवाई थी।

मैं भारत की औद्योगिक नीति के बारे में बता रहा हूं। आप लोग बहुराष्ट्रीकों विदेशी कंपनियों अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंकों को हर बात के लिये दोषी ठहरा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आपको इन नामों से इतना कष्ट क्यों हो रहा है। यदि मैं सिंगापुर, दक्षिण कोरिया तथा हांगकांग की बात कहूं तो आप लोग कहेंगे कि वे बहुत छोटे देश हैं। क्या हमारा देश इतना छोटा और इतना कमजोर है कि ये अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक के ऋण हमें अस्थिर कर देंगे? क्या वे हमें अस्थिर कर सकते हैं?

डा० असीम बाला (नवदीप) : टेट्रासाईकलीन का उत्पादन मूलतः चीन में होता है। चीन उसे जर्मनी को सप्लाई कर रहा है तथा हम भारत के लोग — अर्थात आई०डी०पी०एल० के प्रबन्धक भारत में इसी को ऊंची कीमतों पर जर्मनी से खरीद रहे हैं।

श्री मुरली देवरा : मैं यह बता रहा हूं कि केवल प्रौद्योगिकी का आयात करना ही हमारी औद्योगिक नीति को मदद कर सकता है, न कि नुकसान। वे हमारे देश से कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि इस बारे में हमारा देश बहुत ही शक्तिशाली है। यदि आप परियोजना का विवरण चाहते हों तो मैं दे सकता हूं।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, कृपया पीठ को सम्बोधित करें।

श्री मुरली देवरा : सभापति महोदया, जब से नई औद्योगिक नीति तथा नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई थी, तब से नयी औद्योगिक संस्कृति को प्रोत्साहन मिला है। ज्यादा से ज्यादा लोग उद्योग लगाने के लिए सामने आ रहे हैं। यही वह बात है जिस पर मैं इन्द्रजीत गुप्त तथा अन्य वाम-पन्थी मित्रों की प्रसंशा करता हूं। ऐसी कुछ आशंका है कि औद्योगिक कंपनियों तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों को यहां आने की अनुमति देकर, यहां पर अर्थव्यवस्था को खुलापन प्रदान करके क्या हम निर्गम की नीति की ओर जा रहे हैं। मैंने अपने बजटीय भाषण में भी कहा था कि कोई भी लोकप्रिय सरकार जो इस तरह चुनी गई हो यह साहस नहीं करेगी--और यह सही भी था कि वह उस निर्गम की नीति का कुछ भी अपनाएं जिसकी कि सारे देश में वकालत की जा रही है और जिसे हम समाचार पत्रों में पढ़ते आ रहे हैं। किसी एक व्यक्ति ने भी नहीं, न ही तो श्री पी०वी० नरसिम्हा राव ने और न ही श्री मनमोहन सिंह ने कभी भी यह नहीं कहा था कि वे इस निर्गम नीति का अनुसरण करेंगे। आप ऐसे जिन्न की कल्पना कर रहे हो जो हैं ही नहीं। सरकार ने बार-बार कहा है कि यह हमारा वादा है कि किसी की भी छटनी नहीं की जायेगी। सरकार ने कहा है कि वे लोग कर्मचारियों की हित का ध्यान रखेंगे, उन्होंने यह भी कहा है कि वे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बन्द नहीं करेंगे। वे जो कुछ भी घाटा दे रहे हों वे उन्हें फिर से रोजगार देने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग इस बारे में सरकार के वादों पर क्यों विश्वास नहीं करते हैं? क्या कोई एक ऐसा मामला भी है, जहां सरकार ने कोई ऐसा वक्तव्य दिया हो, जिसका क्रियान्वयन नहीं हुआ है? मैं यह कहने का प्रयास कर रहा हूं कि सरकार, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखने के लिए वचनबद्ध है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने एस० आई० सी०ए० के बारे में बताते समय यह पूछा था कि बी०आई० एफ०आर० के तहत सार्वजनिक क्षेत्र को क्यों नहीं लाया गया? बी०आई०एफ०आर० का क्या रिकार्ड है। उन्हें जो 1080 मामले भेजे गए थे—आज तक उन लोगों को निजी क्षेत्र से ही मामले भेजे जा रहे हैं उनमें से 347 मामलों में पुनः स्थापित करने के लिए एकमुश्त लाभ प्रदान किए गए तथा 147 मामलों में उन्हें बन्द करने की सिफारिश की गई। केवल चार मामले पूर्ण हैं। मैं स्वयं बी०आई०एफ० आर० के कार्यकरण की आलोचना कर रहा हूं। सभा में मैंने यह पहले ही कह दिया है। बी०आई०एफ० आर० की कार्यप्रणाली में आज मूलतः कोई दोष है। मैं इसका समर्थन करता हूं। परन्तु वित्त मन्त्री महोदय ने कई बार वक्तव्य दिया है कि इस पर वह फिर बात करेंगे कि इस बी०आई०एफ०आर० के बड़े पैमाने पर पुनर्गठन तथा पुनः संरचना करने की आवश्यकता है श्री सोमनाथ चटर्जी जी कल आप एक प्रति ले रहे थे और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वह क्या है। आप एक वकील हैं।

वर्तमान एस०आई०सी०ए० अधिनियम में धारा 19(2) है जिसके अनुसार :

> "कोई इकाई केवल तब ही पुनःस्थापन का कार्य आरम्भ कर सकती है बशर्ते उसके लिए संस्थापक तथा वित्तीय संस्थाओं की सहमति हो।"

यही वह बात है जो उन इकाइयों के पुनर्गठन तथा पुनःस्थापन के कार्य के आड़े आ रही हैं जिन्हें बी०आई०एफ०आर० के पास भेजा गया है। महीनों तक उनके संस्थापकों से उनकी सहमति तथा योगदान नहीं मिल पाया है। हमें बी०आई०एफ०आर० में सार्वजनिक क्षेत्र के एककों को सम्मिलित करने का, स्वागत करना चाहिए सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के मामले में संस्थापक कौन है? सरकार स्वयं ही उन इकाइयो की संस्थापक है। चूंकि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की मदद करने के लिए उन्हें पुनः जीवित करने तथा चलाते रहने के लिए वचनबद्ध है, सरकार इस मामले से दूर नहीं हो

सकती है तथा इसमें विलम्ब भी नहीं करेगी। बी० आई० एफ० आर० की कार्यप्रणाली की वास्तविक समस्या यह थी कि संस्थापक अपनी स्वीकृति देने में देर कर रहे थे। आप किसी से संस्थापक अथवा मजदूर संघ किसी से भी पूछो। इस मामले में, इस अधिनियम में संशोधन करने से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए यह नुकसान के बजाए लाभप्रद ही रहेगा। आप ने यह उचित ही पूछा है कि इसका अब क्या प्रयोजन है ? जब 1985 में जब विधेयक पुरःस्थापित किया गया था तो तब सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को विधेयक में क्यों नहीं सम्मिलित किया गया ? और अब उन्हें शामिल किया गया है क्योंकि सरकार ने यह महसूस किया है कि बी०आई०एफ०आर० की कार्यप्रणाली में काफी परिवर्तन एवं सुधार लाने की आवश्यकता है। मैं आपसे सहमत हूं कि उनका पुनर्गठन करने की आवश्यकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस विधेयक को पारित करने से पूर्व वित्त मन्त्री आज जब स्वयं इसका जवाब देंगे तब यह वायदा करेंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बी०आई०एफ०आर० के पास भेजा जाना सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए हानि के बजाय लाभप्रद ही रहेगा तथा वे निजी क्षेत्र से किसी प्रकार कम नहीं रहेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : तब बी०आई०एफ०आर० के पुनर्गठन के बारे में कुछ भी नहीं हो रहा है।

श्री मुरली देवरा : मैं भी तो यही कह रहा हूं। वर्तमान बी०आई०एफ०आर० में क्या खराबी है ? इसमें संस्थापकों की स्वीकृति की आवश्यकता थी। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मामलों में तो सरकार स्वयं ही संस्थापक है। अतः, ऐसी कोई समस्या नहीं रहेगी।

श्री चित्त बसु : क्या सरकार बी०आई०एफ०आर० द्वारा प्रस्तुत किए गए पुनःजीवित करने के कार्यक्रम पर विचार करेगी ?

श्री मुरली देवरा : प्रधानमन्त्री महोदय तथा वित्त मन्त्री महोदय ने बार-बार कहा है कि राष्ट्रीय नवीकरण कोष का इस बजट में प्रावधान है जिसे अभी प्रस्तुत किया गया है तथा आपके पास उसकी प्रति है। इस बजट में उसके लिए 200 करोड़ रुपए पहले ही अलग से रख दिए गए हैं। विश्व बैंक 50 अरब डालर दे रहा है जो कि 1100 करोड़ या 1200 करोड़ रुपए के लगभग होता है। सार्वजनिक क्षेत्र के 20 प्रतिशत उन उपक्रमों को निजी क्षेत्र को सौंपने पर जो लाभ कमा रहे हैं उनको 2500 करोड़ रुपया मिलेगा। लेकिन, इस 2500 करोड़ रुपयों की राशि में से कुछ भाग राष्ट्रीय नवीकरण कोष में भी लगाया जाना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या आप 'फिक्की' से हैं। लगता है आपको सब कुछ मालूम है।

श्री मुरली देवरा : मैं 'फिक्की' से नहीं हूं। मैं तो केवल आपके पक्ष का समर्थन कर रहा हूं। परन्तु ये वे आंकड़े हैं जो लेखों में उपलब्ध हैं। अतः श्री सोमनाथ चटर्जी, आप आकर देख सकते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : तब आप, वित्त मन्त्री महोदय से क्यों अनुरोध नहीं कर रहे हो, लगता है, आपको वह सब पता है जो उनके दिमाग में पक रहा है, वे धारा 20 को हटाना चाहते हैं तथा जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का सम्बन्ध है वे उनको लागू नहीं करना चाहते हैं ? धारा 20 को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर लागू नहीं किया जाना चाहिए।

श्री मुरली देवरा : यह एक बहुत अच्छा सुझाव है, इस पर वे विचार कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि वित्त मन्त्री महोदय को यह मालूम है जब वे इसे बी०आई०एफ०आर० के पास भेज रहे हैं। बी० आई०एफ०आर० की कार्यप्रणाली के बारे में सरकार को जो अनुभव हुआ है, उन्हें उसका पता है। जहां तक निजी क्षेत्र की कंपनियों की कार्य प्रणाली की बात है, सरकार ने बी०आई०एफ०आर० की

[श्री मुरली देवरा]

कार्य-प्रणाली का अनुभव कर लिया है। तथा मुझे विश्वास है कि सरकार इसे पुनः नहीं दोहराएगी। जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्य-प्रणाली का सम्बन्ध है, मैं आपके सुझाव से सहमत हूं कि उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। एक समय आएगा। जब राष्ट्रीय नवीकरण कोष को बहुत ज्यादा धन की आवश्यकता होगी। मैं यह आपको बताना नहीं चाहता हूं। सार्वजनिक क्षेत्र के कितने उपक्रम 23 लाख कर्मचारियों को आज नौकरी में रखे हुए हैं यह विस्तार में जाने का मामला है। परंतु जिसकी वास्तव में ही आवश्यकता है वह सरकार की वचनबद्धता है। कोई भी सरकार--मैं पुनः शब्दों को दोहराता हूं--कोई भी सरकार "एग्जिट पॉलिसी" का, जिसकी चर्चा व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्रों में की जा रही है समर्थन नहीं कर सकती है। मैं 24 नवम्बर 1991 के 'सण्डे टाईम्स' के छपे एक लेख से जिसकी अर्थशास्त्री श्री स्वामीनाथन एस० अंकलेसरय्या ने लिखा है, केवल कुछ पंक्तियां उद्धृत करना चाहता हूं :

"वास्तव में, नई नीति, 'एग्जिट' पर नहीं पुनः स्थापित करने पर ध्यान दे रही है। उनका लक्ष्य उन कम उत्पादक इकाइयों के जो निष्फल हो गई हैं, के लोगों, मशीनों तथा भूमि को उच्च उत्पादकीय इकाइयों को स्थानांतरित करने का है जो फले-फूलेंगी तथा उचित समय पर श्रमिकों को ज्यादा वेतन एवं उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता के सामान उपलब्ध करा सकेंगी।"

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या हमारे देश में ऐसी कोई योजना है ?

श्री मुरली देवरा : वे ऐसा ही कहते हैं। आप तो केवल शंका कर रहे हैं। श्री गुप्त जी आपकी आशंकाएं गलत हैं। आपको तो उस हर चीज में भूत दिखाई देता है जो कुछ भी आप देखते हैं फिर चाहे वह अन्तर्राष्ट्रीय वित्त कोष हो तथा विश्व बैंक हो। (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हमें कुछ भी नहीं बताया गया है। (व्यवधान)

श्री मुरली देवरा : मैं संसद के उन रिकार्डों को पढ़ सकता हूं जहां पिछले हफ्ते वित्त मन्त्री जी ने राज्य सभा में कहा था कि वे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में लगे कर्मचारियों के रोजगार को संरक्षण प्रदान करेंगे। वे यह देखेंगे कि एक भी व्यक्ति नौकरी से बाहर न निकाला जाए। आप उनसे और अधिक क्या चाहते हैं ? आप उनसे इससे अधिक और क्या वचनबद्धता चाहते हैं ? आप पढ़ नहीं रहे हैं और केवल अपनी आंखें मूंदे हुए हैं।

एक माननीय सदस्य : और कान भी। (व्यवधान)

श्री मुरली देवरा : मैं क्या कर सकता हूं ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : वित्त मन्त्री जी वे आपके मामले को बिगाड़ रहे हैं ?

श्री मुरली देवरा : आप उसकी चिन्ता मत करिए। मुझे किसी की सिफारिश की आवश्यकता नहीं है। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप ऐसे मित्रों से अपने आपको बचाइए।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री मुरली देवरा : मैं दो या तीन सुझाव देना चाहता हूं और उसके बाद मैं समाप्त करूंगा।

सभापति महोदय : आपने काफी समय ले लिया है। कृपया जल्दी समाप्त करने की कोशिश कीजिए।

श्री मुरली देवरा : वे काफी मैत्रीपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है। (**व्यवधान**) वे जानते हैं कि वे कितने खोखले हैं। जब इस राष्ट्रीय नवीकरण कोष को स्थापित कर दिया जाए तो मैं कुछ सुविधाओं का सुझाव देना चाहता हूं। लोगों को पुनः प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। मैं आपको बम्बई का एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे यहां 47000 कपड़ा मजदूर हैं, जोकि किन्हीं कारणों से पिछले 4 या 5 वर्षों से बेरोजगार हो गए हैं। (**व्यवधान**) आज कपड़े की मिलें काफी अच्छा काम कर रही हैं। कुछ कपड़ा मिल के मजदूरों को पुनः प्रशिक्षण दिया गया है। वे क्या कर रहे हैं? वे हीरा तलाशने वालों के रूप में अथवा सिले-सिलाए कपड़ों का उत्पादन करने वाली इकाइयों में काम कर रहे हैं।

उनमें से कुछ लोग अभी भी नौकरी से बाहर हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि राष्ट्रीय पुनं-र्वीकरण कोष के संरक्षण में एक इस तरह का प्रशिक्षण सस्थान होना चाहिए जो उन श्रमिकों को प्रशिक्षण दे सकें जो बेरोजगारी की स्थिति मे आ जाए। इस तरह से, वे वैकल्पिक रोजगार प्राप्त कर सकते हैं।

आप पश्चिमी देशों की बात कर रहे हैं। अभी किसी सदस्य ने अमरीका और इंग्लैंड की बात कही। वे लोग बेरोजगारी भत्ता देते हैं, वे कल्याण उपदान करते हैं। और कोई भी पश्चिमी देश अपने श्रमिकों को बेरोजगारी का कष्ट नहीं झेलने देते। मुझे इस बात में कोई तर्क नजर नहीं आता कि भारत सरकार भी इस तरह के कार्यक्रम क्यों नहीं बनाती जिसमे इन बेरोजगार लोगों की सहायता की जा सके।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप वित्त मन्त्री जी की बातों को काट रहे हैं।

श्री मुरली देवरा : जी नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप चिन्ता न करें। भगवान का धन्यवाद है कि आप उनकी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, मुझे खुशी है। मुझे पता है कि आप लोगों ने जब कभी भी प्रशंसा की है तो उस वित्त मन्त्री अथवा किसी भी मंत्रालय के साथ क्या हुआ है। श्री इन्द्रजीत गुप्त जी, आपको भलीभांति पता है। इसलिए, मुझे वह सब न बताएं।

हमारे देश की वास्तविक समस्या बेरोजगारी है। एक नई आर्थिक नीति की आवश्यकता हैं—यदि इसे एक अवसर दिया जाए, यदि एक उपयुक्त वातावरण पैदा किया जाए और यदि आप लोग इस तरह से हड़ताल न करे जैसाकि आप एक दिन के लिए कर रहे हैं। यहां तक कि सरकार भी गृह मंत्रालय में परिपत्र भेज रही है कि वे अपनी इकाई बन्द कर दें मुझे मालूम नहीं कि आप किस तरह की जिम्मेवार सरकार चला रहे हैं। मैं इसे नहीं समझ रहा हूं। (**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए (**व्यवधान**) सोमनाथ चटर्जी कोई व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : सभापति महोदया, माननीय सदस्य ने अभी एक परिपत्र का जिक्र किया है जिसका उल्लेख कल डा० देवी प्रसाद पाल ने किया था। अब उस दस्तावेज से स्पष्ट हो जाता है कि इस तरह का कोई अनुदेश नहीं दिया गया था। यदि माननीय सदस्य जानबूझकर, या अनजाने में इस सभा को भ्रमित करने में ही लगे रहे, तो मैं सोचता हूं कि यह इस सभा का अपमान है। और कोई भी सदस्य

इस तरह की बात नहीं करते रह सकते। महोदया, यही मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अतः, श्री देवरा को सुनी सुनाई बात के आधार पर अपनी बात नहीं करनी चाहिए। (व्यवधान)

डा० देवी प्रसाद पाल : इस पर गृह सचिव ने हस्ताक्षर किए थे और यह पटल पर रखा गया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जी नहीं, इसे पटल पर नहीं रखा गया। (व्यवधान)

डा० देवी प्रसाद पाल : जी हां, इसे पटल पर रखा गया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : तो इसे पढ़ दीजिए। महोदया, सभा को जानबूझकर भ्रमित किया जा रहा है।

सभापति महोदया : सोमनाथ चटर्जी महोदय, कृपया अपनी सीट ग्रहण कीजिए। मैंने यह सुन लिया है।

श्री मुरली देवरा : मैंने कल सभा में यह बात सुनी थी। (व्यवधान)

श्री हरित चरण तोपदार : यदि ऐसा बात है, तो आप उस परिपत्र को पढ़कर सुनाएं। (व्यवधान)

सभापति महोदय : यदि वे नहीं मान रहे हैं, तो कृपया उन्हें टोकिए नहीं। जब वे मान जाएं, तब आप प्रश्न रख सकते हैं। कृपया अपना आसन लीजिए। कृपया देवरा महोदय, अपनी बात जारी रखते हुए इसे समाप्त करने की कोशिश करें। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह अनावश्यक टिप्पणियां करने जा रहे हैं।

श्री मुरली देवरा : ठीक है। मुझे जानकारी नहीं है। सभापति महोदया, मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि विकसित देशों और पश्चिमी देशों में कृषि क्षेत्रों में रोजगार काफी कम हो गया है। एक समय ऐसा भी था जब दो-तिहाई जनशक्ति कृषि में लगी हुई थी। हमारे देश में क्या हो रहा है? अब, अमरीका और पश्चिमी यूरोप में कृषि क्षेत्र में सात या आठ प्रतिशत लोग लगे हुए हैं। तब अधिकांश रोजगार किन क्षेत्रों में है? यह सेवा क्षेत्र में मिलता है जैसे बढ़ई, राज, दर्जी, इलेक्ट्रिशन और प्लम्बर यदि सरकार आवास में कम से कम निवेश के साथ अधिकाधिक प्रोत्साहन दे, तो आप अकुशल और निपुण लोगों, दोनों के लिए अधिकतम रोजगार पैदा कर सकते हैं। आंकड़े उपलब्ध है जो वित्त मन्त्री की जानकारी में हैं। मैं वित्त मन्त्री जी अपने उस क्षेत्र के भाग का भी विकेन्द्रीकरण करने का अनुरोध करता हूं।

आज, हम निजीकरण की बात कर रहे है। यहां तक कि यदि मैं अपने घर से संसद के लिए कोई निजी बस शुरू करता हूं, तो सोमनाथ चटर्जी महोदय, मुझे एक परमिट की आवश्यकता होगी और आप बात कर रहे है एयर इंडिया और इंडियन एयर लाइंस के निजीकरण की और शेयरों के 20 प्रतिशत निजी लोगों को देने और इसी तरह की अन्य बातें। अर्थव्यवस्था की यह तो स्थिति है। भारत में सरकार की हमारे जीवन में यह तो भूमिका है और आप कह रहे हैं कि हमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को बेच दिया गया है और विश्व बैंक के लोग आ गये हैं और तरह की बातें आप करते हैं। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के लोगों के साथ दिन का भोजन लिया है और विश्व बैंक के लोगों के साथ रात्रि भोज लिया है। (व्यवधान)

[**अनुवाद**]

श्री मुरली देवरा (मुम्बई दक्षिण) : सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से वित्त मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस विचार पर गम्भीरता से विचार करें कि हमें उन व्यक्तियों को अधिक

प्रोत्साहित करना चाहिये, विशेषकर उनको जो अधिक से अधिक घरों का निर्माण कर सकते हैं और सबसे पहली बात जिसे मैं दुबारा कहता हूं और जिसकी श्री सोमनाथ चटर्जी प्रशंसा करेंगे कि वर्तमान शहरी भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम को संशोधित करना चाहिए या इसे निरस्त कर देना चाहिए। यह अधिनियम, 1976 में पारित किया गया था। बम्बई कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास में आधा प्रतिशत भूमि लक्ष्य तक प्राप्त नहीं किया गया है और शहरों में छोटे और मझले मकानों की बहुत ही अधिक आवश्यकता है।

अन्तिम मुद्दा जिस पर मैं वित्त मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा वह रोजगार पर एक अन्य मुद्दे के बारे में है। सरकार को उन व्यक्तियों को कर में छूट देनी चाहिए जिनके अपने मकान हैं। धारा 80 एच० एच० सी० के अन्तर्गत ये छूट दी गई है। लेकिन यदि और अधिक प्रोत्साहन देकर मकान निर्माण की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जायेगा तो इससे और अधिक रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे।

इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : सभापति महोदय, सार्वजनिक क्षेत्र के बीमार उद्योगों को इस विधेयक के द्वारा बी० आई० एफ० आर० के अन्तर्गत लेने के लिए यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है, मैं इसका समर्थन करती हूं। यह विधेयक स्वागत योग्य तो है हो, देर से ही सही, लेकिन सही निर्णय की तरफ जाने का प्रयास है। यह प्रयास कब तक सफल हो पायेगा, अब तक इस पर प्रश्न-चिन्ह लगा हुआ है। लेकिन अच्छा प्रयास शुरू किया गया है, यह भी स्वागत योग्य है। इसके पहले यह भी सोचना पड़ेगा कि पब्लिक सैक्टर की शुरुआत इस देश में की गई तो इसके पीछे कुछ उद्देश्य थे कि ऐसा बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम मिल जाए, रोजगार के आसार बढ़ जायें। इसके साथ-साथ छोटे छोटे उद्योग यानि उससे जुड़ी हुई एंसीलरी इंडस्ट्रीज भी बढ़ जाए। सबसे बड़ी बात यह थी कि निजी उद्योग का जो कटु अनुभव था कि उनका प्राफिट की तरफ ही ध्यान था। "नो प्राफिट नो लॉस" की बेसिस पर उद्योग खड़े हो जाएं यह भावना पब्लिक सैक्टर शुरू करने के पीछे थी। पं० नेहरू कहा करते थे कि "प्राफिट इज ए डर्टी वर्ड"। यह बात ठीक है। यह कहकर हमने पब्लिक सैक्टर की शुरूआत की। यह ध्यान में रखना जरूरी है कि प्राफिट जितना गंदा शब्द है तो लॉस भी पूरे देश को खाई में डालने वाली है। हम जो यह कदम उठा रहे हैं तो इससे पहले यह भी सोचना पड़ेगा कि यह सब क्यों हुआ। सार्वजनिक उद्योग बीमार उद्योग क्यों बन रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण हैं। जब तक ऐसा नहीं सोचेंगे तो ऐसे विधेयक में और बी० आई० एफ० आर० के अन्तर्गत लेने से कुछ नहीं होना है। सार्वजनिक उद्योगों में जो ब्यूरोक्रेसी हैं तो इनका कुछ भी स्टेक नहीं लगा हुआ है। इनके अपने हाथ से कुछ नहीं जात है। इनके साथ-साथ चेन आफ रिस्पान्सीबिलिटी होनी चाहिए, वह नहीं होती है। कोई व्यक्ति किसी भी काम के लिए जाता है तो उसको दूसरो पर डाल दिया जाता है, जिसको 'पासिंग द बक" कहते हैं, किसी के ऊपर उत्तरदायित्व नहीं रहता है। मन्त्री महोदय का वक्तव्य पहले आया था कि सार्वजनिक उद्योगों में वे उद्योग शामिल हैं जो पहले निजी उद्योग थे और राष्ट्रीयकरण की नीति के अन्तर्गत जिनको सार्वजनिक उद्योग बनाया गया था। वर्तमान सरकार चालीस-ब्यालीस साल से सत्ता में रही है, थोड़ा सा आत्मनिरीक्षण करें कि यह उद्योग बीमार क्यों बने ? क्या इस सरकार की गलत नीति के कारण नहीं बने, कहीं न कहीं हमारी नीति गलत हुई है। हमारी नीति को लागू करने का जो तरीका था। उसके कारण ये उद्योग बीमार हुए। इस बारे में सोचना बहुत जरूरी है। कई मुद्दों पर

[श्रीमती सुमित्रा महाजन]

सोचना पड़ेगा। बी० आइ० एफ० आर० के अंतर्गत लाने से कुछ नहीं होने वाला है। मैंने पेपर में पढ़ा है कि इसके अध्यक्ष ने भी कहा है कि तीन साल से कई सुझाव रख दिए हैं, न उन पर अमल होता है और न विचार होता है। समिति केवल गठित की जाती है, लेकिन सही मायनों में उन चीजों पर विचार होना जरूरी है। बीमार उद्योग घोषित किया जाता है तो उसको ऊपर उठाने में मैं यह कहूंगी कि टाइम बाउन्ड प्रोग्राम होना चाहिए। केवल पांच साल का समय दे दिया तो ऐसा नहीं चलेगा। यह हर दूसरे साल इवेल्युएशन होता जाना चाहिए।

5.00 म० प०

यह जब हम करेंगे, तभी जिस उद्योग को हमने बीमार घोषित किया है, जिसे हम कोई फाइनेंशियल एड दे रहे हैं वह सही मायने में अच्छी दिशा में प्रगति कर रहा है या नहीं यह भी देखने की बात है।

इसके साथ-साथ एक यह भी है कि जो वित्त निगम हैं इनका जो तरीका है, मैं आपको उदाहरण के लिए बताती हूं, कई बार यह होता है कि जब किसी उद्योग को निगम द्वारा ऋण दिया जाता है तो ऋण देने के बाद कभी भी उस उद्योग की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है कि किस ढंग से वह चल रहा है और किस उद्योग के लिए हम ऋण दे रहे हैं, ऋण वास्तव में जरूरी है या नहीं या कितनी मशीनरी है, उनकी अपनी पूंजी कितनी है। केवल पच्चीस-तीस कागज साइन किये जाते हैं। यह कार्य तो अच्छे तरीके से होता है, लेकिन जब वसूली की बात आती है तो जैसे अभी-अभी मेरे क्षेत्र में ही एक वाकया हुआ कि करीब ढाई करोड़ का ऋण दिया गया और ऋण देने के बाद 15 दिन पहले डिक्लेयर किया गया कि हम वहां आयेंगे और नीलामी करेंगे। जब वे वहां गये जिसने ढाई करोड़ रुपये का ऋण लिया था, एक बड़ा उद्योग होना चाहिए था, लेकिन वहां केवल टीन शेड था और दो-चार सिलाई की मशीनें रखी हुई थीं।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि जिम्मेदारी किसकी है, यह साबित हो जाना चाहिए। आज जिस ढंग से बात होनी है कि मन्त्री जी कहते कि दो साल आपने समर्थन दिया था इसलिए दो साल में गड़बड़ हो गयी। और इस तरह की बातें कहकर टाल दिया जाता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि अकाउंटेबिलीटी भी स्थापित हो जाना बहुत जरूरी है। प्राइवेट उद्योगों में जो डायरेक्टर्स रहते हैं उनकी तरफ हम इशारा करते हैं कि इनकी गलतियां हैं, उसी प्रकार से पब्लिक सेक्टर में किसकी गलती है, किसकी जिम्मेदारी है, किसके कारण गलत निर्णय लिया गया है, यह भी ध्यान में लाना जरूरी है। कहीं न कहीं उनकी भी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए, पुनरीक्षण करते समय।

चौथी बात यह है कि जो उद्योग बीमार हो जाते हैं, बीमार घोषित भी हो जाते हैं, जैसे सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग बीमार घोषित हो, लेकिन जो व्यवस्थापन खर्च होता है वह उसी प्रकार बरकरार चलता रहता है। अगर उस उद्योग के अधिकारी महोदय को एक ए० सी० कार प्रोवाइड की गई है, उद्योग भले ही बीमार हो जाये वह वैसे ही चलेगी। इसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं। हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं कि प्रशासन का जो खर्चा है उसको कैसे कम कर सकते हैं। क्या इसके कारण तो कहीं उद्योग बीमार नहीं हो रहा है, इस पर सोचा नहीं जाता है। मुझे जानकारी मिली थी कि विशाखापट्नम् के इस्पात का उद्योग से पहले दस साल तक कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ। हमने सोचा भी नहीं कि ऐसा क्यों हुआ। आज अगर मेरी जानकारी गलत नहीं है तो हल्दिया का जो फर्टिलाइजर कारखाना है उसमें आज

भी प्रोडक्शन नाम की कोई चीज नहीं हो रही है। लेकिन व्यवस्थापना का जो खर्च है, वह दुगुना-चौगुना हो रहा है और यहां तक कि अधिकारियों के प्रमोशंस भी हो रहे हैं। इन सभी चीजों को ध्यान में रखना होगा। केवल विधेयक लाकर या उसमें शामिल करके और बी० आई० एफ० आर० के अन्तर्गत देकर यह बात नहीं सुधार सकती।

एक बात और कहना चाहूंगी। आज मेरे ही क्षेत्र में एन० टी० सी० की जो मिल्स हैं, वे बहुत बड़ी समस्या बनी हैं। यह भी सोचने के लायक बात है कि एन० टी० सी० की मिल में ही हमेशा घाटा होता है, ऐसा क्यों होता है? जहां तक मुझे जानकारी है मेरे क्षेत्र में हर साल अगर आग लगेगी तो एन० टी० सी० की मिल में ही लगेगी, ऐसा क्यों होता है और उसके लिए कौन जिम्मेदार है। फाइलें जलेंगी तो एन० टी० सी० मिल में ही जलेंगी, जिम्मेदारी किसी की नहीं है।

इसकी तरफ हमने कभी ध्यान नहीं दिया है और इतना ही नहीं, आज भी वहां एडमिनिस्ट्रेशन पर व्यवस्थापना का जो खर्चा है, वह फोर-टॉयर सिस्टम की तहत चल रहा है। वहां मिल का मैनेजमेंट है, उसके बाद स्टेट का मैनेजमेंट, एन० टी० सी० का मैनेजमेंट है और उसके बाद केन्द्रीय व्यवस्थापना और मंत्रालय है। जो भी व्यवस्थापन पर खर्चा आयेगा, वह उस मिल पर जाता है। तो मेरा इतना ही निवेदन है कि इस प्रकार का विधेयक लाने से काम नहीं होगा। यह बात तो वैसे ही होगी कि पहले हम यहां निजी उद्योग लाये, फिर सोचा यह ठीक नहीं, इसलिए पब्लिक सेक्टर होना चाहिये। जब सही बात नहीं बनी तो हमने सोचा कि निजी उद्योग बीमार हैं उनके लिए कोई कानून बनाना चाहिये लेकिन जब सही काम नहीं चला तो हमने सोचा कि पब्लिक सेक्टर को अलग कर दो लेकिन फिर सोचा कि चलो यही ठीक है पब्लिक सेक्टर को भी विधेयक में शामिल करो। यह तो वही बात हो गयी कि एक छोटा बच्चा होता है, वह जब खिलौने से खेलता है तो कभी एक उठाता है, कभी दूसरा उठाता है और मां भी यह सोचती है कि चलो बच्चा खेल तो रहा है लेकिन जब वह बच्चा बड़ा हो जाता है और इसी प्रकार खेलता हैं तो उसकी इस बात को बुरा मानते हैं और यदि वह यही व्यवहार करे तो वह व्यवहार गलत माना जाता है।

सभापति महोदया, आप हमारे प्रजातन्त्र को और आपकी सरकार को दो साल तीन साल जनता पार्टी/जनता दल की सरकार के समय को छोड़कर 40-42 माल हो गये हैं और बार बार उसी समय का ब्यौरा देकर बच नहीं सकते हैं क्योंकि अब हमारा प्रजातंत्र परिपक्व हो गया है और इन 42 सालों की सत्ता के बाद भी आप बार बार इस ढंग से काम करते गये और सही मानों में, सही तरीके से क्या हो सकता है, यह नहीं सोचा तो किस प्रकार से इस विधेयक पर अमल करेंगे किस ढंग से सुझाव दिये हैं, काम करने वाले लोगों के द्वारा इन सुझावों पर अगर हम अमल नहीं करेंगे तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि केवल इस प्रकार के विधेयक लाने से न हम अपनी अर्थ-व्यवस्था में सुधार ला पायेंगे और न ही हम जो बीमार औद्योगिक इकाईयां हैं, उनको केवल बीमार घोषित करके या उनको बन्द करके या थोड़ा बहुत आर्थिक मदद देकर उनको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। इसके मूल कारण को यदि हम देखेंगे या जो मैंने 4-5 सुझाव दिये हैं, यदि उन पर ध्यान देंगे, उन पर अमल करने की सोचेंगे तो कुछ रास्ता निकलेगा।

सभापति महोदय, अंत में मुझे आशा है कि अब कम से कम 43 साल की गलत नीति से या गलत तरीके से चलने के बाद अगर सरकार सुधार करने की सोच रहे हैं तो ऐसी दशा में हम इसका समर्थन करते हैं।

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बारसाट) : सभापति महोदया, मैं इस विधेयक का सिद्धांत और व्यवहार्यता दोनों आधारों पर विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं मानता हूं कि यह विधेयक वर्तमान शक्ल में

[श्री चित्त बसु]

सीधा-सादा और अहानिकारक विधेयक सा दीखता है क्योंकि यह केवल यह चाहता है कि मूल अधिनियम में, सरकारी दफ्तरों को भी मिलाया जाना चाहिए। लेकिन इन संशोधनों की कई उपशाखाएं हैं। इससे कई भयानक परिणाम निकलेंगे जिनकी इन अधिनियमों को सशोधित करने के बाद आने की सम्भावना है। इन दो आधारों पर मैंने अपने मामले को खड़ा किया है।

महोदय, अभी कुछ ही दिन पहले हमारे देश के माननीय श्रम मंत्री जी ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की तस्वीर हमारे सामने प्रस्तुत की थी। मैं उनके वक्तव्य से उद्धृत करना चाहूंगा जिसमें यह कहा गया है कि "31 मार्च, 1990 को इन इकाईयों की कुल संख्या 244 थी। इन पर कुल निवेश उसी तारीख को 99,03,015 करोड़ रुपए था।

इन सभी 131 एककों में लगभग एक लाख करोड़ रुपया लगा हुआ है जिसमें अर्जित 85 प्रतिशत पूंजी निवेश और 5141 करोड़ रुपए का संचित लाभ भी सम्मिलित है। घाटा देने वाले एकक 98 हैं। घाटे की राशि 1959 करोड़ रुपए हैं। इन 98 एककों में से 50 एकक तो लम्बे समय से घाटा देने वाले एकक हैं। इससे हमें समझ लेना चाहिए कि क्यों पर ये 98 एकक और विशेषकर 58 एकक दीर्घकालिक रूप से रुग्ण हो गये हैं। क्या लाभ और हानि से ही इसको हम माप सकते हैं? यदि लाभ और हानि ही किसी इकाई की योग्यता को निर्धारित करने का मापदण्ड है और वह भी सार्वजनिक क्षेत्र के लिए भी तो मैं समझता हूं कि सार्वजनिक क्षेत्र की अवधारणा के मूलभूत सिद्धान्त को हम निराधार कर रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए अपने ही ढंग से अपनी आर्थिक स्वतन्त्रता सशक्त बनाने और विदेशों के दबाव का मुकाबला करने के लिए बनाया गया था। प्रश्न मात्र यह नहीं था कि कितने धन का निवेश किया गया है और कितना लाभ प्राप्त हुआ है। इसे राजस्व प्राप्ति के रूप में या लाभ हानि के रूप में प्राक्कलित नहीं किया गया था। सार्वजनिक क्षेत्र की स्थापना का मूल दर्शन देश की आर्थिक स्वतंत्रता को मजबूत करना, और प्रगति को सुरक्षित करना है तथा औद्योगिक विकास को त्वरित करना, उसे बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त रखना और उन अन्य इच्छुक देशों के हस्तक्षेप से मुक्त रखना जो हमारे विरोधी हैं। मैं कठोर शब्दों का प्रयोग भी नहीं कर रहा हूं क्योंकि वह यह पसन्द नहीं करते हैं।

सामाजिक एकता और सामाजिक प्रयोजन का भी प्रश्न है। इसलिए सामाजिक उपयोगिता और सामाजिक उद्देश्य को भी किसी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई की स्थिति को निर्धारित करने का एक मापदण्ड माना जाना चाहिए। श्रम मंत्रालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि 98 इकाईयां रुग्ण हैं और इनमें से 50 इकाईयां तो चिरकालिक रुग्ण हैं। क्या वित्त मंत्रालय ने, खास करके सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में या इस प्रकार के तन्त्र ने ऐसा कोई विश्लेषण किया है कि उन सामाजिक उपयोगिता और सामाजिक उद्देश्य पर विचार करने के क्या कारण हैं जिसकी वजह से इन सार्वजनिक क्षेत्र के 98 उपक्रमों को स्थापित किया गया था। करने के लिए ध्यान में रखा गया था। जब तक इसको स्पष्ट नहीं कर दिया जाता, जब तक इसकी स्थिति स्पष्ट नहीं होगी, सरकार की स्थिति को समझना कठिन है। खासकर जब देश के श्रम मंत्री ने जो स्थिति ग्रहण की हैं और वित मंत्री महोदय ने उसके अनुसरण में इस संशोधन विधेयक के बारे में जो स्थिति अपनाई है।

सरकार के लिए खासकर वित्त मंत्री द्वारा इस मुद्दे को बी० आई० एफ० आर० को सौंपा जाना रामबाण सिद्ध होगा, तो अब हमें बी० आई० एफ० आर० की कार्य-निष्पादकता का भी विश्लेषण कर लेना चाहिए। जहां तक मुझे याद है, एक हजार से अधिक मामले बी० आई० एफ०

आर० को भेजे गए थे, जिसमें से केवल 475 मामलों का अन्तिम रूप से निपटारा किया गया। 474 एककों में से, 136 एककों को बी० आई० एफ० आर० ने बन्द करने का सुझाव दिया है। उन्होंने सिफारिश की कि इन्हें बन्द किया जाये। इनमें से 338 मामलों में पुनर्स्थापन कार्यक्रम स्वीकृति प्रदान की गयी थी। इस मामले में, मैं पश्चिम बंगाल की वास्तविक स्थिति के बारे में उल्लेख करना चाहूंगा।

इस राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र, दोनों प्रकार की बहुत-सी फैक्टरियां रुग्ण हैं। इसका कारण क्या है, यह समय उस पर चर्चा करने का नहीं है. लेकिन हमे यह समझ लेना चाहिए कि बी० आई० एफ० आर० की उन मामलों के बारे में क्या भूमिका रही है जो पश्चिमी बंगाल ने उन्हें भेजे थे।

महोदया, मेरी सूचना के अनुसार 46 एककों के मामले बी० आई० एफ० आर० के पास 1987 से लम्बित पड़े हुए हैं, केवल दो एककों के बारे में उन्होंने अपना अन्तिम निर्णय दिया और दुर्भाग्यवश वह निर्णय बन्द करने का है। वह निर्णय भी उन्हें बन्द करने का है। अगर, यही बी० आई० एफ० आर० की कार्य-निष्पादकता है, तो मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री ने विदेश में जो वक्तव्य दिया है कि वे इन्हें बन्द करना चाहते हैं तो यह उनके अनुसार रामबाण सिद्ध होगा। यही उनकी असली मंशा है। इन रुग्ण एककों को बन्द करना ही उनकी असली मंशा है। लेकिन वे बी० आई० एफ० आर० के जरिये असंतोष प्रकट कर रहे हैं। वे यह दिखाना चाहते हैं कि सरकार मजदूरों के हितों को संरक्षण प्रदान करने को तैयार है और यह कि सरकार मजदूरों के बारे में चिंतित है। मेरे मित्र श्री देवडा भी चुनौती दे रहे थे कि यदि सरकार मजदूरों के हितों की देखभाल नहीं कर सकती है तो वह सत्ता में भी नहीं रह सकती है। इसलिए सरकार को मजदूरों के हितों को देखना चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए। केवल लोगों को धोखा देने के लिए, केवल मजदूरों की आंखों में धूल डालने के लिए उन्होंने बी० आई० एफ० आर० का सहारा लिया है। मैं एक बार फिर अपना आरोप दोहराता हूं कि मंशा कुत्सित है।

मैं समझ सकता हूं कि सोवियत संघ और पश्चिमी देशों के बारे में कई उदाहरण दिए जाते हैं। मैं जानता हूं कि उन्होंने पूरी की पूरी आर्थिक नीति में संशोधन करने का निश्चय कर लिया है। उन्होंने पूंजीवाद को फिर से लाने का और सार्वजनिक क्षेत्र को बन्द करने का निश्चय कर लिया है। वे समाजवादी अर्थव्यवस्था को उखाड़ फेंकना चाहते हैं जैसाकि वे इसे समझते हैं। लेकिन आप क्या कह रहे हैं? आपने देश को यह आश्वासन देते हुए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को खड़ा किया है कि सरकारी क्षेत्र पूंजीवादी विकास को बराबर करने का उपकरण होगा और उसका ऊंचा स्थान होगा। आपको उस नीति की जड़े काटने में जरा सी भी लज्जा का अनुभव नहीं हो रहा है जिन्हें पं० जवाहर लाल नेहरू ने या कांग्रेस पार्टी ने समग्र रूप से स्थापित किया था।

मुझे यह देखकर हैरानी होती है कि कुछ भारतीय जनता दल के सदस्य ऐसा समझते हैं कि यह अच्छी बात है क्योंकि यह उचित है कि सरकार नेहरुवादी नीतियों से दूर होती जा रही है और सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की अवधारणा से भी दूर होती जा रही है। इसमें कहीं पर तो दोनों के पहुंच में समीप आने कहीं पर दोनों की विचारधारा में समानता है। और सदन में भी यह प्रतिबिंबित हो रहा है। यह केवल इस संशोधन विधेयक तक ही सीमित नहीं है बल्कि पूरी की पूरी आर्थिक नीति के उस खेल में भी देखने को मिलेगी जिसे सरकार मनवाना चाहती है और भारतीय जनता दल जिसका पालन करवाना चाहता है।

[श्री चित्त बसु]

इसलिए मूल नीति पर हम इसका विरोध करते हैं और हम इसका हर प्रकार से हर कोण से विरोध करते हैं।

अब मैं अन्तिम प्रश्न पर आता हूं और वह है क्या सरकार ने कभी भी उन 138 बन्द एककों के बारे में पता करने की कोशिश की जो बन्द कर दिए गये हैं। और जिन्हें बी० आई० एफ० आर० की सलाह और निर्णय पर बन्द करवा दिया गया? क्या कभी आपने मजदूरों के बारे में सोचा? क्या कभी भी आपने मजदूरों के भाग्य के बारे में जानने की कोशिश की उनकी क्या स्थिति है? ये सभी एकक वी० आई० एफ० आर० के निर्णय के अन्तर्गत बन्द कर दिये गये थे। क्या आप चाहते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में भी यह निर्णय दोहराया जाए?

फिर इस औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने 338 एककों को पुनर्जीवित करने का सुझाव दिया। मैं नहीं जानता कि आपको आंकड़े प्राप्त हो गए हैं। मुझे आंकड़े प्राप्त हो गये हैं···(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या उनको पुनर्जीवित किया जा चुका है?

श्री चित्त बसु : यहीं तो मैं उनसे पूछ रहा हूं।

इन 338 इकाइयों में से कितनी इकाइयों को पुर्नजिवित किया गया हैं जिनके लिये औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा पुनर्जीवित करने के कार्यक्रम का निर्णय लिया गया था? इन 338 इकाइयों का वर्तमान दर्जा क्या है? जब तक ये बातें हमें स्पष्ट नहीं कर दी जाती हैं, मैं यह कैसे कह सकता हूं कि औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए राम बाण होगा और कामगारों के हितों की सुरक्षा के लिए स कार के आश्वासनों पर विश्वास किया जायेगा। इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता।

सुरक्षा तन्त्र के बारे में उल्लेख किया गया है। पिछली बार भी मैंने इसके बारे में उल्लेख किया था। राष्ट्रीय नवीकरण निधि रखने के प्रति सरकार का क्या विचार है? इसका आकार क्या है? इसके कार्य निष्पादन के तरीके क्या हैं? इसके सिद्धान्त क्या होंगे? इन सभी बातों की हमें जानकारी नहीं है। ये सभी बातें कल्पना मात्र हैं।

वित्त मन्त्री महोदय के भाषण में बहुत-सी बातों का उल्लेख किया गया है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि सभा में वित्त मन्त्री द्वारा दिये गये वक्तव्य में की गई सभी उद्घोषणाओं को क्रियान्वित किया गया है अथवा लागू किया गया है। इसका उल्लेख उनके बजट भाषण में किया गया था। राष्ट्रीय नवीकरण निधि, जो कामगारों के लिये सुरक्षा तन्त्र प्रदान कर सकता है, के सम्बन्ध में क्या प्रगति की है? जहां तक मैं जानता हूं, मात्र यह घोषणा की गई है? गई थी कि उसमें 250 करोड़ रुपये होंगे। और मेरे विचार से विश्व बैंक ने इस सुरक्षा तन्त्र या राष्ट्रीय नवीकरण निधि को अब तक 50 करोड़ डालर दिये हैं। क्या माननीय मन्त्री यह स्पष्ट करने का कष्ट करेंगे कि राष्ट्रीय नवीकरण निधि को उपयोग में लाने के क्या नियम हैं? इसका आकार क्या होगा? इस निधि का अन्य ब्यौरा क्या होगा? क्या उन्होंने इस बात पर विचार किया है कि औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा लिये गये इस तरह के निर्णय के कारण—कुछ समय के लिए मानते हुए—91 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बन्द कर दिया गया था? इनमें लगभग 8.12 लाख श्रमिक अन्तर्ग्रस्त हैं। क्या उन्होंने कभी यह सोचा है अथवा विश्लेषण किया है कि इनमें से कितनों की छंटनी की जायेगी, कितनों को रोजगार से

निकाला जायेगा; उनमें से कितनों को वैकल्पिक नौकरी दी जा सकती है, उनमें से कितनों को पुन: प्रशिक्षित किये जाने की आवश्यकता है; उनको पुनर्जीवित करने के लिये कितनी राशि उपलब्ध कराई जायेगी ? (व्यवधान)

वित्त मन्त्री (श्री मनमोहन सिंह) यह उसी उद्देश्य के लिए है···(व्यवधान)

श्री चित्त बसु : आप इसे स्पष्ट करें। सभा को विश्वास में लो। राष्ट्र को विश्वास में लो। श्रमिक वर्ग को विश्वास में लो। यदि ऐसी स्थिति है तो इसके लिये जल्दी क्या है? अब श्रम मंत्री महोदय ने यह विश्वास दिलाया है कि एक त्रिपक्षीय समिति का गठन किया जायेगा और यह त्रिपक्षीय समिति आधार निर्धारित करेगी। मेरा विचार है और मुझे आशा है कि जिन बातों को मैं यहां कह रहा हूं त्रिपक्षीय समिति उन सभी बातों पर विचार करेगी। त्रिपक्षीय समिति को पहले, राष्ट्रीय नवीकरण कोष के बारे में, पुन प्रशिक्षण देने के कार्यक्रम और पुनर्जीवित करने के कार्यक्रम आदि के बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने दो।

महोदया, जल्दी क्या है ? यदि विधेयक को त्रिपक्षीय समिति का निष्कर्ष आने तक, श्रमिक वर्ग की स्वीकृति भी उपलब्ध कराये जाने तक और अपने देश में राष्ट्रीय आम सहमति तैयार होने तक टाल दिया जाये, तो सरकार को क्या आपत्ति है ? यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो इस विधेयक को समर्थन देना असम्भव है।

विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष नियोक्ता के अधिकारों की सुरक्षा करना चाहते हैं। नियोक्ता के वे कौन से अधिकार हैं जिनको वे सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं ? वे चाहते है कि जैसाकि नियोक्ताओं को रोजगार देने का अधिकार है उन्हें बर्खास्त करने का भी अधिकार है। नियोक्ता होने के नाते यदि उन्हें किसी एकक को बन्द करने का भी अधिकार है यदि वह लाभ अर्जित नहीं कर रहा हो। विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सिद्धान्तवादियों के अनुसार यह नियोक्ता का मूल अधिकार है। नियोक्ता का यह अनतिक्रम्य अधिकार भारत जैसे उस देश में स्वीकार नहीं किया जा सकता जो गरीब है, जिसे अधिक रोजगार की आवश्यकता हो, जिसे विनियमित अर्थव्यवस्था की आवश्यकता हो, जिसे योजनागत् अर्थव्यवस्था की आवश्यकता हो तथा जिसे योजनागत् विकास की आवश्यकता हो। नियोक्ता के अधिकार पर पाबन्दी की आवश्यकता है।

इस पक्ष के बहुत से सदस्य सरकारी-क्षेत्र की साधारणतया यह कहकर निन्दा कर रहे हैं कि यह लाभ अर्जित नहीं कर सकता, यह हानि उठाने वाला क्षेत्र है, इसे बन्द कर देना चाहिए। मैं यह दर्शाने के लिए लघु आंकड़े देना चाहता हूं कि इस देश के राजस्व में सरकारी क्षेत्र का भी योगदान रहा है। 99,315 करोड़ रुपये का कुल पूंजी निवेश किया गया था। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अब तक आन्तरिक संसाधनों द्वारा 54,470 करोड़ रु० का संग्रहण किया गया है। सीमा-शुल्क, उत्पाद शुल्क, निगमित कर, लाभांश, आय-कर आदि से सरकार को 1,13,135 करोड़ रु० की आय होती है। इन सबको मिलाकर वर्ष 1990 तक संसाधनों से कुल 1,70,375 करोड़ रु० के राजस्व का संग्रहण किया गया है। लगभग एक लाख करोड़ रुपये का पूंजी निवेश किया गया था। हमारे देश में सरकारी क्षेत्र द्वारा लगभग 75000 करोड़ रु० का कुल लाभ अर्जित किया गया है। आप उसे बदनाम करना चाहते हैं, आप उसे नष्ट करना चाहते हैं। उससे हमारा देश संकट में पड़ जायेगा। मुझे आशा है और मैं अनुरोध करता हूं कि इस अवसर पर कांग्रेस पक्ष के सदस्य भी इस स्थिति को समझेंगे और यह देखेंगे कि उनकी अपनी सरकार इस अनर्थपूर्ण रास्ते पर आगे न बढ़े जो न तो अपने स्वयं के

[श्री चित्त बसु]

सामर्थ्य से और न ही स्वेच्छा से वहां बैठी हुई है। याद रहे, आपकी अल्पमत की सरकार है। याद रखो, आपको अभी राजनैतिक स्थिरता प्राप्त करनी है। यदि आप इस तरह से श्रमिकों के हितों के विरुद्ध कार्य करेंगे तो इस देश का श्रमिक वर्ग आपको माफ नहीं करेगा।

श्री के० पी० सिंह देव (ढेंकानाल) : मैं गत दो दिनों से बड़े धैर्य से सभा के दोनों पक्षों के विशेषकर विपक्ष के अर्थपूर्ण भाषणों को सुनता आ रहा हूं। दोनों पक्षों —वे जो विधेयक का समर्थन कर रहे हैं और वे जो विधेयक का विरोध करते हैं—के अर्थपूर्ण भाषणों से एक बात स्पष्ट है कि प्रत्येक यह चाहता है कि सरकारी क्षेत्र प्रभावी तथा सफल रहे। मेरे विचार से माननीय वित्त मन्त्री महोदय भी केवल यही करना चाहते हैं। अतः मैं इस विधेयक विशेषकर संशोधन का जो समर्थकारी खण्ड है, समर्थन करता हूं।

समर्थकारी खण्ड के उद्देश्य एवं कारण क्या हैं ?

इसमें यह दिया गया है कि,

"अब यह आवश्यक हो गया है —चार दशकों के पश्चात् उन्होंने अनुभव किया है कि यह आवश्यक है—कि सरकारी क्षेत्र की औद्योगिक कम्पनियों पर उक्त अधिनियम के उपबन्धों को लागू किया जाये ताकि इस तरह की रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों के मामले औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास पुनर्जीवन अथवा पुनःस्थापन योजनाओं को तैयार करने अथवा उन्हें बन्द करने, जैसाकि बोर्ड उचित समझे के लिए भेजा जा सके।"

और यह औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड क्या है ? यह मूल नीति की पैदाइश है। यह मई, 1987 में बनाये गये रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष अनुबन्ध) अधिनियम की सृष्टि है और यह कार्य करने लगा। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के लक्ष्य क्या हैं ? इसके लक्ष्य सम्भवतः जीवनक्षम रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों को यथाशीघ्र पुनर्जीवित और पुनःस्थापित करने और उत्पादकता पहलू को बचाकर उभारना है अथवा उन रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों से जो जीवनक्षम नहीं हैं उनकी सम्पदा की नीलामी करके बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय बकाया राशि को वसूल करना है। मापदण्ड क्या है ? पहला, कम्पनी सात वर्ष से भी अधिक पुरानी है, दूसरा, इसके सभी लक्ष्य नकारात्मक हैं, और तीसरा, पिछले दो वर्षों के दौरान इसने नकद घाटा उठाया है।

मैं भी अपने वरिष्ठ मित्र श्रेष्ठ मुवक्ता श्री इन्द्रजीत गुप्त की आशंका से सहमत हूं। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड का स्वरूप क्या है, उसकी रचना क्या है, इसकी क्षमता क्या है और इसकी भूमिका क्या है ? यहां, यदि मैं यह उद्धृत कर सकता हूं, तो एक पुरानी कहावत है कि युद्ध इतना गम्भीर है कि इसे केवल सेनापतियों के ऊपर ही नहीं छोड़ा जा सकता है। अतः बहुत से माननीय सदस्यों की इन आशंकाओं को माननीय वित्त मन्त्री द्वारा दूर किया जाना चाहिए कि औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड वृद्ध सेवानिवृत्त लेखाकारों का केवल एक समूह है क्योंकि इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को जो विगत चार दशकों से हमारे देश में हैं, अपने देश में राष्ट्रीय आत्म-निर्भरता और स्वावलंबन लाने के लिए कतिपय सामाजिक-आर्थिक, सामाजिक-राजनैतिक और अन्य लक्ष्यों के साथ स्थापित किया गया था ताकि हम अपनी आर्थिक विचारधारा, अपनी आर्थिक नीतियों में स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकें और अपने प्रजातन्त्रीय देश के लिए स्वतन्त्र विदेश नीति और आर्थिक नीति तथा स्वतन्त्र प्रभुता सम्पन्न नीति रख सकें। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि माननीय वित्त मन्त्री

को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की प्रभावकारिता और क्षमता तथा स्वरूप के बारे में तथा इन लोगों के बारे में जो इसे चलाते हैं, हमारे सन्देहों को दूर करना चाहिए। क्योंकि जब इस सम्मानित सभा में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था तो हमारे इसी तरह के सन्देह थे। वन संरक्षण अधिनियम में यह दिया गया है कि छः वन अधिकारी अपनी बैठक में यह निर्णय देंगे कि क्या कतिपय विद्युत परियोजनाओं को चलाने की, कतिपय उद्योगों का स्थापित करने की और कतिपय सड़कों को बनाने की अनुमति दी जाये अथवा नहीं। उनके पास बिना किसी उत्तरदायित्व के आधिकार है। अतः, हम यह जानना चाहते हैं कि क्या औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड एक सलाहकार निकाय है, क्या यह एक अनुशंसात्मक निकाय है अथवा अधिदेशात्मक निकाय है—यह किस प्रकार का निकाय है अथवा अधिदेशात्मक निकाय है—यह किस प्रकार का निकाय है और इसकी सिफारिशें सरकार अथवा वित्त मन्त्रालय में कितनी प्रभावी हैं ? अब मुझे यह विधान प्रस्तुत करने के लिए माननीय वित्त मन्त्री महोदय को दो कारणों से बधाई देनी चाहिए। पहला—मुझे अपने राज्य उड़ीसा से यह पता चला है कि इस तरह के विधान के न होने से सरकारी क्षेत्र के हमारे चीनी के संयंत्रों—जिन्हें 1982-83 में स्थापित किया गया था—को निजी क्षेत्र को बेच दिया गया है क्योंकि इन संयंत्रों के नवीकरण के लिए, उन्हें पुनः स्थापित करने के लिए, उन्हें पुनः चमकाने के लिए और उनके कार्य की आलोचनात्मक जांच करने के लिए इस तरह का कोई तन्त्र विद्यमान नहीं है। इसी प्रकार हजारों करोड़ रुपये के चार्ज-क्रोमों संयंत्र का मामला है जिसे निजी क्षेत्र को बेच दिया गया है। इसके साथ ही क्रोमीसोर जो कि केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिबन्धित बस्तु मानी गई हैं, को भारत के एक बहु-राष्ट्रीय बड़े घराने को देने के लिए इनके सम्पूर्ण खनन अधिकारों को दहेज की तरह देने की मांग की जा रही है। मैं नहीं जानता कि क्या केन्द्रीय सरकार अपनी आंखें बन्द रखना चाहेगी या कुछ सुधारात्मक उपाय करेगी। इसलिए मैं औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के इस तन्त्र को लाने के लिए उन्हें बधाई देता हूं ताकि सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं को जो मेरे माननीय मित्र श्री जशवन्त सिंह के कथनानुसार-सरकारी धन है—को बेचे जाने से रोका जा सके। यह राष्ट्र का धन है। यह न तो डा० मनमोहन सिंह का है न ही श्री पी० वी० नरसिन्हा राव का धन है और न ही किसी व्यक्ति का धन है। यह राष्ट्र का धन है और हम न्यासी के रूप में संसद के माध्यम से राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी है। और मुझे विश्वास है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को भी या तो राज्य विधान सभा या संसद जोकि सर्वोच्च विधायी निकाय है, के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाना चाहिए। यहां हम लोगों की सर्वोत्तम इच्छाओं को व्यक्त करते हैं; अतः हम लोगों के प्रति उत्तरदायी हैं।

दूसरा कारण जिसके लिए मैं वित्त मन्त्री को यह विधान लाने के लिये बधाई देता हूं, यह है कि उन्होंने वर्ष 1991 के कांग्रेस के घोषणा-पत्र में हमारे नेता स्वर्गीय श्री राजीव गांधी द्वारा राष्ट्र को दिये गये बचन को ही कार्य रूप देने का प्रयास किया है। और मैं उद्धृत करता हूं :

> "भारतीय अर्थव्यवस्था, उद्योग और रोजगार के विकास के लिए सरकारी क्षेत्र निर्णायक है। तथापि समयोपरान्त सरकारी क्षेत्र की कुछ कम्पनियां निश्चेष्ट, अप्रभावी और महंगी हो गई हैं। इस स्थिति को ठीक किए जाने की आवश्यकता है। सरकारी क्षेत्र को नवीन परिवर्तन लाते रहना चाहिए और राष्ट्रीय महत्व के अनुकूल क्षेत्रों को नेतृत्व प्रदान करते रहना चाहिए। सरकारी क्षेत्र के पास इसके लिए संसाधन हैं और इसलिए उसे उन नई सीमाओं, क्षेत्रों, जिन्हें अत्यधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता है, की खोज करते रहना चाहिये। नये क्षेत्रों में इस योजनाबद्ध और अग्रगामी पहलकदमी के लिए सरकारी क्षेत्र के लिए उत्तरदायित्व के कुछ निर्णायक क्षेत्रों को छोड़ना वांछनीय होगा। कांग्रेस सरकारी क्षेत्र की उन

[श्री के० पी० सिंह देव]

क्षेत्रों से धीरे-धीरे वापसी देखना चाहेगी जिन क्षेत्रों में निजी और संयुक्त क्षेत्रों ने विकास की क्षमता विकसित कर ली है। सरकारी क्षेत्र को ये आवश्यकताएं होंगी : (1) स्वायत्तता; (2) लचीलापन; (3) दूरदृष्टि; (4) स्पष्टता; (5) उत्तरदायित्व; (6) नेतृत्व; (7) नवीनता; (8) उद्यमता; (9) विश्वव्यापी दृष्टिकोण और (10) प्रतियोगी वातावरण। इसे कम सरकारी हस्तक्षेप, सुदृढ़ और व्यावसायिक रूप से साहसिक निर्णय लेने वाले सक्षम बोर्ड, सर्वोत्तम प्रबन्धन प्रतिभाओं को आकर्षित कर पाने की योग्यता और राष्ट्रीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अनुकूल दीर्घकालिक योजनाएं बनाने की भी आवश्यकता है।"

इसलिए, महोदया, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस विधान में यह किया गया है कि औद्योगिक और वित्तीय नर्निर्माण बोर्ड उन पहलुओं पर परामर्श देने के काबिल है जिनको राष्ट्र को दिए गए हमारे वचन में सम्मिलित किया गया है।

समाप्त करने से पहले मैं दो बात और कहना चाहता हूं। एक यह है सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का एक उदाहरण है जिसे 1970 में कुछ किया गया था और जो उड़ीसा के तलचर में कोयले पर आधारित उर्वरक संयन्त्र हैं। यह अपनी तरह का एशिया में कोयले पर आधारित पहला उर्वरक संयन्त्र है। और इसकी क्या समस्याएं थी ? एक समस्या यह थी कि विदेशी मुद्रा की समस्या के कारण विगत बीस वर्षों में पूर्वी यूरोप के ऐसे देशों से कई उपस्कर खरीदे गए थे जहां से रुपयों के भुगतान पर लेन-देन की सुविधा उपलब्ध थी। इसका परिणाम यह हुआ कि परियोजना को बेमेल और घटिया स्तर के उपस्कार भेजे गए। दूसरी समस्या मूल डिजाइन कार्यक्षमता की थी। बेमेल उपस्करों, स्थायीरूप से विद्युत आपूर्ति की समस्याएं, घटिया स्तर के कोयले संयंत्र को बार-बार शुरू करने और बन्द करने से उत्पादन में अत्यधिक घाटा हुआ। इसके अतिरिक्त प्रौद्योगिकीय संवर्धन, आधुनिकीकरण और अन्य समस्याओं तथा विदेशी मुद्रा के रूप में वित्तीय सहायता की समस्या को दूर करने का कभी प्रयास नहीं किया गया है। और आज यह हालत है कि सरकारी क्षेत्र को धमकियां दी जा रही हैं। जैसाकि श्री इन्द्रजीत ने कहा है कि श्रमिक इस बात से संत्रस्त एवं आंतकित है कि तलचर के कोयले पर आधारित संयन्त्र को बन्द किया जा सकता जा सकता है। इसी संयंत्र ने अब औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को अनुरोध किया है। मैं नहीं जानता कि औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड में इन सभी पहलुओं की जांच करने की विशेषज्ञता तथा निपुणता है।

मैं केवल कुछ आंकड़ों को उद्धृत करके, जिनको मेरे माननीय मित्र श्री चित्त बसु ने भी उद्धृत किया है, अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं और ये सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की स्थिति दर्शाने वाले पत्र के सम्बन्ध में है। इनको मैं इण्डियन एक्सप्रेस से उद्धृत कर रहा हूं जो सरकार के पक्ष में नहीं है बल्कि सरकार के विरुद्ध है और यह सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का रिकार्ड है जिनके लिए हम सभी उत्तेजित हैं।

इसमें न तो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का दोष है और न ही श्रमिकों और कामगारों का दोष है। लेकिन मर्ज तो कहीं और ही है। मैं आंध्र प्रदेश के अपने माननीय मित्र से बहस नहीं करना चाहता जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और श्री नरसिम्हा राव पर खुला आरोप लगाते हैं। नि:सन्देह, हो सकता है उनकी अपनी अन्तर्राज्य पार्टी में कुछ कहा-सुनी हुई हो ?

लेकिन इस पत्र में, जो कि सरकार के पक्ष में नहीं है कुछ और ही कहा गया है। मैं इसे उद्धृत करता हूं :

"सरकारी क्षेत्र की अपेक्षा सरकार अधिक दोषी है। 99,315 करोड़ रु० के कुल पूंजी निवेश के 244 केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों में से केवल 98 एककों का कार्यनिष्पादन कम है। यद्यपि वे संख्या में अधिक हैं परन्तु लगाई गई पूंजी के केवल 14.5% के लिए उत्तरदायी हैं।

ये 98 उपक्रम कई अर्थों में अकुशल हैं। वर्ष 1989-90 में इनमें से किसी ने भी लाभ नहीं दर्शाया है। उन्हें 10,000 करोड़ रु० का कुल संचयी घाटा हुआ है जो सरकारी क्षेत्र के सभी उद्यमों में हुए संचयी घाटे का 78% बनता है।

इन 98 एककों में से 15 एकाधिकारी एकक हैं और 83 प्रतियोगिता के बाजार में कार्यरत हैं। इन 83 एककों में से 46 एककों को निजी क्षेत्र से रूग्ण उद्यमों के रूप किया गया है। घाटे में चल रही सभी 53 प्रतियोगी उद्यमों में 3.90 लाख व्यक्तियों के रोजगार के मुकाबले में वर्ष 1989-90 में अधिग्रहित उद्यमों में 3.13 लाख व्यक्ति रोजगार में थे। अधिग्रहित उद्यमों में लगाई गई पूंजी 1,792.24 करोड़ रु० है जबकि घाटे में चल रहे सभी उद्यमों में लगाई गई कुल पूंजी 2,357.40 करोड़ रु० थी। इस प्रकार अधिग्रहित एकक घाटे में चल रहे 83 उद्यमों के 80 प्रतिशत रोजगार से कुछ अधिक के लिए और उनमें लगाई गई लगभग 76 प्रतिशत पूंजी के लिए उत्तरदायी हैं। अभिग्रहित एककों में वे एकक आते हैं जो निजी क्षेत्र द्वारा पहले रूग्ण घोषित कर दिये गये थे और जिन्हें सरकार द्वारा मुख्यतः रोजगार बचाने के लिए अधिग्रहित किया गया था।"

सभापति महोदया : श्री सिंह देव, आप इसका उल्लेख कर सकते हैं लेकिन इनको पढ़ नहीं सकते।

श्री के० पी० सिंह देव : मुझे आपकी कृपा की आवश्यकता है।

सभापति महोदया : आप लगातार क्यों पढ़ रहे हैं ?

श्री के० पी० सिंह देव : महोदया, यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं यह दर्शाना चाहता हूं कि माननीय वित्त मन्त्री ने श्रमिकों की सुरक्षा कैसे की है और उन्होंने रूग्ण उद्यमों को उत्पादन करने वाले उद्यम बनाने के लिए कौन सा रास्ता निकाला है।

सभापति महोदया : मैं अनुरोध करती हूं कि आप समाप्त करें।

श्री के० पी० सिंह देव : जी, महोदया।

मैं उद्धृत कर रहा था :

"स्थिति दर्शाने वाले पेपर में यह दिया गया है कि अधिग्रहित उद्यमों में वर्ष 1989-90 में प्रति कर्मचारी वार्षिक घाटा 15,494 रु० का था जबकि इन उद्यमों में लगाई गई पूंजी प्रति कर्मचारी 57,315 रु० थी।"

इसलिए, भारत सरकार और वित्त मन्त्रालय ने कामगारों की सुरक्षा की है और मैं एक सुस्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि माननीय वित्त मन्त्री इस सभा, समस्त श्रमिक वर्ग और देश को विश्वास में ले कि सुरक्षा तन्त्र और राष्ट्रीय नवीकरण निधि श्रमिकों की समस्याओं की देखभाल करेगी यदि जब कभी

औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड कतिपय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बन्द करने का कठोर निर्णय लेता है क्योंकि राष्ट्र आने वाले हर समय में व्यर्थ ही 1000 करोड़ रु० का भुगतान नहीं कर सकता। हमें उन 1000 करोड़ रुपयों की उत्पादन करने वाले उद्यमों के लिये, रोजगार उत्पन्न करने के लिए आवश्यकता है जोकि स्वर्गीय राजीव गांधी का राष्ट्र से किया गया यह वायदा भी है कि पांच वर्ष के समयावधि में 50 लाख लोगों को निश्चित रूप से रोजगार प्रदान किया जायेगा।

[हिन्दी]

श्रीमती गिरजा देवी (महाराजगंज) : माननीय चेयर परसन, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहती हूं कि मैं तहेदिल से इस विधेयक का विरोध करती हूं। मुझे ऐसा लगता है कि पूरा सदन मानसिक रूप से इसके विरोध में ही है। दूसरी ओर उपस्थिति भी बहुत कम है, कम ही लोग कुछ-कुछ बातें इसके पक्ष में कह रहे हैं। कुछ दिन पहले कांग्रेस सरकार ही पब्लिक सेक्टर की हिमायती थी और आज फिर यह कैसे पब्लिक सेक्टर को बदल कर बन्द करने की बात आ गई? इसका जवाब पूरी जनता के पास नहीं है, हम लोगों के पास नहीं है, यदि जवाब है तो केवल आप लोगों के पास है। (व्यवधान)

यह बात कांग्रेस के जो सिद्धान्त हैं, उनके भी विरुद्ध है। ऐसा लगता है कि सरकार अलाभकारी और रूग्ण कह-कहकर यहां के पब्लिक सेक्टर्स को चार्वाकवादी बनाती जा रही है, देश के विचार को चार्वाकवादी बनाती जा रही है जो केवल यह लेखाजोखा करता है कि कहां कितना घाटा है, कहां कितना नफा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि ये जो सेक्टर्स रूग्ण हो गए है, ये कैसे रूग्ण हो गए हैं। जहां कहीं सत्कार्यवाद के सिद्धान्त के अनुसार कोई कारण होता है तो उसका उपाय भी जरूर हो जाता है और यदि कारण पता करना चाहें तो जरूर पता लग सकता है और उन कारणों को दूर करना चाहिए और यह केवल संकल्पशक्ति द्वारा हो सकता है। यदि संकल्पशक्ति आप अपने अन्दर ले आते हैं तो इन रूग्ण यूनिट्स को भी हम साकार बना सकते हैं और उनसे भी मुनाफा हो सकता है। आज भी सारे के सारे पब्लिक सेक्टर्स रूग्ण नहीं हैं, कुछ रूग्ण हैं, जिनको आप बन्द करना चाहते हैं, लेकिन मुझे यह लगता है कि यह कदम-दर-कदम इस देश को कहीं बाहर या देश के अन्दर ही कुछ लोगों के हाथों में गिरवी रखने की साजिश चल रही है, उसमें यह भी एक कदम है।

सभापति महोदय सत्ता दल की ओर से बार-बार प्राइवेट सेक्टर की प्रशंसा की जा रही है और यह कहा जा रहा है कि इस तरह के बहुत सारे बिजनेस हैं, इनको यदि किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में दे दें तो इनमें मुनाफा होगा और ये सेक्टर खड़े हो जायेंगे। यहां पर मेरे मन में और अन्य लोगों के मन में यह सहज भावना जाग उठती है कि क्या इनको रूग्ण घोषित करने में या रूग्ण बनाने में कुछ लोगों का हाथ रहा है, जो किसी तरह से कोई न कोई तिकड़म करके दिन-प्रतिदिन बहुत सारे पब्लिक सेक्टर्स को रूग्ण बनाते जा रहे हैं। इस तरह से सेक्टर्स को रूग्ण बनाने का अन्त नहीं होगा, यह रोग फैलता जाएगा और जो भय बना हुआ है कि हमारे बाकी पब्लिक सेक्टर्स जो लाभकारी हैं, कहीं वे अलाभकारी न हो जाएं, आप ही के शब्दों में वे भी एक दिन रूग्ण हो जाएंगे और तब हम नहीं कह सकेंगे कि हमने प्रजातंत्र की स्थापना की है, बल्कि व्यक्तितंत्र की स्थापना की है और दिन प्रतिदिन इस ओर आप बढ़ते जा रहे हैं।

सभापति महोदय, इस पर यदि रोक लगानी है तो उसके लिए केवल एक ही चीज की हम में कमी है और वह है "संकल्पशक्ति," इस संकल्पशक्ति के आधार पर ही हम इनको साकार बना सकते हैं। इस बारे में बहुत सारी बातें मन में आती हैं कि इस तरह से लाखों लाख लोगों को हम बेरोजगार

कर देंगे, जिनके रोजगार बढ़ाने की बात हम सोचते हैं। रोजगार देने की बात आज उसी तरह का सपना हो जायेगी जैसे सोमदत्त ने सोचा था कि अकाल पड़ेगा और उसकी हन्डिया का सत्तू बिकेगा और वह तरक्की करेगा। यह जो अभी तत्काल स्थिति उत्पन्न हो गई है, उससे निपटने की यह पलायनवादी मनोवृत्ति है। इस पलायनवाद को आप समाप्त करें और जो सेक्टर्स रूग्ण हैं, उनको ठीक करने की कोशिश करें, यह सही कदम हो सकता है, न कि इनको बन्द करना सही कदम हो सकता है।

सभापति महोदय, आप एक एक करके अलग-अलग पब्लिक सेक्टर्स को न देखें, बल्कि टोटेलिटी में इसको देखें। अलाभकारी तो बहुत कुछ हो गया है, कांग्रेस सरकार भी बहुत से काम नहीं कर पा रही है, यह भी अलाभकारी सरकार है, तो क्या कांग्रेस सरकार अपने को बन्द कर देगी, स्थगित कर देगी। क्या आप यह बात सोच सकते हैं? ऐसी बात आप अवश्य नहीं सोचेंगे। बहुत सारे बीमार यूनिट्स फिर से रिवाइव किए गए हैं, तो क्या आप इनको रिवाइव नहीं कर सकते हैं। आप पब्लिक सेक्टर्स को यदि ठीक से चलायें और ऐसे तत्वों को वहां से हटा दें जो इन सेक्टर्स को रूग्ण बनाने में कामयाब होते हैं, मेरे ख्याल से इससे आपके पब्लिक सेक्टर्स फिर से लाभकारी हो जायेंगे और बन्द करने की स्थिति नहीं आयेगी। इन शब्दों के साथ मैं अपना कथन समाप्त करती हूं और फिर एक बार जोरदार शब्दों में इस विधेयक का विरोध करती हूं।

[अनुवाद]

श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण (कराड) : अध्यक्ष महोदया, रूग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम के इस संशोधन में यह किया गया है कि सरकारी क्षेत्र के सभी औद्योगिक उपक्रमों को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत लाया जाये।

विधेयक तो साधारण है लेकिन इसके परिणाम दूरगामी होंगे। इसमें एक अत्यन्त आधारभूत मामला उठाया गया है जिसे यह राष्ट्र लम्बे समय से टालता आ रहा है तथा जिसे दूर से ही सलाम बजाकर दबाते रहे। आज बहुत महत्वपूर्ण मामले पर निर्णय लिया जा रहा है। इस सभा में विस्तृत, स्वतन्त्र और स्पष्ट चर्चा अत्यधिक वांछनीय है।

इसके बारे में कुछ गलतफहमियां हैं कि यह सरकारी क्षेत्र के निजीकरण का प्रयास है, यह कि यह बन्द करने की नीति है, यह एक श्रमिक-विरोधी अधिनियम है और यह कि यह नेहरू की औद्योगिक नीति के विपरीत है। यह सत्य नहीं है। वास्तव में यह सरकारी क्षेत्र की इकाइयों का पुनःस्थापन करके, उनकी पुनः संरचना करके और यदि आवश्यक हुआ तो अधिक उत्पादन के लिए संसाधनों को पुनः लगाकर और उनके द्वारा नये रोजगार के अवसर उत्पन्न करके सामाजिक रूप से लाभकारी बनाकर उनकी रूग्णता को समाप्त करने का प्रयास है।

कोई भी यह नहीं चाहेगा कि कोई औद्योगिक इकाई अनन्तकाल तक रूग्ण बनी रहे क्योंकि यह हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक है। यदि उन्हें पुनर्जीवित या उनकी पुनः संरचना करने के लिए वास्तविक प्रयास किये जायें तो इसमें कुछ भी गलत नहीं हो सकता।

सरकारी क्षेत्र से यह आशा की गई थी कि वह कोर क्षेत्र में पदार्पण करने के लिए इस राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनायेगा जहां पूंजी निवेश अधिक होता था अथवा गर्भावधि अधिक होती थी और जहां निजी क्षेत्र आवश्यक पूंजी निवेश के लिए आगे नहीं आया था। यह उन क्षेत्रों में आवश्यक था जहां पश्चिम से प्रौद्योगीकीय सहयोग उपलब्ध नहीं हो रहा था और यह राष्ट्रीय सुरक्षा, अन्तरिक्ष और परमाणु ऊर्जा जैसे सामरिक महत्व के क्षेत्रों में भी आवश्यक था। इनमें से अधिकांश उद्देश्यों को प्राप्त

[श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण]

कर लिया गया है। भारत आज पर्याप्त रूप से आत्मनिर्भर और एक प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बन गया है और इसमें सरकारी क्षेत्र द्वारा निभाई गई भूमिका को कभी भी बढ़ा-चढ़ाकर नहीं दिया जा सकता है। सरकारी क्षेत्र राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में प्रमुख भूमिका निभाता रहेगा। लेकिन एक रूग्ण सरकारी क्षेत्र स्थिर सरकारी क्षेत्र, नौकरशाही जन्य, अधिक विनियमित, अक्षम तथा गैर-प्रतियोगी इकाईयां वह भूमिका नहीं निभा सकती हैं। इसे प्रदोन्नित, इसे गतिशील और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में ठहरने तथा निर्यात करने तथा ऐसी कम्पनियों के बराबर होने में सक्षम होना पड़ेगा जिनके कर्मचारी उन कम्पनियों पर गर्व करते हों।

आजकल विश्व की स्थिति में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। आज राष्ट्रीयकृत बैंकों ने बचतों को गतिशील बनाया है और उनका पूंजी बाज प्रदोलित है। निजी क्षेत्र बड़ा और परिपक्व हो गया है और वह कोर क्षेत्र में पूंजी निवेश करने का इच्छुक है। अतः अब यह तर्क उचित नहीं लगता कि चूंकि कोई और पूंजी निवेश नहीं करता है, इसलिए सरकारी क्षेत्र को पूंजी निवेश करना चाहिए। हमने विदेशी कम्पनियों तक को भारत में आने और पूंजी निवेश करने की अनुमति दे दी है। आज हमारे सामने भुगतान सन्तुलन की गम्भीर समस्या है। हमें कम से कम निकट भविष्य तक पेट्रोलियम उत्पादों, फास्फेट उर्वरकों, खाद्य तेलों और आवश्यक औद्योगिक संघटकों के आयात को जारी रखना पड़ेगा। इसलिए हमें अपने व्यापार को सन्तुलित बनाने के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए निर्यात करना पड़ेगा। हमें अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी होना पड़ेगा। सरकारी क्षेत्र का कोई रूग्ण एकक निर्यात नहीं कर सकता। इसे आधुनिक बनाना पड़ेगा, इसकी पुनः संरचना करनी पड़ेगी, इसे गुणवत्ता का बोध कराना पड़ेगा। सरकारी क्षेत्र का कोई रूग्ण एकक उत्पादों के उच्च मानक नहीं प्राप्त कर सकता है और जिसके बिना हम निर्यात नहीं कर सकते हैं। आधुनिकीकरण के बिना ऐसा करना सम्भव नहीं है।

इसलिए रूग्णता के कारणों को जानना आवश्यक है। उद्योग की रूग्णता कोई ऐसा तथ्य नहीं है जो केवल सरकारी क्षेत्र तक ही सीमित है। रूग्णता निजी क्षेत्र में भी समान रूप से फैली हुई है। यह कोई ऐसा तथ्य नहीं है जो केवल भारत तक ही सीमित हों। यह एक विश्वव्यापी तथ्य है। उद्योग की रूग्णता के अनेक कारण हैं। सरकारी क्षेत्र के एककों में रूग्णता मुख्यतया गलत प्रौद्योगिकी के चयन, गलत सहयोगकर्ता के चयन, गलत स्थल के चयन और गलत उत्पाद-मिश्रण के चयन के कारण होती है। कई बार राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ था। लेकिन हमें इस स्थिति में रहना पड़ता है कि सरकारी क्षेत्र के कुछ एकक हैं जो रूग्ण हैं।

रूग्णता का दूसरा कारण प्रौद्योगिकी का चलन में नहीं रहना है। हमने सूचना युग में, सूचना क्रान्ति में प्रवेश कर लिया है। हम पश्चिम की तुलना में अधिक महंगे श्रम की समस्या का सामना कर रहे हैं। आधुनिकीकरण के बिना, अधिक स्टाफ वाले हमारे उद्योग प्रतियोगी नहीं रह सकते। वे यहां और विदेशों में अपना बाजार खो देंगे और अन्त में रूग्ण बन जायेंगे।

हमने बेरोजगारी के डर से आधुनिकीकरण का विरोध किया था। इन नीति की पुनरीक्षा करनी पड़ेगी। सरकारी क्षेत्र को एक आदर्श बनाना पड़ेगा।

इस देश में बहुत कम औद्योगिक अनुसंधान भी रूग्णता का एक कारण है। औद्योगिक अनुसंधान अपेक्षित स्तर तक नहीं हुए हैं। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के बारे में काफी कुछ कहा जा सकता है।

तीसरे, सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारण प्रबन्धन की असफलता रही है। नौकरशाह, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को इंजीनियरिंग एककों को प्रमुख बना दिया जाता है। इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप होता रहा हैं। कई बार एकक काफी समय तक अध्यक्ष रहित रहते रहे हैं। बहुत अधिक नौकरशाहीपन आ गया था।

सभापति महोदया (श्रीमती बासवा राजेश्वरी) : श्री चव्हाण जी, आपको 6 बजे तक अपनी बात समाप्त करनी है।

श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण : जी हां, महोदया।

संसदीय कार्य तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगाराजन कुमारमंगलम) : हम लगभग डेढ़ घंटे से समय सीमा पार कर चुके हैं। अब मैं यह सुझाव देता हूं कि हम आज की चर्चा समाप्त करें। वित्त मन्त्री महोदय को कल उत्तर देने दो। अन्यथा, हमारे पास अन्य कार्यों के लिए समय नहीं रहेगा। (**व्यवधान**)

दूसरे सदस्य दो अवसरों पर बोल सकते हैं। एक अवसर सरकारी क्षेत्र में उपक्रमों सम्बन्धी 193 चर्चा के समय है। एक अवसर आर्थिक नीति पर चर्चा के समय है। अभी दो अवसर हैं। हमारे पास पर्याप्त समय है। हमें इसे और नहीं बढ़ाना चाहिए क्योंकि उस स्थिति में कार्य मन्त्रणा समिति का उद्देश्य पूरा नहीं हो पायेगा।

श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण : इसका एक कारण अधिक स्टाफ का होना रहा है। हमें यह विश्लेषण करना होगा कि सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रम ठीक तरह से कार्य क्यों कर रहे हैं और कुछ अन्य उपक्रम ठीक तरह से कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं? हमें इसका विश्लेषण अवश्य करना चाहिए और रुग्णता के कारणों को दूर करना चाहिए। निवारक, सुधारक और उपचारात्मक उपाय किए जाने चाहिए। जिस तरह से एक राष्ट्र की प्रगति करनी चाहिए उसी तरह से औद्योगिक उपक्रमों को भी उन्नति करनी चाहिए। इन्हें निष्क्रिय होने की अनुमति नहीं दी जा सकती। वरना, इनका विनाश हो जाएगा। इन्हें सदैव बढ़ती हुई जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध कराना है और इन्हें फलने-फूलने के लिए लाभ अर्जित करना है। रुग्ण और घाटे में चलने वाला एकक राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए हानिकर है। सतत बजटीय सहायता से, अन्य उत्पादक रोजगार-जनक प्रयोजनों को धन से वंचित रह जाना पड़ता है। यह मनोवैज्ञानिक रूप से भी कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए अमानवीय है। किसी से भी पूछ देखिये कि क्या उन्हें रुग्ण एकक में निरन्तर खैरात में कार्य करके गर्व होता है। नहीं महोदया। उन्हें रुग्ण रखना अपराध है। इसलिए रुग्णता को दूर किया जाना चाहिए। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड एक तरीका हैं। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड केवल बन्द करने के लिए ही नहीं है। आंकड़ों को उद्धृत किया गया है और यह पाया गया है कि हम 2:1 के अनुपात में पुनर्जीवित अथवा पुनर्रचना करने में सक्षम रहे हैं। उनमें से लगभग दो-गुणे एककों को पुनर्जीवित किया गया था [redacted] समापन की सिफारिश की गई थी। यदि आवश्यकता हुई तो औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के कार्य में सुधार किया जा सकता है। उसके विरुद्ध कुछ नहीं है। हम वास्तव में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के कार्यकरण की चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम उन सरकारी क्षेत्र की इकाइयों की अवधारणा की चर्चा कर रहे हैं जिनकी पुनः संरचना करने और जिन्हें पुनर्जीवित किए जाने की आवश्यकता है। मुझे बताया गया है कि सरकार औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की सम्पूर्ण पुनरीक्षा पर विचार कर रही है। इसे अधिक अधिकार दिए जाने चाहिए। प्रस्तावित सुरक्षा तन्त्र नवीकरण निधि को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के साथ मिला दिया जाना चाहिए। रुग्ण एकक

की परिभाषा में परिवर्तन हो जायेगा। आप त्रिपक्षीय पुनरीक्षा कर सकते हैं। लेकिन यह अवधारणा स्वीकार करनी पड़ेगी कि सरकारी क्षेत्र की इकाइयों को पुनर्जीवित किये जाने की आवश्यकता है। रुग्ण एककों को स्वस्थ बनाये जाने की आवश्यकता है।

कामगारों पर पड़े प्रभाव पर विचार करना पड़ेगा। निजी कम्पनियों द्वारा किए गए अधिग्रहण, सम्मिश्रण और विलयन अथवा विभाजन से कामगार दुखी नहीं होंगे क्योंकि उत्पादन होता रहेगा चाहे वह भिन्न प्रबन्धन के अन्तर्गत हो या भिन्न नाम के अन्तर्गत हो। लेकिन अन्य मामलों में जहां समापन की सिफारिश की जाती है, उन्हें पुनः प्रशिक्षण देने, हस्तांतरित करने और पुनः आबंटन करने की आवश्यकता होगी। कुछ लोगों को अत्यधिक आर्थिक सहायता देकर सेवानिवृत्त होने की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन सरकार कामगारों का साथ देने के लिए वचनबद्ध है। इसलिए इस सभा को सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों की पुनः संरचना की अवधारणा को रुग्णता दूर करने के साधन के रूप में स्वीकार करना चाहिए।

अब हमें यह देखना चाहिए कि सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों पर इस विधेयक के क्या प्रभाव पड़ते हैं। घाटे में चल रहे 98 एककों में से 83 प्रतियोगिता के क्षेत्र में हैं और 15 एकाधिकार के क्षेत्र में हैं। दीर्घकाल से रुग्ण चल रही 58 इकाइयों पर, जिन पर 300 करोड़ रु० का पूंजी निवेश किया गया है, 2600 करोड़ रु० का ऋण था, शायद क्योंकि 58 इकाइयों में से 46 इकाइयां निजी क्षेत्र से अधिग्रहित की गई थीं।

इन 58 इकाइयों में से 50 औद्योगिक इकाइयां हैं। उनका लगभग 3.4 लाख कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ेगा। उनमें 670 करोड़ का पूंजी निवेश हुआ है और 700 करोड़ रु० से भी अधिक का संचयी घाटा हुआ है।

अन्त में, मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकारी क्षेत्र की वे दीर्घकालिक-रुग्ण, घाटे में चल रही और अस्वस्थ इकाइयां जो कमजोर वित्तीय नींव पर खड़ी हैं, हमारी प्रभावशाली अर्थव्यवस्था के शिखर पर खड़ी नहीं रह सकती है। हमें निजी क्षेत्र के लिए आदर्श के रूप में कार्य करने, बाजार-हस्तक्षेप की भूमिका में युद्धनीति के रूप में कार्य करने और निजी क्षेत्र के एकाधिकार का मुकाबला करने के लिए एक प्रद्योलित, सक्रिय, आधुनिक तथा गतिशील सरकारी क्षेत्र की आवश्यकता है।

अन्ततः, इस तरह के सरकारी क्षेत्र के पुनर्निर्माण के लिए इस विधेयक का पारित किया जाना आवश्यक है।

सभापति महोदय : माननीय मन्त्री कल उत्तर देंगे।

सभा कल 11.00 बजे म० पू० तक पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

6.00 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 4 दिसम्बर, 1991/अग्रहायण 13, 1913 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : सनलाइट प्रिंटर्स, 2265, डा० सेन मार्ग, दिल्ली-6